वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2014 - 2015

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

संविभाग आकार
Portfolio Size

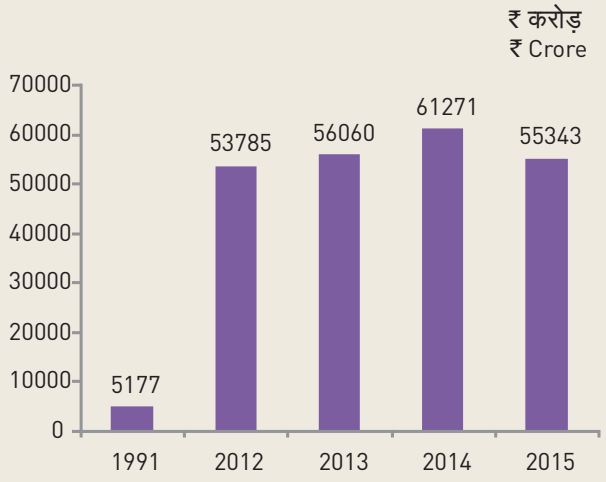

यथा 31 मार्च
As at March 31

निवल संपत्ति
Net Worth

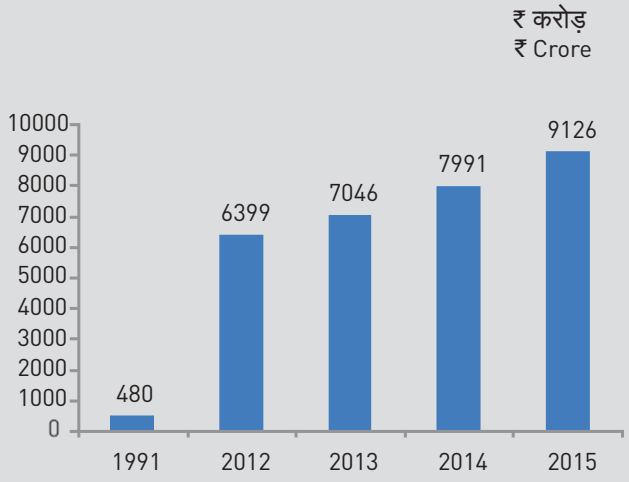

यथा 31 मार्च
As at March 31

संविभाग आकार
Income & Profit

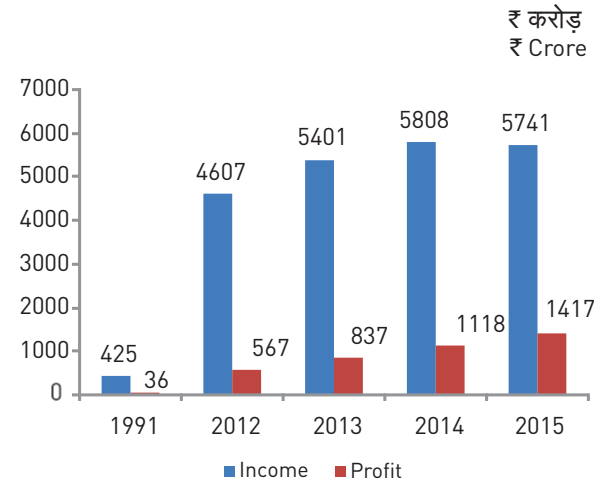

31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान
During the year ended March 31

निवल संपत्ति आय एवं लाभ
Standard Assets & Net NPAs

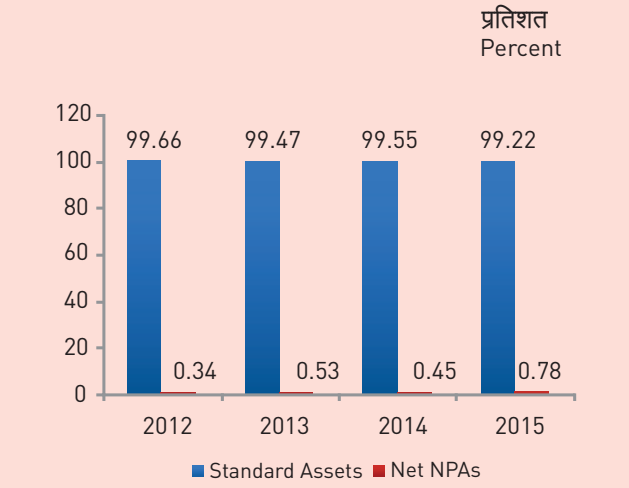

यथा 31 मार्च
As at March 31

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
Small Industries Development Bank of India

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30(5) के अनुसार 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट 28 जुलाई, 2015 को केन्द्र सरकार को प्रस्तुत।

Report of the Board of Directors for the year ended March 31, 2015 submitted to the Central Government on July 28, 2015 in terms of Section 30 (5) of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989.

विषय-सूची
Contents

प्रेषण पत्र	Letter of Transmittal
निदेशक-मंडल	Board of Directors
निदेशकों की समितियाँ	Committees of Directors
प्रगति एक दृष्टि में	Progress at a Glance
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	CMD's Statement
निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report

अध्याय
CHAPTERS

अर्थव्यवस्था और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम - कार्यनिष्पादन एवं दृष्टिकोण	1	Economy and Micro, Small and Medium Enterprises – Performance and Outlook.
व्यवसाय संबंधी रणनीतिक पहलकदमियाँ और समग्र परिचालन	2	Strategic Business Initiatives and Overall Operations.
वित्तीय समावेशन और दीर्घकालिक संवृद्धि	3	Financial Inclusion and Sustainable Growth.
सिडबी की सहायता का प्रभाव	4	Impact of SIDBI's Assistance.
प्रबन्धन एवं निगमित अभिशासन	5	Management and Corporate Governance.
सिडबी की सहायक एवं सहयोगी संस्थाएँ	6	Subsidiaries and Associate Organisations of SIDBI
तुलन-पत्र और लेखा-विवरण	7	Balance Sheet & Statement of Accounts.
सिडबी का अंकेक्षित तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण (परिशिष्ट – I)		Audited Balance Sheet along with Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of SIDBI (Appendix – I).
सिडबी और इसकी सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं का समेकित तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण (परिशिष्ट – II)		Consolidated Balance Sheet along with Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of SIDBI including its associates and subsidiaries (Appendix – II)

प्रेषण-पत्र
Letter of Transmittal

28 जुलाई, 2015

सचिव
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

प्रिय महोदय,

सिडबी के वित्तीय वर्ष 2014-15 के काम-काज संबंधी वार्षिक लेखे तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 की धारा 30(5) के प्रावधानों के अनुसार मैं निम्नलिखित दस्तावेज़ एतद्द्वारा अग्रेषित कर रहा हूँ-

(1) 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वार्षिक लेखे की प्रति

(2) 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के काम-काज के संबंध में निदेशक-मंडल की रिपोर्ट की प्रति

भवदीय,

(डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संलग्नक: यथोपरि

July 28, 2015

The Secretary,
Ministry of Finance,
Government of India,
New Delhi.

Dear Sir,

Annual Accounts and Report of the Board on the working of SIDBI – FY 2014-15

In accordance with the Provisions of Section 30 (5) of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989, I forward herewith the following documents:

(1) Copy of Annual Accounts of Small Industries Development Bank of India for the year ended March 31, 2015 and

(2) A copy of the Report of the Board on the working of Small Industries Development Bank of India during the year ended March 31, 2015.

Yours faithfully,

(Dr. Kshatrapati Shivaji, IAS)
Chairman & Managing Director

Encl.: as above

सिडबी का निदेशक मंडल (यथा 31 मार्च 2015)
Board of Directors of SIDBI (As on March 31, 2015)

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी
Dr. Kshatrapati Shivaji

श्री आलोक टण्डन
Shri Alok Tandon

श्री एस.के.वी. श्रीनिवासन
Shri S.K.V. Srinivasan

श्री जे. चन्द्रशेखरन
Shri J. Chandrasekaran

श्री एस. हरिहरन
Shri S. Hariharan

श्री के.सी. गुप्ता
Shri K. C. Gupta

श्री अनिल अग्रवाल
Shri Anil Agrawal

श्री सत्यानन्द मिश्रा
Shri Satyananda Mishra

श्री आर. रामचन्द्रन
Shri R. Ramachandran

निदेशकों की समितियाँ (यथा 31 मार्च 2015)
Committees of Directors (As on March 31, 2015)

कार्यपालक समिति

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष
श्री जे. चन्द्रशेखरन
श्री एस. हरिहरन
श्री अनिल अग्रवाल
श्री सत्यानन्द मिश्रा

लेखा-परीक्षा समिति

श्री अनिल अग्रवाल, अध्यक्ष
श्री आलोक टंडन
श्री एस.के.वी. श्रीनिवासन
श्री एस. हरिहरन
श्री आर. रामचन्द्रन

जोखिम प्रबन्धन समिति

श्री आर. रामचन्द्रन, अध्यक्ष
श्री एस.के.वी. श्रीनिवासन
श्री जे. चन्द्रशेखरन

राज्य वित्तीय निगम पर्यवेक्षण समिति

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष
श्री अनिल अग्रवाल
श्री के.सी. गुप्ता
श्री सत्यानन्द मिश्रा
श्री आर. रामचन्द्रन

उच्च राशि की धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष
श्री आलोक टण्डन
श्री एस.के.वी. श्रीनिवासन
श्री जे. चन्द्रशेखरन

Executive Committee

Dr. Kshatrapati Shivaji, Chairman
Shri J. Chandrasekaran
Shri S. Hariharan
Shri Anil Agrawal
Shri Satyananda Mishra

Audit Committee

Shri Anil Agrawal, Chairman
Shri Alok Tandon
Shri S.K.V. Srinivasan
Shri S. Hariharan
Shri R. Ramachandran

Risk Management Committee

Shri R. Ramachandran, Chairman
Shri S.K.V. Srinivasan
Shri J. Chandrasekaran

Committee for supervision of SFCs

Dr. Kshatrapati Shivaji, Chairman
Shri Anil Agrawal
Shri K.C. Gupta
Shri Satyananda Mishra
Shri R. Ramachandran

Special Committee to Monitor Large Value Frauds

Dr. Kshatrapati Shivaji, Chairman
Shri Alok Tandon
Shri S.K.V. Srinivasan
Shri J. Chandrasekaran

निदेशकों की समितियाँ (यथा 31 मार्च 2015)
Committees of Directors (As on March 31, 2015)

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

श्री अनिल अग्रवाल, अध्यक्ष
श्री सुधीर सेठ (बाह्य विशेषज्ञ)

ग्राहक सेवा समिति

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष
श्री जे. चन्द्रशेखरन
श्री एस. हरिहरन
श्री अनिल अग्रवाल
श्री के.सी. गुप्ता

मानव संसाधन संचालन समिति

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष
श्री आलोक टण्डन
श्री जे. चन्द्रशेखरन
श्री सत्यानन्द मिश्रा
डॉ. चित्रा राव (बाह्य विशेषज्ञ)

वसूली समीक्षा समिति

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष
श्री आलोक टण्डन
श्री एस.के.वी. श्रीनिवासन
श्री आर. रामचन्द्रन

पारिश्रमिक समिति

श्री आलोक टण्डन
श्री एस. हरिहरन
श्री सत्यानन्द मिश्रा

Information Technology Strategy Committee

Shri Anil Agrawal, Chairman
Shri Sudhir Seth (External Expert)

Customer Service Committee

Dr. Kshatrapati Shivaji, Chairman
Shri J. Chandrasekaran
Shri S. Hariharan
Shri Anil Agrawal
Shri K.C. Gupta

HR Steering Committee

Dr. Kshatrapati Shivaji, Chairman
Shri Alok Tandon
Shri J. Chandrasekaran
Shri Satyananda Mishra
Dr. Chitra Rao (External Expert)

Recovery Review Committee

Dr. Kshatrapati Shivaji, Chairman
Shri Alok Tandon
Shri S.K.V. Srinivasan
Shri R. Ramachandran

Remuneration Committee

Shri Alok Tandon
Shri S. Hariharan
Shri Satyananda Mishra

मिशन
Mission

एमएसएमई के लिए ऋण-प्रवाह सुगम व सुदृढ़ बनाना और एमएसएमई पारितंत्र के वित्तीय एवं विकासपरक, दोनों प्रकार के अन्तरालों की पूर्ति करना।

To facilitate and strengthen credit flow to MSME and address both financial and developmental gaps in the MSME eco-system.

प्रगति एक दृष्टि में
Progress at Glance

(₹ करोड़ / Crore)

यथा 31 मार्च / As on March 31	1991	2012	2013	2014	2015
बकाया संविभाग / Outstanding Portfolio	5,176.8	53,785.1	56,059.8	61,270.7	55,342.6
पूँजी / Capital - अधिकृत / Authorised	500.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
- प्रदत्त / Paid-up	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0
आरक्षितियाँ एवं निधियाँ / Reserves and Funds	44.9	6,327.9	7,053.3	8,042.3	9,329.6
कुल आय (प्रावधान-पश्चात्) / Total Income (Net of provisions)	425.1	3,870.4	4,557.6	5,186.0	5,938.5
निवल लाभ / Net Profit	35.6	566.9	837.4	1,118.3	1,417.1
शेयरधारकों को लाभांश / Dividend to Shareholders	5.0	112.5	112.5	112.5	112.5
औसत बकाया संविभाग पर प्रतिलाभ (%) Return on Avg. Outstanding Portfolio (%)	0.7	2.2	2.3	2.7	3.8
निवल बकाया संविभाग के प्रतिशत के रूप में मानक आस्तियाँ Standard Assets as percentage of net outstanding portfolio	100	99.66	99.47	99.55	99.22
पूँजी व जोखिम आस्ति का अनुपात (%) Capital to Risk Assets Ratio (%)	13.9	28.9	28.1	30.75	36.69

हमारे पथ-प्रदर्शक (स्थापना से लेकर 2015 तक)
Our Leaders (Since inception till 2015)

स्व. श्री एस एस नाडकर्णी (अध्यक्ष)
(अप्रैल 02, 1990 – सितम्बर 18, 1993)
Late Shri S S Nadkarni (Chairman)
(April 02, 1990 – September 18, 1993)

श्री आर एस अग्रवाल (प्रबन्ध निदेशक)
(अप्रैल 02, 1990 – मार्च 03, 1995)
Shri R S Agrawal (Managing Director)
(April 02, 1990 – March 03, 1995)

श्री एस एच खान (अध्यक्ष)
(दिसम्बर 02, 1993 – जून 30, 1998)
Shri S H Khan (Chairman)
(December 02, 1993 – June 30, 1998)

श्री के आर पिल्लै (प्रबन्ध निदेशक)
(मार्च 08, 1995 – जुलाई 20, 1995)
Shri K R Pillai (Managing Director)
(March 08, 1995 – July 20, 1995)

डॉ. शैलेन्द्र नारायण (प्रबन्ध निदेशक)
(अगस्त 03, 1995 - जुलाई 31, 2000)
Dr. Sailendra Narain (Managing Director)
(August 03, 1995 - July 31, 2000)

श्री जी पी गुप्ता (अध्यक्ष)
(जुलाई 01, 1998 – मार्च 26, 2000)
Shri G P Gupta (Chairman)
(July 01, 1998 – March 26, 2000)

श्री एस एस कोहली (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)
(अगस्त 01, 2000 – जनवरी 30, 2001)
Shri S S Kohli (Chairman & Managing Director)
(August 01, 2000 – January 30, 2001)

हमारे पथ-प्रदर्शक (स्थापना से लेकर 2015 तक)
Our Leaders (Since inception till 2015)

श्री पी बी निम्बालकर (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)
(जनवरी 31, 2001 – फरवरी 28, 2003)
Shri P B Nimbalkar (Chairman & Managing Director)
(January 31, 2001 – February 28, 2003)

श्री वी के चोपड़ा (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)
(जुलाई 16, 2003 – दिसम्बर 08, 2004)
Shri V K Chopra (Chairman & Managing Director)
(July 16, 2003 – December 08, 2004)

श्री एन बालसुब्रमण्यन (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)
(दिसम्बर 30, 2004 – सितम्बर 30, 2006)
Shri N Balasubramanian
(Chairman & Managing Director)
(December 30, 2004 – September 30, 2006)

श्री आर एम मल्ला (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)
(जुलाई 11, 2007 – जुलाई 08, 2010)
Shri R. M. Malla
(Chairman & Managing Director)
(July 11, 2007 – Jully 08, 2010)

श्री सुशील कुमार मुहनोत (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)
(अप्रैल 04, 2011 – नवम्बर 08, 2013)
Shri Sushil Kumar Muhnot
(Chairman & Managing Director)
(April 04, 2011 – November 08, 2013)

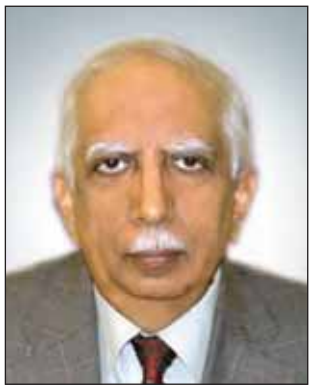

श्री राकेश रेवारी (उप प्रबन्ध निदेशक)
(अक्तूबर 23, 2006 – जुलाई 12, 2007)
(जुलाई 26, 2010 – अप्रैल 03, 2011)
Shri Rakesh Rewari (Deputy Managing Director)
(October 23, 2006 – July 12, 2007)
(July 26, 2010 – April 03, 2011)

श्री एन के मैनी (उप प्रबन्ध निदेशक)
(नवम्बर 22, 2013 – मार्च 11, 2014)
Shri N. K. Maini (Deputy Managing Director)
(November 22, 2013 – March 11, 2014)

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)
(मार्च 02, 2015 से प्रभावी)
Dr. Kshatrapati Shivaji (Chairman & Managing Director) (March 02, 2015 – till date)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का वक्तव्य
Chairman and Managing Director's Statement

प्रिय शेयरधारकगण,

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना निदेशक मण्डल और प्रबन्धन दल के लिए गौरव का विषय है। मुझे यह सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि बैंक ने अपनी गौरवपूर्ण यात्रा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और ऋण से अधिक सेवा-प्रदायगी का दृष्टिकोण अपनाते हुए, प्रभाव-आधारित पहुँच के माध्यम से एमएसएमई पारितन्त्र के ऋण एवं ऋणेतर अन्तरालों को पूरा करने का भरसक प्रयास किया है।

वर्ष के दौरान ₹ 53,083 करोड़ का संवितरण किया गया। 31 मार्च 2015 को बैंक का बकाया संविभाग ₹ 55,343 करोड़ था।

एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ मेरुदण्ड हैं। वे 106 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को आय-प्रद रोजगार देते हैं। रोजगार के मामले में यह कृषि के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र है। विनिर्माणकर्ता एमएसएमई का देश के विनिर्माण उत्पादन में 45 प्रतिशत हिस्सा है। सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का योगदान लगभग 37.5% है।

Dear Shareholders,

The Board of Directors and the Management Team of SIDBI are privileged to present the Bank's Annual Report for the Financial Year 2014-15. It gives me great pleasure to inform that, the Bank has completed 25 years of its illustrious journey and has endeavored to address various credit and non-credit gaps in the MSME eco-system through Credit plus approach and impact based outreach.

The disbursements made during the year was ₹ 53,083 crore and the Bank's outstanding portfolio as on March 31, 2015 stood at ₹ 55,343 crore.

MSMEs are the veritable backbone of the country's economy, providing gainful employment to more than 106 million people, the largest chunk after agriculture. Manufacturing MSMEs account for 45 percent of the country's manufacturing output. MSMEs' contribution to GDP is around 37.5%.

वर्तमान में भारत में उल्लेखनीय जनसांख्यिकीय वृद्धि हो रही है और कार्यशील आयु वाली आबादी का विषम-अनुपाती विस्तार हो रहा है। 2020 तक भारत दुनिया का सर्वाधिक युवा देश बनने जा रहा है, जिसकी औसत आयु 29 वर्ष होगी और इसमें दुनिया की 28% कार्य-शक्ति निवास करेगी। इतने परिमाण वाली श्रम-शक्ति को धारण करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

विनिर्माण क्षेत्र में नए सिरे से प्राण फूँकने के उद्देश्य से सरकार ने ''मेक इन इंडिया'' अभियान छेड़ा है, ताकि विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। इसका लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र का पुनर्विन्यास करके उसे भारत की आर्थिक संवृद्धि की मूल धुरी बनाना है। चूंकि एमएसएमई कई मूल्य-शृंखलाओं का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, अत: आशा की जाती है कि वे सरकार के ''मेक इन इंडिया'' अभियान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

एमएसएमई त्वरित, टिकाऊ और समग्रत: समावेशी संवृद्धि के वाहन हैं। इस कारण वे किसी भी राष्ट्र में बेहतर समाजार्थिक वातावरण निर्मित करने में मदद करते हैं। यह क्षेत्र उद्यमिता और प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषिता के विकास के लिए पौधशाला का काम करता है। एमएसएमई क्षेत्र भारत के मज़बूत समाजार्थिक ताने-बाने का आधार-स्तम्भ है।

चूंकि देश के औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार एवं उद्यमिता आधार के निर्माण में अपने योगदान की दृष्टि से एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण घटक हैं, इसलिए इन एमएसएमई, और खासकर पहली पीढ़ी के उद्यमियों के चहुँमुखी विकास और संवर्द्धन के लिए उनका समुचित पोषण व मार्गदर्शन एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।

सिडबी के स्तर पर हमने भारतीय उद्यमियों को पोषण दिया है, उन्हें सशक्त बनाया है और उनके सपनों को साकार करने में मदद की है, फिर चाहे वे पहले पीढ़ी के उद्यमी हों या सुस्थापित हो चुके हों। सिडबी उभरते हुए व्यवसायों के लिए समर्पित संस्था है। इस नाते उसके पास विविध प्रकार के एमएसएमई के लिए

India is presently experiencing significant demographic growth and a disproportionate expansion in the working age population. India is poised to become the world's youngest country by 2020, with an average age of 29 years and account for around 28% of the world's workforce. To absorb labour force of this magnitude, the manufacturing sector would need to play an important role.

To revitalize manufacturing sector, the Government has triggered the "Make in India" campaign to boost manufacturing sector, aiming to redesign manufacturing sector as a key engine for India's economic growth. As MSMEs are important part of several value chains, it is expected that they will play an important role in the Government's 'Make in India' drive.

MSMEs are the vehicles for faster, sustainable and overall inclusive growth and hence help in building a better socio-economic environment in any nation. This sector acts as the nursery for the entrepreneurship development and technological innovations. In India, the MSME sector is the founding pillar of its robust socio-economic fabric.

Since MSMEs constitute an important segment of Indian economy in terms of their contributions to country's industrial production, exports, employment and creation of entrepreneurial base, proper nurturing and handholding to these MSMEs is one of the key elements for their overall development and promotion, particularly the first generation entrepreneurs.

At SIDBI, we have nurtured, empowered and helped shape the Indian entrepreneur's dream right from the first generation to the well established ones. SIDBI, an institution devoted for growth of budding businesses,

नवोन्मेषी वित्तीय उत्पाद हैं। सिडबी ने पूँजी सम्बन्धी कठिनाइयों से जूझनेवाले/नवोन्मेषी उद्यमियों के वित्तपोषण के लिए अपनी जोखिम पूँजी योजनाओं के माध्यम से एक समर्पित अग्रदूत की भूमिका निभाई है और स्वच्छ प्रौद्योगिकी तथा नवीकरणीय ऊर्जा अपनाते हुए टिकाऊ संवृद्धि हासिल करने का भरसक प्रयत्न किया है। राष्ट्रीय नवोन्मेषिता कार्यक्रम (एनआईएफपी) सिडबी के नेतृत्व में संचालित सहयोगपरक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देश में नवोन्मेषितापूर्ण वित्तीयन के लिए सक्षमताकारी वातावरण निर्मित करना है, ताकि भारत नवोन्मेषिता का केन्द्र बन सके। इस कार्यक्रम में कई राष्ट्रीय संस्थाएं और निकाय सिडबी के साथ साझेदारी कर रहे हैं।

सिडबी की आकांक्षा है कि देश का एमएसएमई क्षेत्र समुत्थानशील एवं सशक्त हो। यह वर्तमान उद्यमों की सहायता और नए उद्यमों के सृजन को प्रोत्साहन देते हुए संवृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। सिडबी ने इस क्षेत्र के लिए ऋण-प्रवाह में बढ़ोत्तरी करने के साथ-साथ इस क्षेत्र की गैर वित्तीय आवश्यकताओं के अन्तरालों की पूर्ति के लिए भी कई उपाय किए हैं। इनमें से कुछ हैं- एमएसएमई सलाहकारिता सेवाएं, एमएसएमई को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में मदद के उद्देश्य से ऋण सुभीताकरण/समूहन सेवाएं, अपेक्षाकृत छोटे बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक) का क्षमता-विकास, सूक्ष्म उद्यम सृजन, क्लस्टर विकास, उद्यमिता एवं कौशल विकास, नवोन्मेषिता एवं संपोषण को बढ़ावा आदि।

एमएसएमई क्षेत्र की प्रमुख वित्तीयन संस्था के रूप में 1990 से अब तक की अपनी 25 वर्ष की यात्रा में सिडबी बहुत-से पड़ाव पार किए हैं और कई कीर्तिमान रचे हैं। सिडबी एक जिम्मेदार वित्तीय संस्था और प्रत्यक्ष ऋण, अल्प वित्त, जोखिम पूँजी, विभिन्न प्रकार की संवर्द्धनशील एवं विकास सहायता आदि प्रदान करनेवाला समूह बनकर उभरा है। अपनी सहयोगी/सहायक संस्थाओं के माध्यम से सिडबी एमएसएमई क्षेत्र को विविध प्रकार की सेवाएं देता है, जैसे ऋण गारंटी, उद्यम पूँजी, साख-निर्धारण, प्रौद्योगिकी मिलान तथा गैर निष्पादक आस्तियों का आस्ति-

has innovative financial products for the benefit of the wide spectrum of MSMEs. SIDBI has played a pioneering and dedicated role in financing of entrepreneurs having capital constraints/innovative entrepreneurs through its risk capital schemes and has strived towards achieving sustainable growth while adopting clean technology and renewable energy. The National Innovation Finance Programme (NIFP) is a collaborative programme led by SIDBI for creating an enabling environment for innovation financing in the country to help India become an innovation hub. Several national institutions and bodies are partners with SIDBI in the programme.

SIDBI envisions a vibrant and robust MSME sector in the country. It is dedicated to promote growth and development by providing support to existing enterprises and encourage creation of new enterprises. Besides enhancing credit flow to the sector, SIDBI has taken a number of steps in filling the gaps in non-financial needs of the sector. These include MSME advisory services, loan facilitation/syndication services to MSMEs to help them avail credit from banks/FIs, capacity building of smaller banks [Regional Rural Banks (RRBs), Co-operative banks], micro enterprises creation, cluster development, entrepreneurship and skill development, promoting innovation and incubation, etc.

The 25 year journey of SIDBI, since 1990 as the Principal Financing Institution of the MSME sector, has achieved many milestones and set several landmarks. SIDBI has emerged as a responsible financing institution and a conglomerate offering direct credit, micro-finance, risk capital, various promotional and developmental support, etc. Through its associates/subsidiaries, SIDBI offers a bouquet of services, such as, credit guarantee, venture

पुनर्निर्माण। सिडबी की सहायक संस्था के रूप में स्थापित माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एन्ड रिफायनेन्स एजेंसी (मुद्रा) इसकी एक और बड़ी उपलब्धि है। मुद्रा का उद्देश्य अल्प वित्त संस्थाओं तथा अंतिम बिन्दु पर स्थित वित्तदाताओं को पुनर्वित्त प्रदान करना है। अपेक्षा की जाती है कि यह एजेंसी 5.77 करोड़ लघु व्यवसाय-इकाइयों को औपचारिक वित्त के दायरे में ले आएगी, ताकि उनकी ऋण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।

सिडबी सक्रिय तरीके से अपनी व्यवसाय-रणनीति तैयार करता चला आ रहा है, ताकि एमएसएमई क्षेत्र की लगातार बदल रही आवश्यकताओं और चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके। एमएसएमई के लाभ के लिए सिडबी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अपने प्रगाढ़ सम्बन्धों का उपयोग करता रहा है। अगले पाँच वर्ष की अवधि में भारतीय अर्थ-जगत के परिदृश्य में युगान्तरकारी परिवर्तन आने की संभावना है। इसके फलस्वरूप कई क्षेत्रों में भारी उलट-फेर होगा। इसमें एमएसएमई भी शामिल हैं। सिडबी इन परिवर्तनों के प्रति सक्रिय तथा प्रतिक्रियाशील रहेगा और चुनौतियों को एमएसएमई के लिए अवसर के रूप में ढाल देगा। समय पर ऋण तथा उपयुक्त ऋणेतर क्षमता विकास सहायता के ज़रिए सिडबी भरसक सुनिश्चित करता रहेगा कि एमएसएमई क्षेत्र का समग्र विकास हो, ताकि यह क्षेत्र मज़बूत व सक्रिय बना रहे और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल तक डटा रहे।

(डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

capital, credit rating, technology matching and assets reconstruction of NPAs in the MSME sector. Creation of Micro Units Development and Refinancing Agency (MUDRA), an agency to refinance micro finance institutions and other last mile financiers, as a subsidiary of SIDBI is a new feather in the cap of SIDBI. The agency is expected to help about 5.77 crore small business units by bringing them within the formal financial sector for their credit needs.

SIDBI has been proactively devising its business strategy to match the constantly evolving needs and challenges of the MSME sector and leveraging its rich partnerships with national and international agencies to cater to the MSMEs. The next five year period is likely to bring metamorphic transformation in the Indian economic landscape. This would bring in paradigm shift in many spheres including MSMEs. SIDBI shall be proactive and responsive to these changes and convert the challenges into opportunities for MSMEs. It would continue to endeavour to ensure the holistic development of the MSME sector, through timely credit and appropriate non-credit capacity building support, so that the MSME sector remains strong, vibrant and achieves international competitiveness on a sustained basis.

(Dr. Kshatrapati Shivaji, IAS)
Chairman & Managing Director

निदेशकों की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2014-15
Directors' Report FY 2014-15

बैंक का निदेशक-मण्डल 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के व्यवसाय एवं परिचालनों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहा है।

आपके बैंक की स्थापना 1990 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत की गई। यह भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण एवं विकास हेतु स्थापित प्रमुख वित्तीय संस्था है। जैसाकि सर्वज्ञात है, यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास-कथा का प्रमुख योगदानकर्ता रहा है। विनिर्माण-उत्पादन, राष्ट्रीय आय तथा निर्यात में और इससे भी बढ़कर रोजगार सृजन में इसकी मुख्य हिस्सेदारी है। इस प्रकार देश की समग्र समाजार्थिक संवृद्धि में इसका उल्लेखनीय योगदान है।

एमएसएमई के समक्ष कई अन्तर्निहित चुनौतियाँ हैं। ये ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, पर्याप्त औद्योगिक मूलभूत ढांचा तथा विपणन एवं अभिग्रहण संबंधी मुद्दों से सरोकार रखती हैं।

सिडबी एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों के संवर्द्धन, वित्तपोषण एवं विकास हेतु स्थापित प्रमुख वित्तीय संस्था है। यह एमएसएमई उद्यमिता की महान भावना को बढ़ावा देते हुए, पिरामिड के निचले स्तर पर विद्यमान लोगों तक पहुँचकर सर्वसमावेशी संवृद्धि के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए यह बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, अल्प वित्त संस्थाओं तथा सहायता-योग्य अन्य मध्यवर्तियों के माध्यम से विकासपरक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

The Board of Directors of the Bank takes pleasure in presenting its Report on the business and operations of your Bank for the financial year ended March 31, 2015.

Your Bank was set up in 1990 under an Act of the Parliament as the principal financial institution for the promotion, financing and development of the Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) sector in India. As is well known, the sector has been a key contributor to the growth story of the Indian economy. It has a major share in manufacturing output, national income, exports and above all, employment generation, thus contributing to the overall socio-economic growth of the country.

There are inherent challenges faced by MSMEs. These relate to availability of credit, technology, skill development, adequate industrial infrastructure and issues around marketing and procurement.

SIDBI, which is the principal financial institution for the promotion, financing and development of industry in the MSME sector, is committed to contribute towards the national goal of attaining inclusive growth by promoting the great spirit of MSME entrepreneurship as well as reaching out to those at the bottom-of-the-pyramid by extending developmental and financial support through the network of Banks, Financial Institutions (FIs), Micro Finance Institutions (MFIs) and other support worthy intermediaries.

व्यावसायिक-कार्यनिष्पादन

आपके बैंक का कुल संवितरण वित्तीय वर्ष 2013-14 के ₹ 52,191 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 53,083 करोड़ हो गया। बैंक का बकाया संविभाग 31 मार्च 2015 को ₹ 55,343 रहा, जबकि 31 मार्च 2014 को यह ₹ 61,271 करोड़ रहा था। यथा 31 मार्च 2015 संचयी संवितरण ₹ 3.90 लाख करोड़ रहा, जिससे 346 लाख व्यक्तियाँ लाभान्वित हुए हैं।

वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय ₹ 5,741 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 5,808 करोड़ रही थी। इसी अवधि में कुल व्यय ₹ 3,823 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹ 3,646 करोड़ रहा था। वर्ष का कर-पूर्व लाभ ₹ 2,115 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 1,539 करोड़ रहा था। वर्ष का कर-उपरान्त तथा आस्थगित कर समायोजन उपरान्त निवल लाभ ₹ 1,417 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 1,118 करोड़ रहा था। आपके बैंक ने इस वर्ष के लिए 25% का लाभांश घोषित किया है और स्थापना के समय से अनवरत लाभांश भुगतान का रिकॉर्ड कायम रखा है।

बाह्य क्षेत्र को देखें तो यूरो क्षेत्र में संकट के चलते वैश्विक दृष्टिकोण में लगातार अनिश्चितता रही और वैश्विक अर्थव्यवस्था में आम मंदी के साथ-साथ संरचनागत कठिनाइयों तथा घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे मुद्रास्फीतिक दबावों के कारण मंदी का लम्बा दौर चला। मंदी का असर एमएसएमई क्षेत्र पर भी आया, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण का उठान कम हुआ। किन्तु मनोदशा में सुधार आने से घरेलू समष्टि-आर्थिक परिदृश्य की दृष्टिकोण में सुधार के लक्षण दिखने लगे हैं।

व्यवसायपरक पहलकदमियाँ

आपका बैंक जिन चुनिंदा वित्तीय अंतरालों की पूर्ति कर रहा है, वे हैं- जोखिम पूँजी/ईक्विटी सहायता, टिकाऊ वित्त, प्राप्य वित्त, सेवा क्षेत्र वित्तीयन आदि। ये एमएसएमई की ऐसी ज़रूरते हैं,

Business Performance

Your Bank's total disbursement increased from ₹ 52,191 crore in FY 2013-14 to ₹ 53,083 crore in FY 2014-15. Outstanding portfolio of the Bank was ₹ 55,343 crore as on March 31, 2015 and ₹ 61,271 crore as on March 31, 2014. The cumulative disbursements as on March 31, 2015 stood at ₹ 3.90 lakh crore, benefiting more than 346 lakh persons.

The total income of the Bank during the year was at ₹ 5,741 crore as compared to ₹ 5,808 crore during the previous year. The total expenditure during the corresponding period was at ₹ 3,823 crore as compared to ₹ 3,646 crore during the previous year. The Profit before Tax for the year was ₹ 2,115 crore, compared to ₹ 1,539 crore in the previous year. The net profit after tax and Deferred Tax Adjustment for the year was ₹ 1,417 crore as against ₹ 1,118 crore in the previous year. Your Bank has declared a dividend of 25% for the year and continues its uninterrupted dividend payment record since inception.

In the external sector, persistent uncertainty in global outlook caused by crisis in Euro area and general slowdown in global economy compounded by structural constraints and inflationary pressures in domestic economy resulted in protracted slowdown. The slowdown percolated to the MSME sector resulting in the lower credit off-take from banks and FIs. However, with improved sentiments, the outlook for domestic macroeconomic scenario is showing signs of improvement.

Business initiatives

Some of the niche financial gaps being addressed by your Bank are risk capital/equity assistance, sustainable finance, receivable finance, services sector financing, etc. These

जिनकी पूर्ति बैंकिंग प्रणाली आम तौर पर नहीं कर रही है। इसी प्रकार, आपका बैंक नए वित्तीय उत्पादों के लिए पौध-शाला का काम करता है, जिसे अन्ततः बैंकिंग उद्योग की मुख्य धारा में लाया जा सकता है।

पुनर्वित्त

मुख्य रूप से पुनर्वित्तीयन संस्था होने के नाते, सिडबी प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं जैसे बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, अल्प वित्त संस्थाओं आदि के संसाधन आधार को मज़बूत करने पर अधिकाधिक बल देता रहा है, ताकि एमएसएमई क्षेत्र को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध हो सके। यथा 31 मार्च 2015 बैंक के संविभाग में पुनर्वित्त का हिस्सा 80% था। पुनर्वित्त के अन्तर्गत नई परियोजनाएं स्थापित करने और प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण, विविधीकरण, विस्तार, पुनर्वास, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ उत्पादन-प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण आदि के लिए मौजूदा एमएसएमई, सेवा क्षेत्र की इकाइयों को तथा साथ ही मूलभूत संरचना विकास एवं उन्नयन के लिए भी सहायता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट के ज़रिए भारत सरकार ने पुनर्वित्तीयन सीमा ₹ 5,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 10,000 करोड़ प्रतिवर्ष करके बैंक की पुनर्वित्तीय क्षमता में वृद्धि कर दी है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2014 में सिडबी को एमएसई (पुनर्वित्त) निधि के अन्तर्गत ₹ 10,000 करोड़ की समूह निधि आवंटित की गई। आवंटित की गई ₹ 10,000 करोड़ की समूह निधि में से सिडबी ने आधार-दर पर एमएसई को उधार देनेवाले बैंकों के माध्यम से ₹ 3,047 करोड़ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को संवितरित किए।

जोखिम पूँजी: विभिन्न मध्यवर्ती संरचनाओं का उपयोग करते हुए तथा निधियों की निधि के परिचालन के माध्यम से (यानी उद्यम पूँजी निधियों के माध्यम से) एमएसएमई को सीधे जोखिम पूँजी/ईक्विटी सहायता प्रदान की जाती है। जोखिम पूँजी सहायता भावी नकदी प्रवाह और सहायता-प्राप्त इकाई की संभावनाओं के आधार पर दी जाती है, न कि आस्ति सुरक्षा/संपार्श्विक के आधार पर। इस सहायता से बहुत-से एमएसएमई की विकास

are the requirements of MSMEs which are not generally catered to by the banking system. Simultaneously, your Bank acts as a nursery for new financial products, which can eventually get mainstreamed in the banking industry.

Refinance :

SIDBI, being primarily a Refinancing institution has been according greater thrust on augmenting the resource base of Primary Lending Institutions (PLIs) like banks, SFCs, NBFCs. MFIs, etc., so that higher credit flows to the MSME Sector. Refinance constituted around 80% of the Bank's portfolio as on March 31, 2015. Under Refinance, support is extended for setting up new projects and technology upgradation/ modernization, diversification, expansion, rehabilitation, energy efficiency, adoption of clean production technologies etc. of existing MSMEs, service sector entities as well as for infrastructure development and upgradation.

The Government of India, through Budget for FY 2013-14 had increased the refinancing capability of the Bank by way of enhancement of the refinancing limit from ₹ 5,000 crore to ₹ 10,000 crore per year. Accordingly, a corpus of ₹ 10,000 crore was allocated to SIDBI under the MSE (Refinance) Fund in FY 2014. Out of the corpus of ₹ 10,000 crore allocated, SIDBI disbursed ₹ 3,047 crore to micro and small enterprises through banks which had lent to MSEs at base-rate.

Risk Capital: Risk capital/equity assistance is provided to MSMEs directly using various mezzanine structures as well as through Fund of Funds operation (i.e. through VCFs). The risk capital assistance is offered on the backing of future cash-flows and prospects of the unit assisted rather than asset coverage/collaterals. The assistance has supported the growth requirements of a number of MSMEs including

सम्बन्धी आवश्यकताओं को सहायता मिली है। इसमें मूल ऋणों का लाभ लेना, अनुसंधान व विकास के लिए व्यय जैसी अमूर्त आवश्यकताओं के खर्च की पूर्ति, विपणन/ब्राण्ड विकास, तकनीकी जानकारी, ऊर्जा दक्षता, गुणवत्ता नियंत्रण, कार्यशील पूँजी मार्जिन आदि शामिल है, जहाँ ऐसे निवेशों से आस्ति-सृजन नहीं होने के कारण आम तौर पर बैंक ऋण उपलब्ध नहीं होते।

नवोन्मेष-संचालित उद्यमिता ने भारत के शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य-सेवा, जैव-प्रौद्योगिकी, ऊर्जा समाधान, अपशिष्ट प्रबन्धन, वित्तीय समावेशन, लॉजिस्टिक्स, बाजार-तक पहुँच, रक्षा आदि क्षेत्रों से सम्बन्धित ढेरों आवश्यकताओं का समाधान पाने के मामले में देश में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया है।

सिडबी ऐसी कई जोखिम पूँजी निधियों को समूह निधि सहायता प्रदान करता है, जो छोटे स्टार्ट-अप तथा शुरुआती चरण वाले व्यवसायों की ईक्विटी में निवेश करते हैं। नवोन्मेषी/प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्टार्ट-अप्स तथा शुरुआती चरण वाले उद्यमों तथा प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों में संपोषित किए जा रहे उद्यमों को चुनिंदा आधार पर सहायता देने के लिए सिडबी ने एक योजना आरम्भ की है।

टिकाऊ वित्त: आपका बैंक अंतरराष्ट्रीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त संकेन्द्रित ऋण-व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रत्यक्ष ऋण प्रदान कर रहा है, ताकि ऊर्जा दक्षता तथा स्वच्छतर परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण हेतु एमएसएमई को सहायता दी जा सके।

इन ऋण-व्यवस्थाओं का उद्देश्य सिडबी के शाखा नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष सहायता के ज़रिए और प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से पुनर्वित्त के ज़रिए एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए तथा इन वित्तीय संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करके भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में ऊर्जा बचत को बढ़ावा देना है, ताकि देश के पर्यावरण सुधार एवं आर्थिक विकास और पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में योगदान किया जा सके। साथ ही, इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों, खासकर कार्बन डाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाना और इस प्रकार जलवायु-परिवर्तन के समाधान में योगदान करना भी है।

leveraging of senior loans, funding intangible requirements like expenditure for R & D, marketing/brand building, technical knowhow, energy efficiency, quality control, WC margin, etc. where bank loans are generally not available as such investments are non-asset creating.

Innovation driven entrepreneurship has started to play an important role in the country by finding solutions to India's myriad requirements in areas like education, affordable healthcare, biotechnology, energy solutions, waste management, financial inclusion, logistics, market access, defence, etc.

SIDBI provides corpus support to several Venture Capital Funds (VCFs) which invest in the equity of small start-up and early stage businesses. SIDBI has also piloted a scheme to assist start ups and early stage ventures, selectively, operating in innovative/technology space, including those being incubated at technology incubators.

Sustainable Finance: Your Bank is extending direct credit under focused Lines of Credit (LoCs) from international/bilateral agencies for providing assistance to MSMEs for financing Energy Efficiency (EE) and Cleaner Production (CP) projects.

The objective of these LoCs is to promote energy saving in Micro, Small and Medium Enterprises in India, by providing financial assistance to MSMEs, by way of direct assistance through the branch network of SIDBI as well as through refinance to Primary Lending Institutions (PLIs) and Non Banking Financial Companies (NBFCs), and by providing technical assistance to these financial institutions, thereby contributing to environmental improvement and economic development in the country and control of climate change on the earth. Further, it also aims to reduce the emission of greenhouse gases, especially Carbon Dioxide (CO_2) and thus to contribute towards climate change mitigation.

सिडबी ने 05 जून 2014 को यानी ''विश्व पर्यावरण दिवस'' पर आद्योपान्त ऊर्जा दक्षता समाधान (4ई समाधान) आरम्भ किया। सिडबी द्वारा आरम्भ किए गए 4ई समाधान के अन्तर्गत इसके एमएसएमई ग्राहकों को तकनीकी सहायता दी जाएगी, ताकि वे उचित मूल्य पर और सेवा की गुणवत्ता के आश्वासन के साथ ऊर्जा सेवा कंपनियों की सेवाएं लेते हुए अपनी ऊर्जा बचत में सुधार ला सकें।

सिडबी ने विश्व बैंक के साथ ''ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए आंशिक जोखिम-सहभागिता सुविधा'' हेतु विश्व बैंक के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका कुल परिव्यय 43 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर की गारंटी निधि और कुल 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तकनीकी सहायता शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य खासकर ऊर्जा सेवा कंपनियों के माध्यम से प्रदत्त ऊर्जा सेवा कार्य-निष्पादन संविदाकारिता के ज़रिए ऊर्जा दक्षता निवेश के स्तर में वृद्धि को बढ़ावा देते हुए भारत में ऊर्जा दक्षता बाज़ार के रूपान्तरण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में मदद करना है।

प्राप्य वित्त: वर्ष 1991 में आरम्भ की गई प्राप्य वित्त योजना बैंक की अग्रणी योजनाओं में से एक है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने ₹ 5,000 करोड़ की एक नई पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की, जो 14 नवम्बर 2013 से एक वर्ष के लिए प्रभावी थी। इस सुविधा का उद्देश्य एमएसएमई की प्राप्य राशियों के प्रति प्रत्यक्षत: और चुनिंदा मध्यवर्तियों जैसे बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा राज्य वित्तीय निगमों के माध्यम से तरलता सहायता प्रदान करना था। यह दिसम्बर 2013 से कार्यान्वित की गई। कार्यान्वयन के कुछ ही दिनों के भीतर बैंक ने इसका पूर्ण उपयोग कर लिया और सुविधा की ₹ 5,000 करोड़ की समस्त राशि भारतीय रिज़र्व बैंक से आहरित कर ली। योजना के अन्तर्गत 30 सितम्बर 2014 तक कुल ₹ 20,119 करोड़ का संचयी संवितरण किया गया था, जिससे लगभग 15,000 एमएसएमई लाभान्वित हुए।

SIDBI has launched the End to End Energy Efficiency Solutions (4E solutions) Product on June 05, 2014, "World Environment Day". The 4E solution launched by SIDBI would provide technical support to its MSME clients to improve their energy savings by availing the services of Energy Services Companies (ESCOs) at a reasonable cost with assurance on the quality of services.

SIDBI has signed agreement with World Bank for "Partial Risk Sharing Facility for Energy Efficiency (PRSF) Projects" with a total outlay of USD 43 million, consisting of a Guarantee fund of USD 37 million and technical assistance of a total of USD 6 million. The objective of the project is to support the GoI's efforts to transform the energy efficiency (EE) market in India by promoting increased level of EE investments, particularly through energy service performance contracting (ESPC) delivered through Energy Service Companies (ESCOs).

Receivable Finance: Receivable Finance Scheme (RFS) launched in the year 1991 is one of the pioneer schemes of the Bank.

During the FY 2013-14, a new refinance facility of ₹ 5,000 crore was extended by the Reserve Bank of India effective from November 14, 2013 for a period of one year. The facility aimed at providing liquidity support against the receivables of MSMEs directly and through select intermediaries like Banks, Non Banking Finance Companies (NBFCs) and State Financial Corporations (SFCs), was implemented with effect from December 2013. In a short span from the implementation, the Bank fully utilized and drew the facility amount of ₹ 5,000 crore from the RBI. Cumulative disbursements aggregating ₹ 20,119 crore covering around 15,000 MSMEs were made upto September 30, 2014 under the scheme.

व्यापार वित्त (कच्चा माल) योजना बड़े आपूर्तिकारों से कच्चा माल खरीदने में एसएमई की मदद करती है। इसे समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औपचारिक रूप से आरम्भ किया गया। अब भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य भुनाई योजना की स्थापना और परिचालन सम्बन्धी अन्तिम दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह कई वित्तदाताओं के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्यों के वित्तपोषण को सुगम बनाने की संस्थागत पद्धति है। सिडबी और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की सहायक संस्था एनएसई स्ट्रैटजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. ने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की स्थापना और परिचालन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में संयुक्त रूप से आवेदन किया है।

सेवा क्षेत्र वित्तीयन: राष्ट्रीय आय, रोजगार और उद्यमिता-अवसरों की दृष्टि से सेवा क्षेत्र की भूमिका को देखते हुए, सिडबी विगत दो वर्षों से व्यवसाय के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करता रहा है। 2013-14 में कतिपय मौजूदा उत्पादों को संशोधित किया गया और इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ नए उत्पाद आरम्भ किए गए। फ्रेंचाइजिंग जैसे नए व्यवसाय मॉडलों तक पहुँचने के उद्देश्य से अग्रणी परामर्शदाताओं के माध्यम से ''भारत में ऋण अंतराल, फ्रैंचाइजीज की संभावना एवं वित्तपोषण'' पर अध्ययन-कार्य पूरा किया गया। सेवा क्षेत्र के लिए सिडबी ने 2014-15 में अंतरराष्ट्रीय निधीयन एजेंसियों जैसे विश्व बैंक और जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ नई ऋण व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में बातचीत की।

अल्प वित्त: समावेशी संवृद्धि को बढ़ावा देनेवाला अल्प वित्त आपके बैंक का मुख्य क्षेत्र बन रहा है। सिडबी की अल्प वित्त पहल के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 तक ऋण, ईक्विटी एवं अर्ध-ईक्विटी सहित कुल संचयी सहायता ₹ 10,719 करोड़ रही, जबकि संचयी संवितरण ₹ 9,366 करोड़ रहा। यथा 31 मार्च 2015 बैंक का बकाया अल्प वित्त संविभाग ₹ 2,436 करोड़ था। सिडबी के माध्यम से उपलब्ध सहायता से संचयी रूप से लगभग 332 लाख वंचित व्यक्तियों को लाभ पहुँचा है, जिनमें अधिकतर महिलाएँ हैं।

Trade Finance (Raw Materials) scheme, which facilitates purchase of raw materials by SMEs from large suppliers was formally launched during the year under review. RBI has since released final guidelines for setting up and operating the Trade Receivable Discounting System (TReDS), an institutional mechanism for facilitating the financing of trade receivables of MSMEs through multiple financiers. SIDBI, along with NSE Strategic Investment Corporation Limited, a subsidiary of NSE, have jointly filed an application with RBI for setting up and operating of TReDS platform.

Service Sector Financing: In view of the growing role of service sector in contribution to national income, employment and entrepreneurial opportunities, SIDBI in the last couple of years has been focussing on service sector as one of its niche areas in business. In 2013-14, certain existing products were modified and a few new products were introduced suited to the needs of the sector. With the intention of reaching out to new business models like franchising, a study was completed on "Credit Gaps, potential and financing of Franchisees in India" through leading consultants. In 2014-15, SIDBI negotiated new lines of credit for service sector with international funding agencies like World Bank and Japanese International Co-operation Agency.

Micro Finance: Micro finance, which promotes inclusive growth, has been a thrust area of your Bank. The cumulative assistance including loans, equity and quasi-equity, sanctioned under SIDBI's micro finance initiatives upto March 31, 2015 aggregated ₹ 10,719 crore, while cumulative disbursements aggregated ₹ 9,366 crore. The outstanding micro credit portfolio of the Bank stood at ₹ 2,436 crore, as on March 31, 2015. The assistance through SIDBI has cumulatively benefited around 332 lakh disadvantaged persons, most of them being women.

गैर-वित्तीय अन्तरालों की पूर्ति

एमएसएमई क्षेत्र और बैंकरों के क्षमता विकास के उद्देश्य से विभिन्न गैर-वित्तीय अन्तरालों की पूर्ति हेतु आपके बैंक ने रणनीतिक पहलकदमियाँ की हैं।

सूचना का प्रचार-प्रसार: एमएसएमई को प्रासंगिक सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सूचना के अन्तराल की पूर्ति के उद्देश्य से आपके बैंक ने www.smallB.in नामक वेबसाइट स्थापित की, ताकि व्यवसाय स्थापित करने, वित्त तक पहुँचने और सरकार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करके उन्हें दिशा दिखाई जा सके। इस वेबसाइट को ''प्रौद्योगिकी विकास'' श्रेणी के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय एडीएफआईएपी पुरस्कार 2014 प्रदान किया गया है।

एमएसएमई सलाह केन्द्र: वाणिज्य बैंकों की योजनाओं, सरकारी सब्सिडी/लाभों की उपलब्धता के बारे में नए/मौजूदा उद्यमियों को मार्गदर्शन देने, उधारकर्ताओं को ऋण सम्बन्धी परामर्श देने, बैंकों द्वारा की गई पूछताछ के उत्तर देने के उद्देश्य से सिडबी ने एमएसएमई सलाह केन्द्रों की स्थापना की है। ये एमएसएमई सलाह केन्द्र उद्योग संघों की साझेदारी में पूरे देश के एमएसएमई समूहों की सेवा कर रहे हैं। एमएसएमई सलाह केन्द्रों में काम करने के लिए सिडबी ने नॉलेज पार्टनर नियुक्त किए हैं, जो एमएसएमई क्षेत्र का व्यापक अनुभव रखनेवाले सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं। इस उद्देश्य के लिए नॉलेज पार्टनरों को समुचित प्रशिक्षण भी दिया गया है। अब तक 10,000 से अधिक एमएसएमई इन केन्द्रों से लाभान्वित हो चुके हैं। अभी और अधिक केन्द्रों पर नॉलेज पार्टनर नामित करके कवर किए गए उद्योग-समूहों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

सामान्य क्रेडिट रेटिंग प्रणाली: वर्तमान में एमएसएमई की रेटिंग के लिए हर रेटिंग एजेंसी का अपना-अपना मॉडल और दृष्टिकोण है। इसलिए एक सामान्य रेटिंग मॉडल (सीआरएम) की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, ताकि फॉर्मों के मानकीकरण, इकाइयों की ग्रेडिंग, हित-धारकों में सूचना के आदान-प्रदान, देश भर के लिए अनुकूल डाटाबेस के निर्माण, और इस प्रकार सम्यक् सावधानी/एमएसएमई को ऋण-प्रदायगी

Addressing Non-financial Gaps

Your Bank has also taken strategic initiatives for addressing various non-financial gaps for capacity building of the MSME sector, as well as for bankers.

Information Dissemination: With a view to address the information gap by ensuring availability of relevant information to MSMEs, your Bank set up a website www.smallB.in to handhold and guide new entrepreneurs on how to set up a business, access to finance, avail benefits under government schemes, etc. The website has been bestowed with International ADFIAP Awards 2014 under 'Technology Development' category.

MSME Advisory Centres: SIDBI has set up MSME Advisory Centres (MACs) for guiding new/existing entrepreneurs regarding availability of schemes of commercial banks, government subsidies/benefits, provide borrowers with debt counselling, answering queries raised by banks etc. The MACs have been servicing MSME clusters across the country in partnership with Industry Associations. For manning the MACs, SIDBI has appointed Knowledge Partners (KPs) who are retired bank officials, with vast experience of MSME sector. The KPs have also been suitably trained for the purpose. So far more than 10,000 MSMEs have benefited through MACs. The number of clusters covered is being increased by nomination of KPs in more centers.

Common Credit Delivery Mechanism: Presently, each rating agency has its own model and approaches for rating of MSMEs. A need is therefore felt for a Common Rating Model (CRM) to facilitate standardisation of forms, grading of units, sharing of knowledge among stake holders, creating a compatible database across the country, thus expediting the diligence process/credit delivery to MSMEs. At

की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। सिडबी के अनुरोध पर, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार ने पूरी वित्तीय प्रणाली की एमएसएमई के उपयोगार्थ सीआरएम विकसित करने के लिए एक कार्य-दल गठित किया है। इस कार्य-दल में सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/उप प्रबन्ध निदेशक, संयुक्त सचिव (औवि), विसेवि, संयुक्त सचिव (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिज़र्व बैंक, सीईओ-केयर, सीएमडी/सीईओ एनएसआईसी, सीईओ आईबीए तथा उद्योग संघ का एक प्रतिनिधि शामिल है।

निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि कार्यक्रम (पीएसआईजी): बैंक डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी) के यूकेएड से सहायता-प्राप्त निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि कार्यक्रम (पीएसआईजी) को अप्रैल 2012 से कार्यान्वित कर रहा है। इस सात-वर्षीय (2012-2019) कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न आय वाले चार राज्यों (बिहार, ओड़िशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) के गरीबों के लिए कई प्रकार की वित्तीय सेवाओं (बचत, ऋण, सूक्ष्म बीमा, सूक्ष्म पेंशन आदि) तक पहुँच का विस्तार करना है। इस कार्यक्रम के तीन लाभ हैं- ऐसे नीतिगत एवं संस्थागत वातावरण को सुगम बनाना, जिससे गरीब लोगों के निमित्त वित्तीय सेवाओं के प्रावधान को बढ़ावा मिलता हो; ऐसी संस्थाओं का प्रवर्तन जो विविध वित्तीय सेवाएं देती हों; महिलाओं की क्षमता में वृद्धि करना, ताकि वे वित्तीय एवं लिंग-भेद सम्बन्धी मुद्दों से निपट सकें। कार्यक्रम का बजट लगभग 27 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउण्ड है। आशा है कि इससे प्राप्त हुए निजी क्षेत्र के वित्तीय एवं तकनीकी संसाधनों से 12 मिलियन लाभग्राहियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

उद्यमिता विकास: एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन और विकास सम्बन्धी अपने प्रयासों के अन्तर्गत सिडबी उद्यम-निर्माण और मौजूदा उद्यमों के सुदृढ़ीकरण का द्वि-आयामी दृष्टिकोण अपनाता है। बैंक ने अपनी संवर्द्धनपरक गतिविधियों को उद्यमिता विकास, ग्रामीण उद्योगीकरण, कौशल उन्नयन, उद्योग-समूह विकास की दिशा में पुन: उन्मुख किया है। इससे नए उद्यमों की स्थापना, समाज के निम्नतर स्तर पर रोजगार-सृजन तथा आय के अवसरों में वृद्धि के ज़रिए एमएसएमई क्षेत्र लाभान्वित हुआ है।

the instance of SIDBI, Department of Financial Services, Government of India has constituted a Task Force for development of CRM for MSMEs across the financial system. The Task Force comprises CMD/DMD SIDBI, Joint Secretary (IF) DFS, Joint Secretary (MSME) Ministry of MSME, CGM RBI, CEO CARE, CMD/CEO NSIC, CEO IBA and an industry association representative.

Poorest State Inclusive Growth (PSIG): The Bank has been implementing the Poorest States Inclusive Growth Programme (PSIG) supported by the UKAid from the Department for International Development (DFID), since April 2012. The seven year programme (2012-2019) aims at expanding access to a range of financial services (savings, credit, micro insurance, micro pension etc.) for poor in the 4 low income states (Bihar, Odisha, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh). The programme has three outputs viz. Policy and institutional environment that encourages provision of financial services to poor people in a responsible manner facilitated; Institutions providing diverse financial services promoted; and Women's capacities to tackle financial and gender issues enhanced. The Programme has a budget of about GBP 27 million. PSIG is expected to leverage private sector financial and technical resources to reach up to 12 million direct and indirect beneficiaries.

Entrepreneurship Development: In its endeavour towards promotion and development of the MSME sector, SIDBI adopts a twin approach of creation of enterprises and strengthening of existing enterprises. The Bank has also reoriented its promotional activities towards entrepreneurship development, rural industrialisation, skill upgradation, cluster development, which have benefitted the MSME sector by way of setting up of new enterprises, generation of employment and income in rural areas for lower strata of the society.

संसाधन प्रबन्ध

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कुल ₹ 22,664 करोड़ के संसाधन जुटाए (घरेलू स्रोतों से ₹ 21,149 करोड़ और विदेशी स्रोतों से ₹ 1,515 करोड़), जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 32,281 करोड़ के संसाधन जुटाए थे।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान क्रेडिट एनैलिसिस एंड रिसर्च लि. (केयर) ने सिडबी के बकाया ऋण निर्गमों, ₹ 3,000 करोड़ के सावधि जमा कार्यक्रम के संबंध में ''केयरएएए'' (ट्रिपल ए); तथा ₹ 7,000 करोड़ के सीपी/सीडी कार्यक्रम के लिए ''केयर ए1+'' (ए वन प्लस) रेटिंग कायम रखी। इसी प्रकार क्रिसिल ने भी बकाया बॉण्डों के सम्बन्ध में ''क्रिसिल एएए/स्थिर'' रेटिंग तथा सावधि जमा कार्यक्रम के लिए ''एफएएए/स्थिर'' रेटिंग कायम रखी। वर्ष के दौरान सिडबी ने क्रिसिल/केयर द्वारा प्रदत्त उक्त रेटिंगों का इस्तेमाल करते हुए बॉण्डों के जरिए ₹ 3,907 करोड़ का संग्रहण किया। उपर्युक्त रेटिंग वाली लिखतों को सर्वोत्तम गुणवत्ता युक्त और नगण्य निवेश-जोखिम वाला माना जाता है।

मानव संसाधन

यथा 31 मार्च 2015 आपके बैंक में 1,055 सक्रिय पूर्ण-कालिक स्टाफ कार्यरत थे, जिनमें से 892 अधिकारी, 99 श्रेणी III स्टाफ तथा 64 अधीनस्थ कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारियों की संख्या 232 थी। जन-शक्ति की गुणवत्ता में उन्नयन और व्यवसाय के परिवर्तनशील वातावरण में प्रासंगिक बने रहने की दृष्टि से कर्मचारियों का प्रशिक्षण हमेशा से ही महत्त्वपूर्ण रहा है। समीक्षाधीन वर्ष में आपके बैंक ने आन्तरिक रूप से अथवा सुप्रसिद्ध प्रशिक्षण/अकादमिक संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न घरेलू, आन्तरिक एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 1,344 नामांकन किए।

सहायक एवं सहयोगी संस्थाएँ

आपका बैंक एमएसएमई क्षेत्र की उभरती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की संस्थागत प्रणालियाँ विकसित करने के लिए लगातार कार्यरत है और इसने विभिन्न सहायक/

Resources Management

Your Bank raised resources aggregating ₹ 22,664 crore (₹ 21,149 crore from domestic and ₹ 1,515 crore from foreign sources) during FY 2014-15 as against ₹ 32,281 crore during FY 2013-14.

During FY 2014-15, Credit Analysis and Research Ltd. (CARE) retained 'CARE AAA' (Triple A) rating in respect of outstanding debt issues of SIDBI, the Fixed Deposit Programme of ₹ 3,000 crore and 'CARE A1+' (A One Plus) rating for the CP/CD Programme of ₹ 7,000 crore. Similarly, CRISIL also retained 'CRISIL AAA/Stable' rating in respect of outstanding bonds and 'FAAA/stable' rating for the Fixed Deposit Programme. During the year, SIDBI had raised ₹ 3,907 crore by way of bonds using the above ratings assigned by CRISIL/CARE. Instruments carrying the above ratings are considered to be of the best quality, carrying negligible investment risk.

Human Resources

As on March 31, 2015, your Bank had on its rolls 1,055 active full time staff comprising 892 officers, 99 class III staff and 64 subordinate staff. The strength of women employees was 232. Training of employees has always been pivotal for upgrading the quality of manpower and to cope with the changing business environment. During the year under review, your Bank made 1,344 nominations for various inland, in-house and international training programmes, organized in-house or by renowned training/academic institutions.

Associates and Subsidiaries

Your Bank has been constantly working on building various institutional mechanisms to cater to the emerging needs of the MSME sector and has set up various subsidiaries/associates.

सहयोगी संस्थाओं की स्थापना की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक की सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं के परिचालन संतोषजनक रहे हैं।

उद्यम पूँजी सहायता:

सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) की स्थापना उद्यम पूँजी निधियों (वीसीएफ)/वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) का प्रबन्धन करने के उद्देश्य से 1999 में निवेश प्रबन्धन कंपनी के रूप में की गई। विगत वर्षों के दौरान एसवीसीएल भारत की ऐसी अग्रणी संस्थागत निवेश प्रबंधन कंपनी बनकर उभरी है, जो भारत के लघु एवं मध्यम क्षेत्र की कंपनियों पर ध्यान केन्द्रित करती है।

अपनी स्थापना के समय से ही एसवीसीएल विविध क्षेत्रों की प्रमुखतया ऐसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार की कंपनियों की संवृद्धि पूँजी का स्रोत बनी रही है जो उच्च गुणवत्ता-युक्त और विकासोन्मुख हैं।

वर्तमान में एसवीसीएल नैशनल वेंचर फण्ड फॉर सॉफ्टवेयर एंड इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी इण्डस्ट्री (एनएफएसआईटी), एसएमई ग्रोथ फण्ड (एसजीएफ) [सिडबी एसएमई उद्यम निधि की पहली यूनिट योजना], इंडिया ऑपर्चुनिटीज फंड (आईओएफ) [सिडबी एसएमई उद्यम निधि की दूसरी यूनिट योजना], समृद्धि निधि (एसएफ) [सिडबी सामाजिक उद्यम ट्रस्ट की इकाई योजना] तथा टेक्स फण्ड (टीएफ) [लघु विकास ट्रस्ट की यूनिट योजना] के निवेश प्रबंधक के रूप में काम कर रही है।

अभी तक एसवीसीएल ने विविध क्षेत्रों जैसे आईटी/आईटीईएस, सेवा, खुदरा, औषधि, ऑटो घटक, जैव-ईंधन, वस्त्र और परिधान, लॉजिस्टिक्स आदि की प्रारम्भिक एवं संवृद्धि चरण वाली 80 कम्पनियों तथा स्वास्थ्य – सेवा, वित्तीय सेवा, जल, दुग्धोत्पाद, कृषि एवं सहवर्ती सेवा आदि क्षेत्रों के टिकाऊ सामाजिक उद्यमों में निवेश किया है। इसने पहले 2 उद्यम पूँजी निधियों यानी एनएफएसआईटी और एसजीएफ की 56 में से 43 कंपनियों में से पूरी तरह या अंशत: विनिवेश कर लिया है।

The operations of your Bank's subsidiaries and associates have been satisfactory during the year under review.

Venture Capital Support:

SIDBI Venture Capital Limited (SVCL) was established in 1999 as an Investment Management Company for managing Venture Capital Funds (VCFs)/Alternative Investment Funds (AIFs). Over the years, SVCL has evolved into one of the leading institutional investment management companies in India having focus on the small and medium sector companies in India.

Since inception, SVCL has continued to be a source of growth capital to high-quality, growth-oriented, primarily micro, small and medium sized companies (MSMEs) across diversified sectors.

SVCL, at present, is acting as the Investment Manager for National Venture Fund for Software and Information Technology Industry (NFSIT), SME Growth Fund (SGF) [first unit scheme of SIDBI SME Venture Fund], India Opportunities Fund (IOF) [second unit scheme of SIDBI SME Venture Fund], Samridhi Fund (SF) [unit scheme of SIDBI Social Venture Trust] and TEX Fund (TF) [a unit scheme of Laghu Vikas Trust].

SVCL has so far invested in 80 early and growth stage companies from diversified sectors such as IT/ITES, services, retail, pharma, auto components, biofuels, textile & garments, logistics etc and sustainable social enterprises in sectors such as healthcare, financial services, water, dairy, agri and allied services etc. It has fully or partially divested its investments in 43 of 56 companies of its first 2 VCFs viz., NFSIT and SGF.

ऋण गारंटी:

सिडबी ने वर्ष 2000 में भारत सरकार के साथ मिलकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की, ताकि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदान किए गए ₹ 100 लाख तक के संपार्श्विक रहित/तृतीय पक्ष गारंटी-रहित ऋणों के लिए ऋण गारंटी सुरक्षा दी जा सके। ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) के अन्तर्गत संचयी रूप से यथा 31 मार्च 2015, ₹ 90,446 करोड़ की राशि के लिए 18.17 लाख गारंटियाँ अनुमोदित की जा चुकी हैं (जिनमें से 97% गारंटियाँ ₹ 25 लाख से कम ऋणों के लिए हैं)।

एमएसएमई रेटिंग:

सिडबी ने सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों तथा डन एंड ब्रैडस्ट्रीट (डीएंडबी) के साथ मिलकर अगस्त 2005 में स्मेरा रेटिंग लिमिटेड की स्थापना की। यह व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय रेटिंग तथा जोखिम प्रोफाइलिंग करनेवाली एमएसएमई - समर्पित निष्पक्ष रेटिंग एजेंसी है। संचयी रूप से यथा 31 मार्च 2015 स्मेरा ने 34,385 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को रेटिंग दी है, जिनमें से 99% एमएसई हैं।

आस्ति पुनर्निर्माण:

सिडबी ने इंडिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (आईसार्क) की भी स्थापना की है, जो देश के पहले एमएसएमई-केन्द्रित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी है, जो उत्पादक उद्देश्यों के लिए निष्क्रिय गैर-निष्पादक आस्तियों के ताले खोलकर गैर-निष्पादक आस्तियों का त्वरित समाधान देने का प्रयत्न करती है। इससे एमएसएमई को बैंकिंग क्षेत्र से अपेक्षाकृत अधिक और आसान ऋण-प्रवाह सुलभ हो पाएगा। इसने अप्रैल 2009 में परिचालन आरम्भ किया। यथा 31 मार्च 2015 आईसार्क के प्रबन्धन में लगभग ₹ 378 करोड़ की आस्तियाँ थीं।

माइक्रो यूनिट्स डेवलेपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के केन्द्रीय बजट में भारत सरकार ने माइक्रो यूनिट्स डेवलेपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) की

Credit Guarantee:

SIDBI, along with Govt. of India, set up Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) in year 2000 to provide credit guarantee coverage to collateral free/third-party guarantee free loans up to ₹ 100 lakh extended by banks/FIs to micro and small enterprises. Under Credit Gurantee Scheme (CGS), cumulatively, as on March 31, 2015, 18.17 lakh guarantees (97% for loans below ₹ 25 lakh) for an amount of ₹ 90,446 crore have been approved.

MSME Ratings:

SIDBI, along with few public sector banks and Dun & Bradstreet (D&B), set up SMERA Ratings Limited in August 2005 – an MSME dedicated third party rating agency to provide comprehensive, transparent and reliable ratings and risk profiling. Cumulatively as on March 31, 2015, SMERA has assigned ratings to more than 34,385 MSME units, out of which MSEs constituted 99%.

Asset Reconstruction:

SIDBI has also set up India SME Asset Reconstruction Company Ltd. (ISARC), country's first MSME focused ARC striving for speedier resolution of non-performing assets (NPA) by unlocking the idle NPAs for productive purposes which would facilitate greater and easier flow of credit from the banking sector to the MSMEs. It started operations in April 2009. As on March 31, 2015, ISARC has assets under management of around ₹ 378 crore.

Micro Units Development & Refinance Agency [MUDRA]

During Union Budget of FY 2015-16, Government of India has announced setting up of Micro Units Development & Refinance Agency [MUDRA] with the objective of

स्थापना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाइयों को मुख्य धारा में लाना और उसके लिए इन ''अपना खाता उद्यमों'' को संस्थागत वित्त तक पहुँच प्रदान करना था। इससे न केवल इन उद्यमियों की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी, बल्कि रोजगार-सृजन में भी इनका उल्लेखनीय योगदान रहेगा। इससे सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होगी। यह एजेंसी उन सभी अल्प वित्त संस्थाओं के विनियमन और पुनर्वित्तीयन के लिए उत्तरदायी है जो विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों में संलग्न सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाइयों को उधार देने का कारोबार करती हैं।

शुरुआत के तौर पर मुद्रा सिडबी की सहायक संस्था के रूप में काम करेगी। यह एजेंसी ₹ 20,000 करोड़ की समूह निधि और ₹ 3,000 करोड़ की ऋण गारंटी समूह-निधि से आरम्भ हुई है। यह प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से अल्प वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त देगी।

पुरस्कार

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक को सार्वजनिक उद्यम संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस), हैदराबाद ने बैंकिंग क्षेत्र श्रेणी के अन्तर्गत प्रथम सर्वश्रेष्ठ ''सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार'' प्रदान किया। यह पुरस्कार सतर्कता प्रबन्धन, ई-पहल, प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सिडबी के अच्छे काम-काज तथा उससे भी बढ़कर सतर्कता जागरूकता बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए दिया गया। सिडबी ने देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सर्वोपरि बैंकों को पीछे छोड़ते हुए यह पुरस्कार जीता।

आपके बैंक ने लगातार दो वर्षों यानी 2012-13 और 2013-14 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गाँधी राजभाषा शील्ड योजना का द्वितीय पुरस्कार जीता। यह योजना गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संचालित की जाती है। ये पुरस्कार 14 सितम्बर 2014 और 13 नवम्बर 2014 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति के कर-कमलों से ग्रहण किए गए। भारतीय रिज़र्व बैंक राजभाषा

mainstreaming micro/small business units by way of providing access to institutional finance to these 'own account enterprises'. This will not only help in improving the quality of life of these entrepreneurs, but will also contribute significantly to the employment generation thereby achieving higher GDP growth. The agency is responsible for regulating and refinancing all Micro Finance Institutions (MFIs), which are in the business of lending to micro/small business entities engaged in manufacturing, trading and services activities.

To begin with, MUDRA will function as a subsidiary of SIDBI. The agency has started with a corpus of ₹ 20,000 crore and credit guarantee corpus of ₹ 3,000 crore and will refinance Micro Finance Institutions (MFIs) through a Pradhan Mantri Mudra Yojana.

Awards

During the year 2014-15, the Bank received the first best "Vigilance Excellence Award" in the Banking Sector category instituted by Institute of Public Enterprises, Hyderabad. The award came as a recognition of the good work done by SIDBI in the field of Vigilance Administration, e-initiative, leveraging technology and above all, its efforts in spreading Vigilance Awareness. SIDBI emerged the winner out of a field comprising top public sector banks of the country.

Your Bank won coveted second prize for two consecutive years i.e. year 2012-13 and 2013-14 under Indira Gandhi Rajbhasha Shield Yojna, being conducted by the Ministry of Home Affairs, Rajbhasha Vibhag. The above prizes were received on September 14, 2014 and November 13, 2014 from the Honb'le President of India. The Bank also received consolation prizes for commendable Hindi implementation in region 'C' & region 'B' during the year 2012-

शील्ड प्रतियोगिता के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान ''ग'' क्षेत्र के लिए एवं वर्ष 2013-14 के दौरान क्षेत्र ''ख'' में हिन्दी कार्यान्वयन के लिए बैंक को प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ। उक्त पुरस्कार भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा प्रदान किया गया।

विकास वित्तीय संस्थाओं की उत्कृष्ट उपलब्धियों के प्रदर्शन/विभिन्न पहलकदमियों के लिए हर वर्ष ऐसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनैन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स इन एशिया एंड दि पैसिफिक (एडीएफआईएपी) द्वारा अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हमें यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि सिडबी को वर्ष 2014 के लिए 3 एडीएफआईएपी पुरस्कारों को लिए चुना गया है, जो निम्नवत है:

(i) प्रौद्योगिकी विकास श्रेणी के अंतर्गत - ''स्मॉल.बी- युवा उद्यमिता का संवर्द्धन''

(ii) प्रौद्योगिकी विकास श्रेणी के अंतर्गत- ''मानव संसाधन स्वचालन परियोजना''

(iii) ''वित्तीय समावेशन'' श्रेणी के अंतर्गत- ''निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि (पीएसआईजी) कार्यक्रम''

भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मण्डल (सीआईएमएसएमई) द्वारा आयोजित द्वितीय प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम ''एमएसएमई बैंकिंग एक्सिलेन्स पुरस्कार – 2014 के'' अन्तर्गत ''एमएसएमई की सेवा के लिए विशेष ज्यूरी पुरस्कार'' श्रेणी में भी आपके बैंक को पुरस्कृत किया गया।

साथ ही, मानव संसाधन विकास कांग्रेस तथा एबीपी न्यूज ने संयुक्त रूप से सिडबी को ''एसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष पुरस्कार'' प्रदान किया। यह पुरस्कार 14 फरवरी को मुम्बई में आयोजित बीएफएसआई अवाड्र्स 2015 में प्रदान किया गया।

'एसीसीईएसएस'' ने बैंक के पूर्व उप प्रबन्ध निदेशक श्री एन.के. मैनी को अल्प वित्त के क्षेत्र में जीवनपर्यन्त किए गए योगदान के लिए ''व्यक्तिगत योगदान'' श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कृत किया। यह पुरस्कार समावेशी वित्त भारत सम्मेलन के पहले दिन 8 दिसम्बर 2014 को नई दिल्ली में आयोजित अल्प वित्त भारत पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान प्रदान किया गया।

13 and 2013-14 respectively under the Reserve Bank of India Rajbhasha Shield Pratiyogita. The prizes were awarded by the Governor of RBI.

International awards are given out each year by the Association of Development Financial Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP), showcasing Development Financial Institutions' outstanding achievements/initiatives in various areas. We have the pleasure of informing that SIDBI has been chosen for 3 ADFIAP Awards for 2014:

(i) "smallB.in – Promoting Youth Entrepreneurship" under Technology Development category.

(ii) "HR Automation Project" under Technology Development Category.

(iii) "Poorest States Inclusive Growth (PSIG) Programme" under 'Financial Inclusion' category.

Your Bank was also conferred in the 2nd Annual Flagship event "MSME Banking Excellence Awards – 2014" organized by Chamber of Indian Micro, Small & Medium Enterprises (CIMSME) in the category - "Special Jury Award for Serving MSMEs".

Also, World HRD Congress and ABP News jointly conferred SIDBI with "SPECIAL AWARD FOR ENCOURAGING SME" at The BFSI Awards 2015 on February 14, 2015 at Mumbai.

ACCESS bestowed upon Mr. N. K. Maini, ex- Deputy Managing Director of the Bank, the Award for the Lifetime Contribution to the Micro finance Sector under "Individual Contribution" category in the Micro finance India Awards Presentation Ceremony held on the 1st day of the Inclusive Finance India

आभार

आपके बैंक का निदेशक-मंडल भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त मूल्यवान सहयोग के लिए आभार ज्ञापित करता है। निदेशक मंडल विश्व बैंक समूह, जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका), जापान; डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), यू.के.; क्रेडिटांस्टाल्ट फर वीडरफबउ (केएफडब्ल्यू), जर्मनी; दि ड्युश जेलेशैफ फर इंटरनैशनैल ज़ुसमेनार्बीट (जीआईज़ेड), जर्मनी; इंटरनैशनल फंड फॉर ऐग्रीकल्चरण डेवलपमेंट (आईएफएडी), रोम; एजेंसी फ्रैंचाइज डि डेवलपमेंट (एएफडी), फ्रान्स तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) को उनसे लगातार मिलने वाली संसाधन सहायता एवं तकनीकी सहयोग के लिए धन्यवाद देता है। बैंकों, राज्य-स्तरीय संस्थाओं, उद्योग संघों तथा एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन और विकास में संलग्न अन्य हितधारकों से प्राप्त सहयोग के लिए निदेशक-मंडल उनको साधुवाद देता है।

बैंक अपने सभी ग्राहकों तथा निवेशकों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता है और आशा करता है कि आनेवाले वर्षों में भी उनका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। निदेशक-मंडल अपनी गहरी प्रतिबद्धता, ईमानदारी और समर्पण के साथ बैंक को विकास के उच्चतर पथ पर आगे ले जानेवाले सिडबी के सभी स्तरों पर कार्यरत स्टाफ की सेवाओं के लिए उनकी सराहना करता है।

(डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

Summit 2014 on December 8th at New Delhi.

Acknowledgements

The Board of Directors of your Bank acknowledges the valuable support received from the Government of India and the Reserve Bank of India. The Board is also thankful to the World Bank Group; Japan International Co-operation Agency (JICA), Japan; Department for International Development (DfID), U.K.; Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Germany; The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Germany; International Fund for Agricultural Development (IFAD), Rome; Agence Française de Développement (AFD), France and Asian Development Bank (ADB) for their continued resource support and technical co-operation. The Board places on record its appreciation for the co-operation extended to SIDBI by banks, state level institutions, industry associations and other stakeholders engaged in the promotion and development of the MSME sector.

The Bank also thanks all its clients and investors for their co-operation and looks forward to their continued support in the years to come. The Board places on record its appreciation for the services of SIDBI staff, at all levels, who showed strong commitment, integrity and dedication to take the Bank on to a higher growth path.

(Dr. Kshatrapati Shivaji, IAS)
Chairman & Managing Director

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

1

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्कृष्ट हिंदी कार्यान्वयन हेतु सिडबी को राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कार
SIDBI was awarded consolation prizes for commendable Hindi implementation under Reserve Bank of India Rajbhasha Shield Pratiyogita

अर्थव्यवस्था एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कार्यनिष्पादन एवं दृष्टिकोण

Economy and Micro, Small and Medium Enterprises – Performance and Outlook

वर्ष 2014-15 में वैश्विक वृद्धि धीमी रही और 2013-14 के 2.5 प्रतिशत से आंशिक रूप से बढ़कर केवल 2.6 पर ही पहुँच सकी। वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी गति पकड़ने के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि उच्च आय वाले बहुत से देश विरासत में मिले वैश्विक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तेल की कीमतें कम होने और ऊँची आय वाले देशों की स्थिति में क्रमिक सुधार के फलस्वरूप विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं की विकास-दर में वृद्धि होने और उसके 2013-14 के 4.4% से 2014-15 व 2015-16 में क्रमश: 4.8% तथा 5.3% तक जाने की संभावना है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% की वृद्धि की संभावना है, जबकि वित्तीय वर्ष 2014-15 में यह 7.4% रही थी। विकास की इस गति को निवेश-चालित संवृद्धि, कच्चे तेल के मूल्यों में कमी, मुद्रा-स्फीति में गिरावट, रुकी हुई परियोजनाओं में प्रगति तथा त्वरित नीतिगत सुधारों से परिचालित राजकोषीय नीति से सहायता मिलेगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र

एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है, क्योंकि भारत की जनसंख्या को रोजगार देने के मामले में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा इसी का है। एमएसएमई ने ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों के उद्योगीकरण में मदद करके क्षेत्रीय असंतुलन को घटाया है। अनुषंगी इकाइयों के रूप में एमएसएमई बड़े उद्योगों के पूरक होते हैं और यह क्षेत्र देश के समाजार्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान करता है।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था की संवृद्धि में एमएसएमई क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। उनका 46 मिलियन इकाइयों से अधिक का व्यापक नेटवर्क है, जो 106 मिलियन से अधिक रोजगार जुटाता है, 6000 से अधिक उत्पादों का विनिर्माण करता है तथा विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45% और निर्यात में लगभग 40% का योगदान करता है। देश के त्वरित एवं समावेशी संवृद्धि के एजेंडा की ओर अग्रसर होने के कारण अब इस क्षेत्र का महत्त्व और भी बढ़ गया है। एमएसएमई ने अपेक्षाकृत अधिक संवृद्धि दर भी दर्शायी है। साथ ही, यह एमएसएमई क्षेत्र ही है जो सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के वर्तमान 16% हिस्से को बढ़ाकर 2022 तक 25% किए जाने की प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) के लक्ष्य को मूर्त रूप देने में मदद कर सकता है।

Global growth in 2014-15 was moderate and picked up only marginally to 2.6 percent, from 2.5 percent in 2013-14. The global economy is still struggling to gain momentum as many high-income countries continue to grapple with the legacies of the global financial crisis. With low oil prices and gradual recovery in high-income countries, developing economies are expected to witness an increase in growth from 4.4% in 2013-14 to 4.8% and 5.3% in 2014-15 and 2015-16, respectively. In case of India, the growth in GDP is expected to be 7.8% in FY 2015-16 as against 7.4% estimated for FY 2014-15. This growth momentum will be supported by a prudent fiscal policy gearing to an investment-led growth, low crude prices, low inflation, progress on stalled projects and accelerated policy reforms.

Micro, Small and Medium Enterprises Sector

The MSME sector has been the mainstay of the Indian economy by providing the second largest share of employment to Indian population after agriculture. MSMEs have reduced regional imbalances by helping the industrialization of rural and backward areas. MSMEs are complementary to large industries as ancillary units and this sector contributes enormously to the socio-economic development of the country.

The MSME sector contributes greatly to growth of Indian economy with a vast network of over 46 million units, creating employment of over 106 million, manufacturing more than 6000 products, contributing about 45% to manufacturing output and about 40% of exports. This sector even assumes greater importance now as the country moves towards a faster and inclusive growth agenda. MSMEs have also shown higher growth rate. Moreover, it is the MSME sector which can help realize the target of proposed National Manufacturing Policy (NMP) of raising the share of manufacturing sector in GDP from 16% at present to 25% by 2022.

तालिका 1.1: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कार्य-निष्पादन
Table 1.1: Performance of MSMEs

(₹)

वर्ष Year	कुल कार्यरत उद्यम (लाख) Total Working Enterprise (In Lakh)	रोजगार (लाख) Employment (In Lakh)	अचल आस्तियों का बाजार मूल्य (करोड़) Market Value of Fixed Assets (In Crore)
2006-07	361.76†	805.23†	8,68,543.79@
2007-08#	377.37	842.23	9,20,459.84
2008-09#	393.70	881.14	9,77,114.72
2009-10#	410.82	922.19	10,38,546.08
2010-11#	428.77	965.69	11,05,934.09
2011-12#	447.73	1,012.59	11,83,332.00
2012-13#	467.56	1,061.52	12,69,338.02

† थोक/खुदरा व्यापार, विधि, शिक्षा एवं सामाजिक सेवाओं, होटल व रेस्तराँ, परिवहन एवं भण्डारण तथा वेयरहाउसिंग (कोल्ड स्टोरेज को छोड़कर) की गतिविधियों सहित, जिनके लिए आँकड़े, आर्थिक गणना 2005, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, एसपीआई मंत्रालय से लिए गए।

@ प्रति उद्यम मूल्य के आधार पर अनुमानित, जो थोक/खुदरा व्यापार, विधि, शिक्षा एवं सामाजिक सेवाओं, होटल व रेस्तराँ, परिवहन एवं भण्डारण तथा वेयरहाउसिंग (कोल्ड स्टोरेज को छोड़कर) की गतिविधियों के लिए अपंजीकृत क्षेत्र के नमूना सर्वेक्षण से लिए गए और जिन्हें चौथी अखिल भारतीय एमएसएमई-गणना, अपंजीकृत क्षेत्र से बाहर रखा गया था।

अनुमानित

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार।

† Including activities of wholesale/retail trade, legal, education & social services, hotel & restaurants, transports and storage & warehousing (except cold storage) for which data were extracted Economic Census 2005, Central Statistics Office, M/o SPI.

* Estimated on the basis of per enterprises value obtained from sample survey of unregistered sector for activities wholesale/retail trade, legal, education & social services, hotel & restaurants, transports and storage & warehousing(except cold storage) which were excluded from Fourth All India Census of MSME, unregistered sector

Projected

Source: Annual Report FY 2013-14, Ministry of MSME, Govt. of India

नीतिगत पहलकदमियाँ

टिकाऊ विकास के लिए भारत की संवृद्धि-कथा में एमएसएमई के बढ़ते हुए महत्त्व को देखते हुए, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई के लिए ऋण-प्रवाह में वृद्धि के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। सरकार की जिन पहलकदमियों का सकारात्मक असर एमएसएमई क्षेत्र पर पड़ेगा, वे इस प्रकार हैं-

- **मेक इन इंडिया कार्यक्रम**

  इस कार्यक्रम में वे प्रमुख नई पहलकदमियाँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य निवेश में मदद करना, नवोन्मेष का पोषण करना, बौद्धिक सम्पदा की रक्षा करना और श्रेणी में सर्वोत्तम विनिर्माण अधोरचना का निर्माण करना है।

Policy Initiatives

With growing importance of MSMEs in India's growth story for sustainable development, Government of India (GoI) and Reserve Bank of India (RBI) had taken several steps to increase credit flow to MSMEs. The various new initiatives undertaken by the Government, which will impact the MSME sector positively, are:

- **The Make in India Programme**

  The programme includes major new initiatives designed to facilitate investment, foster innovation, protect intellectual property and build best-in-class manufacturing infrastructure.

सरकार ने ऐसे 25 क्षेत्रों की पहचान की है जो अपने-अपने क्षेत्रों में भारत को अग्रगण्य बनाने की क्षमता रखते हैं। इन उद्योगों में एमएसएमई की बहुलता है। इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र की संवृद्धि को बढ़ावा देना और देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसके हिस्से में वृद्धि करना है।

- **माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनैन्स एजेंसी**

  माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनैन्स एजेंसी (मुद्रा) का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री ने 08 अप्रैल 2015 को किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य अनिधिकृत को उधार देना है, जिसके लिए अन्तिम छोर पर स्थित उन वित्तदाताओं का विकास व पुनर्वित्तीयन किया जाएगा, जो सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय इकाइयों को उधार देने का कारोबार करते हैं। शुरुआत में मुद्रा में दो प्रकार के उत्पाद की ज़रूरत होगी - ₹ 50,000 से ₹ 10 लाख तक की ऋण-आवश्यकता वाली सूक्ष्म इकाइयों के लिए पुनर्वित्त उत्पाद, तथा आगे उधार आदि देने के लिए अल्प वित्त संस्थाओं को सहायता।

- **शून्य अभाव, शून्य प्रभाव**

  अगले तीन से पाँच वर्ष तक एमएसएमई के श्रेणी-निर्धारण और उनको सहारा देने के उद्देश्य से सरकार ने 'शून्य अभाव, शून्य प्रभाव' मॉडल आरम्भ किया है, ताकि स्वच्छ प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए सर्वोत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उत्पाद दिए जा सकें। यह प्रयास उच्च गुणवत्ता-युक्त विनिर्माण के सम्बन्ध में किए जा रहे सरकार के प्रयासों और मेक इन इंडिया अभियान के अनुरूप है। माननीय प्रधानमंत्री के भाषण में प्रयुक्त जुमले 'शून्य अभाव, शून्य प्रभाव' को लेकर इसका नामकरण किया गया है। इस 'जेड परिपक्वता मॉडल' पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग तथा भारतीय गुणवत्ता परिषद् संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं।

The Government has identified 25 sectors, which have potential to make India a leader in their respective fields. These industries are dominated by MSMEs. The aim is to boost manufacturing sector's growth and increase its share in the country's GDP.

- **Micro Units Development & Refinance Agency**

  Micro Units Development & Refinance Agency [MUDRA] was launched on April 08, 2015 by Hon'ble Prime Minister with the prime objective of funding the unfunded by way of development and refinancing the last mile financiers, which are in the business of lending to micro and small business entities. To start with, MUDRA will have two categories of product, viz., refinance product for the micro units having loan requirement of ₹ 50,000 to ₹ 10 lakh and support to MFIs for onlending, etc.

- **Zero Defect, Zero Effect**

  The Government has launched a 'Zero Defect, Zero Effect' model to rate and handhold MSMEs for next three to five years to deliver top quality products using clean technology. The move is in line with the Government's effort for high quality local manufacturing and Make in India campaign. Deriving its name from Hon'ble Prime Minister's speech, 'Zero Defect, Zero Effect', the 'ZED maturity model' is being jointly worked out by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises; the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) and Quality Council of India (QCI).

- **कारोबारी सहूलियत**

  'कारोबारी सहूलियत' के सूचकांक पर भारत की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने एक प्रमुख कदम उठाते हुए ई बिज़ पोर्टल शुरू किया है। यह सरकार से कारोबार (जीटूबी) पोर्टल है, जिसमें ग्यारह सेवाएँ शामिल हैं। औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग का यह सिंगल-विंडो पोर्टल व्यवसाय एवं निवेश-सम्बन्धी सभी अनुमतियाँ 24x7 प्रदान करता है। भुगतान का गेटवे इसी में एकीकृत है।

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) नामक महत्त्वपूर्ण योजना को उद्योग अधोसंरचना विकास घटक को समाहित करते हुए दुबारा तैयार किया गया, ताकि अधोसंरचना विकास के लिए क्षमता निर्मित हो सके और सहायता दी जा सके। साथ ही, विनिर्माण प्रक्रिया को सरल व कारगर बनाने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण एवं प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) भी आरंभ किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक नीतिगत उपाय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04 मार्च 2015 को, तत्काल प्रभाव से रेपो दर में 25 आधार बिन्दुओं की कटौती करके उसे 7.75 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत कर दिया। किन्तु रिज़र्व बैंक ने नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कोई बदलाव न करके, उसे 4 प्रतिशत ही रखा है। जनवरी 2015 के बाद से दूसरी बार दरों में 25 आधार बिन्दुओं का परिवर्तन किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के आन्तरिक कार्य-दल की संस्तुतियों के अनुसार, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के साथ-साथ, मध्यम उद्यमों को भी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के दायरे में ले लिया गया है। किन्तु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बाहर न कर दिया जाए, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म उद्यमों के लिए 7.5% के उप-लक्ष्य की संस्तुति की गई है। इसे दो वर्षों में, चरणबद्ध रूप से हासिल किया जाना है- मार्च 2016 तक 7 प्रतिशत और मार्च 2017 तक 7.5 प्रतिशत।

- **Ease of Doing Business**

  Taking a major step towards achieving its aim of improving India's ranking on 'Ease of Doing Business' index, the Government has launched an eBiz portal, which is a Government-to-Business (G2B) portal with eleven government services. The single-window portal by the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) provides all business- and investment-related clearances 24x7 with an integrated payment gateway.

- Micro and Small Enterprises Cluster Development Programme (MSE - CDP), an important scheme was re-framed subsuming Industry Infrastructure Development component to build capacity and provide support for Infrastructure Development. In addition, National Manufacturing & Competitiveness Programme (NMCP) was initiated to streamline the manufacturing process.

RBI Policy Measures

The Reserve Bank of India (RBI) on March 04, 2015 cut down repo rate by 25 basis points to 7.5 percent from 7.75 percent, with immediate effect. However, RBI has kept the Cash Reserve Ratio (CRR) unchanged at 4 percent. It is the second change in rates by 25 basis points since January 2015. As per the recommendation of the Internal Working Group of RBI, in addition to micro and small enterprises, medium enterprises are included within the ambit of priority sector lending. However, to ensure that the micro and small enterprises are not crowded out, a sub-target of 7.5% for micro enterprises has been recommended, which is to be achieved in a phased manner over a period of two years as 7 percent by March 2016 and 7.5 percent by March 2017.

रिज़र्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) की स्थापना और परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। ट्रेड्स इलेक्ट्रॉनिक संस्थागत प्रणाली की स्थापना और परिचालन वाली योजना है। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निगमित एवं अन्य क्रेताओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्राप्य व्यापारिक राशियों के वित्तीयन में विविध वित्तदाताओं के माध्यम से मदद करना है।

अप्रैल 2016 से प्रभावी किए जानेवाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ज़रिए अत्याधुनिक कर प्रणाली प्रचलन में आ जाएगी और वर्तमान वैट प्रणाली समाप्त हो जाएगी। इससे कंपनियों का विकास समान रूप से होगा। साथ ही, सरकार को कर-अपवंचन रोकने में भी मदद मिलेगी। आशा है कि जीएसटी हमारी अर्थव्यवस्था की कार्य-प्रणाली में युगान्तरकारी भूमिका निभाएगी। इससे एक सामूहिक भारतीय बाज़ार विकसित होगा और वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों पर पड़नेवाले संक्रामक प्रभाव में कमी आएगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।

नव-उद्यमों और उद्यमियों के संवर्द्धन के लिए एक स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) निधि घोषित की गई है। इसकी समूह निधि ₹ 1,000 करोड़ है। यह निधि प्रौद्योगिकीय-वित्तीय संपोषक और सुविधाकारक कार्यक्रम के रूप में काम करेगी।

The Reserve Bank of India (RBI) has announced the guidelines for setting up and operating the Trade Receivables Discounting System (TReDS). TReDs is a scheme for setting up and operating the electronic institutional mechanism to facilitate the financing of trade receivables of micro, small and medium enterprises (MSMEs) from corporate and other buyers, including government departments and public sector undertakings (PSUs) through multiple financiers.

The Goods and Services Tax (GST) being rolled out from April 2016, will put in place state-of-art tax system replacing the current VAT system allowing companies to grow evenly while helping the government to plug tax leakages. GST is expected to play a transformative role in the way our economy functions. It will add buoyancy to our economy by developing a common Indian market and reducing the cascading effect on the cost of goods and services.

For promotion of start-ups and entrepreneurs, a Self Employment and Talent Utilization (SETU) fund with a corpus of ₹ 1,000 crore is announced. This fund will act as a techno-financial incubation and facilitation program.

राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान, पुणे के साथ एमएसएमई विशिष्ट केन्द्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन का निष्पादन
Signning of MOU with Nathional Institute of Bank Management (NIBM), Pune to set up a "MSME Centre of Excellence"

क्षेत्र के प्रौद्योगिकी-चालित नव-उद्यम तथा उभरते हुए उद्यमियों को सेतु निधि से सक्रिय सहायता मिलेगी, ताकि वे विश्व-स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

भारत सरकार ने अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) आरंभ किया है। यह नवोन्मेष संवर्द्धन मंच होगा, जिससे शिक्षक, उद्यमी और अनुसंधानकर्ता जुड़े होंगे। राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर यह मंच भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान व विकास तथा वैज्ञानिक शोध की संस्कृति को बढ़ावा देगा। यह मंच भारत के लिए विश्व-स्तरीय नवोन्मेषिता केन्द्रों के नेटवर्क का संवर्द्धन करेगा। इस उद्देश्य हेतु ₹ 150 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।

केंद्रीय बजट 2015-16

- देश में नव-उद्यमों का स्वस्थ पारितंत्र विकसित करने और उनके कारोबार के लिए नई प्रौद्योगिकी तक अधिकाधिक पहुँच का विस्तार करने के लिए उद्यमियों द्वारा अदा की जानेवाली रॉयल्टी घटाकर 25% से 10% की गई।

- सरकार ने अगले चार वर्षों में कॉर्पोरेट कर घटाकर 30% से 25% करने की भी घोषणा की।

Technology driven start-ups and budding entrepreneurs in the sector will now have active support from the SETU fund allowing them to compete globally.

The Government of India has launched the Atal Innovation Mission (AIM), which will be an Innovation Promotion Platform involving academics, entrepreneurs and researchers and draw upon national and international experiences to foster a culture of innovation, R & D and scientific research in India. The platform will also promote a network of world-class innovation hubs. A sum of ₹ 150 crore has been earmarked for this purpose.

Union Budget 2015-16

- In order to foster a healthy ecosystem of start-ups in the country and allow greater access to new technology for their business, the royalty tax paid by entrepreneurs slashed from 25% to 10%.

- The Government also announced reduction in the corporate tax from 30% to 25% over the next four years.

वर्ल्ड एसएमई ट्रेड सेन्टर का उद्घाटन
Launching of WORLD SME TRADE CENTRE

- घरेलू जूता-चप्पल उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, चमड़े के अपर वाले और ₹ 1,000 प्रति जोड़ा से अधिक खुदरा मूल्य वाले जूते-चप्पलों पर उत्पादन शुल्क घटाकर 6% किया जाना है।

एमएसएमई दृष्टिकोण

बैंक 'सबका साथ, सबका विकास' के माध्यम से समावेशी संवृद्धि को बढ़ावा देने के मामले में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए बैंक की कारोबारी रणनीति में 'मेक इन इंडिया' पर ज़ोर रहेगा। भारत सरकार के विवेकपूर्ण नीतिगत प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था और एमएसएमई की संभावनाएँ सकारात्मक बनी हुई हैं।

- To give a boost to domestic leather footwear industry, the excise duty on footwear with leather uppers and having retail price of more than ₹ 1,000 per pair is to be reduced to 6%.

MSME Outlook

The Bank is walking with the Govt. of India in promoting inclusive growth through 'SABKA SAATH, SABKA VIKAS'. The thrust of the business strategy of the Bank for MSME sector will be to 'Make in India'. With the prudent policy initiatives of Govt. of India, the prospects of the Indian economy and MSMEs remain positive.

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

2

मुद्रा के सुनहरे कल के लिए क्षेत्रीय परामर्शी बैठक
Regional Consultaion Meeting on way forward for MUDRA

व्यवसाय सम्बन्धी रणनीतिक पहलकदमियां और समग्र परिचालन

Strategic Business Initiatives and Oveall Operations

सिडबी के व्यवसाय के दायरे में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम आते हैं, जो उत्पादन, रोजगार तथा निर्यात की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। सिडबी मौजूदा संस्थाओं के प्रयासों में संपूरक भूमिका निभाते हुए अपनी प्रत्यक्ष सहायता योजनाओं के जरिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के अंतिम उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता पहुँचाता है। बैंक द्वारा जिन कुछ विशिष्ट वित्तीय अंतरालों की पूर्ति की जा रही है, वे हैं – ईक्विटी/जोखिम पूँजी, प्राप्य वित्त, टिकाऊ वित्त (जिसमें ऊर्जा दक्षता/स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकी शामिल है), सेवा क्षेत्र वित्तपोषण, फैक्टरिंग तथा रिवर्स फैक्टरिंग आदि। पुनर्वित्त, बिल पुनर्भुनाई, ऋण-व्यवस्था तथा संसाधन सहायता जैसी पद्धतियाँ समय के साथ-साथ विकसित हुई हैं, जिनका उपयोग करते हुए सिडबी की सहायता वित्तीय प्रणाली की अन्य खुदरा संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती है। कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रयासों की उल्लेखनीय बातें संक्षेप में नीचे दी गई हैं:

I व्यावसायिक कार्यनीति

i. ईक्विटी / जोखिम पूंजी

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों के समक्ष एक प्रमुख समस्या है– बैंकों और संस्थाओं से निधियाँ जुटाने के लिए अपेक्षित पर्याप्त पूंजी/ईक्विटी का अभाव।

- सिडबी में जोखिम पूंजी/ईक्विटी सहायता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जाती है। इसके लिए विभिन्न मैजेनाइन संरचनाओं तथा निधियों के निधि परिचालन (अर्थात् उद्यम पूंजी निधियों के माध्यम से) का प्रयोग किया जाता है। जोखिम पूंजी सहायता आस्ति कवरेज/संपार्श्विक प्रतिभूति के बजाय इकाई के भावी नकद प्रवाह और संभावनाओं के आधार पर दी जाती है

- सिडबी ने जोखिम पूंजी परिचालन ₹ 2,000 करोड़ की समूह निधि वाली एमएसएमई जोखिम पूंजी निधि के अंतर्गत वर्ष 2009 में आरंभ किए। एमएसएमई जोखिम पूंजी निधि से अब तक ₹ 1,500 करोड़ आहरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 2013 में ₹ 2,000 करोड़

The business domain of SIDBI consists of micro, small and medium enterprises (MSMEs), which contribute significantly to the national economy in terms of production, employment and exports. SIDBI supplements the efforts of existing institutions through its direct assistance schemes to reach financial assistance to the ultimate borrowers in the MSME sector. Some niche financial gaps addressed by the Bank are equity/risk capital, receivable finance, sustainable finance which includes energy efficiency (EE)/clean production (CP) technology, services sector financing, factoring and reverse factoring, etc. Refinancing, bills rediscounting, lines of credit and resource support mechanisms have evolved over time to route SIDBI's assistance through the network of other retail institutions in the financial system. Brief highlights of some of the important business initiatives are enumerated in the following paragraphs:

I Business Strategy

i. Equity/Risk Capital

One of the major problems faced by MSME entrepreneurs is lack of adequate capital/equity required for raising funds from banks and institutions.

- In SIDBI, risk capital/equity assistance is provided to MSMEs directly using various mezzanine structures as well as through Fund of Funds operation (i.e. through VCFs). The risk capital assistance is offered on the backing of future cash-flows and prospects of the unit assisted rather than asset coverage/collaterals.

- SIDBI had started the risk capital operations in 2009 under the MSME Risk Capital Fund (MSME-RCF) with a corpus of ₹ 2,000 crore. An amount of ₹ 1,500

के इण्डिया ऑपर्च्युनिटीज फंड का गठन किया गया था। कतिपय बाधाओं के कारण इस निधि का परिचालन आरंभ नहीं किया जा सका था। इन बाधाओं का अब निराकरण हो गया है और इस निधि का परिचालन वित्तीय वर्ष 2015-16 में आरंभ किया जा रहा है।

- सिडबी ने नवोन्मेष/प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्यरत स्टार्ट-अप्स तथा आरंभिक चरण के उद्यमों (प्रौद्योगिकी संवर्द्धकों में संवर्द्धित किए जा रहे उद्यमों सहित) को चुनिंदा आधार पर सहायता प्रदान करने की एक योजना भी प्रायोगिक आधार पर आरंभ की है। ऐसी इकाइयाँ वाणिज्यीकरण-पूर्व चरण, लाभ-पूर्व चरण आदि में हो सकती हैं और उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से वित्त जुटाने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि इनमें जोखिम अधिक समझा जाता है और ये मूर्त प्रतिभूति/संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ देने की स्थिति में नहीं होते। पात्र स्टार्ट अप्स को चिह्नित करने और उन्हें सहायता देने के लिए सिडबी संवर्द्धकों तथा अन्य एंजेल नेटवर्कों के साथ मिलकर काम करता आ रहा है। सिडबी ने तकनीकी परिप्रेक्ष्य, यूएसपी, विस्तार-क्षमता तथा टिकाऊपन की दृष्टि से स्टार्ट अप प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए नासकॉम तथा इसपिर्ट के साथ औपचारिक समझौता भी किया है। उक्त योजना वर्ष के दौरान आरंभ की गई। अब तक इस योजना के अंतर्गत 49 स्टार्ट-अप्स को कुल ₹ 47 करोड़ की सहायता मंजूर की गई है।

- यथा 31 मार्च 2015 को, प्रत्यक्ष जोखिम पूंजी परिचालनों के अंतर्गत जोखिम पूंजी के अंतर्गत बकाया ₹ 928 करोड़ था। सिडबी उद्यम पूंजी निधियों/निजी ईक्विटी निधियों को भी सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर उद्यम पूँजी निधियों के प्रति संचयी निवल प्रतिबद्धता ₹ 1,713 करोड़ थी।

ii. टिकाऊ वित्त

स्वच्छ उत्पादन तथा ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों/उत्पादन प्रक्रियाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिडबी, 2003 से, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, जैसे – जाइका, जापान, एएफडी फ्रांस

crore has been drawn out of MSME-RCF so far. Further, in 2013, India Opportunities Venture Fund (IOVF) of ₹ 2,000 crore had been set up. The fund could not be operationalised due to certain constraints, which have since been overcome. The fund is being made operational during FY 2015-16.

- SIDBI has also piloted a scheme to assist start-ups and early stage ventures selectively, operating in innovative/ technology space, including those being incubated at technology incubators. Such units could be in pre-commercialisation stage, pre-profit stage, etc. and find it difficult to raise finance from the formal banking system due to high perceived risk besides absence of tangible security/ collaterals to offer. SIDBI has been working with incubators and other angel networks to identify and support deserving start-ups. SIDBI has also entered into formal understanding with NASSCOM and ISPIRT for evaluation of start-up proposals from technical perspective, USP, scalability and sustainability. The scheme was formally rolled out during the year. So far 49 start-ups have been sanctioned assistance aggregating ₹ 47 crore under the Scheme.

- Under direct risk capital operations, as on March 31, 2015, the outstanding under Risk Capital was ₹ 928 crore. SIDBI also extends assistance to Venture Capital (VC) Funds. The cumulative net commitments to VC Funds as at the end of FY 2014-15 stood at ₹ 1,713 crore.

ii. Sustainable Finance

Since 2003, SIDBI has been operating focused lending schemes for promoting investment

तथा केएफडब्ल्यू जर्मनी के साथ हुई द्विपक्षीय ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत संकेंद्रित ऋण योजनाएँ परिचालित करता आ रहा है। इन संकेंद्रित योजनाओं का द्विआयामी दृष्टिकोण रहता है, अर्थात् हरित ऊर्जा दक्ष निवेशों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए रियायती ऋण तथा विभिन्न सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रों में जानकारी का प्रसार। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ सिडबी की कार्यनीतिक साझेदारी से ऊर्जा दक्षता आधारित निवेशों को बल मिला है।

ऊर्जा दक्षता ऋण-व्यवस्थाएँ

सिडबी विभिन्न बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त ऋण-व्यवस्थाओं से संकेंद्रित रियायती ऋण योजनाएँ परिचालित करता आ रहा है। ये ऋण-व्यवस्थाएं हैं - जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) चरण - I – 30 बिलियन जापानी येन, चरण – II - 30 बिलियन जापानी येन, चरण – III - 30 बिलियन जापानी येन, एजेंसी फ्रेंसाइसे डि डेवलपमेंट (एएफडी– 50 मिलियन यूरो तथा क्रेडिटान्सटाल्ट फुर वीडरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) – 50 मिलियन यूरो। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा खपत कम करना, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना, कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना तथा दीर्घावधि में भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की लाभप्रदता बढ़ाना है।

ऋण के साथ-साथ, सिडबी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की क्षमता निर्माण गतिविधियों में भी संलग्न है। इसके अंतर्गत ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने के लाभों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ऊर्जा दक्ष मशीनरियों को चिह्नित कर उन्हें प्रलेखित किया जा रहा है, ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर जानकारी का प्रसार किया जा रहा है, क्रियान्वित उपायों के सत्यापन और मापन तथा ऊर्जा दक्षता संबंधी योजनाओं पर जागरूकता फैलाई जा रही है। सिडबी 100 से अधिक उद्योग समूहों एवं 2,500 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तक पहुंच चुका है और ऊर्जा दक्षता संबंधी जागरूकता के फलस्वरूप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से 4,000 साझेदार बन चुके हैं।

in clean production and energy efficient technologies/production processes under bilateral lines of credit from international agencies such as JICA, Japan, AFD, France and KfW, Germany. These focused schemes have two pronged approach, i.e. concessional lending to encourage investment in green energy efficient investments and information dissemination to various MSME sectors. SIDBI's strategic partnership with World Bank (WB) and Bureau of Energy Efficiency (BEE) for financing energy efficiency in MSMEs has provided an impetus to EE based investments.

Energy Efficiency Lines of Credit

SIDBI has been operating focused concessional lending schemes for EE out of Lines of Credit (LoCs) from various multilateral/bilateral agencies, viz. Japan International Cooperation Agency (JICA) Phase I - JPY 30 billion, Phase - II – JPY 30 billion, Phase - III – JPY 30 billion, Agence Française de Développement (AFD) – EUR 50 million and Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) – EUR 50 million. The main objectives of these schemes are to reduce energy consumption, enhance energy efficiency, reduce CO_2 emissions and improve the profitability of the Indian MSMEs in the long run.

Besides credit, SIDBI is also engaged in the capacity building of the MSME sector with various awareness programmes on the benefits of adopting EE measures, identifying and documenting EE machineries, disseminating information on EE technology transfers, awareness on measurement & verification of implemented measures, financial schemes for EE etc. SIDBI has reached more than 100 industrial clusters and more than 2,500 MSMEs and awareness on EE has been created to 4,000 participants from the MSMEs.

स्वच्छतर उत्पादन / पर्यावरण संबंधी ऋण-व्यवस्था

सिडबी ने केएफडब्ल्यू से कुल 53.74 मिलियन यूरो की ऋण-व्यवस्था की संविदा की है, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में स्वच्छ उत्पादन विकल्पों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए है। उक्त ऋण-व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य स्वच्छतर उत्पादन निवेशों के जरिए उत्सर्जन में कमी लाना या उसे रोकना है। उद्योग समूहों में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बड़ी संख्या में लाभान्वित करने वाले सामूहिक निस्सार निवर्तन संयंत्रों, अपशिष्ट निवर्तनों, भंडारण और निपटान सुविधाओं, अपशिष्ट पुनःचक्रण आदि में निवेश भी उक्त सहायता के अंतर्गत पात्र है। अलग-अलग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जो ऐसा निवेश करने जा रहे हों जिसके फलस्वरूप प्रदूषण नियंत्रित होगा, अपशिष्ट घटेगा, कच्चे माल की उत्पादकता में सुधार होगा आदि, उक्त ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत कवर किए जाने हेतु पात्र हैं। अब तक 308 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कुल ₹ 389 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है।

विश्व बैंक - जीईएफ परियोजना - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता का वित्तपोषण

सिडबी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ मिलकर ग्लोबल एनवायरा–नमेंटल फेसिलिटी (जीईएफ) द्वारा वित्तपोषित विश्व बैंक परियोजना – ''फाइनेंसिंग एनर्जी एफीशिएंसी एट एमएसएमईज़'' का निष्पादन पांच सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम समूहों में कर रहा है। ये समूह हैं – कोल्हापुर – ढलाईघर, तिरुनेलवेली – चूना भट्ठा, अंकलेश्वर – रसायन, पुणे – गढ़ाई, फरीदाबाद – मिश्रित समूह। परियोजना का उद्देश्य लक्षित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम समूहों में ऊर्जा दक्षता निवेशों की माँग बढ़ाना और वाणिज्यिक वित्त तक पहुंचने की उनकी क्षमता में वृद्धि करना है। परियोजना के मुख्य लाभार्थी हैं – साझेदार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जो ऊर्जा दक्षता निवेशों/सुधारों के संभावित लाभ प्राप्त करेंगे; बैंक/वित्तीय संस्थाएँ, जो बढ़े हुए व्यवसाय अवसरों से लाभान्वित होंगे; ऊर्जा प्रोफेशनल तथा स्थानीय सेवा प्रदाता, जो अपनी सेवाओं की बढ़ी हुई मांग से लाभान्वित होंगे; और उद्योग संघ जो अपने उद्योग समूहों में ऊर्जा दक्षता संबंधी गतिविधियां चलाने में समर्थ होंगे। उक्त परियोजना का मुख्य प्रदायन सूक्ष्म,

Cleaner Production/Environmental Lines of credit

SIDBI has contracted LoCs aggregating to an amount of EUR 53.74 million from KfW for promoting investment in cleaner production options in the MSME sector. The main objective of the line is to achieve a reduction or avoidance of emission and pollution through cleaner production investments. Investment such as Common Effluent Treatment Plants (CETPs), waste treatment, storage & disposal facilities, waste recycling, etc., benefitting large number of MSMEs in the industrial clusters are also eligible under the assistance. Individual MSMEs going in for investments that will result in the pollution control, waste reduction, improvement in raw material productivity etc., are eligible for coverage under the line. So far, 308 MSMEs have been assisted with an aggregate term loan of more than ₹ 389 crore.

WB-GEF Project – Financing Energy Efficiency in MSMEs

SIDBI along with BEE is executing a Global Environmental Facility (GEF) funded WB project, viz. "Financing Energy Efficiency at MSMEs" in five MSME clusters viz., Kolhapur-foundry, Tirunelveli- Limekilns, Ankleshwar-chemicals, Pune- forging and Faridabad- mixed cluster. The objective of the project is to increase demand for energy efficiency investments in the target MSME clusters and to build their capacity to access commercial finance. The key beneficiaries of the project include participating MSMEs who will realize the potential benefits from EE investments/improvements; Banks/FIs from increased business opportunities; energy professionals & Local Service Providers (LSPs) from increased demand for their services and Industry Associations enabling them to carry out EE related activities in their clusters. The main deliverable of the project is to provide

लघु एवं मध्यम उद्यमों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना है, जिसके परिणामस्वरूप इन 5 उद्योग समूहों की लगभग 500 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों द्वारा ऊर्जा संरक्षण उपाय कार्यान्वित करने के लिए निवेश उत्प्रेरित होगा। परियोजना की अवधि दिसंबर 2016 तक है।

उक्त पाँचों उद्योग समूहों की समूह रूपरेखा रिपोर्टें तैयार की गई हैं। परियोजना अधीन उक्त 5 उद्योग समूहों में 1,100 से अधिक वाक-थ्रू ऑडिट तथा 628 विस्तृत ऊर्जा ऑडिट संचालित किए गए हैं और 599 निवेश ग्रेड विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (आईजीडीपीआर) तैयार की गई हैं। उक्त समूहों में चिह्नित ऊर्जा संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन आरंभ हो चुका है। 500 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों ने चिह्नित ऊर्जा संरक्षण उपायों को कार्यान्वित करना आरंभ कर दिया है। सिडबी ने अपनी विश्व बैंक-जीईएफ परियोजना के अंतर्गत एक नया ''इंटीग्रेटेड क्रेडिट रेटिंग मॉडल विद इंबेडेड ग्रीन पैरामीटर्स'' विकसित कर उसका प्रायोगिक परीक्षण किया है।

व्यापक ऊर्जा दक्षता पश्चातवर्ती निवेश (सीईआरआई) प्रस्तावों के वित्तपोषण का प्रदर्शन प्रभाव पैदा करने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में आद्योपांत ऊर्जा दक्षता निवेशों के वित्तपोषण हेतु एक परिक्रामी निधि योजना, नामत: ''4 ई वित्तपोषण योजना'' भी तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए रियायती ब्याज दर तथा आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करना है। परिक्रामी निधि में विश्व बैंक से 3 मिलियन अमरीकी डॉलर का जीईएफ अनुदान तथा सिडबी द्वारा अपनी सामान्य निधि से अंशदान शामिल होगा, जो 28:72 के अनुपात में होगा।

ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखिम सहभागिता सुविधा (पीआरएसएफ) परियोजना

सिडबी ने ''ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखिम सहभागिता सुविधा (पीआरएसएफ) परियोजनाएँ'' के लिए विश्व बैंक के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका कुल परिव्यय 43 मिलियन अमरीकी डॉलर है और जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

technical support to MSMEs resulting in catalyzing investments for implementing Energy Conservation Measures by around 500 MSME units in these 5 clusters. The duration of the project is till December 2016.

Cluster Profile Reports of all the five clusters have been developed. More than 1,100 walk-through audits and 628 detailed energy audits have been conducted and 599 Investment Grade Detailed Project Report (IGDPRs) have been prepared in the five clusters under the project. Implementation of identified Energy Conservation Measures has already been started in the clusters. More than 500 MSMEs have already started implementing the identified Energy Conservation Measures. A new "Integrated Credit Rating Model with Embedded Green Parameters" has been developed and pilot tested by SIDBI under its WB-GEF Project.

With a view to create a demonstration effect of financing of comprehensive energy efficiency retrofit investments (CERI) proposals, a revolving fund scheme for financing End to End Energy Efficiency Investments in MSMEs viz. "4E Financing Scheme" has also been created to provide loans for energy efficiency projects to MSMEs at concessional interest rates and soft terms. The revolving fund shall include GEF grant of USD 3 million from World Bank and contribution from SIDBI out of its general funds in the ratio of (28:72).

Partial Risk Sharing Facility for Energy Efficiency (PRSF) Project

SIDBI has signed agreement with World Bank for "Partial Risk Sharing Facility for Energy Efficiency (PRSF) Projects" with a total outlay of USD 43 million consisting of following components:

- घटक 1: एक गारंटी निधि (जोखिम सहभागिता सुविधा) 37 मिलियन अमरीकी डॉलर की समूह निधि, जिसका प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जाएगा, और
- घटक 2: तकनीकी सहायता - 4 मिलियन अमरीकी डॉलर की तकनीकी सहायता सिडबी द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की तकनीकी सहायता एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लि. द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता निवेशों के बढ़े हुए स्तर को प्रोत्साहित कर, विशेषकर ईएससीओज़ के माध्यम से डिलीवर किए गए ऊर्जा सेवा कार्यनिष्पादन कॉन्ट्रेक्टिंग के जरिए, भारत में ऊर्जा दक्षता बाजार को रूपांतरित करने के भारत सरकार के प्रयासों को सहयोग प्रदान करना है। परियोजना के अंतर्गत सिडबी द्वारा परिचालित गारंटी निधि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा एस्कोज़ तथा एस्को कार्यान्वित परियोजनाओं को प्रदत्त ऋणों (सिडबी ऋणों सहित) को गारंटी प्रदान करेगी, ताकि उनकी जोखिम अवधारणा को न्यूनतम किया जा सके तथा भारत में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए ईएसपीसी आधारित एस्को बाजार भी आरंभ किया जा सके।

iii प्राप्य वित्त योजना

वर्ष 1991 में आरंभ हुई प्राप्य वित्त योजना बैंक की एक अग्रणी योजना है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अपनी प्राप्य राशियाँ शीघ्र प्राप्त करने में मदद करने के उद्देश्य से, सिडबी अच्छे कार्यनिष्पादन वाली क्रेता कंपनियों के लिए सीमाएं निर्धारित करता है और घटकों, पुरजों, उप-संयोजनों, सेवाओं आदि की आपूर्ति करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों/पात्र सेवा क्षेत्र इकाइयों के मीयादी बिलों की भुनाई करता है, ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम/सेवा क्षेत्र इकाइयों को अपने बिक्री आगम शीघ्र प्राप्त हो सकें। सिडबी क्रेता कंपनियों के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम आपूर्तिकर्ताओं को बीजक भुनाई सुविधाएँ भी प्रदान करता है।

प्रतिभूत संविभाग की संरचना में वृद्धि की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान उक्त योजना के मानदंडों को सुदृढ़ किया गया। इस संबंध में किए गए कुछ प्रमुख व्यवसायिक प्रयास निम्नलिखित हैं:

- Component 1: A guarantee fund (risk sharing facility) corpus of USD 37 million to be managed by SIDBI, and
- Component 2: Technical Assistance of a USD 4 million to be implemented by SIDBI and USD 2 million to be implemented by Energy Efficiency Services Limited.

The objective of the project is to support the GoI's efforts to transform the EE market in India by promoting increased level of EE investments, particularly through energy service performance contracting (ESPC) delivered through ESCOs. Under the project, the guarantee fund operated by SIDBI will guarantee the loans given by Banks/FIs/NBFCs (including SIDBI loans) to ESCOs and ESCO-implemented projects to minimize their risk perception and also to kick-start the ESPC based ESCO market for EE Projects in India.

iii Receivable Finance Scheme

Receivable Finance Scheme (RFS), launched in the year 1991, is one of the pioneer schemes of the Bank. In order to help the MSMEs in quicker realization of their receivables, SIDBI fixes limits to well-performing purchaser companies and discounts usance bills of MSMEs/eligible service sector units supplying components, parts, sub-assemblies, services, etc. so that the MSME/ service sector units realise their sale proceeds quickly. SIDBI also offers invoice discounting facilities to the MSME suppliers of purchaser companies.

Keeping in view the need to increase the composition of secured portfolio, the norms under the scheme were strengthened during the year. Some of the business initiatives taken are as follows:

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 नवंबर 2013 से एक वर्ष की अवधि के लिए ₹ 5,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की। उक्त सुविधा का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्राप्यराशियों के प्रति तरलता सहायता प्रदान करना था। यह सहायता दोनों तरह से प्रदान की जानी थी – प्रत्यक्ष रूप से और चुनिंदा मध्यवर्तियों, जैसे– बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा राज्य वित्तीय निगमों के माध्यम से। इसे दिसंबर 2013 से कार्यान्वित किया गया। उक्त सुविधा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता के तौर पर विभिन्न उत्पादों के माध्यम से प्रदान की गई, जिसमें बैंकों द्वारा भुनाए गए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बिलों के प्रति बिल पुनर्भुनाई शामिल है। 30 सितंबर 2014 तक कुल ₹ 20,119 करोड़ के संचयी संवितरण किए गए, जिनमें लगभग 15,000 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कवर किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2012-13 में सिडबी द्वारा शुरू की गई प्रायोगिक योजना के सफल संचालन के आधार पर, व्यापार वित्त (कच्चा माल) योजना वर्ष के दौरान औपचारिक रूप से आरंभ की गई। यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा बड़ी कंपनियों से कच्चे माल का क्रय सुगम बनाती है।

iv. सेवा क्षेत्र वित्तपोषण

सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े और सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के रूप में उभरा है और उत्पादन तथा रोजगार में उच्चतर योगदान कर रहा है। इसकी वृद्धि दर कृषि और विनिर्माण क्षेत्र से अधिक रही है।

राष्ट्रीय आय, रोजगार तथा उद्यमिता अवसरों में सेवा क्षेत्र के योगदान की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए, सिडबी व्यवसाय के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए यह प्रस्ताव है कि अन्य बातों के साथ-साथ, फ्रैंचाइजी वित्तपोषण तथा नकद प्रवाह आधारित सहायता जैसे नए व्यवसाय मॉडलों के लिए उपयुक्त मूल्यांकन प्रक्रियाएं तथा रेटिंग मॉडल आरंभ करने पर ध्यान दिया जाए तथा अधिक प्रभावी ऋण वितरण के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं को कारगर और बेहतर बनाया जाए।

- A special refinance facility of ₹ 5,000 crore was extended by Reserve Bank of India effective from November 14, 2013 for a period of one year. The facility aimed at providing liquidity support against the receivables of micro, small and medium enterprises both directly and through select intermediaries like banks, NBFCs and SFCs, was implemented with effect from December 2013. The facility was extended by way of direct and indirect assistance through various products, including bills re-discounting against the MSME bills discounted by the banks. Cumulative disbursements aggregating ₹ 20,119 crore covering around 15,000 MSMEs were made upto September 30, 2014.
- Based on the successful running of pilot scheme launched by SIDBI during FY 2012-13, Trade Finance (raw materials) scheme was formally launched during the year. This scheme facilitates purchase of raw materials by MSMEs from large corporates.

iv. Service Sector Financing

The services sector has emerged as the largest and fastest-growing sector in the Indian economy, making higher contributions to the output and employment. Its growth rate has been higher than that of agriculture and manufacturing sectors.

In view of the growing role of service sector in contribution to national income, employment and entrepreneurial opportunities, SIDBI has been focussing on service sector as one of its niche areas in business. Going forward, it is proposed to focus on introducing appraisal processes and rating models suited to new business models like franchisee financing and cashflow based assistance, among other things and streamline and improve upon existing processes for more effective credit delivery.

सरकारी योजनाओं की नोडल एजेंसी के रूप में सिडबी

सिडबी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के साथ-साथ, उन विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में नोडल एजेंसी की भूमिका भी निभाता है, जो भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को आधुनिक/ऊर्जादक्ष प्रौद्योगिकियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उक्त क्षेत्र के लिए चलाई गई गई हैं। ये योजनाएं हैं - ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, वस्त्र उद्योग हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स) (वस्त्र मंत्रालय) एकीकृत चर्म क्षेत्र विकास योजना (आईडीएलएसएस) (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार योजना (एफपीटफ्स) (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय) और प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन योजना (टेकअप) योजना (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय)।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सिडबी से प्रत्यक्ष रूप से सहायताप्राप्त 709 पात्र सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कुल ₹ 33.19 करोड़ के पूंजी सब्सिडी दावों का निपटान सीएलसीएसएस के अंतर्गत किया गया। इसके अतिरिक्त, सहयोजित प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं के संबंध में 2,788 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कुल ₹ 209.19 करोड़ के सब्सिडी दावों का भी निपटान किया गया। अक्तूबर 2000 में उक्त योजना का आरंभ होने के बाद से 18,740 इकाइयों के कुल ₹ 1,111.31 करोड़ (संचयी) के पूंजी सब्सिडी दावों का निपटान किया गया। इसी प्रकार, टफ्स के अंतर्गत, सिडबी से प्रत्यक्षत: सहायताप्राप्त मामलों के लिए 494 पात्र वस्त्र इकाइयों के कुल ₹ 9.96 करोड़ के तथा सहयोजित प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रदत्त सहायता के संबंध में कुल ₹ 10.06 करोड़ के सब्सिडी दावों (ब्याज प्रोत्साहन सब्सिडी और पूंजी/मार्जिन राशि सब्सिडी, दोनों) का निपटान किया गया। अप्रैल 1999 में टफ्स की शुरुआत के बाद से ₹ 702.74 करोड़ के पूँजी सब्सिडी और ब्याज प्रोत्साहन दावे निपटाए गए है। नवंबर 2005 में आरंभ हुई आईडीएलएसएस के अंतर्गत 1,759 इकाइयों के कुल ₹ 291.69 करोड़ के संचयी

SIDBI as Nodal Agency for Government Schemes

In addition to its direct and indirect financial support to MSMES, SIDBI also plays a nodal agency role in implementation of various schemes for MSME sector undertaken by the Government of India (GoI), viz. Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) [Ministry of MSME], Technology Upgradation Fund Scheme for Textile Industry (TUFS) [Ministry of Textiles], Integrated Development of Leather Sector Scheme (IDLSS) [Ministry of Commerce & Industry], Scheme of Technology Upgradation/Setting up/Modernization/Expansion of Food Processing Industries (FPTUFS) [Ministry of Food Processing Industries] and Technology and Quality Upgradation (TEQUP) Scheme [Ministry of MSME] to encourage MSMEs in adopting modern/energy efficient technologies.

During the year under review, capital subsidy claims of 709 eligible Micro and Small Enterprises (MSEs) directly assisted by SIDBI aggregating ₹ 33.19 crore were settled under CLCSS. Further, subsidy claims of 2,788 MSEs amounting to ₹ 209.19 crore in respect of co-opted Primary Lending Institutions (PLIs) were also settled. Since the launch of the Scheme in October 2000, capital subsidy claims of 18,740 units aggregating ₹ 1,111.31 crore (cumulative) were settled. Similarly under TUFS, subsidy claims (both interest incentive subsidy & capital/margin money subsidy) of 494 eligible textile units for SIDBI's directly assisted cases amounting to ₹ 9.96 crore and subsidy claims aggregating ₹ 10.06 crore were settled in respect of the co-opted PLIs for their assistance to micro & small enterprises. Since the launch of the TUFS in April 1999, capital subsidy and interest incentive claims for an amount of ₹ 702.74 crore have been settled. Under IDLSS, which was launched in November 2005,

दावों का निपटान किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2014-15 के 126 इकाइयों के कुल ₹ 39.90 करोड़ के दावे शामिल हैं। अप्रैल 2007 में एफपीटफ्स का विकेंद्रीकरण होने के पश्चात, उक्त योजना के अंतर्गत 58 मामले कुल ₹ 14.03 करोड़ की अनुदान सहायता के लिए मंत्रालय को अनुशंसित किए गए हैं, जिनके प्रति कुल ₹ 10.50 करोड़ की सब्सिडी सिडबी से सहायताप्राप्त 49 इकाइयों को जारी की गई है। वर्ष के दौरान पहली बार टेकअप के अंतर्गत 27 मामलों में कुल ₹ 2.19 करोड़ की राशि पात्र सब्सिडी के रूप में संवितरित की गई।

II. जोखिम प्रबंधन

सिडबी ने एक व्यापक जोखिम प्रबन्धन प्रणाली कायम की है, जो इसके व्यवसाय तथा अन्य परिचालनों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील तथा अनुक्रियाशील है। बैंक के जोखिम प्रबन्धन सम्बन्धी तन्त्र में नीतियाँ, संगठनात्मक संरचना, प्रणाली तथा पद्धतियाँ हैं, ताकि बैंक के विभिन्न जोखिमों का निर्धारण, मूल्यांकन/आकलन, शमन और निगरानी हो सके। बैंक ने उद्यम जोखिम प्रबन्धन (ईआरएम) नीति बनाई है, जिसकी समीक्षा वार्षिक रूप से की जाती है। ईआरएम नीति एक सर्वव्यापी दस्तावेज़ है, जिसमें बैंक द्वारा जोखिम प्रबन्धन से सम्बन्धित सामान्य/साधारण आयामों का समावेश है। यह सहायक नीतिगत दस्तावेजों, जैसे ऋण नीति, ऋण वसूली नीति, निवेश नीति, आस्ति-देयता प्रबन्धन (एएलएम) नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबन्धन (ओआरएम), व्यवसाय सातत्य प्रबन्धन (बीसीएम) नीति, सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति, शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि से सम्बद्ध है। विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत समाहित ऋण, विपणन एवं परिचालनगत जोखिमों के अलावा अन्य जोखिमों, जैसे बैंकिंग खाता-बहियों में अवशेष ऋण, ऋण संकेन्द्रण, ब्याज दर जोखिम, विधिक, प्रतिष्ठा आदि सम्बन्धी जोखिमों का समाधान आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईकैप) नीति में किया गया है।

बैंक के ऋण एवं राजकोषीय परिचालनों से सम्बन्धित जोखिमों की लगातार निगरानी, मूल्यांकन एवं प्रबन्धन निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबन्धन समिति के समग्र पर्यवेक्षण एवं मार्ग-दर्शन में किया जाता है। इनमें तुलन-पत्रेतर मदें भी शामिल हैं। हालांकि

cumulative claims of 1,759 units aggregating ₹ 291.69 crore were settled including 126 units amounting to ₹ 39.90 crore during FY 2014-15. Under FPTUFS, subsequent to decentralization of the scheme from April 2007, 58 cases have been recommended for grant-in-aid amounting to ₹ 14.03 crore to the Ministry, against which subsidy aggregating ₹ 10.50 crore has been released to 49 units, assisted by SIDBI. Under TEQUP, 27 cases involving ₹ 2.19 crore were disbursed as eligible subsidy during the year for the first time.

II. Risk Management

SIDBI has put in place a comprehensive Risk Management System which is sensitive and responsive to various risks emanating from its business and other operations. The framework for risk management in the Bank encompasses policies, organization structure, system and practices for identification, assessment/ measurement, mitigation and monitoring of various risks of the Bank. The Bank has in place Enterprise Risk Management [ERM] Policy which is reviewed annually. The ERM Policy is an umbrella document that covers the general/ common aspects pertaining to risk management by the Bank and links to the subsidiary policy documents, viz., Loan Policy, Loan Recovery Policy, Investment Policy, Asset - Liability Management [ALM] Policy, Operational Risk Management [ORM] Policy, Business Continuity Management [BCM] Policy, IT Security Policy, Delegation of Powers, etc. Besides the credit, market and operational risks covered in various policies, the other risks, viz., residual credit, credit concentration, interest rate risks in banking book, legal, reputation, etc., are addressed in the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy.

The risks associated with the Bank's lending and treasury operations, including off-balance sheet

यह बैंक के लिए अनिवार्य नहीं है, फिर भी बेसल II मानदण्डों के अनुपालन के लिए सन्नद्ध रहने के स्वत:स्फूर्त उपाय के तौर पर बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबन्धन प्रणाली (आईआरएमएस) स्थापित की है। इसमें ऋण जोखिम प्रबन्धन (सीआरएम), बाज़ार जोखिम प्रबन्धन, ओआरएम और आईसीएएपी शामिल हैं। बैंक ने व्यापक परिचालन जोखिम मूल्यांकक (कोर) प्रणाली कार्यान्वित की है, जिसे खोए हुए डाटा को वापस पाने, मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) तथा जोखिम एवं नियन्त्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैंक ने व्यवसाय सातत्य प्रबन्धन (बीसीएम) नीति भी कार्यान्वित की है। इसे आपदा-काल में महत्त्वपूर्ण व्यवसाय-परिचालनों में सातत्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से तैयार किया गया है। इरादा यह है कि बैंक व्यवसाय सातत्य की एक ऐसी रणनीति व ढाँचा तैयार करे जो सशक्त होने के साथ-साथ आघात सहने में सक्षम हो, ताकि महत्त्वपूर्ण परिचालनों में रुकावट को प्रबन्धन के लिए स्वीकार्य न्यूनतम स्तर पर रोका जा सके।

III. गैर-निष्पादक आस्ति प्रबन्धन

बैंक की आस्ति-गुणवत्ता में समग्र रूप से सुधार करने के उद्देश्य से गैर-निष्पादक आस्तियों के वर्तमान स्तर में कमी लाने, खातों के फिसलकर गैर-निष्पादक आस्ति श्रेणी में जाने से बचाने तथा वसूली के उपयुक्त साधनों का समुचित इस्तेमाल करके गैर-निष्पादक आस्तियों से अधिकतम वसूली करने को प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संविभाग, दोनों के दबावग्रस्त खातों की बैंक द्वारा सघन निगरानी की जा रही है और मामला दर मामला यथोचित वसूली-रणनीति अपनाई जा रही है। भारत सरकार के निदेशानुसार ₹ 3 करोड़ अथवा उससे अधिक के मूलधन बकाया वाले गैर-निष्पादक आस्ति वाले मामलों की समीक्षा के लिए निदेशक-मण्डल स्तर की 'वसूली समीक्षा समिति' भी गठित की गई है।

गैर-निष्पादक आस्ति खातों की निगरानी के लिए परिचालन कार्यालय में आन्तरिक चूक समीक्षा समिति (डीआरसी) की पद्धति भी निगरानी का कारगर साधन सिद्ध हुई है। प्राप्य राशियों

items, are constantly monitored, measured and managed under the overall supervision and guidance of the Risk Management Committee [RiMC] of the Board. Though not enjoined upon the Bank, as a proactive measure to be in preparedness of compliance to Basel II norms, the Bank has put in place Integrated Risk Management System [IRMS], which includes policies and systems for Credit Risk Management [CRM], Market Risk Management, ORM and ICAAP. The Bank has implemented Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE) system which is used for Loss Data Capture, Key Risk Indicator (KRI), and Risk and Control Self Assessment (RCSA). The Bank has also implemented BCM Policy, which is designed to ensure continuity of critical business operations during disasters. The intention is to ensure that the Bank is able to minimize the disruption to critical operations at a level which is acceptable to Management by putting in place a robust and resilient business continuity strategy and framework.

III. NPA Management

In order to improve the overall quality of assets of the Bank, the priority is to reduce the present level of Non-Performing Assets (NPAs), prevent further slippages and to maximise recovery out of NPAs through appropriate recovery tools. All accounts showing signs of stress, both under indirect as well as direct portfolios, are being closely monitored and appropriate recovery strategy adopted by the Bank on a case-to-case basis. As per the directives of GoI, a Board level 'Recovery Review Committee' has also been constituted to review all individual NPA cases having principal outstanding of ₹ 3 crore and above. The system of in-house Default Review Committee (DRC) at the Operating Offices to

की वसूली तथा चिन्तास्पद और/अथवा गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत खातों के समाधान के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए विभिन्न परिचालन-कार्यालयों में चूक समीक्षा समितियों की नियमित बैठकें हुईं। प्रत्यक्ष सहायता संविभाग के अन्तर्गत गैर-निष्पादक आस्तियों का स्तर (विवेकानुसार बट्टे खाते डालने के बाद) यथा 31 मार्च 2015 ₹ 606 करोड़ रहा, जो कि बैंक के कुल निवल संविभाग का 1.09% था।

साथ ही, प्रत्यक्ष ऋण संविभाग के अन्तर्गत गैर-निष्पादक आस्तियों से बैंक ने ₹ 117 करोड़ की वसूली भी की है, जिसमें से ₹ 15.70 करोड़ विवेकानुसार बट्टे खाते डाले गए खाते से सम्बन्धित हैं।

अप्रत्यक्ष सहायता संविभाग (अल्प वित्त सहित) के मामले में गैर-निष्पादक आस्तियों का स्तर घटकर 31 मार्च 2015 को ₹ 135 करोड़ हो गया, जो कि बैंक के कुल संविभाग का 0.24% रहा। राज्य वित्तीय निगमों की गैर-निष्पादक आस्तियों के सम्बन्ध में अपने हितों की सुरक्षा के लिए बैंक कई प्रकार के प्रयास कर रहा है, जिसमें सम्बन्धित राज्य सरकारों से बातचीत भी शामिल है। बैंक की सकल बकाया राशियों के अनुपात के रूप में सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ मार्च 2014 के अंत में 1.86% थी, जिनमें तुलनात्मक रूप से सुधार हुआ तथा यह मार्च 2015 के अंत में 1.33% रहीं। बैंक के निवल बकाया के अनुपात में निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ मार्च 2014 में 0.45% थीं, जबकि वे मार्च 2015 के अन्त में 0.78% रहीं।

IV. समग्र परिचालन

यथा 31 मार्च 2015 बैंक का कुल एमएसएमई बकाया ऋण ₹ 55,343 करोड़ हो गया, जबकि यथा 31 मार्च 2014 यह ₹ 61,271 करोड़ था। स्थापना से लेकर अब तक सिडबी ने एमएसएमई क्षेत्र को संचयी रूप से ₹ 3.90 लाख करोड़ का संवितरण किया है, जिससे एमएसएमई क्षेत्र के 346 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभ पहुँचा है। बकाया राशियों के विवरण तालिका 2.1 में दिए गए हैं।

monitor the NPA accounts and other accounts causing concern has become an effective monitoring tool. The meetings of DRCs at various operating offices were held regularly to decide about the strategy for recovery of dues and resolution of accounts causing concern and/or categorised as NPA. The level of NPAs under direct assistance portfolio (after Prudential Write Off (PWO)), stood at ₹ 606 crore as at March 31, 2015 which was 1.09% of total net portfolio of the Bank.

At the same time, the Bank has recovered ₹ 117 crore from NPA accounts under Direct Credit portfolio, including ₹ 15.70 crore out of prudentially written off accounts.

In case of Indirect Assistance portfolio (including Micro Finance), the level of NPAs decreased to ₹ 135 crore as on March 31, 2015 as 0.24% of total portfolio of the Bank. The Bank has been taking a number of initiatives, including dialogues with the state governments concerned, to safeguard its interests in respect of NPA of SFCs. The Gross NPAs as a ratio of Gross outstanding of the Bank as at end of March 2015 has improved to 1.33% as compared to 1.86% as at end March, 2014. The net NPAs as a ratio of net outstanding of the Bank as at end of March 2015 stood at 0.78% as compared to 0.45% as at end March, 2014.

IV. Overall Operations

The total MSME outstanding credit of the Bank stood at ₹ 55,343 crore as on March 31, 2015 as against ₹ 61,271 crore as on March 31, 2014. The cumulative disbursement by SIDBI to the MSME sector since inception stood at over ₹ 3.90 lakh crore, benefiting more than 346 lakh persons in the MSME sector. The outstanding details are given in Table 2.1.

तालिका 2.1- समग्र परिचालन (₹ करोड़)
Table 2.1 : Overall Operations

(₹ करोड़ / crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2013-14 / FY 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15 / FY 2014-15
	बकाया राशि / O/s Amt (यथा 31 मार्च / As on March 31)	बकाया राशि / O/s Amt (यथा 31 मार्च / As on March 31)
अप्रत्यक्ष ऋण / Indirect Credit		
क. पुनर्वित्त / a. Refinance	40,383	38,098
ख. अल्प ऋण / b. Micro Finance	1,170	1,603
ग. अन्य / c. Others	7,705	4,054
कुल अप्रत्यक्ष ऋण Total Indirect Credit	**49,258**	**43,755**
प्रत्यक्ष ऋण / Direct Credit		
प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत सावधि ऋण Term Loan under Direct Credit	9,144	9,505
एमएसएमई प्राप्य बिल MSME Receivable Finance	2,869	2,083
कुल प्रत्यक्ष ऋण Total Direct Credit	**12,013**	**11,588**
सकल योग / Grand Total	**61,271**	**55,343**

टिप्पणी : बकाया राशियां विवेकानुसार बट्टे खाते डाले गई राशि तथा एनपीए प्रावधानों को हटाकर दर्शाई गई हैं।

Note: Outstanding figures are net of prudential write off and NPA provision

IV. अप्रत्यक्ष ऋण

सिडबी के सकल ऋण बकाया में अप्रत्यक्ष ऋण का हिस्सा 80% है। इसमें बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों को पुनर्वित्त सहायता, बैंकों को बिल पुनर्भुनाई सहायता, अल्प वित्त संस्थाओं को सहायता तथा विभिन्न संस्थाओं व एजेंसियों को संसाधन सहायता शामिल है।

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पुनर्वित्त योजना (एमएसईआरएस-सामान्य निधि)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पुनर्वित्त योजना (एमएसईआरएस) के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों आदि सहित), चुनिंदा वित्तीय संस्थानों को सहायता दी जाती है, जो कि उनके द्वारा एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए ऋणों व अग्रिमों से संबंधित बकाया संविभाग के तुल्य राशि

IV. Indirect Credit

Indirect credit constitutes 80% of total credit outstanding of SIDBI. It comprises refinancing support to banks, State Financial Corporations (SFCs), Bills Rediscounting support to banks, assistance to Microfinance Institutions (MFIs) and resource support to various institutions and agencies.

1. Micro & Small Enterprises Refinance Scheme (MSERS - General Fund)

Micro and Small Enterprises Refinance Scheme (MSERS) is offered to Scheduled Banks (including State Co-operative Banks, Urban Co-operative Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks etc.), select Financial Institutions for the amount equivalent

होती है बशर्ते इस संविभाग के लिए किसी अन्य संस्थान से कोई वित्तीय सहायता या सिडबी से पुनर्वित्त न लिया गया हो। पुनर्वित्त सामान्यत: छह माह से पांच वर्षों की अवधि हेतु दिया जाता है। ब्याज दर एवं भुगतान की आवृत्ति बाजार की स्थितियों के अनुसार परिवर्तनीय होती हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, 17 सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों को ₹ 35,308 करोड़ की राशि संवितरित की गई।

2. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र हेतु पुनर्वित्त योजना (आरएमएसई-V)

सिडबी की पुनर्वित्त क्षमता में और वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट के जरिए आवंटन को बढ़ाकर ₹ 5,000 करोड़ के स्तर से बढ़ाकर ₹ 10,000 प्रतिवर्ष कर दिया। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने एमएसई (पुनर्वित्त) निधि के अन्तर्गत सिडबी को ₹ 10,000 करोड़ की समूह निधि आवंटित की। आवंटित की गई ₹ 10,000 करोड़ की समूह निधि में से सिडबी ने ₹ 3,047.03 करोड़ बैंकों के माध्यम से संवितरित किए, जिन्होंने आधार दर पर आगे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उधार दिया।

3. विशेष पुनर्वित्त योजना (एसआरएस)

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने ₹ 5,000 करोड़ की एक नई पुनर्वित्त सुविधा विशेष पुनर्वित्त योजना उपलब्ध कराई, जो कि 14 नवंबर, 2013 से एक वर्ष की अवधि हेतु थी। यह सुविधा दिसंबर, 2013 से लागू हुई, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की प्राप्य राशियों के बदले तरलता सहायता उपलब्ध कराना था, जो कि सीधे तथा कुछ चुनिंदा मध्यवर्तियों जैसे बैंकों, एनबीएफसी एवं राज्य वित्त निगमों के माध्यम से कराई जाती है। इस सुविधा के अंतर्गत पुनर्वित्त की उपलब्धता को 90 दिनों की अवधि तक सीमित कर दिया गया, जोकि उपयोग की तिथि से मानी जाती है तथा इसे 13 नवंबर, 2014 तक आगे बढ़ाया जा सकता था। इस योजना का पूर्ण उपयोग हुआ तथा वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत कोई बकाया नहीं हैं।

to the outstanding portfolio relating to loans and advances to units in MSE sector against which no financial support has been sought from any other institution or refinance from SIDBI. The refinance is generally extended for six months to five years. The rate of interest and the frequency of payment are negotiable, depending upon market conditions. During FY 2014-15, a sum of ₹ 35,308 crore was disbursed to 17 Public/Private Sector Banks.

2. Refinance Scheme for Micro and Small Enterprises Sector (RMSE-V)

In order to enhance the refinance capability of SIDBI, the Government of India, through Budget for FY 2013-14 had increased the allocation from a level of ₹ 5,000 crore to ₹ 10,000 crore per year. Accordingly, Reserve Bank of India had allocated a corpus of ₹ 10,000 crore to SIDBI under the MSE (Refinance) Fund FY 2013-14. Out of the corpus of ₹ 10,000 crore allocated, SIDBI disbursed ₹ 3,047.03 crore to micro and small enterprises through banks which had lent to MSEs at base rate.

3. Special Refinance Scheme (SRS)

During the FY 2013-14, Special Refinance Scheme (SRS) a new refinance facility of ₹ 5,000 crore was extended by the Reserve Bank of India effective from November 14, 2013 for a period of one year. The facility aimed at providing liquidity support against the receivables of MSEs directly and through select intermediaries like banks, NBFCs and SFCs, was implemented with effect from December 2013. The availability of refinance under the facility was restricted to 90 days period reckoned from the date of utilization and could be rolled over upto November 13, 2014. The scheme was fully utilized and there is no outstanding under the scheme at present.

4. राज्य वित्तीय निगमों को ऋण सीमा

योजना के अंतर्गत, सिडबी राज्य वित्तीय निगमों द्वारा मंजूर उन सावधि ऋणों के प्रति पुनर्वित्त मंजूर करता है, जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों को एमएसएमई क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाएं लगाने तथा उनके विस्तार, आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण हेतु दिए गए हों। वार्षिक व्यवसाय योजना एवं संसाधन पूर्वानुमान (बीपीआरएफ) के आधार पर, राज्य वित्तीय निगमों को प्रतिवर्ष पुनर्वित्त सीमाएं मंजूर की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, 5 मानक राज्य वित्तीय निगमों को ₹ 143.46 करोड़ की पुनर्वित्त सीमा मंजूर की गई, जो हैं आंध्रप्रदेश राज्य वित्तीय निगम, दिल्ली वित्तीय निगम, केरल वित्तीय निगम, मध्यप्रदेश वित्तीय निगम एवं तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड।

अल्प वित्त

सिडबी अल्पवित्त क्षेत्र को उधार देने के संबंध में एक वृद्धिशील रणनीति अपना रहा है, ताकि उत्तरदायी वित्तपोषण को बढ़ावा देते एवं इसे सुनिश्चित करते हुए संविभाग को बढ़ाया जा सके। तदनुसार, इस क्षेत्र की मांग के अनुरूप, सिडबी ने एक योजना आरंभ की है, जो अच्छे कार्यनिष्पादन वाली अल्पवित्त संस्थाओं को अपेक्षाकृत लंबी मीयाद के ऋण व लिखत उपलब्ध कराती है। साथ ही, सिडबी ने अपेक्षाकृत छोटी अल्पवित्त संस्थाओं को निधीयन एवं क्षमता निर्माण सहायता क्रमिक रूप से बढ़ाई है, जो आंध्रप्रदेश संकट के बाद संस्थागत निधियों से वंचित रह रहीं थीं।

साथ ही, सिडबी छूट हुए मध्य वर्ग (₹ 50,000 - ₹ 10,00,000 के बीच के ऋण) के वित्तपोषण हेतु भी सहायता गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों/गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनी अल्पवित्त संस्थाओं आदि के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। छूट हुए मध्य वर्ग के वित्तपोषण हेतु एडीबी एवं केएफडब्ल्यू से ऋणसीमाएं प्रगति पर हैं।

4. Line of Credit to State Financial Corporation (SFCs)

Under the scheme, SIDBI grants refinance against term loans sanctioned by the SFCs to industrial concerns in micro, small and medium enterprises for setting up of industrial projects in MSME sector and also for their expansion, modernisation and diversification. Based on the annual Business Plan and Resources Forecast (BPRF), refinance limits are sanctioned to SFCs annually. During FY 2014-15, refinance limit of ₹ 143.46 crore was sanctioned to 5 standard SFCs viz., Andhra Pradesh State Financial Corporation (APSFC), Delhi Financial Corporation (DFC), Kerala Financial Corporation (KFC), Madhya Pradesh Financial Corporation (MPFC) and Tamilnadu Industrial Investment Corporation Ltd. (TIIC).

Micro Finance

SIDBI has been following a growth strategy with regard to lending to microfinance sector to increase portfolio, while promoting and ensuring responsible financing at the same time. Accordingly, in line with the sectoral demand, SIDBI has introduced a product which offers longer tenor Loans and Instruments for well-performing Micro Finance Institutions (MFIs). It has also gradually enhanced funding and capacity building support to smaller MFIs, which have been deprived of the institutional funding after the Andhra Pradesh problem.

Further, SIDBI has been providing assistance for financing the Missing Middle Sector (loan in the range of ₹ 50,000 - ₹ 10,00,000) through NBFCs/NBFC-MFIs etc. The Lines of credit from ADB and KfW for financing Missing Middle enterprises are in operation.

भारतीय अल्पवित्त क्षेत्र के बदलते परिवेश एवं नए तथा नवोन्मेषी वित्तीय उत्पादों की बढ़ती जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में, सिडबी ने अल्पवित्त संस्थाओं के कार्मिकों के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है तथा लगभग 90 मध्यम एवं वरिष्ठ स्तर के अल्पवित्त व्यावसायिकों को विभिन्न आंतरिक एवं विदेशी प्रशिक्षणों हेतु नामित किया।

सिडबी के अल्प वित्त प्रयासों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 तक स्वीकृत संचयी सहायता ₹ 10,719 करोड़ थी, जबकि कुल संचयी संवितरण ₹ 9,366 करोड़ रहा। इसमें ऋण, ईक्विटी एवं अर्ध-ईक्विटी शामिल हैं, किन्तु इण्डिया माइक्रोफायनेन्स ईक्विटी फण्ड (आईएफईएफ) तथा निर्धनतम राज्य समावेशी समृद्धि निधि (पीएसआईजी) शामिल नहीं है। बैंक के अल्प ऋण का बकाया संविभाग 31 मार्च 2015 को ₹ 2,436 करोड़ था। सिडबी से सहायता-प्राप्त और बैंक के बकाया ऋण वाली अल्प वित्त संस्थाओं की संख्या 31 मार्च 2015 को 92 थी। सिडबी के माध्यम से प्रदत्त सहायता से लगभग 332 लाख उपेक्षित लोगों को लाभ हुआ है, जिनमें से अधिकतर महिलाएँ हैं। सिडबी के अल्प वित्त सहायता सम्बन्धी परिचालन की तुलनात्मक स्थिति निम्नलिखित तालिका 2.2 में दर्शाई गई है-

In view of the changing scenario of the Indian Micro Finance Sector and emerging needs of new and innovative financial products, SIDBI has focused on capacity building of MFI personnel and nominated about 90 mid and senior level microfinance professionals for various inland and foreign trainings.

The cumulative assistance (including loans, equity and quasi equity but excluding India Micro Finance Equity Fund (IMEF) & Poorest States Inclusive Growth(PSIG) Fund sanctioned under SIDBI's micro finance initiatives upto March 31, 2015 aggregated ₹ 10,719 crore, while cumulative disbursements aggregated ₹ 9,366 crore. The outstanding micro credit portfolio of the Bank stood at ₹ 2,436 crore, as on March 31, 2015. The number of MFIs assisted by SIDBI and having loan outstanding with the Bank as on March 31, 2015 stood at 92. The assistance through SIDBI has benefited around 332 lakh (approx.) disadvantaged people, most of them being women. The comparative operational highlights of SIDBI's Micro Finance Support are given in the following table 2.2.

तालिका 2.2 : अल्प ऋण योजना तथा ईक्विटी/अर्ध ईक्विटी सहायता के अन्तर्गत सहायता
Table 2.2 : Assistance under Micro Credit Loans and Equity/Quasi Equity Assistance

(₹ करोड़ / crore)

क्रमांक Sr.No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2013-14 / FY 2013-14		वित्तीय वर्ष 2014-15 / FY 2014-15		संचयी संवितरण Cumulative Disb.
		संवितरण Disb.	बकाया Outstanding	संवितरण Disb.	बकाया Outstanding	
1	अल्प वित्त संस्थाओं को सावधि ऋण Term Loans to MFIs	581.00	1,276.31	941.97	1,532.09	8,635.55
2	निजी वित्त संस्थाओं/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 'छूट गए मध्य-वर्ग' सहायता Missing Middle Assistance to PFIs/NBFCs	33.00	75.29	210.00	267.37	346.14
3	अल्प वित्त संस्थाओं को दीर्घकालिक ऋण Long dated Loans to MFIs	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00
4	सूक्ष्म उद्यम ऋण प्रत्यक्ष ऋण MEL – Direct Lending	0.00	1.42	0.00	0.77	12.25
5	रूपान्तरण ऋण (टीएल)/रूपान्तरण के लिए समूह-निधि सहायता Transformation Loan (TL)/Corpus support for transformation	0.00	1.85	0.00	1.85	19.05
6	अधीनस्थ ऋण Subordinate Debt.	0.00	100.00	0.00	100	175.00
7	ईक्विटी सहायता Equity Support	0.00	84.89	0.00	84.89	85.55
8	विकल्पत: परिवर्तनीय संचयी अधिमान्य शेयर Optionally Convertible Cumulative Preference Shares	0.00	275.04	0.00	247.46	0.00
9	अनिवार्यत: परिवर्तनीय अधिमान्य शेयर Compulsory Convertible Preference Shares	0.00	109.20	0.00	109.20	0.00
	योग / Total	**614.00**	**1,924.00**	**1,243.97**	**2,435.63**	**9,365.54**

नोट: बकाया आकड़े सकल रुप में हैं।

Note: Outstanding figures are on gross basis.

भारत अल्प-वित्त ईक्विटी निधि

केन्द्रीय बजट 2011-12 में की गई घोषणा के उपरान्त, ₹ 100 करोड़ की समूह निधि वाली भारत अल्प-वित्त ईक्विटी निधि (आईएमईएफ) की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य अपेक्षाकृत छोटी अल्प वित्त संस्थाओं को ईक्विटी एवं अर्ध-ईक्विटी प्रदान करना था, ताकि उनकी वृद्धि बरकरार रखने, व्यवसाय की मात्रा बढ़ाने और उनके परिचालनों में दक्षता लाने में मदद की जा सके। बाद में, वित्त वर्ष 2013-14 के बजट में इस समूह निधि को बढ़ाकर ₹ 300 करोड़ कर दिया गया।

चूंकि इस निधि का मुख्य उद्देश्य अपेक्षाकृत छोटी अल्प वित्त संस्थाओं को ईक्विटी एवं अर्ध-ईक्विटी प्रदान करना है, ताकि वे अपनी वृद्धि बरकरार रख सकें और उन्हें अपने व्यवसाय की मात्रा बढ़ाने तथा अपने परिचालनों में दक्षता लाने में मदद मिल सके, अत: इस सहायता का उपयोग करते हुए अल्प वित्त संस्थाओं को अपना ईक्विटी आधार बढ़ाना होता है, अपनी पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को पूर्ण करना होता है तथा इसका लाभ उठाते हुए अतिरिक्त ऋण जुटाना, परिचालनों को बढ़ाना, दक्षता बढ़ाना तथा एक दीर्घावधि व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य संगठन का निर्माण करना होता है।

31 मार्च 2015 की समाप्ति पर इस योजना के अन्तर्गत बैंक ने ₹ 162.25 करोड़ की राशि की प्रतिबद्धता की है। प्रतिबद्धता राशि में से ₹ 112.71 करोड़ की राशि संवितरित कर दी गई है। (तालिका 2.3)

India Microfinance Equity Fund

Subsequent to the announcement in the Union Budget 2011-12, the India Microfinance Equity Fund (IMEF) with a corpus of ₹ 100 crore was set up by the Govt. of India with the primary objective of providing equity and quasi-equity to smaller MFIs to help them maintain growth and achieve scale and efficiency in their operations. Subsequently the corpus has been enhanced to ₹ 300 crore in the budget of FY 2013-14.

The primary emphasis of IMEF being providing equity and quasi-equity to smaller MFIs to help them maintain growth and achieve scale and efficiency in their operations, the assistance is to be utilized by MFIs to improve their equity base, meet capital adequacy requirements and leverage the same for additional debt raising and scaling-up operations, improve efficiency and build a long term commercially sustainable organisation.

As at end of March 2015, the Bank has committed an amount of ₹ 162.25 crore to 56 MFIs under the Scheme. An amount of ₹ 112.71 crore has been disbursed so far out of the committed amount. (Table 2.3)

तालिका 2.3 आईएमईएफ परिचालन

Table 2.3 IMEF Operations

(₹ करोड़ / crore)

योजना / Scheme	वित्तीय वर्ष 2014 / FY 2014		वित्तीय वर्ष 2015 / FY 2015	
	संवितरण Disbursement	बकाया राशि O/s Amt	संवितरण Disbursement	बकाया राशि O/s Amt
अधीनस्थ ऋण / Sub-Debt	3.00	47.50	3.25	50.75
ईक्विटी / Equity	3.00	11.25	3.46	16.01
ओसीपीएस / OCPS	13.00	33.50	13.75	45.95
योग / Total	**19.00**	**92.25**	**20.46**	**112.71**

बैंक ने डिपार्टमेण्ट ऑफ इण्टरनेशनल डेवलपमेण्ट, यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा समर्थित निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि के अन्तर्गत भी सहायता प्रदान की। योजना की ऋण निधि के अन्तर्गत कुल ₹ 71.29 करोड़ की मंजूर राशि में से 31 मार्च 2015 तक ₹ 65.38 करोड़ का संवितरण कर दिया गया। यथा 31 मार्च 2015 इस योजना के अन्तर्गत ₹ 44.89 करोड़ बकाया था।

संस्थाओं को संसाधन सहायता

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को निधियों के वितरण हेतु तथा इस क्षेत्र को सेवा करने के अपने अधिदेश के अनुसार सिडबी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तपोषण करता रहा है, जिनमें आस्ति वित्त कंपनियां तथा ऋण कंपनियां दोनों शामिल हैं। यथा 31 मार्च, 2015, ऐसी संस्थाओं की संसाधन सहायता के अन्तर्गत बकाया राशि ₹ 4,054.30 करोड़ रही।

V. प्रत्यक्ष एमएसएमई ऋण

भारत सरकार की नीति के अनुरूप कार्य करने के उद्देश्य से, सिडबी ने वित्तीय और गैर वित्तीय अंतरालों की पूर्ति की है तथा विशिष्ट वित्तीय उत्पादों एवं आवश्यकता आधारित विकासपरक सेवाओं को आरंभ किया है, जो अन्य संस्थाओं द्वारा पर्याप्त रूप से नहीं उपलब्ध कराई जाती हैं। सिडबी द्वारा पूर्ति किए जा रहे विभिन्न विशिष्ट वित्तीय अंतरालों में शामिल हैं - जोखिम पूँजी/ईक्विटी सहायता, टिकाऊ वित्तपोषण, प्राप्य वित्तपोषण, सेवा क्षेत्र वित्तीयन आदि। इसके मुख्य विवरण तालिका 2.4 में दर्शाई गई है।

The Bank also extended assistance under Poorest States Inclusive Growth programme supported by Department for International Development (DFID), Govt. of UK. Under debt fund scheme of the project, out of total sanction of ₹ 71.29 crore, ₹ 65.38 crore was disbursed upto March 31, 2015. The outstanding under the scheme stood at ₹ 44.89 crore as on March 31, 2015.

Resource Support to Institutions

SIDBI has been financing NBFCs, both Asset Finance Companies (AFCs) and Loan Companies (LC) for channelizing funds to MSMEs in accordance with the policy approved by Bank's Board and as a part of its mandate to serve the sector. The outstanding under resource support to such institutions stood at ₹ 4,054.30 crore as on March 31, 2015.

V. Direct MSME Credit

In order to closely align with the vision of Government of India, SIDBI has mapped the gaps, both financial and non-financial and have ventured into niche financial products and need based development services which are not being adequately provided by other institutions. Various niche financial gaps being addressed by SIDBI are risk capital/equity assistance, sustainable finance, receivable finance, services sector financing, etc. The highlights are given in Table 2.4.

तालिका 2.4 : प्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के अंतर्गत सहायता

Table 2.4 : Assistance under Direct Finance Schemes Assistance

(₹ करोड़ / crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2013-14 / FY 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15 / FY 2014-15
	बकाया राशि / O/s Amt (यथा 31 मार्च / As on March 31)	बकाया राशि / O/s Amt (यथा 31 मार्च / As on March 31)
जोखिम पूंजी / Risk Capital	1,111	1,279
टिकाऊ वित्तपोषण / Sustainable Finance	2,851	2,747
सेवा क्षेत्र / Service Sector	2,191	2,297
प्राप्य वित्तपोषण / Receivable Finance	2,869	2,228
मूलभूत संरचना / Infrastructure	431	326
अन्य / Others	2,560	2,711
कुल प्रत्यक्ष ऋण / Total Direct Credit	**12,013**	**11,588**

टिप्पणी : उक्त आंकड़े विभिन्न योजनाओं हेतु किए गए प्रावधानों को हटाकर हैं।

Note: The figures are as per the Net of Provision of various schemes.

निदेशक मंडल ने 3 नए विशिष्ट क्षेत्रों को सहयोजित करने की मंजूरी प्रदान की। ये हैं : (i) उद्यम समूह विशिष्ट वित्तीय उत्पाद, योजनाएं एवं प्रक्रियाएं (ii) एमएसएमई मूलभूत संरचना हेतु निधीयन तथा (iii) विपणन गतिविधियों हेतु निधीयन। एक विशिष्ट क्षेत्र (फ्रेंचाइजी वित्तपोषण) के कार्यक्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र में भी विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। ये नए विशिष्ट क्षेत्र वित्त वर्ष 2015-16 में परिचालनगत होंगे।

गैर-निधि आधारित सुविधा

परम्परागत बैंकिंग ढाँचे के अन्तर्गत प्रदान की जानेवाली सेवाओं के साथ-साथ, बैंक विभिन्न गैर-निधि आधारित सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे साख पत्र (विदेशी और अन्तर्देशीय, दोनों), गारंटियाँ, मूल्यांकन, ऋण समूहन सम्बन्धी सेवाएँ आदि। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान गैर-निधि आधारित व्यवसाय का सारांश तालिका 2.5 में दिया गया है।

The Board approved 3 new niche areas for adoption. These are: (i) Cluster specific financial products, schemes and processes, (ii) Funding for MSME Infrastructure and (iii) Funding for Marketing Activities. It is also proposed to extend the scope of one niche area (franchisee financing) to the manufacturing sector also. These new niche areas shall be operationalised in FY 2015-16.

Non-Fund Based Facility

The Bank also provides various non-fund based services like Letters of Credit (both foreign and inland), Guarantees, services for appraisal, loan syndication, etc., in addition to services provided within the traditional banking framework. Summary of business under non-fund based facility during FY 2014-15 is provided in Table 2.5.

तालिका 2.5 : गैर-निधि आधारित व्यवसाय

Table 2.5 : Non-Fund Based Business

(₹ करोड़ / crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2013-14 / FY 2013-14		वित्तीय वर्ष 2014-15 / FY 2014-15	
	सं. No.	बकाया Outstanding	सं. No.	बकाया Outstanding
विदेशी साख-पत्र / Foreign Letter of Credit	76	272.62	60	81.06
अन्तर्देशीय साख-पत्र / Inland Letter of Credit	1	1.66	1	0.65
गारण्टी योजना / Gurantee Scheme	226	50.55	235	55.42
योग / Total	**303**	**324.83**	**296**	**137.13**

VI. संसाधन प्रबन्धन

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सिडबी ने कुल ₹ 22,664 करोड़ के संसाधन जुटाए, जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 32,281 करोड़ जुटाए थे। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान जुटाए गए संसाधनों के विवरण तालिका 2.6 में दिए गए हैं-

VI. Resources Management

Resources aggregating ₹ 22,664 crore were raised by SIDBI during FY 2014-15 as against ₹ 32,281 crore during FY 2013-14. The particulars of resources raised during FY 2014-15 are given in the table 2.6.

तालिका 2.6 सिडबी द्वारा जुटाए गए संसाधन

Table 2.6: Resources raised by SIDBI

(₹ करोड़ / crore)

	वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15
घरेलू उधार / Domestic Borrowings		
एमएसई (पुनर्वित्त) निधि / MSE (Refinance) Fund	5,000.00	0.00
एमएसएमई (जोखिम पूँजी) निधि / MSME (Risk Capital) Fund	0.00	500.00
भारतीय रिज़र्व बैंक पुनर्वित्त सुविधा / RBI Refinance Facility	5,000.00	5,000.00
मियादी जमा / Fixed Deposits	247.98	697.95
वाणिज्य-पत्र / Commercial Paper	16,877.65	11,044.11
सावधि ऋण / Term Loan	1,500.00	0.00
अप्रतिभूत बन्धपत्र / Unsecured Bonds	2,530.00	3,907.00
उप-योग / Sub-total	31,155.63	21,149.06
विदेशी मुद्रा उधार / Foreign Currency Borrowings		
जाइका VIII # / JICA VIII #	208.79	139.10
जाइका IX # / JICA IX #	—	525.09
केएफडब्ल्यू V @ / KfW V @	198.95	0.00

(₹ करोड़ / crore)

	वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15
केएफडब्ल्यू VI @ / KfW VI @	75.02	89.34
केएफडब्ल्यू VIII @ / KfW VIII @	11.71	60.64
केएफडब्ल्यू IX @ / KfW IX @	15.77	271.18
विश्व बैंक II / World Bank II	108.69	0.00
विश्व बैंक III (आईबीआरडी का हिस्सा) / World Bank III (IBRD Portion)	322.70	403.61
विश्व बैंक III (आईडीए का हिस्सा) ^ / World Bank III (IDA Portion) ^	0.22	4.19
एएफडी * / AfD *	77.55	0.00
एशियन डेवलपमेण्ट बैंक / Asian Development Bank	81.23	18.85
बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसी से अनुदान ** / Grant from Multilateral/Bilateral Agency **	25.05	2.73
उप-योग / Sub-total	**1,125.69**	**1,514.74**
योग / Total	**32,281.32**	**22,663.80**

जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेन्सी.

@ क्रेडिस्टान्स्टाल्ट फर वीडरफबाउ, जर्मनी.

^ इंटरनेशनल डेवलपमेण्ट एसोसिएशन.

* एजेन्सी फ्रांकाइस डि डेवलपमेण्ट, फ्रान्स.

** डिपार्टमेण्ट फॉर इन्टरनेशनल डेवलपमेण्ट, यू.के.

Japan International Cooperation Agency.

@ Kreditanstalt für Wiederaufbau, Germany.

^ International Development Association

* Agence Francaise de Developpment, France

** Department For International Development, U.K.

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लि. (केयर) ने सिडबी के ₹ 3,000 करोड़ के मियादी जमा कार्यक्रम वाले बकाया ऋण निर्गमों को 'केयर एएए' (ट्रिपल ए), तथा ₹ 7,000 करोड़ के सीपी/सीडी कार्यक्रम के लिए 'केयर ए1+' (ए वन प्लस) रेटिंग दी। इसी प्रकार बकाया बॉण्डों के सम्बन्ध में क्रिसिल ने 'क्रिसिल एएए/स्टेबल' रेटिंग तथा मियादी जमा कार्यक्रम के लिए 'एफएएए/स्टेबल' रेटिंग कायम रखी। क्रिसिल/केयर द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त रेटिंगों का इस्तेमाल करते हुए सिडबी ने वर्ष के दौरान बॉण्डों के ज़रिए ₹ 3,907 करोड़ जुटाए। उपर्युक्त रेटिंगों वाली लिखतों को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता तथा नगण्य निवेश-जोखिम-युक्त माना जाता है।

During FY 2014-15, Credit Analysis and Research Ltd. (CARE) retained 'CARE AAA' (Triple A) rating in respect of outstanding debt issues of SIDBI, the Fixed Deposit Programme of ₹ 3,000 crore and 'CARE A1+' (A One Plus) rating for the CP/CD Programme of ₹ 7,000 crore. Similarly, CRISIL also retained 'CRISIL AAA/Stable' rating in respect of outstanding bonds and 'FAAA/stable' rating for the Fixed Deposit Programme. During the year, SIDBI had raised ₹ 3,907 crore by way of bonds using the above ratings assigned by CRISIL/CARE. Instruments carrying the above ratings are considered to be of the best quality, carrying negligible investment risk.

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

3

विश्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन
MOU with World Bank

वित्तीय समावेशन एवं दीर्घकालिक संवृद्धि

Financial Inclusion and Sustainable Growth

सिडबी द्वारा विभिन्न उत्तरदायी ऋण प्रयासों के साथ-साथ, ईक्विटी एवं सावधि ऋण, दोनों ही रूपों में निधीयन सहायता प्रदान करना जारी रखा गया। विश्वबैंक की 'दीर्घकालिक एवं उत्तरदायी अल्पवित्त में वृद्धि (एसयूएसआरएमपी)' नामक परियोजना के अंतर्गत कार्यक्रम की मूल भावना के अनुसार बैंक ने हितधारकों द्वारा की जाने वाली उत्तरदायी ऋण गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित रखना जारी रखा। इस परियोजना का लक्ष्य अल्पवित्त संस्थाओं में ग्राहक संरक्षण को केन्द्र में रखते हुए उचित पद्धतियों को बल देना है। इस दिशा में, आचार-संहिता मूल्यांकन (सीओसीए) के माध्यम से अल्पवित्त संस्थाओं की ऋण और वसूली पद्धतियों को मजबूत बनाते हुए, भारत अल्पवित्त मंच (आईएमएफपी) के माध्यम से अल्पवित्त क्षेत्र में प्रवेश-स्तरों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुधार करते हुए, ऋण-प्रदाता मंच आदि के माध्यम से ऋणप्रदाताओं और निवेशकों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाते हुए, सिडबी ने इस क्षेत्र में अपनी केन्द्रीय भूमिका को जारी रखा है। सिडबी द्वारा छूट-गए मध्य क्षेत्र, अर्थात् ऐसे अल्प उद्यम जिनकी ऋण आवश्यकता ₹ 50,000 से ₹ 10,00,000 के बीच की होती है, को ऋण प्रदान करने की दिशा में, विभिन्न मध्यवर्ती संस्थाओं, जैसे- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अल्पवित्त संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि के सशक्तीकरण पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

उत्तरदायी वित्तपोषण के संबंध में सिडबी के प्रयास

- सिडबी द्वारा सदैव ही विभिन्न उपायों के माध्यम से लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विभिन्न मानकों को स्थापित करते हुए एक अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया गया है, जैसे क्षमता मूल्यांकन रेटिंग, संविभाग लेखापरीक्षा, आचार-संहिता मूल्यांकन आदि। उत्तरदायी-वित्तपोषण हमेशा ही बैंक की प्राथमिकता में रहा है तथा अल्पवित्त क्षेत्र में आंध्रप्रदेश में जो गतिरोध देखने में आया, उसके काफ़ी पहले से ही बैंक ने उत्तरदायी-वित्तपोषण की अवधारणा को अल्पवित्त क्षेत्र की सहायताप्राप्त इकाइयों के बीच प्रसारित करने का प्रयास शुरू कर दिया था। उत्तरदायी-वित्तपोषण एवं निर्धारित आचार-संहिता का पालन करने को बढ़ावा देने

SIDBI continued to extend funding support, both in the form of equity & term loan, alongside taking up various responsible lending initiatives. Under the World Bank project 'Scaling Up Sustainable and Responsible Microfinance Project' (SUSRMP), the Bank continued to focus on responsible lending practices by the stakeholders as the core of the programme. The project aimed at strengthening the fair practices among MFIs with focus on client protection. In this direction, further strengthening of the lending and recovery practices of MFIs through Code of Conduct Assessments (COCA), improvement in information dissemination on microfinance penetration levels through India Microfinance Platform (IMFP), promotion of information sharing among lenders and investors of MFIs through Lenders' Forum, etc. continued to occupy centre stage. SIDBI has also been focusing on strengthening the capacities of the intermediaries like Regional Rural Banks (RRBs), MFIs, Non Banking Financial Companies (NBFCs), etc. in lending to micro enterprises in the missing middle segment i.e., micro enterprises with loan requirements of ₹ 50,000 – ₹ 10,00,000.

SIDBI's Initiatives on Responsible Financing

- SIDBI has always played a pioneering role in laying down standards for the sector through measures like concept of capacity assessment ratings, portfolio audits, code of conduct assessment, etc. Responsible Lending has been the Bank's priority and the endeavour on spearheading the issue of responsible finance among the assisted MFIs was initiated much before the sectoral setback seen in Andhra Pradesh. Promoting responsible finance and adherence to a laid down Code of Conduct is a major

संबंधी महत्पवूर्ण कार्य सिडबी द्वारा विश्वबैंक की सहायता से प्रमुखता से किया गया।

- उत्तरदायी-वित्तपोषण संबंधी प्रयासों के एक भाग के रूप में, सिडबी द्वारा अल्पवित्त क्षेत्र की प्रमुख ऋणदाता संस्थाओं को शामिल करते हुए एक ऋणदाता-मंच की स्थापना की गई है, ताकि इस क्षेत्र में कार्यरत अल्पवित्त संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से अल्पवित्त-ऋणदाताओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाया जा सके। अल्पवित्त संस्थाओं के सभी प्रमुख ऋणदाताओं ने इस बात के लिए एक साथ कार्य करने के लिए सहमति व्यक्त की है कि वे सभी मिलकर एकसमान ऋण प्रसंविदाओं के माध्यम से उत्तरदायी-वित्तपोषण प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए अल्पवित्त संस्थाओं को प्रभावी रूप से तैयार करेंगे। बैंकों ने भी, अल्पवित्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता के कार्यक्षेत्र की प्रक्रियाओं, जैसे- अपना ग्राहक जानो/केवायसी आदि, के अनुपालन की कड़ाई से जांच एवं नियमित रूप से निगरानी करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। सिडबी के इस प्रयास के फलस्वरूप, ऋणदाताओं के बीच बेहतर समन्वय बनाने एवं अल्पवित्त संस्थाओं के साथ करीबी बातचीत करने के लिए 'ऋणदाता-मंच' के 'क्षेत्रीय संगठन' भी स्थापित किए गए हैं। अब तक, सिडबी द्वारा 'ऋणदाता-मंच' की 9 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है।

- सिडबी ने, भारत में अल्पवित्त के उद्योग संघों, अर्थात् एमफिन तथा सा-धन के साथ मिलकर, देश की अल्पवित्त संस्थाओं के लिए एकीकृत-आचार-संहिता स्थापित की है। यह आचार-संहिता, अल्पवित्त संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य करती है कि वे निम्न आयवर्ग के ग्राहकों को ऐसी वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराएँ, जो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करती हों तथा उनकी सुपुर्दगी ऐसे तरीकों से हो, जो नैतिक, पारदर्शी तथा सूचनाओं की निजता का अधिकार सुनिश्चित करते हुए ग्राहक की गरिमा का सम्मान करते हों। आशा है कि इस संहिता से अल्पवित्त संस्थाओं में हितधारकों का विश्वास फिर से बहाल होने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र को अति अपेक्षित प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

intervention by SIDBI, with support from the World Bank.

- As part of its responsible finance initiatives, SIDBI has created a Lenders' Forum comprising key lenders of MFI Sector with a view to promote cooperation among MFI lenders for leveraging support to MFIs across the sector. All the major lenders of MFIs have agreed to work together to impress upon the MFIs to implement responsible lending practices through a common set of loan covenants. Banks have also agreed to strictly examine and continuously monitor field level practices of their assisted MFIs like adherence to KYC norms etc. Pursuant to initiatives of SIDBI, regional chapters of 'Lenders' Forum' have been set up for better co-ordination among lenders and closer interaction with the MFIs. So far, SIDBI has conducted 9 meetings of Lenders' Forum.

- SIDBI, along with the industry associations for microfinance in India viz., MFIN and Sa-Dhan, has put in place the unified Code of Conduct for MFIs in the country. The code mandates MFIs to provide low income clients with access to financial services that are designed to meet their needs and are delivered in a manner that is ethical, transparent, and respectful of client's dignity ensuring right to privacy of information. It is expected that the code will be instrumental in reinstating the faith of the stakeholders in the MFIs and give the sector a much needed stimulus.

- सिडबी द्वारा आचार-संहिता मूल्यांकन साधन (कोका) विकसित किया गया है, जो ऋण सेवाएँ उपलब्ध कराने, ऋण की वसूली आदि के लिए अल्पवित्त संस्थाओं हेतु लागू है, ताकि अल्पवित्त संस्थाएँ, उस अल्पवित्त-आचार-संहिता के स्वैच्छिक अनुपालन की सीमा का मूल्यांकन कर सकें, जिसे उन्होंने तैयार किया है। साथ ही, बैंक ने पाँच सूचीबद्ध एजेंसियों से आचार-संहिता का मूल्यांकन करवाने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये एजेन्सियाँ हैं – एक्सेस एसिस्ट, इक्रा मैनेजमैंट कन्सल्टिंग सर्विसेज़ लिमिटेड, माइक्रोक्रेडिट रेटिंग इंटरनैशनल लिमिटेड, प्राइम एम2आई कन्सल्टिंग सर्विसेज़ लिमिटेड तथा एमएसई रेटिंग एजेन्सी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड। बैंक इन एजेन्सियों से आचार-संहिता का मूल्यांकन करवाने की लागत की 75% राशि की प्रतिपूर्ति करता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 1,50,000/- है। अब तक कुल 82 मूल्यांकन किए गए हैं और 69 अल्पवित्त संस्थाओं की रिपोर्टें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई हैं। इस क्षेत्र के लिए उपर्युक्त मूल्यांकन प्रक्रिया के अधिकाधिक महत्व को देखते हुए, बैंक ने 16 अल्पवित्त संस्थाओं के लिए आचार-संहिता के मूल्यांकन का दूसरा दौर शुरू किया है, जिसमें 8 ऐसी अल्पवित्त संस्थाओं का दोबारा मूल्यांकन भी शामिल है, जिनका पहले दौर में बैंक की 5 सूचीबद्ध एजेन्सियों के माध्यम से मूल्यांकन किया गया था।

- सिडबी ने अल्पवित्त मंच/माइक्रोफ़ाइनैंस प्लेटफ़ॉर्म, मिक्स द्वारा विकसित भारत अल्पवित्त मंच/इंडिया माइक्रोफ़ाइनैंस प्लेटफ़ॉर्म (आईएमएफ़पी) को सहयोग प्रदान किया है, ताकि भारतीय अल्पवित्त संस्थाओं के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय एवं परिचालनगत सूचनाएँ उपलब्ध कराई जा सकें और उनका प्रसार किया जा सके। यह एक वैश्विक, वैब-आधारित, अल्पवित्त संबंधी सूचनाओं का मंच है, जिसे मिक्स मार्केट ने भारत के लिए विशेष रूप से स्थापित किया है। अल्पवित्त संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे एक मानकीकृत प्रारूप में निश्चित अंतरालों पर अपने वित्तीय एवं परिचालनगत आँकड़े प्रस्तुत करें, ताकि सरलता से उच्च श्रेणी की पारदर्शिता/प्रकटीकरण संभव हो सके। यह परियोजना, भारतीय अल्पवित्त संस्थाओं से संबंधित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आँकड़ों की

- A Code of Conduct Assessment (COCA) Tool has been developed by SIDBI, which applies to providing credit services, recovery of credit, etc., for MFIs to assess their degree of adherence to the voluntary microfinance Code of Conduct formulated by the MFIs. Further, the Bank has issued guidelines to all the assisted MFIs to undergo COCA through anyone of the five empanelled agencies i.e. ACCESS - ASSIST, ICRA Management Consulting Services Ltd., Micro Credit Ratings International Ltd., Prime M2i Consulting Services Ltd. and SME Rating Agency of India Ltd. Out of the expenses incurred by the MFIs in undergoing COCA, the Bank reimburses 75% of the cost of COCA charges subject to a maximum reimbursement of ₹ 1,50,000/-. A total of 82 assessments have since been undertaken and reports of 69 MFIs have been placed in the public domain. Looking at the greater significance of the exercise in the sector, the Bank has taken up a fresh round of COCA exercise for 16 MFIs including repeat assessments of 8 MFIs who had undergone COCA in the first phase through 5 empanelled agencies of the Bank.

- SIDBI has supported the India Micro Finance Platform (IMFP) developed by MIX to provide and disseminate various financial and operational information on Indian MFIs. It is a global, web-based, microfinance information platform, a MIX market tailored for India i.e., the India Microfinance Platform (IMFP) – meant to provide and disseminate valuable information on the Indian MFIs. The MFIs are required to submit financial and operational data, at periodic intervals in a standardized format, thus enabling higher degree of transparency/disclosures with

गहनता और व्यापकता का विस्तार करने के लिए है। आईएमएफ़पी परियोजना के कारण रिपोर्टिंग करने वाली अल्पवित्त संस्थाओं की संख्या बढ़ी है और उसके परिणामस्वरूप, भारतीय अल्प वित्त क्षेत्र से संबंधित आँकड़ों में वृद्धि हुई है तथा इसके साथ ही, सूक्ष्मतर और जिला-स्तरीय आँकड़े विकसित हो सके हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अल्पसेवित राज्यों में प्रयास

अल्पवित्त क्षेत्र में असंतुलित क्षेत्रीय संवृद्धि के समाधान की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखते हुए तथा अपने अल्पवित्त परिचालनों को व्यापक बनाने एवं उनकी पहुँच का विस्तार करने के उद्देश्य से, बैंक सतत रूप से कई ऐसे अतिसक्रिय कदम उठा रहा है, जिनसे अब तक अल्पसेवित क्षेत्रों, जैसे- पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओड़ीशा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों को मिलने वाली सहायता में वृद्धि हो सके। इन कदमों में स्थानीय अल्पवित्त संस्थाओं का विकास और साथ ही दक्षिणी राज्यों की बड़ी अल्पवित्त संस्थाओं की पहुँच का इन अल्पसेवित क्षेत्रों तक विस्तार करना, दीर्घकालिक साझेदार बनने की संभावनाएँ रखने वाली उपयुक्त अल्पवित्त संस्थाओं की पहचान करने के लिए अपने प्रयास तेज़ करना तथा अल्पवित्त संस्थाओं को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता-निर्माण करने के लिए सहायता प्रदान करना सम्मिलित है।

यथा 31 मार्च, 2015, अधिकांश अल्पवित्त संस्थाओं के परिचालन का एक बड़ा भाग, पूर्वोत्तर सहित देश के ऐसे अल्पसेवित राज्यों/क्षेत्रों से था, जिनके पास सिडबी से प्राप्त ऋण बकाया थे।

संविभाग जोखिम निधि

- भारत सरकार ने संविभाग जोखिम निधि (पीआरएफ) योजना के अंतर्गत ₹ 150 करोड़ की सहायता की प्रतिबद्धता की है। बैंक उक्त निधि का उपयोग अल्पऋण योजना के अंतर्गत अल्पवित्त संस्थाओं से अपेक्षित प्रतिभूति सुरक्षा के प्रति सावधि ऋण के 7.5% हिस्से (सामान्य 10% की अपेक्षा के स्थान पर) की पूर्ति के लिए कर रहा है।

ease. The project is to expand the depth and breadth of publicly available data on Indian MFIs. The IMFP project has already resulted in enhanced data coverage for India's microfinance sector through growth in the number of reporting MFIs as well as development of granular, district-level data sets.

Initiatives in the underserved States including North-Eastern Region

Continuing to address the regional growth asymmetry in the sector and with a view to upscaling and widening the outreach of the microfinance operations, the Bank has been continuously taking several proactive steps to increase the flow of assistance to hitherto underserved areas, viz. North Eastern Region (NER) and in states like Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Bihar, West Bengal, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, etc. These include development of local MFIs, inducing larger MFIs from the southern states to expand outreach in underserved areas, intensifying efforts in identifying suitable MFIs, who have the potential of becoming long term partners and providing need based support to MFIs.

As on March 31, 2015, most of the MFIs having outstanding loans from SIDBI had a substantial part of their operations in the underserved states/areas of the country including NER.

Portfolio Risk Fund

- The GoI has committed support of ₹ 150 crore under Portfolio Risk Fund (PRF) Scheme, which is being utilised by the Bank for meeting 7.5% of the term loan towards security cover (against the normal requirement of 10%) of the MFIs requirements under Micro Credit Scheme.

यह योजना मूलत: समग्र देश के लिए लागू की गई थी, किंतु अब इसे 01 जुलाई, 2008 से अल्पसेवित राज्यों और अन्य राज्यों के अल्पसेवित इलाकों/जिलों के लिए (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं पर विशेष ध्यान के साथ) लागू किया गया है। संविभाग जोखिम निधि की समूह-निधि वित्त वर्ष 2007 से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध थी तथा इसका लक्ष्य देश भर में 50 लाख लाभार्थियों को इसमें सम्मिलित करना था। वर्ष के दौरान, भारत सरकार द्वारा, सिडबी को ₹ 57.72 करोड़ की राशि, जो कि संविभाग जोखिम निधि (पीआरएफ़) के अंतर्गत शामिल किए गए ऋणों की पूर्ण चुकौती से उपलब्ध हुई है, को पुन:संवितरित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

- संचयी रूप से, यथा 31 मार्च, 2015, संविभाग जोखिम निधि (पीआरएफ़) के अंतर्गत पात्र अल्पवित्त संस्थाओं को संवितरित ऋण ₹ 2,361.37 करोड़ रहा तथा संविभाग जोखिम निधि (पीआरएफ़) में से ₹ 177.10 करोड़ की राशि (पात्र ऋण संवितरणों की 7.5% राशि) का उपयोग किया गया।

अल्पवित्त क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास

एशियाई विकास बैंक - जापान निर्धनता ह्रास निधि (एडीबी-जेएफ़पीआर) परियोजना – महिला सशक्तीकरण हेतु अल्प उद्यमिता सहायता परियोजना

सिडबी को, छूट गए मध्य क्षेत्र को ऋण देने के लिए, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक ऋण-सीमा मंजूर हुई थी, तथा साथ ही, पाँच राज्यों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़ीशा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की निर्धन अल्प उद्यमी महिलाओं तक, अल्पवित्त ऋण की उपयुक्त सेवाओं को पहुँचाने के लिए, जापान-निर्धनता-ह्रास-निधि (जेएफपीआर) से 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान भी मंजूर हुआ था। यह परियोजना 02 जुलाई, 2010 से प्रारम्भ हुई तथा 31 दिसंबर, 2014 को समाप्त हुई।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

बैंक द्वारा भारत में अल्पवित्त संस्थाओं के माध्यम से निर्धनों, विशेषकर महिलाओं की वित्त तक पहुँच बेहतर बनाने के लिए

The scheme, which was originally extended to cover the entire country, has since been made applicable to the underserved states and underserved pockets/districts in other states (with emphasis on Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Minority, Other Backward Class and women beneficiaries) with effect from July 01, 2008. The PRF corpus was available for a period of 5 years with effect from FY 2007 and aimed to cover 50 lakh beneficiaries throughout the country. During the year, GoI has allowed SIDBI to redeploy ₹ 57.72 crore available out of full repayment of loans covered under PRF earlier.

- Cumulatively, as on March 31, 2015, the disbursement to eligible MFIs under PRF stood at ₹ 2,361.37 crore, entailing PRF requirement of ₹ 177.10 crore (being 7.5% of eligible loan disbursements).

Human Resources Development for micro finance sector

ADB-JFPR Project - Supporting Micro entrepreneurship for Women's Empowerment

SIDBI was sanctioned a line of credit of USD 50 million from Asian Development Bank (ADB) for lending to the missing middle segment along with a grant of USD 3 million out of Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR) to facilitate access by poor female micro entrepreneurs to an appropriate range of services that support micro credit in five states, viz., Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh. The project became effective on July 02, 2010 and closed on December 31, 2014.

International Collaborations

The Bank has signed agreement with Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW),

85 मिलियन यूरो की ऋण सहायता और 1.69 मिलियन यूरो के वित्तीय योगदान हेतु क्रेडिटांस्टाल्ट फ़र वीडरॉफ़बाउ (के.ए.फ.डब्ल्यू), जर्मनी के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सहायता में प्राप्त ऋण घटक का उपयोग अल्पवित्त संस्थाओं को और आगे ऋण देने की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। तकनीकी सहायता घटक का उपयोग सिडबी स्टाफ तथा सहायताप्राप्त अल्पवित्त संस्थाओं को प्रशिक्षण देने, वैब-आधारित मंच तैयार करने, जोखिम-मूल्यांकन मॉड्यूल विकसित करने, औद्योगिक मानकों के क्षेत्र में क्षमता विकास करने, सहायताप्राप्त अल्पवित्त संस्थाओं की सर्वोत्तम कार्य-प्रक्रियाओं के लिए तथा उनके ऋण-संविभाग/सिस्टम की लेखापरीक्षा करने हेतु, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन के उपाय के रूप में किया जाता है। के.एफ़.डब्ल्यू द्वारा ऋण-घटक के रूप में संपूर्ण 85 मिलियन यूरो तथा तकनीकी सहायता घटक के अंतर्गत 0.48 मिलियन यूरो का संवितरण किया गया।

बैंक ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ करार किया है। करार सिडबी को दीर्घावधि निधियाँ उपलब्ध कराएगा, जिनसे सिडबी विशिष्ट वित्तपोषण कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण ''छूट गए मध्यवर्ती उद्यमों'' को सहायता प्रदान करेगा। इस परियोजना का लक्ष्य निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता एवं अन्य सहायक उपाय प्रदान करना है। 31 मार्च, 2015 तक इसमें 28.41 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आहरित की गई है।

सिडबी द्वारा, अल्प ऋण संविभाग में वृद्धि करने के प्रयोजन से, विश्व बैंक से 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण हेतु संविदा की गई है, जिसमें इंटरनैशनल बैंक फ़ॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा इंटरनैशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य एसडीआर शामिल हैं। दीर्घकालिक तथा उत्तरदायी अल्पवित्त में वृद्धि नामक इस परियोजना का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, नवोन्मेषी वित्तीय उत्पादों की शुरुआत करके एवं पारदर्शिता व उत्तरदायी-वित्तपोषण को बढ़ावा देकर, विशेषकर देश के अल्पसेवित क्षेत्रों के ग्राहकों को, दीर्घकालिक अल्पवित्त सेवाओं की उपलब्धता में

Germany for loan support of EUR 85 million and financial contribution of EUR 1.69 million for improving access to microfinance products in India among the poor, particularly women. The loan component of the support is being used to provide loans to MFIs for on-lending. The Technical Assistance (TA) component is being used to provide training to SIDBI staff and assisted MFIs, creation of a web based platform, development of a risk assessment module, select capacity building interventions in the area of transfer of industry benchmarks, best practices to assisted MFIs and for carrying out of loan portfolio audits/system audits of our assisted MFIs, as a prudent risk management measure. KfW has released entire amount of EUR 85 million under the loan component and an amount of EUR 0.48 million under TA component.

The Bank has entered into collaboration with ADB for loan support of USD 50 million which would provide SIDBI with long tenor funding to support the vital "Missing Middle" through specific financing programs. The scope of the project covers financial literacy and other support measures for the low income women. An amount of USD 28.41 million has been drawn upto March 31, 2015.

SIDBI has contracted a loan of USD 300 million from the World Bank (WB), including USD 200 million from International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and SDR equivalent of USD 100 million from International Development Association (IDA) for upscaling the micro credit portfolio,. The project titled "Scaling Up Sustainable and Responsible Micro Finance" aims at scaling up access to sustainable micro finance services, particularly to clients in the underserved areas of the country, through among other things, introduction of innovative financial products

वृद्धि करना है। विश्व बैंक द्वारा, 31 मार्च 2015 तक, इस ऋण-सीमा के अंतर्गत, आईबीआरडी घटक में कुल 178.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा आईडीए घटक में 95.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर संवितरित किए गए।

बैंक ने भारत में एमएसएमई क्षेत्र के 'छूट गए मध्य वर्ग' को सहायता दिए जाने के लिए 100 मिलियन यूरो की ऋण सहायता और 5 लाख यूरो के वित्तीय योगदान के लिए क्रेडिटांस्टाल्ट फ़र वीडरॉफ़बाउ (के.एफ़.डब्ल्यू), जर्मनी के साथ एक अन्य करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत, उधारकर्ता वर्ग के 'छूट गए मध्य वर्ग' का (प्राथमिक वित्तीय संस्थाओं, जैसे- आरआरबी, यूसीबी, एनबीएफ़सी, एमएफ़आई आदि के माध्यम से) वित्तपोषण किया जाता है तथा महिलाओं व अन्य सामाजिक रूप से विपन्न वर्ग उद्यमियों पर विशेष ध्यान देते हुए, अल्प-उद्यमों के क्षमता-निर्माण को मज़बूत करने तथा उनके कारोबार-विकास-सेवाओं व मार्केट-संबद्ध कार्यक्रमों पर बल दिया जाता है। के.एफ़.डब्ल्यू. द्वारा, 31 मार्च, 2015 तक, इसके ऋण-घटक के अंतर्गत 34.91 मिलियन यूरो तथा अनुदान-घटक के अंतर्गत 0.01 मिलियन यूरो संवितरित किए गए।

प्रभाव-अध्ययन

''टिकाऊ एवं उत्तरदायी अल्पवित्त अभिवृद्धि परियोजना'' के अंतर्गत सहायताप्राप्त अल्पवित्त संस्थाओं का प्रभाव-मापन अध्ययन – आधारभूत रिपोर्ट

परियोजना के प्रभाव-अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम के परिणामों तथा प्रभावों का मापन करना और समझना, अल्पवित्त संस्था भागीदारों/सिडबी की भूमिका को पहचानना, अल्पवित्त संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं तथा वित्तीय व गैर-वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता व अदायगी में सुधार करने हेतु सिफारिशें करना तथा अल्पवित्त सेवाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तम प्रक्रियाओं व प्राप्त किए गए अनुभवों, अल्पवित्त के उद्दश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई रणनीति को साझा करना है।

सिडबी द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों में यह देखा गया है कि, अल्पवित्त सहायता ने निर्धन लोगों को वित्तीय सेवाओं

and fostering transparency and responsible finance. WB has released a total of USD 178.65 million out of IBRD component and USD 95.30 million out of IDA component under the line of credit upto March 31, 2015.

The Bank has entered into another agreement with Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Germany for loan support of EUR 100 million and financial contribution of EUR 0.50 million for assistance for 'Missing Middle' of the MSME sector in India. It seeks to finance [through Primary Financial Institutions (PFIs) which could be RRBs, UCBs, NBFCs, MFIs etc.] the 'Missing Middle' borrower segment and lays focus on strengthening capacity building and Business Development Services and market linkage programmes for micro-enterprises with emphasis on women and other socially excluded entrepreneurs. KfW has released an amount of EUR 34.91 million under the loan component and EUR 0.01 million under the grant component upto March 31, 2015.

Impact Studies conducted

Impact Assessment Study of Assisted Micro Finance Institutions Under "Scaling Up Sustainable And Responsible Micro Finance Project"- Baseline Report.

The main objective of the impact evaluation study was to assess and understand programme outcomes and impact, identification of the role of MFI partners/SIDBI, making recommendations to improve the quality and delivery of financial and non-financial products and services offered by MFIs to their clients and share the good practices and lessons learnt, strategies adopted to achieve the objectives of micro finance.

It has been observed from the various studies conducted by SIDBI that microfinance has

तक पहुँचने में मदद की है, साथ ही, उनके लिए अतिरिक्त आजीविका-अवसरों का निर्माण करके, उनका शोषण करने वाले अनौपचारिक ऋण-स्रोतों पर से उनकी निर्भरता को कम किया है, उनके पारिवारिक और कारोबारी निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाई है, वित्तीय मामलों पर उनके ज्ञान में अभिवृद्धि की है, सामाजिक सुरक्षा, आस्तियों की स्थिति के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य व शैक्षिक मानदंडों में भी सुधार किया है।

निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि कार्यक्रम (पीएसआईजी)

बैंक द्वारा, अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफ़आईडी) से प्राप्त यूकेएड की सहायता से, अप्रैल 2012 से, निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि कार्यक्रम (पीएसआईजी) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 27 मिलियन जीबीपी बजट के इस सात वर्षीय कार्यक्रम का लक्ष्य, 4 निम्न आय वाले राज्यों (बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश) के निर्धन व्यक्तियों तक विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं (बचत, ऋण, अल्प-बीमा, अल्प-पेंशन आदि) का विस्तार करना है। इस कार्यक्रम से तीन प्रमुख परिणाम प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार हैं – (i) ऐसे नीतिगत एवं संस्थागत परिवेश का विकास, जिससे निर्धन व्यक्तियों को एक उत्तरदायी तरीके से सहायता प्रदान कर सकने वाली वित्तीय सेवाओं के प्रावधानों को बढ़ावा मिला; (ii) विविध वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं का उन्नयन हुआ; तथा (iii) वित्तीय एवं लैंगिक समस्याओं को हल करने संबंधी महिलाओं की क्षमता में वृद्धि हुई।

वर्ष के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य प्रयास किए गए:

विविध वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं का संवर्द्धन

क्षमता-निर्माण-आवश्यकता-मूल्यांकन (सीबीएनए) प्रक्रिया के आधार पर, इस कार्यक्रम से निर्धनतम राज्यों में कार्यरत अल्पवित्त संस्थाओं की क्षमता-निर्माण हेतु अनुदान-सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता के अंतर्गत विभिन्न मार्गदर्शक क्षेत्रों, जैसे- ऋण-संविभाग लेखापरीक्षा, सामाजिक-निष्पादन-प्रबंध मापन, ग्राहक-सुरक्षा मापन आदि में विश्वास-निर्माण करना; अन्य वित्तीय सेवाओं का विस्तार; प्रौद्योगिकी-उन्नयन; मानव संसाधन

helped the poor in accessing financial services, improving the quality of their life through creation of alternative additional livelihood opportunities, reducing their dependence on the exploitative informal sources of credit, increased participation in family and business decision making, enhanced knowledge on financial matters, improved social security, asset status and improvement in health and education parameters.

Poorest States Inclusive Growth Programme (PSIG)

The Bank has been implementing the Poorest States Inclusive Growth Programme (PSIG) supported by the UKAid from the Department for International Development (DFID), since April 2012. The seven year programme with a budget of about GBP 27 million aims at expanding access to a range of financial services (savings, credit, micro insurance, micro pension etc.) for poor in the 4 low income states (Bihar, Odisha, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh). The programme has three major outputs viz. (i) Policy and institutional environment that encourages provision of financial services to poor people in a responsible manner facilitated; (ii) Institutions providing diverse financial services promoted; and (iii) Women's capacities to tackle financial and gender issues enhanced. During the year, the following key initiatives were undertaken in the programme:

Institutions providing diverse financial services promoted

Based on Capacity Building Needs Assessment (CBNA) exercise, the programme provides capacity building grant assistance to MFIs operating in PSIG states. The indicative are of support include enhancing confidence building measures such as loan portfolio audit, social performance management assessment, client

विकास; जोखिम प्रबंधन तथा अभिशासन को सशक्त करना आदि को शामिल किया जाता है। इसमें अब तक 28 अल्पवित्त संस्थाओं को ₹ 10.78 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की गई है, जिसमें से ₹ 6.78 करोड़ संवितरित किए जा चुके हैं।

अल्पवित्त क्षेत्र में वित्तीय तरलता में सुधार करने हेतु, वित्तवर्ष 2012-13 के दौरान स्थापित की गई तरलता-निधि (लगभग ₹ 100 करोड़) का पिछले वित्तवर्ष के दौरान पूर्णरूपेण संवितरण किया जा चुका था। निर्धनतम राज्यों में बहु-राज्य अल्पवित्त संस्थाओं के माध्यम से ₹ 165 करोड़ के ऋणों के संदर्भ में समग्रत: ₹ 33 करोड़ के जोखिम-कवर की सहायता प्रदान की गई। निर्धनतम राज्यों में कार्यरत 9 लघुतर अल्पवित्त संस्थाओं को और आगे ऋण देने के लिए ₹ 20.50 करोड़ की सहायता प्रदान की गई। इसी प्रकार, 9 अल्पवित्त संस्थाओं को, विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- प्रौद्योगिकी, असेवित क्षेत्रों में विस्तार, नए उत्पादों के प्रयोग आदि में निवेश करने के लिए ₹ 45.79 करोड़ की क्षमता-निर्माण-सुलभ-ऋण सहायता प्रदान की गई।

वर्ष के दौरान ₹ 65 करोड़ की एक दूसरी ऋण-निधि-II अनुमोदित की गई। इसके अंतर्गत, ₹ 40 करोड़ (अल्पसेवित क्षेत्रों में शाखा-विस्तार हेतु ₹ 25 करोड़ तथा प्रौद्योगिकी-समावेशन हेतु ₹ 15 करोड़) का घटक-1 तथा लघुतर अल्पवित्त संस्थाओं को और आगे ऋण प्रदान करने हेतु ₹ 25 करोड़ का घटक-2 शामिल है। इसी प्रकार, वाणिज्यिक बैंकों को संविभाग आधार पर 20% का जोखिम कवरेज (अल्पवित्त संस्था आधार 75%) प्रदान करने के लिए ₹ 30 करोड़ की जोखिम-निधि-II भी स्थापित की गई। इस वर्ष के दौरान, निर्धनतम राज्यों में पहुँच का विस्तार करने के लिए, बैंक-अल्पवित्त संस्था बीसी चैनल के अंतर्गत अल्पवित्त संस्थाओं को द्वितीय-क्षति-गारंटी प्रदान करने के लिए ₹ 30 करोड़ की एक नकद-संपार्श्विक-गारंटी निधि भी अनुमोदित की गई। वित्तवर्ष 2015-16 के दौरान ये निधियाँ परिचालित होंगी। इसी प्रकार, निर्धनतम राज्यों की साझेदार अल्पवित्त संस्थाओं को परामर्श-सहायता प्रदान करने के लिए, प्रौद्योगिकी-समावेशन-निधि के अंतर्गत एक प्रौद्योगिकी सलाहकार निकाय की स्थापना भी की गई है।

protection assessment etc; expansion of other financial services; technology up-gradation; human resource development, strengthening risk management and governance etc. Grant assistance of ₹ 10.78 crore has been sanctioned to 28 MFIs out of which ₹ 6.78 crore has been disbursed.

The Liquidity Fund (approximately ₹ 100 crore) set up in FY 2012-13, to improve liquidity in the Microfinance sector was fully disbursed during the previous year. Risk cover aggregating ₹ 33 Crore facilitated lending of ₹ 165 crore largely through multi- state MFIs in the PSIG states. Onlending support of ₹ 20.50 crore was extended to 9 smaller MFIs working in the PSIG states. Further capacity building soft loan of ₹ 45.79 crore were extended to 9 MFIs for investments in areas such as technology, expansion in underserved areas, piloting new products etc.

Another Debt Fund II of ₹ 65 crore was approved during the year. This comprises of Component 1 of ₹ 40 crore (for branch expansion in underserved area ₹ 25 crore and for technology inclusion: ₹ 15 crore) and Component 2 of ₹ 25 crore for On-lending to smaller MFIs. Further, the Risk fund-II of ₹ 30 crore has also been set up for providing risk coverage of 20% on portfolio basis (75% on MFI basis) to commercial banks. A Cash Collateralized Guarantee Fund of ₹ 30 Crore for providing second loss guarantee to MFIs under Bank-MFI BC Channel to expand outreach in PSIG States has also been approved during the year. These funds would operationalised day FY 2015-16. Further, a Technology Advisory Body for providing Advisory Support to Partner MFIs in PSIG's Techno- Inclusion Fund has also been set up.

वित्तीय एवं लैंगिक मामलों का हल खोजने संबंधी महिलाओं की क्षमताओं में वृद्धि

पूर्वोक्त कार्य-परिणामों की नींव सामाजिक एवं लैंगिक मामलों व अधिकारों तथा हकदारियों के साथ वित्तीय साक्षरता के एक एकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर निर्मित हुई है। लैंगिक कार्य-परिणाम के प्रमुखत: पाँच परिचालन-क्षेत्र हैं: (1) निर्धन महिलाओं की वित्तीय क्षमता को सशक्त करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ प्रतिदर्शों का प्रदर्शन करना, (2) संस्थाओं (निर्धनतम राज्य एवं कार्यान्वयन साझेदारों) के अंतर्गत लैंगिक-समानता को मुख्यधारा में लाना, (3) विभिन्न सेवाओं तक एक समान पहुँच को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक संस्थाओं (सरकारी, एनआरएलएम, एसएलआरएम) के साथ सहयोग, (4) अनुसंधान, पक्षपोषण तथा नेटवर्किंग तथा (5) नवोन्मेषी दृष्टिकोणों को ग्रहण करना तथा उनका परीक्षण करना।

इन लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में किए गए प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं :

- उत्तरप्रदेश और बिहार में वित्तीय-साक्षरता तथा महिला-सशक्तीकरण प्रदान करने के लिए 7 अल्पवित्त संस्थाओं की भागीदारी में एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की गई। इस प्रायोगिक परियोजना में इन 7 अल्पवित्त संस्थाओं की लगभग 60,000 महिलाओं को वित्तीय-साक्षरता व महिला-सशक्तीकरण का प्रशिक्षण दिया गया तथा 80 मास्टर-प्रशिक्षकों का एक वर्ग तैयार किया गया। इसमें एक वर्ष की अवधि के दौरान, ग्राहकों को एक एकीकृत मॉड्यूल के माध्यम से वित्तीय साक्षरता, विधिक अधिकारों तथा महिला सशक्तीकरण संबंधी मामलों पर न्यूनतम 30 घंटों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह परियोजना, एक संसाधन संगठन की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है तथा इसे तीन चरणों में किया जाना निर्धारित है। प्रशिक्षक-प्रशिक्षण एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण का प्रथम चरण पूर्ण हो गया है। इस प्रायोगिक परियोजना में, कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए मोबाइल-आधारित-ओपन-किट आधारित प्रबंधन-सूचना-प्रणाली (एमआईएस) लागू की गई है। चालू वित्त वर्ष में, इसी प्रकार की दो और प्रायोगिक परियोजनाएँ क्रमश: मध्य प्रदेश और ओडिशा में प्रारंभ होंगीं।

Women's capacities to tackle financial and gender issues enhanced

The foundation of the aforestated output is built on an integrated approach of Financial Literacy with social and gender issues and rights and entitlements. The gender output has five broad areas of operations: (1) Demonstration models with implementing agencies for strengthening financial capability of poor women; (2) Mainstreaming gender within institutions (PSIG and implementing partners); (3) Collaborate with public institutions (Govt, NRLM, SLRMs) for promoting equitable access to services; (4) Research, advocacy and networking and (5) Adopting and testing innovative approaches.

The major initiatives towards realizing these goals have been as under:

- A pilot project on providing Financial Literacy (FL) &Women Empowerment (WE) training has been started in Uttar Pradesh and Bihar in partnership with 7 MFIs. The pilot envisages creating a cadre of 80 Master Trainers (MTs), on FL and WE and training of about 60,000 women clients of these 7 MFIs. The intent is to provide a minimum 30 hours of training to the clients through an integrated module on financial literacy, legal rights, and women empowerment issues, spread over a period of one year. The project is being implemented with the help of a resource organization and is designed to be conducted in three phases. The 1st phase of ToT and refresher training has been completed. The pilot has adopted a mobile based open kit technology based MIS for monitoring and evaluation of the programme. Two more pilots on similar lines would be started in the current year in MP and Odisha, respectively.

- भोपाल की 5 मलिन बस्तियों में एक साझेदार अल्पवित्त संस्था, संहिता द्वारा चार महीनों की एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित की गई, जिसमें महिला अल्पवित्त संस्था ग्राहकों को उनके विधिक अधिकारों को समझने तथा उनके साथ होने वाली घरेलू हिंसा की समस्या को हल करने का लक्ष्य रखा गया। साझेदार अल्पवित्त संस्था की 600 महिला ग्राहकों में जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से यह प्रयोग सफल रहा। इस प्रायोगिक कार्यक्रम के मूल्यांकन में, प्रशिक्षण के दौरान महिला ग्राहकों के ज्ञान तथा उनकी सोच में भी परिवर्तन को रेखांकित किया गया। प्रायोगिक परियोजना के दौरान समुदाय के संसाधन-व्यक्तियों को भी चिह्नित किया गया, उन्हें पैरा-विधिक-प्रशिक्षक कहा गया, जो कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे।
- साझेदार अल्पवित्त संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा नेताओं के लिए लैंगिक असमानता पर 5 संवेदीकरण कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें साझेदार अल्पवित्त संस्थाओं के 107 वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला से लैंगिक असमानता को हटा कर सभी को मुख्यधारा में लाने संबंधी चर्चा में मदद मिली तथा यह भावी एकीकरण के लिए मार्गदर्शी कार्ययोजना बना कर समाप्त हुई। परिणामस्वरूप, एक साझेदार अल्पवित्त संस्था - अन्नपूर्णा माइक्रोफ़ाइनांस प्रा. लि. द्वारा अपनी संस्था में, यौन-उत्पीड़न-शिकायतों के समाधान हेतु एक आंतरिक अनुपालन समिति गठित की गई, तथा साथ ही, उनके संगठन में महिला-कल्याण-समिति स्थापित की गई और लैंगिक-समस्याओं के समाधान हेतु नोडल-व्यक्ति को नियुक्त किया गया।

- In a project aimed to help women MFI clients understand their legal rights and address issues of domestic violence at home, a four months pilot was implemented by Samhita, a partner MFI in 5 slums of Bhopal. The pilot was successful in raising awareness of 600 women clients of the partner MFI. Evaluation of pilot has also pointed towards change in perception and knowledge of women clients through the training. The pilot has also identified community resource persons called Para legal trainers to carry forward the programme.
- 5 gender sensitization workshops for senior executives and leaders of partner MFI's have been organized which has been attended by 107 senior representatives from partner MFIs. The workshop helped in initiating a dialogue of gender mainstreaming and concluded with drawing of roadmap for future integration. As a result, one of the partner MFIs, viz., Annapurna Microfinance Pvt Limited has constituted an internal compliance Committee for re-dressal of Sexual Harassment complaints along with formation of Women Welfare Committee and nomination of gender focal person in their organization.

संवर्द्धन एवं विकास (पी एंड डी) संबंधी प्रयास

एमएसएमई क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने की दिशा में किए गए प्रयासों में, सिडबी द्वारा 'ऋण से अधिक' दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत, इस क्षेत्र को सशक्त, सक्रिय एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, बैंक द्वारा ऋण-सहायता के साथ-साथ, विभिन्न संवर्द्धनशील एवं विकासपरक सहयोग भी प्रदान किया गया है। इस दिशा में कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं:

i. **एमएसएमई परामर्श केन्द्र** : नए/मौजूदा उद्यमियों को वाणिज्यिक बैंकों, सरकारी सब्सिडियों/लाभों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने, उधारकर्ताओं को ऋण-परामर्श प्रदान करने, बैंकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नो के उत्तर देने संबंधी मार्गदर्शन करने, आदि के लिए सिडबी द्वारा, एमएसएमई परामर्श केन्द्र स्थापित किए गए हैं। औद्योगिक संगठनों की साझेदारी में स्थापित ये केन्द्र, पूरे देश में स्थित विभिन्न एमएसएमई-समूहों में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। इन परामर्श केन्द्रों पर मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु सिडबी द्वारा ऐसे सूचना-भागीदार नियुक्त किए गए हैं, जो सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं तथा जिनको एमएसएमई क्षेत्र का व्यापक अनुभव प्राप्त है। सूचना-भागीदार उक्त प्रयोजन हेतु समुचित रूप से प्रशिक्षित भी हैं। इन परामर्श केंद्रों से अब तक 10,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयाँ लाभान्वित हुई हैं। सूचना-भागीदारों को और अधिक केन्द्रों पर नामित करने से लाभप्राप्त समूहों की संख्या में वृद्धि हुई है।

ii. **युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन - स्मॉलबी.इन** - सिडबी द्वारा स्मॉलबी.इन वेबसाइट प्रारंभ की गई है, जो संभावित/उदीयमान, और यहाँ तक कि वर्तमान उद्यमियों के लिए एक सत्याभासी मार्गदर्शक/मेंटर तथा सहायक मंच है, ताकि नई इकाइयाँ स्थापित हो सकें और मौजूदा इकाइयों का विकास हो सके। यह वेबसाइट बहुत व्यापक है, जिसमें विभिन्न आयाम समाविष्ट हैं, जैसे- व्यवसाय के अवसरों के लिए मार्गदर्शन, व्यावसायिक संगठनों के विभिन्न रूपों, विधि की बुनियादी बातों को समझना, व्यवसाय-योजना तैयार करना, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं

PROMOTIONAL & DEVELOPMENTAL (P & D) INITIATIVES

In its endeavour towards holistic development of the MSME sector, SIDBI adopts a 'Credit Plus' approach wherein, besides credit, the Bank also provides grant support for the promotion and development of the sector to make it strong, vibrant and competitive. Some salient initiatives are:

i. **MSME Advisory Centres:** SIDBI has set up MSME Advisory Centres (MACs) for guiding new/existing entrepreneurs regarding availability of schemes of commercial banks, government subsidies/ benefits, provide borrowers with debt counselling, answering queries raised by banks, etc. The MACs have been servicing MSME clusters across the country in partnership with Industry Associations. For manning the MACs, SIDBI has appointed Knowledge Partners (KPs) who are retired bank officials, with vast experience of MSME sector. The KPs have also been suitably trained for the purpose. So far, more than 10,000 MSMEs have benefited through MACs. The number of clusters covered is being increased by nomination of KPs in more centres.

ii. **Promoting youth entrepreneurship – smallB.in:** Website www.smallB.in is a virtual mentor and handholding forum for the potential/budding and even existing entrepreneurs to set up new units and grow the existing ones. The website is quite exhaustive, covering various aspects such as scouting for business opportunities, understanding various forms of business organizations, legal basics, business plan preparation, understanding various requirements for obtaining credit from

से ऋण प्राप्त करने के लिए विभिन्न आवश्यकताओं को समझना, नीतियों व विनियमों, केन्द्र एवं राज्य सरकारों से उपलब्ध योजनाओं एवं प्रोत्साहनों को जानना आदि। इस प्रकार यह वेबसाइट संभावित युवा, उदीयमान उद्यमियों/व्यक्तियों को अपने व्यवसाय आरम्भ करने में आ रही हिचक को दूर करती है और रोज़गार-प्राप्ति के वैकल्पिक साधन के रूप में उद्यमिता को बढ़ावा देती है। इस वेबसाइट को अंतरराष्ट्रीय एडीएफ़आईएपी अवार्ड 2014 के 'तकनीकी विकास' वर्ग के लिए चुना गया है।

iii. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों/जिला सहकारी बैंकों का क्षमता-निर्माण:** ग्रामीण/अर्ध-शहरी एवं दूरदराज़ के इलाकों से समीपता और उनमें उपस्थिति के कारण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने में स्तर-II बैंकों, जैसे- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों/जिला सहकारी बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिडबी ने वित्तवर्ष 2012-13 से इन स्तर-II बैंकों, जैसे- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों/जिला सहकारी बैंकों को उनकी क्षमता के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराना शुरू किया है ताकि सूक्ष्म उद्यमों को अधिकाधिक ऋण उपलब्ध हो सके। इस परियोजना के अंतर्गत, सिडबी द्वारा इन बैंकों के क्षमता-निर्माण हेतु सहायता प्रदान की गई है, जिसमें सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए सिडबी द्वारा अपनी प्रक्रिया/सॉफ्टवेयर को साझा किया जाना तथा इन बैंकों के कर्मचारियों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना शामिल है। लगभग 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 10 शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्षों को शामिल करते हुए, यह कार्यप्रक्रिया संबंधी सुग्राहिता-कार्यक्रम आयोजित करने के अतिरिक्त, कुल 29 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (वर्ष 2014-15 के दौरान 2 क्षे. ग्रा.बैंकों सहित) तथा 5 शहरी सहकारी बैंकों के साथ समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रशिक्षण-आवश्यकताओं का विस्तृत रूप से विश्लेषण करने के बाद, वीडियो आधारित 2 दिवसीय व्यापक प्रशिक्षण का एक मॉड्यूल तैयार किया गया तथा उसका प्रायोगिक परीक्षण किया गया। प्रशिक्षण

Banks/Financial Institutions, knowing Policies and Regulations, schemes and incentives offered by the Central and State governments etc. The website, thus, mitigates the hesitation of young potential budding entrepreneurs/individuals in starting their business and encourages entrepreneurship as an alternative avenue to job seeking. The website has been chosen for International ADFIAP Awards 2014 under 'Technology Development' category.

iii. **Capacity Building of Regional Rural Banks (RRBs)/Urban Co-operative Banks (UCBs):** RRBs/Tier-II Banks like RRBs/UCBs/DCBs play an important role in providing credit to micro and small enterprises due to their proximity and presence in the rural/semi urban and remote areas. SIDBI initiated a project in FY 2012-13 focused at capacity building of Tier-II banks viz. RRBs/UCBs/DCBs with an objective to enhance the credit flow to micro enterprise sector. Under the project, SIDBI extends capacity building support to these banks, which includes SIDBI sharing its methodology/software of lending to micro enterprises and arranging for training of staff of these banks in this area. Besides organising sensitization programmes on this methodology covering chairmen of about 27 RRBs and 10 UCBs, MoUs with 29 RRBs (including MoU with 2 RRBs in FY 2014-15) and 5 UCBs have been signed. After a detailed training need analysis with few RRBs, a comprehensive 2-day video based training module has been developed and pilot tested. Based on the training module, 'Training of

मॉड्यूल के आधार पर 'प्रशिक्षक प्रशिक्षण' कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनसे 42 क्षे.ग्रा.बैंकों/श.स.बैंकों के लगभग 400 अधिकारी लाभान्वित हुए।

iv. **सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रम (एमईपीपी):** सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रम (एमईपीपी) का लक्ष्य, चुनिंदा कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, अर्धशहरी/ग्रामीण भारत में रोज़गार उत्पन्न करने में अग्रणी व्यवहार्य सूक्ष्म-उद्यमों को, व्यापक उद्यम सहयोग सेवाएँ प्रदान करके बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम उद्यमियों की पहचान करके, उन्हें अभिप्रेरित तथा मार्गदर्शन प्रदान करके, सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना करने में सहायता करता है। यह कार्यक्रम अब तक 26 राज्यों के 124 जिलों में कार्यान्वित किया जा चुका है। चालू वर्ष के लगभग 700 उद्यमों सहित, इस कार्यक्रम से, संचयी रूप से, अब तक 41,500 उद्यमों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। आगे, वित्त वर्ष 2014-15 में इस प्रकार के 3 और कार्यक्रम मंजूर किए जा चुके हैं, जो कि उत्तरप्रदेश में वाराणसी जिला, असम में कामरुप/गोआलपारा जिले तथा बिहार में जहानाबाद/नालंदा जिले के लिए हैं।

v. **उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी):** बैंक विशेष रूप से दूर-दराज़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति जैसे समाज के कम विशेषाधिकार-प्राप्त वर्गों में सबल उद्यमियों की श्रेणी (कैडर) तैयार करने तथा रोज़गार के अवसर पैदा करने में सक्षम स्वरोज़गार उद्यमों के संवर्द्धन के साथ-साथ, बड़ी संख्या में उद्यमी तैयार करने और उन्हें विकसित करने के उद्देश्य से उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करता है। बैंक ने 31 मार्च, 2015 तक, विभिन्न लक्ष्य-समूहों के लिए कुल 3,097 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की है, जिनसे 77,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए। बैंक से सहायताप्राप्त उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता-दर 50% से 55% के बीच रही है। संचयी रूप में, अब तक लगभग 38,000 प्रतिभागियों ने इस क्षेत्र में या तो अपनी इकाइयाँ स्थापित

Trainers' programmes have been conducted benefiting about 400 officials of 42 RRBs/ UCBs.

iv. **Micro Enterprise Promotion Programme (MEPP):** Micro Enterprise Promotion Programme (MEPP) aims at promoting viable micro enterprises leading to employment generation in semi urban/ rural India by providing comprehensive enterprise support services through identified implementing agencies. The programme helps in identifying, motivating and guiding the entrepreneurs in setting up micro enterprises. MEPP has so far been implemented in 124 districts in 26 states. Cumulatively, about 41,500 enterprises have been promoted, including about 700 during the current year. Further, 3 more MEPPs have been sanctioned during FY 2014-15, viz. Varanasi district in U.P., Kamrup/Goalpara districts in Assam and Jahanabad/Nalanda districts in Bihar.

v. **Entrepreneurship Development Programmes (EDPs):** The Bank's support to EDPs aims at building and nurturing a reservoir of entrepreneurs, while creating a cadre of motivated entrepreneurs and promotion of self-employed ventures capable of generating employment opportunities, especially in far-flung and rural areas targeting less privileged sections of the society like women, minorities and SC/ST. As on March 31, 2015, a total of 3,097 EDPs had been supported by the Bank, benefiting more than 77,000 participants in various target groups. The success rate of supported EDPs has been in the range

की हैं या लाभप्रद रोज़गार प्राप्त किया है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कुल 69 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की गई, जिनमें 1900 से अधिक प्रतिभागियों ने लाभ प्राप्त किया।

vi. **कौशल विकास कार्यक्रम (स्टुप/सीमैप)** : एमएसएमई उद्यमियों की तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से, बैंक प्रतिष्ठित प्रबंध/प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता प्रदान करता है ताकि वे कतिपय संरचित प्रबंध/कौशल विकास कार्यक्रम, जैसे- ''कौशल-सह-प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम'' (स्टुप) तथा ''लघु उद्योग प्रबंध सहायक कार्यक्रम'' (सीमैप) संचालित कर सकें।

कौशल-सह-प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम'' (स्टुप) का लक्ष्य एमएसएमई इकाइयों के स्वामियों/प्रबंधकों के लिए 4-6 दिन के पूर्णदिवसीय कार्यक्रम अथवा 8-12 दिनों के अंशकालीन कार्यक्रम के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों के प्रौद्योगिकी संविभाग में अभिवृद्धि करना है। इस कार्यक्रम की विषयवस्तु का निर्धारण प्रतिभागियों तथा/अथवा उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले औद्योगिक समूहों की आवश्यकताओं पर आधारित होती है। इस कार्यक्रम में सामान्य प्रबंधन विषयों के बजाय, विशिष्ट क्षेत्रों अथवा विशिष्ट पहलुओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाता है, जैसे- उत्पाद/प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता उन्नयन, पर्यावरण प्रबंधन, विपणन प्रबंधन, रणनीति प्रबंधन, कार्यशील पूँजी प्रबंधन सहित वित्तीय प्रबंधन आदि। ये कार्यक्रम सामान्यत: गैर-आवासीय प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा, अपेक्षित प्रभाव के लिए विशेषज्ञ संकाय सदस्यों की राय, केस-अध्ययन, सामूहिक-परिचर्चा, व्यावहारिक प्रदर्शन तथा कार्यक्षेत्रों के दौरे इसमें शामिल किए जाते हैं।

सीमैप एमएसएमई क्षेत्र को सक्षम प्रबन्धक प्रदान करने के समग्र उद्देश्य से अहर्ताप्राप्त बेरोजगार और उद्योग-प्रायोजित

of 50% to 55%. Cumulatively, about 38,000 participants have either set up their own units or have been gainfully employed in the sector. During FY 2014-15, 69 EDPs were supported benefitting over 1900 participants.

vi. **Skill Development Programmes (STUPs/SIMAPs):** With a view to strengthening the technical and managerial capacities of the MSME entrepreneurs, the Bank supports reputed management/technology institutions to offer certain structured management/skill development programmes, viz. "Skill- cum- Technology Upgradation Programme" (STUP) and "Small Industries Management Assistants Programme" (SIMAP).

STUP aims at enhancing technology profile of MSME units by way of 4-6 days full time programme or 8-12 days part time programme for owners/managers of MSMEs. The programme content is tailored depending upon the participants and/or the industry groups represented by them. The focus of the programme is more on specific aspects or specialised fields rather than on general management topics, viz. product/process technology, quality upgradation, environment management, marketing management, strategic management, financial management including working capital management etc. The programmes are generally non-residential in nature. Besides, subject inputs by expert faculty, case studies, group discussions, practical demonstrations and field visits to model units are included to have the desired impact.

SIMAP targets qualified unemployed as well as industry-sponsored candidates

अभ्यर्थियों को लक्षित करता है। यह एक 14 सप्ताह का गहन कार्यक्रम है, जिसमें कक्षा के साथ-साथ कार्य के दौरान प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें विशेष रूप से सूचना, जानकारी और एमएसएमई इकाइयों के प्रबन्धन से संबंधित कौशल जैसे: वित्तीय एवं परिचालनात्मक प्रबन्ध, माल सूची नियन्त्रण, विपणन एवं प्रचार, प्रभावी व्यवसाय संप्रेषण, नेतृत्व कौशल, बैंकिंग परिचालन, जन संपर्क, विधिक पहलू आदि विषय शामिल किए जाते हैं। इस प्रशिक्षण प्रणाली में केस अध्ययन, समूह परिचर्चा, सिम्युलेशन अभ्यास, संस्थाओं और फैक्टरियों में दौरे, क्षेत्र समनुदेशन आदि को शामिल किया जा सकता है।

सिडबी ने अपने आरम्भ से विशेषज्ञतापूर्ण संस्थानों जैसे: केन्द्रीय प्लास्टिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपैट), केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सीमैप) और अन्य प्रतिष्ठित तकनीकी/प्रबन्धन संस्थानों द्वारा आयोजित 1,550 स्टुप कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की, जिससे लगभग 32,500 प्रतिभागी लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त, प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य-स्तरीय संस्थानों जैसे: आईआईटी कानपुर/खड़गपुर/मुम्बई/चेन्नै/एक्सएलआरआई, जमशेदपुर, मणिपाल संस्थान, बैंगलोर द्वारा 300 सीमैप कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे 9,000 प्रतिभागियों को लाभ पहुँचा।

उद्यम-समूहों का विकास : सिडबी ने पूरे भारत में विभिन्न उद्यम-समूहों के लिए 90 से अधिक उद्यम-समूह विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की है। पिछले कुछ वर्षों में बैंक के उद्यम-समूह विकास कार्यक्रम में जो द्रष्टव्य परिवर्तन हुआ है, वह मूल रूप से प्रौद्योगिकी-उन्मुख कार्यक्रम के स्थान पर अधिक विस्तृत उद्यम-समूह दृष्टिकोण का अपनाया जाना है, जिसमें प्रबंधकीय पद्धतियाँ, बाज़ार संबंधी व्यवस्थाओं की स्थापना, उत्पाद/डिज़ाइन विकास, विभिन्न तकनीकी व्यापारों में कौशल

with the overall objective of providing competent managers to the MSME sector. It is a 14-week intensive programme with a mix of class room and on-the-job training. The topics included essentially cover information, knowledge and skills pertaining to the management of MSME units e.g. financial and operational management, inventory control, marketing and publicity, effective business communication, leadership skills, banking operations, public relationship, legal aspects, etc. The training methodology could include case studies, group discussions, simulation exercises, visits to institutions and factories, field assignments, etc.

Since its inception, SIDBI has supported 1,550 STUPs benefiting about 32,500 participants conducted by specialised institutions viz., Central Institute of Plastic Engineering & Technology (CIPET), Central Institute of Medicinal & Aromatic Plants (CIMAP) and other reputed technical/management institutions. Further, 300 SIMAPs have been conducted by top rung national and state level institutions such as IITs at Kanpur/Kharagpur/Mumbai/Chennai, XLRI, Jamshedpur, Manipal Institute, Bangalore benefiting about 9,000 participants.

Cluster Development: SIDBI has supported more than 90 Cluster Development Programmes (CDPs) in various clusters all over India. The paradigm shift in the Bank's CDPs during the last few years is basically from technology centric methodology to a more comprehensive cluster development approach which includes management practices, establishment of marketing linkages, product/design development,

उन्नयन, आदि शामिल हैं। इन गतिविधियों से लगभग 12,000 एमएसएमई कारीगर/उद्यमी लाभान्वित हुए।

vii. **अल्पसंख्यक वर्गों का विकास** : सच्चर समिति की सिफारिशों के अनुरूप, शाखा कार्यालयों को सूचित किया गया है कि विभिन्न संवर्द्धनशील एवं विकासपरक गतिविधियों के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों से अधिकतम संख्या में प्रतिभागी शामिल किए जाएँ। संचयी रूप से, अब तक विभिन्न विकासपरक गतिविधियों से अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 7,200 व्यक्ति प्रत्यक्षत: लाभान्वित हुए हैं, इनमें वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान लगभग 51 विकासपरक गतिविधियों के अन्तर्गत लाभान्वित 1,000 प्रतिभागी भी शामिल हैं।

viii. **विपणन गतिविधियाँ** : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की विपणन संबंधी समस्याओं के निराकरण और उनके उत्पादों के प्रदर्शन की जरूरत को अनुभव करते हुए सिडबी इस क्षेत्र के विपणन संबंधी प्रयासों के सृजन और उन्हें सुदृढ़ करने में भी संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने 38 महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों/सेमिनारों/गतिविधियों को सहायता प्रदान की, जिससे 9,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी लाभान्वित हुए। वर्ष के दौरान जिन महत्वपूर्ण विपणन गतिविधियों को सहायता प्रदान की गई, वे है: मुबई में इंडिया इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो, बेंगलुरू में स्मार्ट सिटीज एक्सपो-2015 तथा एयरोस्पेस एवं डीफैंस बिज़नेस हेतु लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता, बिलासपुर में राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मेला आदि। इसके अंतर्गत मुम्बई में ईईपीसी इंडिया द्वारा आयोजित 'इंडिया इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो' में सिडबी द्वारा थीम पैविलियन का प्रायोजन भी शामिल था।

ix. **नवोन्मेष और संपोषण को बढ़ावा** : देश भर में ज़मीनी स्तर की नवोन्मेषी गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें वाणिज्यिक स्वरूप प्रदान करने की दृष्टि से, सिडबी ने अत्यंत लघु उद्यम नवोन्मेष निधि (एमबीआईएफ) स्थापित

skill upgradation in different technical trades, etc. About 12,000 MSMEs/artisans/entrepreneurs have benefitted from these initiatives.

vii. **Minority Group Development:** As per the recommendations of Sachar Committee, the field offices have been advised to cover maximum number of participants from minority communities under various P&D activities. Cumulatively, about 7,200 persons from minority community have been directly benefited from various developmental activities so far including about 1,000 participants out of 51 developmental programmes during FY 2014-15.

viii. **Marketing Activities:** Having realised the need to address the marketing problems of MSME sector and displaying their products, SIDBI is also engaged in creating and strengthening marketing initiatives for the sector. During FY 2014-15, the Bank supported 38 important exhibitions/seminars/events benefiting more than 9,000 MSME entrepreneurs. Some of the important marketing events supported during the year were India Engineering Sourcing Show at Mumbai, Smart Cities Expo-2015 & Seminar on Financing SMEs for Aerospace and Defence Business at Bangalore, Rashtriya Udyog Vyapar Mela at Bilaspur, etc. This included sponsorship of SIDBI Theme Pavilion in 'India Engineering Sourcing Show' organised by EEPC India at Mumbai.

ix. **Promoting Innovation and Incubation:** With a view to identifying and commercialising grassroots innovations all over the country, the Bank had supported the National Innovation Foundation,

करने के लिए 2003 में राष्ट्रीय नवोन्मेष कोष, अहमदाबाद को समूह-निधि के रूप में ₹ 400 लाख तथा प्रशासनिक अनुदान के रूप में ₹ 100 लाख की सहायता दी है। उक्त निधि ने 31 मार्च, 2014 तक 194 नवोन्मेषों के लिए सहायता दी है। इसके अलावा, सफल उद्यमियों को बढ़ावा देने तथा लघु उद्यमों के ज्ञान व प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों में उद्योग विकसित करने की दृष्टि से, सिडबी ने 2002 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में सिडबी नवोन्मेष एवं संपोषण केंद्र की स्थापना के लिए सहायता दी थी। सिडबी नवोन्मेष एवं संपोषण केंद्र ने अब तक नवीनतम प्रौद्योगिकियों वाले विभिन्न क्षेत्रों में 52 स्टार्ट-अप उद्यमों का संवर्द्धन किया है, जिनमें से 31 उद्यम सफलतापूर्वक निकल चुके हैं। सिडबी ने कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर में भी नवोन्मेष केन्द्र की स्थापना की है।

x. **पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु सिडबी की सहायता (एनईआर) :** बैंक अल्पवित्त, ग्रामीण उद्योगीकरण, हस्तशिल्प समूह विकास, उद्यमिता विकास, विपणन सहायता, आदि के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष एवं केंद्रित

Ahmedabad by way of corpus support of ₹ 400 lakh and administrative grant of ₹ 100 lakh to set up Micro Venture Innovation Fund (MVIF) in 2003. As on March 31, 2015, the fund has supported about 194 innovations. Further, with a view to foster successful entrepreneurs and develop industry in the knowledge and technology based areas in the small enterprises, SIDBI had supported setting up of SIDBI Innovation and Incubation Centre (SIIC) at Indian Institute of Technology, Kanpur in January 2002. SIIC has so far incubated 52 start-ups in diverse areas of state of the art technologies out of which 31 have already graduated. SIDBI also set up Innovation Centre at Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), Bhubaneswar.

x. **SIDBI's support for North Eastern Region (NER) :** The Bank accords special and focused attention to the development of North Eastern Region (NER) in terms

सिडबी द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
Skill Development Training Programmes by SIDBI

रूप से ध्यान देता है। पूर्वोत्तर में जिन कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की गयी उनके विवरण निम्नवत् है :

- बैंक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 356 से अधिक उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की है, जिसमें 15,000 से अधिक उदीयमान उद्यमी लाभान्वित हुए हैं, 30 कौशल विकास कार्यक्रम(व्यावसायिक) आयोजित किए गए, जिससे 960 से अधिक व्यक्तियों को लाभ पहुँचा और लगभग 112 प्रदर्शनियाँ/सेमिनार/कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें 15,150 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए।
- बैंक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में 49 उद्यम-समूह विकास कार्यक्रमों (वित्तीय वर्ष 2014-15 में हथकरघा और सजावटी वस्त्र सामग्री पर 3 कार्यक्रमों सहित) को सहायता दी है, जिनमें बाँस चटाई की बुनाई, कार्पेट बुनाई, हस्तशिल्प, हथकरघा बुनाई, पॉटरी, मधुमक्खी पालन, मछलियों

of micro finance, rural industrialisation, handicraft cluster development, entrepreneurship development, marketing support, etc. The details of programmes supported in NER are as under:

- The Bank has supported more than 356 EDPs in NER benefiting over 15,000 budding entrepreneurs, 30 skill development programmes (vocational) benefitting over 960 persons and almost 112 exhibitions/seminars/ workshops benefitting over 15,150 participants.
- The Bank has supported 49 Cluster Development Programmes (CDPs) (including 3 in FY 2014-15 on handloom and making decorative dress materials) in different states of NER covering activities like bamboo

सिडबी द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम
Women Empowerment Programme by SIDBI

के लिए खाद्य उत्पाद बनाना आदि गतिविधियाँ शामिल हैं। इन उद्यम-समूह विकास प्रयासों से लगभग 7,000 कारीगर लाभान्वित हुए हैं।

- बैंक ने समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब तक लगभग 156 कौशल-सह-प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम (स्टुप) आयोजित किए हैं, जिससे समग्र उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 4,800 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए।
- बैंक के सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रम के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब तक 23 जिलों को शामिल किया जा चुका है, जिसमें वित्तवर्ष 2014-15 में असम के सोनितपुर ज़िले में शुरू किया गया सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रम भी समाहित है। इन सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 2,460 इकाइयों का प्रवर्तन किया गया है।

mat weaving, carpet weaving, handicrafts, handloom weaving, pottery, bee keeping, making fish feed products, etc. These cluster development initiatives have benefited around 7,000 artisans.

- The Bank has so far conducted about 156 Skill cum Technology Upgradation Programmes (STUPs) benefiting over 4,800 participants in the entire NER.

  Under the Bank's Micro Enterprises Promotion Programme (MEPP), 23 districts in NER have been covered so far including the MEPP launched at Sonitpur district in Assam in FY 2014-15. These MEPPs have resulted in promotion of about 2,460 units.

सिडबी द्वारा अल्पवित्त सहायता
Microfinance assistance by SIDBI

- पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (नेडफी) के साथ मार्च 2012 में एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया था, जिसका लक्ष्य सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम वित्त, अल्पवित्त सहित विभिन्न वित्तीय एवं विकासपरक सेवाएँ उपलब्ध कराना एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में विविध संवर्द्धनशील एवं विकासपरक गतिविधियाँ संचालित करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ऋण परामर्श केंद्र/व्यवसाय सुगमता केंद्र भी खोले गए हैं। वर्तमान में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस प्रकार के 8 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन व्यवसाय सुगमता केंद्रों में शिलांग (मेघालय), सिलचर (असम), आइजॉल (मिजोरम), गंगटोक (सिक्किम), अगरतला (त्रिपुरा), कोहिमा (नागालैंड), ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) एवं इंफाल (मणिपुर) शामिल हैं। उपर्युक्त व्यवसाय सुगमता केंद्रों के अलावा गुवाहाटी में नेडफी के कार्यालय में 'उद्यमी कोष्ठ' भी स्थापित किया गया है।

- An MoU was executed with NEDFi in March 2012 for providing various financial and developmental services including MSME Finance, micro finance and also for undertaking various P & D activities in NER. Under this arrangement, Credit Counseling Centres/Business Facilitation Centres (BFCs) were also opened. Presently, there are 8 (eight) such centres operational in NER. The BFCs include Shillong (Meghalaya), Silchar (Assam), Aizawl (Mizoram), Gangtok (Sikkim), Agartala (Tripura), Kohima (Nagaland), Itanagar (Arunachal Pradesh) and Imphal (Manipur). Apart from above BFCs, an Entrepreneurs' Corner has been set up in NEDFi Office at Guwahati.

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

4

सिडबी की रणनीतिक बैठक
SIDBI's strategic meeting

सिडबी की सहायता का प्रभाव

Impact of SIDBI's Assistance

सिडबी एक शीर्ष संस्था होने के नाते, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (सूलम) उद्यमों तक पहुँच बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (सूलम) उद्यमों को वित्तीय एवं विकासात्मक सहायता सेवाएं प्रदान करके अतिसक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहा है। 1990 में इसकी स्थापना से लेकर पिछले 25 वर्ष के दौरान इसके आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणिक प्रभाव के उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार हैं :

आर्थिक प्रभाव

- मार्च, 2015 की समाप्ति तक, सिडबी की विशिष्ट योजनाओं जैसे- जोखिम पूँजी, टिकाऊ वित्त, ऊर्जा दक्षता तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पाद, प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण, प्राप्य वित्त योजना को शामिल करते हुए, अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष वित्त, दोनों तरह की योजनाओं के अंतर्गत लगभग 346 लाख व्यक्तियों को कुल ₹ 3.90 लाख करोड़ का संचयी संवितरण प्रदान किया जा चुका है।

- संतुलित क्षेत्रीय विकास लाने के लिए, सिडबी द्वारा अपेक्षाकृत रूप से अल्प विकसित औद्योगिक राज्यों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। पिछले वर्षों के दौरान, अल्प सेवित राज्यों में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रवाह में वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र के असम और मणिपुर राज्यों में नए प्रयास किए गए। इन राज्यों में 100% ऋण वृद्धि हुई है। अन्य राज्यों जैसे ओड़ीशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने भी प्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के अंतर्गत अच्छी ऋण वृद्धि प्रदर्शित की है।

- इसी प्रकार अप्रत्यक्ष वित्त के मामले में भी, अल्प विकसित राज्यों जैसे ओड़ीशा और उत्तर प्रदेश में ऋण-प्रवाह में वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय विकास में होने वाले असंतुलन को नियंत्रित करने में इसका योगदान रहा है।

- साथ ही, सिडबी की अल्प वित्त सहायता मुख्यत: ग्रामीण भागों में है, जिसमें असेवित एवं अल्पसेवित राज्यों, जिनमें मुख्यत: महिलाएँ हैं, पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है।

As an apex institution, SIDBI is playing a very proactive role in reaching out to MSMEs by extending financial and developmental support services to MSMEs. Its economic, social and environmental impact over a period of 25 years since its inception in 1990 is highlighted below:

Economic Impact

- Cumulative disbursement of SIDBI under both its indirect and direct finance including niche financing like risk capital, sustainable finance, energy efficiency and cleaner production, technology innovation, receivable financing amounted to ₹ 3.90 lakh crore benefitting about 346 lakh persons as at end-March 2015.

- To bring balanced regional development, SIDBI has taken steps to increase credit flow to relatively less developed industrial states. Over the years, there is increase in direct credit flow to many of the underserved states. During the year, new initiatives were taken in the North Eastern states of Assam and Manipur. There has been 100% credit growth in these states. Other states such as Odisha, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal have also shown good credit growth under the Direct Finance Schemes.

- Similarly, in the case of indirect finance, there has been increase in credit flow to less developed states like Odisha and Uttar Pradesh. This has contributed towards mitigating imbalances in regional development.

- Furthermore, SIDBI's micro finance support is mainly in the rural areas with increasing thrust on unserved and underserved states mostly being women.

पर्यावरणीय प्रभाव

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के पर्यावरण-अनुकूल विकास की आवश्यकता को पहचानते हुए, सिडबी की कारोबारी रणनीति इस क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता (ईई) तथा स्वच्छतर उत्पादन (सीपी) को बढ़ावा देने की रही है। सिडबी के इन टिकाऊ प्रयासों का प्रभाव नीचे वर्णित है :

- 31 मार्च, 2015 तक, ऊर्जा दक्षता (ईई) तथा स्वच्छतर उत्पादन (सीपी) के लिए लगभग 6,000 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कुल लगभग ₹ 5,798 करोड़ की राशि की मंजूरी और ₹ 5,165 करोड़ से अधिक की राशि का संवितरण किया जा चुका है, जिसके परिणामस्वरूप 1,043 मिलियन किलो वॉट घंटे (MkWh) की विद्युत की बचत हुई तथा कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में 909 किलो टन की वार्षिक कमी आई।
- विश्व बैंक के नेतृत्ववाली वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ़) परियोजना के अन्तर्गत 35 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिन में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/राज्य वित्तीय निगमों/सनदी लेखाकारों/वित्तीय पेशे आदि से संबंद्ध लगभग 1,100 प्रतिभागियों को ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण पर जागरूक/प्रशिक्षित किया गया। अब तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्मिकों और अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है।
- अनुमान है कि ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखिम सहभागिता सुविधा परियोजना के अन्तर्गत 500 से अधिक एस्को कार्यान्वित ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी। इससे 127 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण जुटेगा। इसके अतिरिक्त, यह आशा भी की जाती है कि इस परियोजना के परिणामस्वरूप 1,000 जी डब्ल्यू एच की महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत होगी तथा कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में 0.734 मिलियन टन की कमी होगी।

Environmental Impact

Recognizing the need for environment friendly development of MSME sector, SIDBI's business strategy is to promote energy efficiency [EE] and cleaner production (CP) in the MSME sector. The impact of SIDBI's sustainable initiatives is mentioned below:

- As on March 31, 2015, an aggregate assistance of approximately ₹ 5,798 crore has been sanctioned and an amount of more than ₹ 5,165 crore has been disbursed to around 6,000 MSMEs for promoting EE & CP, which have resulted in saving of 1,043 Million Kilo Watt Hour (MkWh) of electricity and a reduction of 909 kilo tons (kT) of CO_2 annually.
- Under the World Bank led Global Environment Facility (GEF) project, more than 35 training programs were conducted, under which around 1,100 participants from banks/FIs/NBFC/SFCs/CAs/financial professionals, etc. have been sensitized/trained on Energy Efficiency financing. The officials from nationalized banks and other NBFCs, Cooperative Banks representative have participated in training programs conducted so far.
- The Partial Risk Sharing Facility for Energy Effciency (PRSF) project is expected to provide credit guarantee to more than 500 ESCO implemented EE projects which would mobilize financing to the tune of USD 127 million. Further, the project is also expected to result into significant energy savings to the tune of 1,000 GWh and mitigation of CO_2 emissions reductions to the tune of 0.734 million tons.

सामाजिक प्रभाव

सिडबी द्वारा कराए गए विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया है कि सिडबी की अल्पवित्त सहायता ने निर्धनों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में सहायता की है। जीवनयापन के वैकल्पिक अतिरिक्त अवसरों का सृजन करके उनके जीवन की गुणवत्ता सुधारी है, शोषण करने वाले अनौपचारिक ऋण-स्रोतों पर उनकी निर्भरता को घटाया है, पारिवारिक और व्यावसायिक निर्णय लेने में भागीदारी को बढ़ाया है, वित्तीय मामलों की जानकारी में वृद्धि की है, सामाजिक सुरक्षा परिसंपत्ति की स्थिति में सुधार किया है और उनके स्वास्थ्य व शैक्षिक मानदंडों में भी सुधार किया है।

एशियन डेवलपमेण्ट बैंक (एडीबी) - जेएफपीआर की महिला सशक्तीकरण हेतु सूक्ष्म उद्यमिता सहायता नामक परियोजना के अन्तर्गत सूक्षम-उद्यमी महिलाओं के प्रशिक्षण के उपरान्त अंतर्दृष्टि विकास परामर्श समूह (आईडीसीजी) ने अंतिम-रेखा (एण्ड-लाईन) सर्वेक्षण किया है, जिसमें निम्नलिखित परिवर्तनों की जानकारी दी गयी है:

- 90% महिला सूक्ष्म उद्यमियों ने अपने व्यवसाय के योगदान से पारिवारिक आय में वृद्धि रिपोर्ट की है।
- उनमें से 80% ने पारिवारिक निर्णय-प्रक्रिया में बढ़ी हुई भागीदारी की सूचना दी।
- उनमें से 75% ने अपने व्यवसाय संबंधी निर्णयों की भागीदारी में वृद्धि रिपोर्ट की है।
- उनमें से 75% ने सामाजिक सुरक्षा और परिसंपत्ति स्थिति में सुधार अनुभव किया है।
- 65% ने महिला सूक्ष्म उद्यमियों की गतिशीलता में सुधार रिपोर्ट किया है।
- 77% महिलाएँ ₹ 50,000 या अधिक के ऋण आसानी से प्राप्त कर सकीं।
- उनमें से 90% अपनी औसत मासिक बिक्री और कुल कारोबार को बढ़ा सकीं।
- उनमें से 81% ने वित्तीय मामलों में अपनी जानकारी को बढाया।

Social Impact

It has been observed from the various studies conducted by SIDBI that microfinance assistance from SIDBI has helped the poor in accessing financial services, improving the quality of their life through creation of alternative additional livelihood opportunities, reducing their dependence on the exploitative informal sources of credit, increased participation in family and business decision making, enhanced knowledge on financial matters, improved social security, asset status and improvement in health and education parameters.

Under the ADB-JFPR Project of Supporting Micro entrepreneurship for Women's Empowerment, Insight Development Consulting Group (IDCG) conducted end-line survey after training of women micro-entrepreneurs who reported the following changes:

- 90% of women micro entrepreneurs reported increased family income from contribution of their businesses;
- 80% of them reported increased participation in family decision making;
- 75% of them reported increased participation in decisions regarding their business;
- 75% of them felt improved social security and asset status;
- 65% reported improved mobility of women micro entrepreneurs;
- 77% of women could access easier credit of ₹ 50,000 or more;
- 90% of them could increase their average monthly sales & business turnover;
- 81% of them attained increased knowledge on financial matters.

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

5

विभाग संबंधी उद्योग आधारित स्थायी संसदीय समिति का दौरा

Visit of Department related Parliamentary Standing Committee on Industry

प्रबंधन एवं निगमित अभिशासन

Management and Corporate Governance

सिडबी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की एक प्रमुख वित्तीय संस्था होने के नाते निगमित सामाजिक दायित्व और उत्तम नैगम अभिशासन को न केवल आत्मसात करता है, बल्कि उसे एमएसएमई क्षेत्र तथा अपने साथ काम करने वाली संस्थाओं में भी विकसित करने का प्रयास करता है। सिडबी अपने सभी हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है, ताकि एमएसएमई पारितंत्र की मुख्य प्राथमिकताओं तथा अनिवार्य आवश्यकताओं/अंतरालों पर ध्यान दिया जा सके। सिडबी की उत्तम नैगम अभिशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ नीचे के अनुच्छेदों में दर्शाई जा रही हैं:

निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की समितियां

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 में पंद्रह सदस्यीय निदेशक मंडल का प्रावधान है। इनमें से आठ निदेशकों को केंद्र सरकार नियुक्त/नामित करती है, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी पदाधिकारी तथा विशेष ज्ञान वाले अथवा प्रोफेशनल अनुभव वाले तीन विशेषज्ञ (जिनमें से एक राज्य वित्त निगम से होता है) शामिल होते हैं। शेष सात निदेशकों में से तीन का नामांकन सबसे बड़ी शेयरधारिता वाली उन तीन संस्थाओं, बैंकों तथा बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है, जो केंद्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन हैं। चार निदेशक आम शेयरधारकों द्वारा चुने जाते हैं अथवा वैकल्पिक रूप से, जब तक चुने गए निदेशक प्रभार नहीं कर लेते। तब तक के लिए निदेशक मंडल द्वारा सहयोजित किए जा सकते हैं, यथा 31 मार्च 2015 को निदेशक मंडल में नौ निदेशक थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं।

सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6(1)(क) में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अपनी दिनांक 27 फरवरी 2015 की अधिसूचना द्वारा श्री क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस को सिडबी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस ने 2 मार्च 2015 को बतौर सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्य-भार सँभाला।

SIDBI, being the principal financial institution for the MSME sector, not only imbibes the corporate social responsibility and good corporate governance within, but also attempts to inculcate the same in the MSME sector and the institutions it deals with. SIDBI has constantly been interacting with all its stakeholders for attending to the key priorities and pressing needs/gaps in the MSME eco-system. The highlights of SIDBI's good corporate governance system are enumerated in the following paragraphs.

Board of Directors/Committees of the Board

The Small Industries Development Bank of India Act, 1989 provides for a fifteen-member Board of Directors. Out of these, eight Directors are appointed/nominated by the Central Government comprising Chairman and Managing Director (CMD), two whole time Directors, two Government officials and three experts (including one from State Financial Corporations) having special knowledge or professional experience. Out of the remaining seven Directors, three are nominated by the three largest shareholding institutions, banks and insurance companies owned or controlled by the Central Government, while four are to be elected by the public shareholders or alternatively, can be co-opted by the Board until assumption of charge by the elected Directors. The Board, as on March 31, 2015, comprised nine Directors, including CMD.

In exercise of the powers conferred by Section 6(1)(a) of the SIDBI Act, 1989 the Central Government, vide its notification dated February 27, 2015, appointed Dr. Kshatrapati Shivaji, IAS as CMD of SIDBI. Dr. Kshatrapati Shivaji, IAS, took charge as CMD on March 2, 2015.

श्री एन.के.मैनी, उप प्रबंध निदेशक अधिवर्षिता की उम्र पर पहुँचने के फलस्वरूप 27 फरवरी 2015 को (28 फरवरी 2015 को अवकाश होने के कारण) कार्यदिवस की समाप्ति पर पद-भार से मुक्त हुए।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 की धारा 6(1)(ग) के जरिए केंद्र सरकार द्वारा सिडबी निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित श्री अमरेन्द्र सिंह नामांकन की अपनी कार्य समाप्ति पर निदेशक-कार्य से 23 जनवरी 2015 को सेवानिवृत्त हुए।

सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6(1)(ङ) में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अपनी दिनांक 15 सितंबर 2014 की अधिसूचना द्वारा प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश वित्तीय निगम को सिडबी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया। वर्तमान में, श्री के.सी.गुप्ता, आईएएस ने प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का अतिरिक्त प्रभार सँभाला हुआ है।

श्री बी. मणिवन्नन के सिडबी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में तीन वर्षों की दो अवधियों को पूरा करने के परिणामस्वरूप, भारतीय जीवन निगम ने अपनी दिनांक 21 अक्तूबर 2014 की सूचना के माध्यम से श्री बी. मणिवन्नन के स्थान पर सिडबी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में श्री एस. हरिहरन, सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक को नामित किया है।

सिडबी के निदेशक मंडल से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए निदेशक मंडल उनकी भूरिश: प्रशंसा करता है।

विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने दस समितियां गठित की हैं, जो इस प्रकार हैं - कार्यपालक समिति (ईसी), लेखापरीक्षा समिति (एसी), जोखिम प्रबंध समिति (आरआईएमसी), राज्य वित्तीय निगम पर्यवेक्षण समिति (सीएफएस), उच्च राशि धोखाधड़ी विशेष निगरानी समिति (एससीएमएलवीएफ), सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी), ग्राहक सेवा समिति (सीएससी), मानव

Shri N.K. Maini, Deputy Managing Director, on attaining the age of superannuation, demitted the office at the close of business on February 27, 2015 (February 28th being a holiday).

Shri Amarendra Sinha, nominated by the Central Government as a Director on the Board of SIDBI under Section 6(1)(c) of the SIDBI Act, retired from the directorship with effect from January 23, 2015 on completion of his tenure of nomination.

The Central Government, vide its notification dated September 15, 2014, nominated the Managing Director (MD), Madhya Pradesh Financial Corporation (MPFC), as a Director on the Board of SIDBI, in exercise of the powers conferred by Section 6(1)(e) of the SIDBI Act, 1989. Presently, Shri K.C. Gupta, IAS, is holding the additional charge of MD, MPFC.

Consequent upon Shri B. Manivannan completing two terms of three years as a Director on the Board of SIDBI, Life Insurance Corporation of India, vide its communication dated October 21, 2014, has nominated Shri S. Hariharan, retired Executive Director, as a Director on the Board of SIDBI in place of of Shri Manivannan.

The Board placed on record its high sense of appreciation of the valuable contributions made by the Directors who retired from the Board of SIDBI.

With the objective of giving focussed attention to various important issues, the Board has constituted ten Committees viz., Executive Committee (EC), Audit Committee (AC), Risk Management Committee (RiMC), Committee for Supervision of SFCs (CfS), Special Committee to Monitor Large Value Frauds (SCMLVF), Information Technology Strategy Committee (ITSC), Customer Service Committee (CSC),

संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी),वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) तथा परिश्रमिक समिति।

एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक के ऋण प्रस्तावों पर मंजूरी तथा इस प्रकार के अन्य परिचालन मामलों पर कार्यपालक समिति विचार करती है। लेखा-परीक्षा समिति, लेखा-परीक्षा उद्भाग के कार्यों के पर्यवेक्षण और उसकी मुख्य-मुख्य टिप्पणियों की समीक्षा संबंधी कार्यों के साथ-साथ बैंक के लेखा को अंतिम रूप देने और भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों से संबन्धित मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करती है। जोखिम प्रबंध समिति बैंक के एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति निर्धारित करती है। सीएफएस राज्य वित्तीय निगमों से संबन्धित सभी नीतियों/मामलों में बैंक का मार्गदर्शन करती है।

एक करोड़ रूपये और उससे अधिक की धोखाधड़ी की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एससीएमएलवीएफ का गठन किया गया है। आईटीएससी बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यों, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि, नीति एवं रणनीति के संबंध में निदेश देती है, ताकि वह व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप हो सके। इसके अलावा यह समिति सूचना प्रौद्योगिकी की दीर्घकालिक योजना तैयार करने में बैंक का मार्गदर्शन करती है और सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन एवं प्रबंधन का पर्यवेक्षण करती है।

नैगम अभिशासन ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए नीतियाँ तैयार करने और आंतरिक रूप से उनके अनुपालन का आकलन करने तथा बैंक द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार लाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने सीएससी गठित की है। निदेशक मंडल को मानव संसाधन के मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करने और सुझाव संस्तुतियां देने के उद्देश्य से एचआरएससी का गठन किया गया है। इसके अलावा ₹ 3 करोड़ और उससे अधिक के मूलधन बकाया वाले सभी एनपीए प्रस्तावों की समीक्षा के लिए आरआरसी गठित की गई है।

भारत सरकार ने बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए

HR Steering Committee (HRSC), Recovery Review Committee (RRC) and Remuneration Committee.

Sanctions relating to credit proposals above a threshold limit and other such operational matters are considered by the EC. The AC, in addition to overseeing the functioning of the Audit Vertical and reviewing its major observations, also provides guidance in matters relating to finalisation of accounts of the Bank and observations made in RBI Inspection report. The RiMC lays down policy and strategy for Integrated Risk Management of the Bank. The CfS guides the Bank in respect of all the policies/matters pertaining to State Financial Corporations.

With a view to providing focused attention on monitoring of frauds involving amounts of rupees one crore and above, SCMLVF has been constituted in terms of the guidelines of Reserve Bank of India. The ITSC gives direction to the Bank's IT function, especially with regard to IT vision, policy and strategy so as to align with business objectives. In addition, the Committee also guides the Bank in framing its long term IT plan and provides oversight of IT implementation and management.

To enable the Bank to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthening the corporate governance structure and also to bring about ongoing improvements in the quality of customer service provided by the Bank, the Board has constituted CSC. HRSC has been constituted to guide and give suggestions/recommendations to the Board in HR matters. Further, to review all NPA cases having principal outstanding of ₹ 3 crore and above, RRC has been constituted.

The Government of India (GoI) introduced performance incentive scheme for the

कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन योजना आरंभ की और इस उद्देश्य हेतु भारत सरकार के निदेशानुसार निदेशक मंडल की ''पारिश्रमिक समिति'' गठित की गई है। इस समिति ने वर्ष के दौरान एक बैठक की।

उक्त समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त और उनके निर्णय निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की छह बैठकें हुई, जबकि निदेशक मंडल की समितियों यानी कार्यपालक समिति, लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, राज्य वित्तीय निगम पर्यवेक्षण समिति, उच्च राशि धोखा-धड़ी विशेष निगरानी समिति, सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति, ग्राहक सेवा समिति, मानव संसाधन संचालन समिति और वसूली समीक्षा समिति ने क्रमश: तेरह, आठ, पाँच, तीन, चार, चार, तीन, दो और तीन बैठकें की।

शेयरधारिता का स्वरूप

सिडबी के शेयर केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली तैंतीस संस्थाओं/सावर्जनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों द्वारा धारित हैं। आईडीबीआई बैंक लि., भारतीय स्टेट बैंक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम इसके तीन सबसे बड़े शेयर धारक हैं।

आस्ति देयता प्रबंध समिति

बैंक की आस्ति देयता प्रबंध नीति के अनुरूप, अस्ति देयता प्रबंध समिति की अध्यक्षता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं और उप प्रबंध निदेशक तथा बैंक के जोखिम प्रबंधन, ऋण, संसाधन और राजकोष तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्भागों के प्रमुख अन्य वरिष्ठ कार्यपालक इसके सदस्य होते हैं। आस्ति देयता प्रबंध समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, समय- समय पर बैंक के तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम की समीक्षा और निगरानी करती है। बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों तथा बैंक की आस्ति-देयता प्रबंध नीति के अनुसार परिचालित होती है। बैंक की आस्ति-देयता

Whole Time Directors of the Bank and for that purpose, as per the directives of GoI, a "Remuneration Committee" of Board of Directors has been constituted. The Committee met once during the year.

Minutes of the meetings of the Committees, containing decisions taken, are submitted to the Board.

The Board held six meetings during the year while the Committees of the Board viz., the Executive Committee, Audit Committee, Risk Management Committee, Committee for Supervision of SFCs, Special Committee to Monitor Large Value Frauds, Information Technology Strategy Committee, Customer Service Committee, HR Steering Committee and Recovery Review Committee held thirteen, eight, five, three, four, four, three, two and three meetings, respectively.

Shareholding Pattern

The shares of SIDBI are held by thirty three institutions/public sector banks/insurance companies owned or controlled by Central Government, with IDBI Bank Ltd., State Bank of India and Life Insurance Corporation of India as its three largest shareholders.

Asset Liability Management Committee

In terms of the Asset Liability Management Policy of the Bank, the Asset Liability Management Committee (ALCO) is headed by the Chairman & Managing Director and comprises Deputy Managing Directors and other senior executives of the Bank heading Risk Management, Credit, Resources & Treasury and Information Technology Verticals as its members. ALCO, inter alia, reviews and monitors the liquidity risk and interest rate risk in the Bank. The ALM system in the Bank is guided by the extant RBI guidelines and the ALM Policy of the Bank. The ALM

प्रबंध नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि विद्यमान नियामक आवश्यकताओं तथा बैंक के परिवर्तनशील आस्ति-देयता स्वरूप के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की 13 बैठकें हुईं, जिनमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई - जैसे बैंक की मूल दर में संशोधन, विभिन्न सहायता योजनाओं के अंतर्गत ब्याज दरों की समीक्षा, संसाधन संग्रहण की स्थिति, सावधि जमा योजना हेतु ब्याज दर संरचना की समीक्षा, बैंकों से सीपी, बाण्ड तथा सावधि ऋणों के माध्यम से उधारी, बैंक की शुद्ध ब्याज आय और शुद्ध ब्याज मार्जिन में हुए परिवर्तन तथा विदेशी ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत आहरणों के संदर्भ में मुद्रा जोखिम के बचाव आदि।

निवेश समिति

बैंक की निवेश समिति बैंक की निवेश नीति तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के दायरे में रहते हुए बैंक के निवेश संविभाग के संबंध में रणनीतियां बनाती हैं और निवेश के विभिन्न विकल्पों की सिफारिश करती है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निवेश समिति की 5 बार बैठके हुईं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न निवेश तथा विनिवेश प्रस्तावों एएफएस से सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय, सरकारी प्रतिभूतियों के एचएफटी से एएफएस में अंतरण, म्युच्युअल फंडों में निवेश-सीमा की समीक्षा, प्राथमिक बाज़ार के माध्यम से अर्जित ईक्विटी निवेश व निवेश से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।

उद्यम जोखिम प्रबंध समिति

उद्यम जोखिम प्रबंध समिति बैंक में जोखिम प्रबंध संरचना के विकास, समग्र क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदार है। यह समिति बैंक की ऋण एवं परिचालनगत जोखिम प्रबन्ध नीतियों एवं रणनीतियों के निर्माण हेतु सिफारिशें देने तथा आस्ति बही में जोखिमों के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। उद्यम जोखिम प्रबंध समिति निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति के पर्यवेक्षण के अंतर्गत बैंक के संविभाग में समग्र जोखिम संरचना का मूल्यांकन तथा प्रबंधन करती है।

Policy is reviewed from time to time to bring in necessary changes in line with extant regulatory requirements and the changing asset liability profile of the Bank. During FY 2014-15, the Committee met on 13 occasions and deliberated on various issues such as revision in Prime Lending Rate (PLR) of the Bank, review of interest rate under various schemes of assistance, status of resource mobilization, revision in the interest rate structures of Fixed Deposits Scheme, borrowing through CPs, bonds and term loans from banks, movement in Net Interest Income (NII) and Net Interest Margin (NIM) of the Bank and hedging of drawals under foreign lines of credit, etc.

Investment Committee

The Investment Committee of the Bank formulates strategies as well as recommends various investment options with regard to the Bank's investment portfolio within the scope of the Investment Policy of the Bank and relevant RBI guidelines issued from time to time. The Investment Committee met 5 times during FY 2014-15 to, inter alia, deliberate upon various investment and divestment proposals, sale of government securities from Available for Sale (AFS), shifting of government securities from Held for Trading (HFT) to AFS, review of mutual fund exposure limits, review of equity investments acquired through primary market and other investment related issues.

Enterprise Risk Management Committee

The Enterprise Risk Management Committee (ERMC) is responsible for the development, overall implementation and supervision of the risk management framework in the Bank. ERMC is responsible for providing recommendations to formulate the Credit and Operational Risk Management policies and strategies for the Bank and manage the risks on

जोखिम एवं सूचना सुरक्षा समिति

जोखिम एवं सूचना सुरक्षा समिति कार्यपालकों की एक बहुविध प्रकार्य समिति है, जो सूचना सुरक्षा के पहलुओं को देखती है तथा सूचना सुरक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विभिन्न जोखिमों को कम करने का प्रयास करती है। यह समिति सुरक्षा कार्यक्रम का संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ मेल सुनिश्चित करती है। यह संगठनात्मक बदलाव करते हुए ऐसी संस्कृति के विकास में भी सहायक है, जो सुरक्षा की अच्छी परिपाटियों और नीतियों के अनुपालन को प्रोत्साहित करे।

आंतरिक शिकायत समिति

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण या उससे जुड़े अथवा उसके लिए प्रासंगिक मामलों के लिए चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नई दिल्ली में आंतरिक शिकायत समितियां गठित की हैं। समितियों को वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली।

आंतरिक लेखा-परीक्षा

बैंक में नैगम अभिशासन को मजबूत बनाने और आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने तथा जोखिम प्रबंधन में सुधार लाने के और प्रबंधन के उद्देश्यों का अनुपालन करने में बैंक की आंतरिक लेखा-परीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

लेखा-परीक्षा उद्भाग नियमित रूप से विभिन्न लेखा-परीक्षा कक्षों के माध्यम से शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा चुनिन्दा प्रधान कार्यालय उद्भागों की परिचालनगत लेखा-परीक्षा, प्रधान कार्यालय उद्भागों की प्रबंधन लेखा-परीक्षा, कोष व निधि प्रबंधन उद्भाग की ऋण शोधन गतिविधियों की संव्यवहार लेखा-परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा आदि करता रहा है। इसके अतिरिक्त, लेखा-परीक्षा उद्भाग बाह्य लेखा-परीक्षा फर्म द्वारा की गई कोष व निधि प्रबंधन उद्भाग की मासिक समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करता है। कोष व निधि प्रबंधन

the asset book. ERMC under the supervision of Risk Management Committee of the Board evaluates and manages overall risk composition in the Bank's portfolio.

Risk and Information Security Committee (RISC)

Risk and Information Security Committee [RISC] is a cross functional committee of executives, which looks after Information Security [IS] and attempts to mitigate various IS and IT related risks. RISC ensures alignment of the security programme with organizational objectives. It is also instrumental in achieving organisational change towards a culture that promotes good security practices and compliance with policies.

Internal Complaints Committee

As per the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Bank has in place Internal Complaints Committees at Chennai, Kolkata, Lucknow, Mumbai and New Delhi for redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto. During the year, no complaint of sexual harassment was received by the Committees.

Internal Audit

Internal Audit of the Bank plays a pivotal role in strengthening Corporate Governance and complying with Management objectives to strengthen internal control and improve Risk Management.

Audit Vertical has been carrying out Operational Audit (OA) of Branch Offices (BOs), Regional Offices (ROs) and select HO Verticals through various Audit Cells (AC), Management Audit (MA) of Head Office (HO) Verticals,

उद्भाग की समवर्ती लेखा-परीक्षा में कोष व निधि प्रबंधन उद्भाग के कोषीय परिचालन, अर्थात मुद्रा बाजार परिचालन तथा डीलिंग रुम परिचालन शामिल हैं। बैंक क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रत्यक्ष ऋण योजनाओं के अंतर्गत खातों के संबंध में जहाँ ऋण जोखिम ₹ 300 लाख से अधिक है तथा जहाँ बकाया ₹ 300 लाख से कम है, वहाँ मामलों के 10% की नमूने के आधार पर ऋण लेखा-परीक्षा भी करवा रहा है।

बैंक ने बाह्य सनदी लेखाकार फ़र्मों के माध्यम से चुनिन्दा 29 शाखा कार्यालयों में समवर्ती लेखा-परीक्षा प्रणाली आरंभ की है, यह कुल मिलाकर बैंक के प्रत्यक्ष ऋण परिचालनों का 90% हो जाता है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान जिन क्षेत्रों में सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा की गई, वे हैं (i) एंटरप्राईज़ सिस्टम आर्किटेक्चर अनुप्रयोग के कुछ माड्युल्स की एप्लीकेशन साप्टवेयर लेखा-परीक्षा, (ii) डाटा सेंटर एवं डिसास्टर रिकवरी साइट सहित 32 कार्यालयों की सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण समीक्षा और (iii) डाटा सेंटर एवं डी आर साइट की नेटवर्क व सुरक्षा लेखा-परीक्षा।

वर्ष के दौरान 974 लेखा-परीक्षाएँ की गई, जिनमें 126 परिचालनगत लेखा-परीक्षाएँ, 4 विशेष लेखा-परीक्षाएँ, 13 प्रबंधन लेखा-परीक्षाएँ, कोष व निधि प्रबंधन उद्भाग की 12 समवर्ती लेखा-परीक्षाएँ, शाखा कार्यालयों की 318 समवर्ती लेखा-परीक्षाएँ, कोष व निधि प्रबंधन उद्भाग की ऋण शोधन गतिविधियों की 12 संव्यवहार लेखा-परीक्षाएँ, 457 ऋण लेखा-परीक्षाएँ तथा 32 सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षाएँ शामिल हैं। लेखा-परीक्षा उद्भाग लेखा-परीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन की स्थिति पर मासिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है एवं रिपोर्टों को समयबद्ध बंद करना / टिप्पणियों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

लेखा-परीक्षा उद्भाग, सांविधिक लेखा-परीक्षकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण दल की टिप्पणियों के अनुपालन का समन्वयन संबंधी कार्य भी, निगमित लेखा उद्भाग तथा आरबीआई निरीक्षण कक्ष के सक्रिय सहयोग से प्रभावपूर्ण रूप से

Transaction Audit (TA) of Debt Servicing Activities of Treasury & Funds Management Vertical (TFMV), Information Systems (IS) Audit, etc. on a regular basis. Besides, Audit Vertical reviews the monthly Concurrent Audit reports of TFMV being carried out by an external audit firm. Concurrent Audit of TFMV covers the Treasury Operations, viz. Money Market Operations (MMO) and Dealing Room Operations (DRO) of TFMV. The Bank is also undertaking Credit Audit in respect of Accounts under Direct Credit Schemes where exposure is above ₹ 300 lakh and in 10% of the cases on sample basis, where the outstanding is less than ₹ 300 lakh, through Regional Offices.

The Bank has also introduced Concurrent Audit mechanism in select 29 BOs through external CA firms, which together account for more than 90% of the Direct Credit operations of the Bank.

The IS audit was taken up during FY2014-15 in the areas of (i) Application Software Audit of some modules of Enterprise System Architecture (ESA) applications, (ii) IT Control Review of 32 offices including Data Centre & Disaster Recovery (DR) Site and (iii) Network & Security Audit of Data Centre and DR Site.

During the year, 974 audits comprising 126 Operational Audits, 4 Special Audits, 13 Management Audits, 12 Concurrent Audits of TFMV, 318 Concurrent Audit of BOs, 12 TAs of debt servicing activities of TFMV, 457 Credit audits and 32 IS Audits were completed. Audit Vertical follows up with ROs for submission of Monthly Status Report on the status of compliance of audit observations & ensure time bound closure of reports/compliance of the observations.

Audit Vertical also co-ordinates compliance of observations made by Statutory Auditors and RBI Inspection Team in close coordination with

करता है। लेखा-परीक्षा करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुपालन, निधियों के अंतिम उपयोग के सत्यापन, आस्तियों के सृजन, नीतिगत दिशानिर्देशों, पद्धतियों और प्रक्रियाओं आदि के अनुपालन पर यथेष्ट बल दिया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और बासल समिति-II की सिफारिशों के अंतर्गत स्तंभ-II की अपेक्षा के अनुसार, सभी परिचालन शाखाओं की जोखिम आधारित लेखा-परीक्षा की जा रही है। उक्त के अनुसार, शाखा कार्यालयों को उनके परिचालन और अनुपालन से जुड़े जोखिम क्षेत्रों के आधार पर निम्न, मध्यम, उच्च तथा अति उच्च जोखिम वाली शाखाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया। शाखा कार्यालयों का समग्र जोखिम मूल्यांकन और जोखिम वर्गीकरण करते समय ऋण और परिचालन, दोनों से संबन्धित जोखिमों, धोखाधड़ी के प्रकरणों आदि को ध्यान में रखा जा रहा है। उच्च जोखिम वाली शाखाओं की परिचालनगत लेखा-परीक्षाओं की आवधिकता उनके परिचालनों के परिमाण को संज्ञान में लिए बिना बढ़ाई जा रही है।

उत्तम नैगम अभिशासन के एक उपाय के रूप में लेखा-परीक्षा उद्भाग निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष विभिन्न ज्ञापन प्रस्तुत करता है।

मानव संसाधन विकास - एक विहंगावलोकन

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार बैंक में कुल 1,055 पूर्णकालिक स्टाफ कार्यरत हैं, जिनमें 892 अधिकारी, 99 श्रेणी III स्टाफ तथा 64 अधीनस्थ स्टाफ हैं। समस्त स्टाफ-सदस्यों में से 178 अनुसूचित जाति, 75 अनुसूचित जनजाति तथा 168 अन्य पिछडे वर्गों से संबंधित हैं। इनमें 7 भूतपूर्व सैनिक, 16 शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्ति और 1 दोनों भूतपूर्व सैनिक एवं शारीरिक रूप से अपंग श्रेणी के व्यक्ति शामिल हैं। महिला कर्मचारियों की संख्या 232 है।

प्रशिक्षण एवं कॅरियर विकास

बैंकिंग में चुनौतियाँ और बैंकरों से अपेक्षाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और सिडबी के लिए भी यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने व्यावसायिक कर्मचारियों को सतत आधार पर कुशल और अद्यतन रखे। बैंक ने अपने कर्मचारियों की कुशलता को

Corporate Accounts Vertical and RBI Inspection Cell. During an audit activity, inter alia, compliance to KYC guidelines, verification of end use of funds, creation of assets, adherence to policy guidelines, systems & procedures etc. are given due focus.

As per the directives of Reserve Bank of India and in accordance with the requirement of Pillar-II of Basel Committee-II recommendations, Risk Based Audit in respect of all operating branches is in place. In terms of the same, the BOs were classified under Low, Medium, High & Very High Risk etc. on the basis of operational and compliance risk areas. In the overall risk assessment and risk categorisation of BOs, the Credit Risk, Operational Risk, incidents of fraud cases, etc. are being factored. The periodicity of Operational Audits in respect of High Risk BOs is being stepped up, irrespective of their volume of operations.

Audit Vertical submits various memoranda to Audit Committee of the Board (ACB) as a measure of good Corporate Governance.

Human Resource Development – An Overview

As on March 31, 2015, the Bank had on its rolls 1,055 active full time staff comprising 892 officers, 99 Class III staff and 64 Subordinate staff. Of the total staff, 178 belong to Scheduled Castes (SCs), 75 to Scheduled Tribes (STs) and 168 to Other Backward Classes (OBCs). The staff strength included 7 ex-servicemen, 16 Persons with Disabilities (PwD) categories and 1 in both ex-servicemen and Persons with Disabilities (PwD) categories. The strength of women employees is 232.

Training & Career Development

Challenges in banking and expectations from bankers are leapfrogging day-by-day and it

अद्यतन रखने तथा उचित, प्रासंगिक और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल देना जारी रखा है। यह कर्मचारियों की अभिप्रेरणा और कार्य संतुष्टि को बढ़ाने के लिए भी किया जा रहा है।

पहले की भाँति, बैंक ने अपने कर्मचारियों को (i) सिडबी एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर में प्रशिक्षण सहित आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों (ii) ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा देश के भीतर संचालित/आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं तथा (iii) अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में, प्रतिनियुक्त करके प्रशिक्षण देना जारी रखा। प्रशिक्षण के प्रकार्य को सुव्यवस्थित किया गया है, ताकि इसे एक संगठनात्मक दृष्टि से संकेन्द्रित किया जा सके और स्टाफ का समग्र सर्वसमावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष के दौरान, बैंक ने ख्याति-प्राप्त प्रशिक्षण/अकादमिक संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न अन्तर्देशीय, आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 1,344 नामांकन किए, जिनमें से 209 नामिती महिलाएं थीं और 586 नामिती आरक्षित वर्गों से संबंधित थे। बैंक में 38 नए भर्ती अधिकारियों के लिए प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्मचारियों को विकास बैंकिंग, नवोन्मेष वित्त, टिकाऊ वित्त, फैक्टरिंग, व्यापार प्राप्य भुनाई, विदेशी मुद्रा आदि विविध क्षेत्रों में प्रचलित अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों से परिचित कराने के उद्देश्य से बैंक द्वारा 29 अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित किया गया।

सिडबी अधिकारियों के लिए जोखिम पूंजी परिचालनों तथा ''केएफडब्ल्यु नवोन्मेष वित्त कार्यक्रम'' पर केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। क्षेत्र विशेष पर उपलब्ध विशिष्ट विशेषताओं एवं वित्तपोषण अवसरों/विकल्पों पर आपसी विचार-विमर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अनेक उद्योग विशेषज्ञों

has become imperative for SIDBI too to keep its professional workforce skilled and updated on a continuous basis. The Bank continues its emphasis to update the skills of its employees and impart appropriate, relevant and necessary trainings. This is also being done to increase motivation and job satisfaction of employees.

As in the past, the Bank continued to impart training by deputing its employees to (i) in-house training programmes, including at SIDBI MSME International Training Institute, Bhubaneswar (ii) inland training programmes/ workshops conducted/organized by reputed national institutions within the country and (iii) international programmes. The training function has been streamlined to give an organizational focus to the same and to ensure comprehensive all-round development of the staff.

During the year, Bank has made 1,344 nominations for various inland, in-house and international training programmes organized by renowned training/academic institutions, out of which 209 nominees were women and 586 nominees belonged to reserved categories. An induction programme was organized for 38 newly recruited Officers in the Bank. Pre-Promotion Training for SC/ST/OBC Officers was also organized as per GoI directions. Twenty nine officials were nominated to attend international programmes in order to familiarize them with the current international practices in different areas viz. Development Banking, Innovation Finance, Sustainable Finance, Factoring, Trade Receivable Discounting, Forex, etc.

Training programmes were also conducted for SIDBI officers focused on the risk capital operations, as well as on the "KfW Innovation Finance Programme". Several industry experts had been called for interactions & providing

को बुलाया गया था। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ऐसे तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

स्टाफ कल्याण संबंधी गतिविधियाँ

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने स्टाफ-सदस्यों व उनके परिवारों के लिए बहु-आयामी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए सहायता देना जारी रखा। बैंक के विभिन्न कार्यालयों में गठित कल्याण समितियों को बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त केन्द्रीय कल्याण समिति के मार्गदर्शन में निधियाँ आवंटित की गईं, ताकि वे स्टाफ व उनके परिवारों के लिए कल्याण-गतिविधियाँ आयोजित कर सकें।

सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र में सुधार

एमएसएमई क्षेत्र को सेवा प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए बैंक द्वारा निरंतर प्रयास किए गए हैं। बैंक के कार्यो में परिचालनगत कुशलता बढाने, नियंत्रण व्यवस्था निर्मित करने और प्रबंधन सूचना में सुधार लाने को महत्व देना जारी रहा। आंतरिक/बाह्य रिपोर्टिंग और सूचना के आदान-प्रदान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों को एकीकृत करते हुए नया एमआईएस सॉफ्टवेयर कार्यान्वित किया गया। ग्राहक भुगतान में शीघ्रता लाने के लिए आईडीबीआई बैंक के आई-कैश पोर्टल पर ग्राहकों के कूट रूप में आरटीजीएस/एनईएफटी भुगतान विवरण सीधे अपलोड करने के लिए बिल्स फाईनान्स सिस्टम को बढ़ाया गया। सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सांविधिक देयताओं जैसे टीडीएस, सेवा कर आदि के भुगतान और टीडीएस, सेवाकर आदि की विभिन्न विवरणियों को जमा करने पर नजर रखने हेतु सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। बेहतर निष्पादन और सेवाओं की अधिक गति से प्रदायगी के लिए प्रत्यक्ष वित्त सॉफ्टवेयर को और अधिक सुदृढ किया गया और बढ़ाया गया। महत्त्वपूर्ण घटना निगरानी और चेतावनी तंत्र के माध्यम से जोखिम शमन-प्रणाली आरंभ की गयी। बैंक ने अपने राजकोषीय प्रबंधन सोल्युशन को अपग्रेड किया जो अन्य एप्लिकेशन के साथ एकीकृत है। बेहतर निगरानी तथा ग्राहकों को समय से उत्तर देने के लिए स्वचालित चेतावनी प्रदान करने हेतु शिकायत प्रबंधन के

guidance on sector specific features & financing opportunities/options available. Three such programmes were organized during FY 2014-15.

Staff Welfare Activities

During the year FY 2014-15, the Bank continued its support for multifarious welfare activities for the staff members and their families. Under the guidance of Central Welfare Committee, comprising senior officials of the Bank, funds were allocated to welfare associations of various offices of the Bank to organize welfare activities for staff and their families.

Improvements in Information Technology Set-up

There have been continuous efforts from the Bank to leverage information technology for serving the MSME sector. Emphasis continued to be given to increase operational efficiency of applications, building controls and improving the Management Information System (MIS) in the Bank. New MIS software was implemented integrating different business areas of the Bank to serve internal and external reporting and information sharing requirements. Bills Finance System was enhanced to directly upload encrypted RTGS/NEFT payment details of customers at IDBI Bank's I-Cash portal to expedite customer payments. Software was developed for tracking the payments of statutory dues like TDS, service tax etc. as well as filing of various returns of TDS, service tax etc.; to meet statutory requirements. Direct Finance Software was further consolidated and enhanced for better performance and faster delivery of services. System of risk mitigation was introduced through critical event monitoring and alert mechanism. The Bank upgraded its treasury management solution integrated with other applications. The software for grievance management was enhanced to

सॉफ्टवेयर को बढ़ाया गया। अप्रिय घटनाओं से निबटने के लिए बैंक की तैयारी के परीक्षण के लिए वर्ष के दौरान दो बार जीवंत आपदा बचाव परीक्षण किए गए। उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों को बेहतर तथा अधिक शीघ्रता से सेवा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संरचना में सुधार किया गया। विभिन्न स्थानों पर हाई डेफिनेशन एंड पॉइंट जोड़कर वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा को मजबूत किया गया। बैंक के अंदर और ग्राहकों व अन्य संस्थानो व एजेंसियों के साथ संवाद करने के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग एक महत्वपूर्ण सम्प्रेषण-माध्यम बन गया है, जिससे अधिक तीव्र और कम खर्चीला सम्प्रेषण सुनिश्चित होता है।

सतर्कता

सिडबी में सतर्कता विभाग के प्रमुख एक पूर्ण-कालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं, जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। प्रधान कार्यालय में स्थित सतर्कता टीम तथा संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता करते हैं।

सतर्कता उद्भाग निवारक और स्वत:स्फूर्त सतर्कता पर बल देता है। उद्भाग ने कुशलता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में अनेक प्रयास किये हैं। निवारक सतर्कता के उपायों की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में निवारक सतर्कता समितियाँ तथा प्रधान कार्यालय में सतर्कता समिति गठित की गई है।

सतर्कता पर एक आंतरिक सलाहकार समिति सभी शिकायतों तथा निरीक्षणों, लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, स्टाफ-जवाबदेही रिपोर्टों आदि से निकलकर आनेवाले मामलों की संवीक्षा करती है और अपनी जाँच में सतर्कता संबंधी कोणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के विषय में सीवीओ को अपनी संस्तुतियाँ देती है।

बैंक के साथ की गई धोखा-धड़ी की जाँच, अनुश्रवण तथा अनुवर्तन के लिए सतर्कता उद्भाग 'नोडल वर्टिकल' के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही, सतर्कता उद्भाग बैंक के साथ धोखा-धड़ी के मामलों में तृतीय पक्ष के कारकों की भूमिका के मूल्यांकन और उनके द्वारा बैंक को प्रदान की गई प्रोफेशनल सेवा में पाई गई कमी के लिए, उनके नाम भारतीय बैंक संघ

provide automated alerts for better monitoring and timely response to customers. Live Disaster Recovery tests were successfully carried out twice during the year to test preparedness of the Bank for untoward incidents. Improvement in IT infrastructure was taken up to facilitate better and faster service to users and customers. Video conferencing facility was strengthened by adding High Definition end points at different locations. Video conferencing has become vital communication channel within the Bank and also for communicating with customers and other institutions and agencies ensuring faster and cost effective communication.

Vigilance

The vigilance set-up in SIDBI is headed by a full-time Chief Vigilance Officer [CVO], appointed by the Ministry of Finance, Government of India. CVO is assisted by the Vigilance Team at Head Office and Regional Vigilance Officers at their respective regions.

The Vigilance Vertical lays emphasis on the preventive and proactive vigilance aspects. The vertical has been taking several initiatives for strengthening the systems and procedures to promote efficiency and transparency. Preventive Vigilance Committees at the Regional/Branch levels and the Vigilance Committee at Head Office have been set up to review the preventive vigilance measures.

An Internal Advisory Committee on Vigilance scrutinizes all the complaints or cases arising out of inspections, audit reports, staff accountability reports, etc. and furnishes its recommendations to the CVO regarding the existence or otherwise of the vigilance angle in the issues examined by it.

Vigilance Vertical also acts as the nodal Vertical for investigation, monitoring and follow-up

(आईबीए) द्वारा परिचालित सतर्कता-सूची में दर्ज़ कराने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करता है। धोखा-धड़ी निरोधक जागरुकता कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, धोखा-धड़ी की विभिन्न कार्यप्रणालियों को समय-समय पर क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को बताया जाता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी, क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी और सतर्कता टीम, स्टाफ के साथ अपनी आवधिक बैठकों में विभिन्न परिचालनगत कमियों/अनुपालन मुद्दों पर चर्चा करते हैं और दिशानिर्देशों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के पालन के महत्व के बारे में उन्हें जानकारी देते हैं।

शाखाओं की विभिन्न आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा सतर्कता उद्भाग द्वारा की जाती है और अनुपालन संबंधी मुख्य मुद्दे संशोधन के लिए तुरंत आगे बढ़ाए जाते हैं। सतर्कता उद्भाग विभिन्न मंचों जैसे प्रधान कार्यालय की सतर्कता समिति, आंतरिक सतर्कता सलाहकार समिति, निदेशक मण्डल की लेखा-परीक्षा समिति, क्षेत्रीय निवारक समिति की बैठकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - मुख्य सतर्कता अधिकारी की तिमाही बैठकों में वर्तमान प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करने व उन्हे मजबूत करने के सुझाव भी देता है।

वस्तुओं, कार्यों तथा संविदाओं का अभिग्रहण सीवीसी के प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाने के विषय में बैंक द्वारा अपनाई जानेवाली निविदा-प्रक्रिया पर भी सतर्कता विभाग निगरानी रखता है। इस उद्देश्य हेतु यह उद्भाग निश्चित अंतरालों पर, नमूना आधार पर उसी तरह के निरीक्षण करता है जैसे मुख्य तकनीकी जाँच कार्यालय (सीटीईओ) द्वारा किए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वस्तुओं एवं सेवाओं का अभिग्रहण निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है।

सतर्कता कार्य की समीक्षा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ अपनी बैठक में प्रत्येक तिमाही में की जाती है और अन्य सभी महत्वपूर्ण/लंबित मुद्दों पर, यदि कोई हों, सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

सतर्कता उद्भाग सतर्कता गतिविधियों पर एक रिपोर्ट मुख्य सतर्कता आयोग को और उक्त गतिविधियों की अर्धवार्षिक

actions on all cases of frauds perpetrated on the Bank. Further, the Vertical also acts as the nodal Vertical for evaluating the role of third party entities in perpetration of frauds on the Bank and getting their names included in the caution list circulated by the Indian Banks' Association [IBA], for deficiency observed in professional service provided to the Bank by them. As a part of anti fraud sensitization programme, the various modus operandi of frauds are shared with the Regions/Branches from time to time. The CVO, Regional Vigilance Officers (RVOs) and the vigilance team, in their periodic meetings with the staff, discuss the various operational gaps/compliance issues and sensitize the importance of adhering to guidelines, systems and processes.

The various Internal Audit reports of the branches are reviewed by Vigilance and the key compliance related issues are escalated for immediate rectification. The Vigilance Vertical also suggests measures to improve and strengthen the existing systems and processes in various forums like vigilance committee in head office, Internal Advisory Committee on Vigilance, Audit conference, Audit Committee of Board, Regional Preventive Committee meetings and the CMD-CVO quarterly meetings.

Vigilance Vertical maintains a vigil on the tendering process followed by the Bank in procurement of goods, works and contracts in terms of the extant CVC guidelines. Towards this end, the Vertical carries out Chief Technical Examiners Office type inspections periodically, on sample basis, to ensure that the procurement of goods and services is being carried out as per the norms.

The vigilance work is reviewed by the CMD in his meeting with CVO every quarter and all important/pending issues, if any, are dealt with in accordance with the CVC guidelines.

समीक्षा निदेशक मंडल को भी प्रस्तुत करता है।

सतर्कता उद्भाग ने अपने विभिन्न प्रयासों में निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की आवश्यकता के बारे में तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायोचित बनाने के लिए स्टाफ को जागरुक बनाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। उद्भाग ने बैंक के विभिन्न विभागों जैसे परिसर, प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी और सतर्कता को शामिल करते हुए 'अभिग्रहण-दिशानिर्देशों' पर कार्यशाला का आयोजन किया। उद्भाग ने मुंबई में निवारक सतर्कता कार्य के रूप में धोखा-धड़ी निवारण पर पहली कार्यशाला का आयोजन भी किया। पहला सतर्कता बुलेटिन 'दक्षता' भी वर्ष के दौरान आरंभ किया गया, जिसका विमोचन 27 जून 2014 को लखनऊ में आयोजित बोर्ड की बैठक में किया गया। सतर्कता के संबंध में जागरूकता और चेतना फैलाने के लिए, उद्भाग ने सिडबी इन्ट्रानेट पर विजिलेन्स ब्लाग भी बनाया है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, सिडबी के सतर्कता उद्भाग को लगातार दूसरे वर्ष सार्वजनिक उद्यम संस्थान, हैदराबाद द्वारा बैंकिंग क्षेत्र की श्रेणी में प्रथम सर्वश्रेष्ठ ''सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार" प्रदान किया गया। यह पुरस्कार सतर्कता प्रबंधन के क्षेत्र में सिडबी द्वारा किए गए अच्छे कार्यों हेतु प्राप्त हुआ तथा देश के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों में सिडबी विजेता के रूप में उभरा है। यह पुरस्कार सिडबी की ओर से मुख्य सतर्कता अधिकारी ने 12 मार्च 2015 को हैदराबाद में आयोजित एक समारोह में प्राप्त किया।

इस प्रकार धोखा-धड़ी, भ्रष्टाचार और कुप्रथाओं को दूर करने/न्यूनतम करने के लिए बैंक के सतर्कता संबंधी कार्यों में परिचालन के सभी स्तरों पर सहभागिता-पूर्ण सतर्कता पर ज़ोर दिया जाता रहा है।

बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

बैंक के सभी कार्यालयों ने धारा 3(3) के अंतर्गत समाहित

The Vigilance Vertical also submits a report on vigilance activities to CVC and half yearly review of the said activities to the Board of Directors.

Among various initiatives, the Vertical has laid special focus towards sensitizing the staff about the need to adhere to laid down system and procedures and to make the decision making process transparent, fair and equitable. It organized workshop on "Procurement Guidelines", covering various departments of the bank like Premises, Administration, Information Technology (IT) and Vigilance. The vertical also organized first ever workshop on Fraud Prevention as a preventive vigilance function in Mumbai. The first ever Vigilance Bulletin 'Dakshata' was also launched during the year which was inaugurated in the Board Meeting held on June 27, 2014 at Lucknow. To spread vigilance awareness and sensitivity, the vertical also created Vigilance Blog on SIDBI Intranet.

During the year 2014-15, Vigilance Vertical of SIDBI was the recipient of the first best "Vigilance Excellence Award" in the Banking Sector category instituted by "Institute of Public Enterprises, Hyderabad", for the second consecutive year. The award came as recognition of the good work done by SIDBI in the field of vigilance administration and SIDBI emerged the winner from amongst top Public Sector Banks of the country. The award was received by the CVO on behalf of SIDBI at a function held at Hyderabad on March 12, 2015.

The Vigilance function in the Bank has thus been laying emphasis on the participative vigilance at all levels of operations to avoid/ minimize the incidents of frauds, corruption and malpractices.

दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए और हिंदी में प्राप्त अथवा हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में देते हुए राजभाषा नियम 1976, के नियम 5 का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया।

बैंक के क्षेत्र 'क', 'ख' एवं 'ग' स्थित कार्यालयों का मूल पत्राचार क्रमश: 97%, 91% और 82% रहा, जबकि इनके लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 100%, 90% और 55% है। इसी प्रकार, उक्त क्षेत्रों हेतु क्रमश: 75%, 50% और 30% के हिंदी टिप्पण के लक्ष्य की तुलना में हिंदी टिप्पण 86%, 68% और 53% रहा। प्रधान कार्यालय स्थित उद्भागों तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रमुख मदों की समीक्षा प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में की गई तथा पत्रों, ई संदेशों आदि के माध्यम से उन्हें सतत मार्गदर्शन प्रदान किया गया। बैंक के 39 कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत भारत के शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 26 अन्य कार्यालयों को भी अधिसूचित कराने का प्रस्ताव वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। बैंक में प्रयुक्त विभिन्न लेखा-परीक्षा मैनुअल अब द्विभाषी रूप में तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा आइकैप नीति, आईटी नीति, अनुपालन नीति, ऋण नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, संपार्श्विक प्रतिभूति नीति, परिचालन जोखिम नियंत्रण नीति, मूल्यांकन नीति, सतर्कता मैनुअल आदि भी द्विभाषी रूप में जारी किए गए।

हिंदी में प्रवीणताप्राप्त स्टाफ सदस्यों (श्रेणी-IV को छोड़कर) को अपना संपूर्ण कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने हेतु व्यक्तिश: आदेश जारी किए गए। हिंदी न जानने वाले स्टाफ का एक रोस्टर तैयार किया गया है तथा उन्हें हिंदी शिक्षण योजना, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान या पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की गई है।

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी स्टाफ सदस्यों को बैंक के विभिन्न कार्यालयों में आयोजित कुल 65 हिंदी कार्यशालाओं

Implementation of the Official Language Policy in the Bank

All offices of the Bank issued the documents falling under Section 3(3) in bilingual and ensured compliance of Rule 5 of The Official Language Rules, 1976 by replying to in Hindi all letters received or signed in Hindi.

The originating Hindi correspondence from the offices situated in the regions 'A', 'B' and 'C' stood at 97%, 91% and 82% respectively, as against the targeted 100%, 90% and 55%. Similarly, the targets of Hindi notings for the above regions were fixed at 75%, 50% and 30% respectively, the attainments against which stood at 86%, 68% and 53%. The main items of Official Language Implementation in the HO verticals as well as at the ROs were reviewed in the Official Language Committee at the HO and guidance provided to them vide letters, e-mails etc. on an on-going basis. As many as 39 offices of the Bank have been notified under Rule 10(4) of the Official Language Rules 1976, in the official gazette of India. A proposal to notify other 26 offices has also been sent to the Department of Financial Services, GoI. The Audit Manual used in the Bank has since been prepared in bilingual form. Besides, ICAAP policy, IT policy, Compliance Policy, Loan Policy, Risk Management Policy, Investment Policy, Collateral Security Policy, Operational Risk Control Policy, Evaluation Policy, Vigilance Manual etc. were also issued in bilingual.

The staff-members (except those in class-IV) possessing a proficiency in Hindi were issued individual orders to carry out their entire office work in Hindi. A roster has been prepared for the staff not having working knowledge of Hindi and an arrangement made for imparting them Hindi training through the Hindi Teaching Scheme, Central Hindi Directorate or through correspondence courses.

में नामित किया गया, ताकि उन्हें अपना दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करने हेतु प्रशिक्षित किया जा सके। चूंकि बैंक का अधिकांश कार्य कंप्यूटरों के माध्यम से संपन्न होता है, अत: प्रत्येक कार्यशाला में यूनिकोड के माध्यम से हिंदी में काम करने पर अनिवार्य सत्र रखे गए, जिनमें अभ्यास पर अधिक बल दिया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपनी सभी अधीनस्थ शाखाओं से संबद्ध स्टाफ हेतु कार्यशालाएं संचालित कीं। इन कार्यशालाओं को रोचक बनाने के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय में साइंटून, ब्लागिंग, खानपान और स्वास्थ्य, पर्यावरण-रक्षा आदि विषयों पर विशेष सत्र रखे गए और स्थानीय विशेषज्ञों को सत्र के लिए आमंत्रित किया गया।

तिमाही हिंदी पत्रिका 'संकल्प' बैंक के स्टाफ सदस्यों को पढ़ने तथा हिंदी में लिखने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से नियमित रूप से प्रकाशित की गई। इस वर्ष भी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बैंक के सभी कार्यालयों ने हिंदी पखवाड़ा मनाया, जिसके अंतर्गत कई रोचक गतिविधियां व प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हिंदी में कार्य करने हेतु प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के उद्देश्य से बैंक में अंतर कार्यालय राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता तथा सर्वोत्तम राजभाषा प्रतिनिधि योजना नामक दो प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

बैंक विगत कुछ वर्षों से एक अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है, जिसका लक्ष्य अखिल भारतीय स्तर पर बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। वर्ष के दौरान 10वीं अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों ने 37 राजभाषा निरीक्षण संपन्न किए।

सिडबी एम एस एम ई अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर में बैंक के हिन्दी अधिकारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों को सत्र संचालन के लिए आमंत्रित किया गया। इस अभ्यासपरक प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण सामग्री का हिंदी अनुवाद संपन्न किया गया। वर्ष के दौरान विभिन्न केंद्रो

All staff-members possessing working knowledge of Hindi were nominated in 65 Hindi workshops organized during the year at various offices of the Bank, so as to train them in carrying out their day to day official work in Hindi. As almost entire business of the Bank is transacted on computers, a session on working in Hindi using Unicode was essentially included in each workshop, with an emphasis on practical exercises. The Regional Offices conducted workshops for the staff attached to the branches under their jurisdiction. Special sessions on scientoons, blogging, food and health, environment conservation, etc. were held during these workshops, inviting locally available specialists on the topics, so as to make them more and more engrossing.

The quarterly Hindi magazine 'Sankalp' was published regularly with an objective to motivate the staff members for reading and writing in Hindi. This year too, on the occasion of Hindi Day, all offices of the Bank celebrated Hindi Fortnight, which was marked by several interesting activities and competitions. With a view to creating a competitive environment for working in Hindi, two competitions, viz inter-office Rajbhasha Shield Pratiyogita and Sarvottam Rajbhasha Pratinidhi Yojana were held in the Bank.

The Bank has been organizing an all-India Hindi essay competition for past few years, which is aimed at encouraging the usage of Hindi in the banks and financial institutions on an all-India level. The 10th all-India essay competition was organized during the year. The Head Office and the Regional Offices conducted 37 official language inspections.

A Translation Training Camp was organized for the Hindi Officers of the Bank in SIDBI MSME International Training Institute, Bhubaneswar.

पर 'राजभाषा प्रयोग - आपसी संवाद - सार्थक दिशा' शीर्षक विचार-विमर्शपरक सत्रों का भी आयोजन किया गया, ताकि उनमें समस्त स्टाफ-सदस्यों को राजभाषा के सम्बध में संसदीय राजभाषा समिति तथा वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार की अपेक्षाओं से अवगत कराया जा सके। सिडबी एमएसएमई अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर में 19 व 20 मई 2014 को बैंक के हिंदी अधिकारियों के लिए दो-दिवसीय अखिल भारतीय हिंदी अधिकारी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया।

बैंक ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत लगातार दो बार यानी 2012-13 तथा 2013-14 के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। उक्त पुरस्कार बैंक के तत्कालीन उप प्रबंध निदेशक श्री एन.के. मैनी ने 14 सितम्बर 2014 तथा 13 नवम्बर 2014 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से प्राप्त किया। बैंक को वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए क्रमश: 'ग' एवं 'ख' क्षेत्र में उत्कृष्ट हिन्दी कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक शील्ड प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ। उक्त पुरस्कार भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा प्रदान किया गया। श्रीमती अनिता सचदेवा, महाप्रबंधक (हिन्दी) को वित्तीय सेवाएं विभाग से (वर्ष 2013-14 के लिए) बैंक में हिन्दी कार्यान्वयन के लिए ''राजभाषा गुणवत्ता पुरस्कार'' एवं (2012-13 के दौरान) उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से प्रशंसा-पत्र प्राप्त हुआ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

बैंक, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन कर रहा है। तदनुसार, जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 4(1) ख के अंतर्गत परिकल्पित है, बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.sidbi.in) पर संस्था के कार्यों व कर्तव्यों, अपने कार्यों के निर्वहन के लिए बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों, अपने

Senior officials from the Central Translation Bureau, New Delhi were invited to handle sessions in the training programme. Training material was translated in Hindi, during this practice-oriented training camp. Interactive sessions called 'Rajbhasha Prayog - Apasi Samvad - Sarthak Disha' were organized at various centres to apprise all staff members therein of the expectations of the Parliamentary Committee on the Official Language and the Department of Financial Services, GoI. A two-day all-India Hindi Officers' Conference was organized during May 19 - 20, 2014 at SIDBI MSME International Training Institute, Bhubaneswar for the Hindi Officers of the bank.

The Bank won coveted second prize for two consecutive years i.e. year 2012-13 and 2013-14 under Indira Gandhi Rajbhasha Shield Yojana, being conducted by the Ministry of Home Affairs, GoI. The above prizes were received by the then Deputy Managing Director Shri N.K. Maini on September 14, 2014 and November 13, 2014 from the Hon'ble President of India. The Bank also received consolation prizes for commendable Hindi implementation in the region 'C' & region 'B' during the year 2012-13 and 2013-14 respectively under the Reserve Bank of India Rajbhasha Shield Pratiyogita. The prizes were awarded by the Governor of RBI. Smt. Anita Sachdeva, General Manager (Hindi) received 'Rajbhasha Gunvatta Puraskar' (2013-14) from the Department of Financial Services, Ministry of Finance and a letter of appreciation for exemplary Hindi implementation (during 2012-13) in the Bank from the Rajbhasha Vibhag, Ministry of Home Affairs.

Implementation of Right to Information Act, 2005

The Bank is implementing the Right to Information Act, 2005. Accordingly, the Bank

अधिकारियों व कर्मचारियों की शक्तियों व कर्तव्यों, संगठनात्मक चार्ट, अधीनस्थ विधानों आदि को प्रदर्शित किया है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। अधिनियम के तहत बैंक ने एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), वैकल्पिक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और वैकल्पिक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पदनामित किए हैं, जिनके विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निदेशानुसार, अधिनियम की धारा 4 के बेहतर तरीके से कार्यान्वयन के उद्देश्य से बैंक ने एक पारदर्शिता अधिकारी भी पदनामित किया है, ताकि सूचना का अधिकार के अंतर्गत की जानेवाली पूछताछ का सीपीआईओ द्वारा समय पर उत्तर देने के लिए अनुकूल स्थितियाँ निर्मित हो सकें। वर्ष के दौरान सूचना पाने के लिए बैंक को 274 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदनों को अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विनिर्धारित समय-सीमा में निस्तारित कर दिया गया।

वर्ष के दौरान बैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 17 अपीलें की गईं, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विनिर्धारित समय-सीमा में निस्तारित कर दिया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध सात द्वितीय अपीलें केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष की गईं। सीपीआईओ द्वारा सूचना प्रस्तुत करने अथवा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलों पर निर्णय देने, किसी के भी संबंध में कोई विलंब नहीं हुआ है। सभी तिमाही ऑन लाइन विवरणियां नियमित रूप से समय पर केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रस्तुत की गयीं। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए बैंक के किसी अधिकारी पर अर्थ-दंड/दंड नहीं लगाया गया है।

नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व

नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में सिडबी द्वारा किये गए कार्यकलाप, मुख्यतया समाज के लिए प्रासंगिक हैं, जो सरकार के बड़े अधिदेशों की पूर्ति करते हैं। प्रयास रहता है कि सिडबी के व्यवसाय संबंधी कार्यकलापों के साथ नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यकलापों का सामन्जस्य रहे। जो अन्य नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलाप संपादित किये

has displayed in its website (www.sidbi.in) functions and duties of the organization, norms set by the Bank for discharge of its functions, powers and duties of its officers and employees, organization chart, sub-ordinate legislations, etc. as envisaged under Section 4(1)(b) of the Act. The information displayed in its website is regularly updated. The Bank has designated a Central Public Information Officer (CPIO), Alternate Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officers and First Appellate Authority and Alternate First Appellate Authority, in terms of the Act, the details of which are available on the Bank's website. In terms of the directives of Central Information Commission (CIC), the Bank has also designated a Transparency Officer for the better implementation of Section 4 of the Act with a view to promote congenial conditions for timely response by CPIO to RTI queries. During the year, the Bank received 274 applications seeking information and all the applications were disposed off as per the provisions of the Act within stipulated time.

During the year, 17 appeals were made to the First Appellate Authority (FAA) of the Bank, which were disposed of within stipulated time as per the provisions of the RTI Act. Against the decisions taken by FAA, seven, 2nd appeals were preferred before the CIC. There has been no delay in either furnishing information by the CPIO or in deciding appeals by the FAA. All the quarterly online returns have been regularly submitted to CIC on time. No officer of the Bank has been fined/penalized for violation of the provisions of the RTI Act.

Corporate Social Responsibility

The Corporate Social Responsibility (CSR) activities undertaken by SIDBI are primarily for

जाते हैं उनमें मुख्य रूप से समाज के लिए प्रासंगिक कार्यों, जैसे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता पहुँचाना, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को सहायता देना, शारीरिक रूप से अक्षम तथा उपेक्षित लोगों को सहायता पहुँचाना, समाज के उपेक्षित तबके के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करना शामिल हैं। नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्य के हिस्से के रूप में बैंक ने भारत सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण हेतु स्वच्छ विद्यालय कैम्पेन के लिए गठित स्वच्छ भारत कोष में ₹ 2 करोड़ का योगदान भी किया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी 4 करोड़ के बजट में से 50% का उपयोग स्वच्छ भारत कोष में अंशदान के लिए किया गया और विभिन्न राज्यों में फैली 20 सुपात्र परियोजनाओं के लिए ₹ 1.65 करोड़ की मंजूरी की गयी है। इस प्रकार नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यकलापों के लिए संचयी रूप से ₹ 3.65 करोड़ की मंजूरी की गयी है।

डिबेंचर ट्रस्टीज

वर्तमान में सिडबी के बकाया बांड निर्गमों के लिए ऐक्सिस बैंक लिमिटेड और आल बैंक फाईनांस लिमिटेड दो डिबेंचर ट्रस्टीज हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है:

सिडबी एमएसएमई अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान

बैंक के रजत जयन्ती वर्ष समारोह के साथ भुवनेश्वर में स्थित

socially relevant causes that would subserve the larger mandate of the government. Endeavour is made to ensure that, the CSR activities dovetail with SIDBI's business activities. Other CSR activities undertaken are primarily for socially relevant causes like relief to victims of natural calamity, supporting environment friendly technologies, support to physically challenged and under privileged person, support for setting up skill development centers for under privileged section of the society. As part of CSR, the Bank also contributed ₹ 2.00 crore to SWACHH BHARAT KOSH (SBK) set up by Government of India towards construction of toilets in elementary and secondary schools as part of SWACHH VIDYALAYA CAMPAIGN. Out of CSR budget of ₹ 4 crore for FY 2014-15, 50% of the budget was utilized towards contribution to SBK and sanctions were accorded to over 20 worthwhile projects spread across various states amounting to ₹ 1.65 crore taking the total aggregate sanction under CSR to ₹ 3.65 crore.

Debenture Trustees

Presently, there are two debenture trustees for SIDBI's outstanding bond issues, viz. Axis Bank Limited and AllBank Finance Ltd. Their contact details are:

उर्जा दक्षता के सम्बन्ध में जागरूक बनाने हेतु कार्यक्रम
Programme for Sensitisation on Energy Efficiency

आईएसएन:INE556F08ID4, INE556F08IO1, INE556F08IP8 ISIN: INE556F08ID4, INE556F08IO1, INE556F08IP8	शेष आईएसआईएन के लिए For rest of the ISINs
ऐक्सिस बैंक लिमिटेड, ऐक्सिस हाउस, द्वितीय तल, ''ई'', बाम्बे डाइंग मिल कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई दूरभाष : 022-24255215/16 फैक्स : 022-24254200 ई मेल : debenturetrustee@axisbank.com संपर्क : श्री कान्हू हरिचंदन Axis Bank Limited, Axis House, 2nd Floor, "E", Bombay Dyeing Mill Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai. Tel: 022-24255215/16 Fax: 022- 24254200 E-mail: debenturetrustee@axisbank.com Contact Person: Mr. Kanhu Harichandan	आल बैंक फाईनांस लिमिटेड (इलाहाबाद बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) कॉरपोरेट कार्यालय, इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग द्वितीय तल, 37, मुंबई समाचार मार्ग फोर्ट, मुंबई - 400023 बोर्ड : +91- 22-22626283 एक्सटेंशन:24 फैक्स : +91-22- 22677552 ईमेल : companysecretary@allbankfinance.com संपर्क : सुश्री मेल्विता लेविस कंपनी सेक्रेटरी सह अनुपालन अधिकारी AllBank Finance Ltd. (wholly owned subsidiary of Allahabad Bank) Corporate Office: Allahabad Bank Building, 2nd Floor, 37, Mumbai Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 023. Board : +91 – 22 – 22626283 Ext: 24 Fax: +91-22-22677552 Email: companysecretary@allbankfinance.com Website: www.allbankfinance.com Contact Person : Ms. Melvita Lewis Company Secretary cum Compliance Officer.

''सिडबी एमएसएमई अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सिटी)'' का पूर्ण परिचालन वित्त वर्ष 2013-14 में शुरू हुआ। वर्ष के दौरान सिटी ने 28 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये, जिसमे 572 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित कराया गया। उनमें से कुछ विशिष्ट कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- बैंक के आंतरिक और वाह्य परिचालनों की प्रतिस्पर्धा-क्षमता की धार को बढ़ाने के लिए प्रकियाओं के सरलीकरण व पुनर्निधारण के लिए प्रक्रिया सुधार कार्यशाला,
- शाखा प्रभारियों के लिए व्यवसाय रणनीति कार्यशाला,
- अल्प वित्त संस्थाओं के लिए लैंगिक भेदभाव संबंधी जागरूकता

SIDBI MSME International Training Institute

SIDBI MSME International Training Institute (SITI) at Bhubaneswar became operational in FY 2013-14 commensurating with the Silver Jubilee Year Celebration of the Bank. During the year, SITI has conducted 28 training programmes covering 572 participants. Some of the specialised programmes are;

- Process Improvement Workshop (PIW) for simplification, redefining processes to sharpen the Bank's competitive edge in internal and external operations,
- Business Strategy Workshop for Branch In-charges,

- जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्त निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला
- केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से हिन्दी अधिकारियों के लिए उन्नत अनुवाद प्रशिक्षण
- अधिवार्षिता प्राप्त करने वाले अधिकारियों के लिए कार्यशाला

आभार-ज्ञापन

भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त मूल्यवान सहयोग के लिए निदेशक मंडल उनका आभार ज्ञापित करता है। साथ ही, निदेशक मंडल विश्व बैंक समूह, जापान इन्टरनेशनल को-ऑपरेशन एजेन्सी (जाइका), जापान; डिपार्टमेंट फॉर इन्टरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), यू.के.; क्रेडिटान्स्टाल्ट फर वीडरफबाउ (केएफडब्ल्यू), जर्मनी; दि ड्यूश जेसेल्शाफ फर इन्टरनेशनाल ज़ुसाम्मेनारबीट (जीआईजेड), जर्मनी; इन्टरनेशनल फन्ड फॉर ऐग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफएडी), रोम; फ्रेंच

- Gender Sensitization for Micro Financing Institutions,
- Capacity Building Workshop for senior officers of Jammu and Kashmir State Financial Corporation,
- Advanced programme in translations for Hindi Officers in association with Central Translation Bureau Ministry of Home Affairs, GOI and
- Workshop for Superannuating Officers.

Acknowledgements

The Board acknowledges the valuable support received from the Government of India and the Reserve Bank of India. The Board is also thankful to the World Bank Group; Japan International Cooperation Agency (JICA); Department for International Development (DFID), U. K.; Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Germany; The Deutsche Gesellschaft

सिडबी को सार्वजनिक उद्यम संस्थान, हैदराबाद द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में प्रथम सर्वश्रेष्ठ ''सतकर्ता उत्कृष्टता पुरस्कार''

SIDBI was awarded first best 'Vigilance Excellence Award' in the Banking Sector by "Institute of Public Enterprises, Hyderabad"

डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी), फ्रांस तथा एशियन डेवपमेंट बैंक को उनसे अनवरत मिलनेवाली संसाधन सहायता तथा तकनीकी सहयोग के लिए धन्यवाद देता है। बैंकों, राज्य-स्तरीय संस्थाओं, उद्योग संघों तथा एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन व विकास में लगे अन्य हित-धारकों से मिले सहयोग के लिए बोर्ड उनकी सराहना करता है।

बैंक अपने सभी ग्राहकों व निवेशकों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता है और आशा करता है कि आनेवाले वर्षों में भी उनका सहयोग लगातार मिलता रहेगा। निदेशक मंडल सिडबी के सभी स्तरों के स्टाफ द्वारा वर्ष के दौरान प्रदत्त सेवाओं को संज्ञान में लेते हुए उनकी सराहना करता है, जिन्होंने बैंक को विकास के उच्चतर धरातल तक ले जाने में अटूट प्रतिबद्धता, सत्य-निष्ठा और समर्पण-भावना का परिचय दिया है।

fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Germany; International Fund for Agricultural Development (IFAD), Rome; French Development Agency (AfD), France and Asian Development Bank (ADB) for their continued resource support and technical cooperation. The Board places on record its appreciation for the co-operation extended to SIDBI by banks, state level institutions, industry associations and other stakeholders engaged in the promotion and development of the MSME sector.

The Bank also thanks all its clients and investors for their co-operation and looks forward to the continued support in the years to come. The Board recognizes and places on record its appreciation for the services of SIDBI staff, at all levels, who showed strong and continued commitment, integrity and dedication to take the Bank on a higher growth trajectory during the year.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

6

कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेस्वर में सिडबी नवोन्मेष केंद्र का उद्घाटन
Inaguration of SIDBI Innovation Centre at Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), Bhubaneswar

सिडबी की सहायक एवं सहयोगी संस्थाएं

Subsidiaries and Associate Organisations of SIDBI

I. सिडबी उद्यम पूंजी लिमिटेड

सिडबी उद्यम पूंजी लिमिटेड (एसवीसीएल) की स्थापना 1999 में उद्यम पूंजी निधियों (वीसीएफ)/वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) के प्रबंधन हेतु एक पूंजी प्रबंधन कंपनी के रूप में की गयी थी। विगत वर्षों के दौरान एसवीसीएल भारत में लघु एवं मध्यम क्षेत्र की कंपनियों की ओर उन्मुख अग्रणी संस्थागत निवेश प्रबंधन कंपनियों में से एक बन चुकी है।

वर्तमान में एसवीसीएल, सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हेतु राष्ट्रीय उद्यम निधि (एनएफएसआईटी), एसएमई संवृद्धि निधि (एसजीएफ) (सिडबी एसएमई उद्यम निधि की प्रथम इकाई), इंडिया अपार्चुनिटीज़ निधि (आईओएफ) (सिडबी एसएमई उद्यम निधि की द्वितीय इकाई) समृद्धि निधि (एसएफ) (सिडबी सामाजिक उद्यम ट्रस्ट की इकाई योजना) तथा टेक्स निधि (टीएफ) (लघु विकास ट्रस्ट की इकाई योजना) के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है।

एसवीसीएल ने अब तक विभिन्न क्षेत्रों की 80 आरंभिक तथा संवृद्धिशील कंपनियों में निवेश किया है, जिनमें आईटी/आईटीईएस, सेवा, खुदरा, फार्मा, ऑटो कम्पोनेंटस, जैविक ईंधन, वस्त्र तथा परिधान, लॉजिस्टिक्स इत्यादि तथा स्वास्थ्य सेवायें, वित्तीय सेवायें, जल, डेयरी, कृषि तथा तत्संबंधी सेवायें इत्यादि क्षेत्रों के टिकाऊ सामाजिक उद्यम शामिल हैं। इसने अपने प्रथम 2 वीसीएफ यथा एनएफएसआईटी एवं एसजीएफ की 56 में से 43 कंपनियों से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बहिर्गमन कर लिया है।

सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हेतु राष्ट्रीय उद्यम निधि (एनएफएसआईटी)

एनएफएसआईटी सीमित अवधि वाली उद्यम निधि है, जिसकी स्थापना अगस्त 1999 में की गयी थी। इस की समूह निधि ₹ 100 करोड़ है, जिसमें संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार (₹ 30 करोड़), आईडीबीआई (₹ 20 करोड़) तथा सिडबी (₹ 50 करोड़) का प्रतिबद्ध अंशदान है। इस निधि

I. SIDBI Venture Capital Limited

SIDBI Venture Capital Limited (SVCL) was established in 1999 as an Investment Management Company for managing Venture Capital Funds (VCFs)/Alternative Investment Funds (AIFs). Over the years, SVCL has evolved into one of the leading institutional investment management companies in India having focus on the small and medium sector companies in India.

SVCL, at present, is acting as the Investment Manager for National Venture Fund for Software and Information Technology Industry (NFSIT), SME Growth Fund (SGF) [first unit scheme of SIDBI SME Venture Fund], India Opportunities Fund (IOF) [second unit scheme of SIDBI SME Venture Fund], Samridhi Fund (SF) [unit scheme of SIDBI Social Venture Trust] and TEX Fund (TF) [a unit scheme of Laghu Vikas Trust].

SVCL has so far invested in 80 early and growth stage companies from diversified sectors such as IT/ITES, services, retail, pharma, auto components, bio-fuels, textile & garments, logistics etc. and sustainable social enterprises in sectors such as healthcare, financial services, water, dairy, agriculture and allied services etc. It has fully or partially divested its investments in 43 of 56 companies of its first 2 VCFs, viz. NFSIT and SGF.

National Venture Fund for Software & Information Technology Industry (NFSIT)

NFSIT is a close ended venture fund established in August 1999. The fund has a committed corpus of ₹ 100 crore, the contributors being Ministry of Communications and Information Technology (₹ 30 crore), IDBI (₹ 20 crore) and SIDBI (₹ 50 crore). The main objective of establishing the fund was to provide

की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के असूचीगत लघु एवं मध्यम उद्यमों को ईक्विटी तथा ईक्विटी से जुड़े लिखतों के माध्यम से उद्यम पूंजी सहायता उपलब्ध कराना था। इस निधि ने 31 कंपनियों में निवेश किया है। एनएफएसआईटी ने 24 कंपनियों से पूर्ण रूप से तथा 3 कंपनियों से आंशिक रूप से सफलतापूर्वक बहिर्गमन कर लिया है, जबकि इसे 2 कंपनियों में निवेश को बट्टे खाते में डालना पड़ा है।

एनएफएसआईटी के निवेश के अनुवर्ती प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये निवेशिती कपनियां विदेशी उद्यम पूंजी निधियों से अतिरिक्त पूंजी जुटाने तथा विदेशी कंपनियों द्वारा अधिग्रहण के रास्ते ₹ 750 करोड़ का विदेशी निवेश देश में लाने में सफल रही हैं।

एसएमई संवृद्धि निधि (एसजीएफ)

एसएमई ग्रोथ फन्ड (एसजीएफ) निश्चित अवधि वाली उद्यम पूँजी निधि है, जिसकी स्थापना सितम्बर 2004 में ₹ 500 करोड़ की प्रतिबद्ध समूह निधि से की गई। इसका अंशदान सिडबी और भारत के अन्य अग्रणी वाणिज्यिक बैंकों जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा इत्यादि ने किया है। यह एक क्षेत्र निरपेक्ष निधि है, जिसकी स्थापना विभिन्न क्षेत्रों के असूचीगत उद्यमों को ईक्विटी तथा ईक्विटी से जुड़े लिखतों के माध्यम से संवृद्धि पूंजी सहायता उपलब्ध कराने हेतु की गयी। निधि ने 25 कंपनियों में निवेश किया है।

एसजीएफ ने 16 कंपनियों से सफलतापूर्वक पूर्ण अथवा आंशिक बहिर्गमन किया है तथा अपने निवेश से लगभग ₹ 467 करोड़ की राशि वसूल की है [जोकि कुल निवेशित राशि (₹ 456.09 करोड़) के 100% से अधिक है]। अब तक, निधि ने अपने अंशदायकों को कुल ₹ 359.26 करोड़ का वितरण (₹ 327.61 करोड़ समूह निधि के प्रति तथा ₹ 31.65 करोड़ लाभ के रूप में) किया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 92.03 करोड़ की राशि वितरित की गयी। साथ ही, ₹ 70 करोड़ की राशि विवादग्रस्त कर देयताओं तथा संभावित दंडों हेतु निधि में रोक रखी गयी।

venture capital support by way of equity and equity linked instruments to unlisted SME enterprises in the areas of software and information technology. The fund has invested in 31 companies. NFSIT has been able to secure successful full exit from 24 companies and partial exit from 3 companies, while it had to write off investments in 2 companies.

The spin-off impact of NFSIT's investments may be assessed from the fact that these investee companies have enabled over ₹ 750 crore of foreign investment into the country through raising of additional capital from foreign venture capital funds and acquisitions by overseas companies.

SME Growth Fund (SGF)

SGF is a close ended venture fund established in September 2004 with a committed corpus of ₹ 500 crore. The contributors are SIDBI and other leading commercial banks in India such as State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda etc. SGF is a sector agnostic fund which was established to provide growth capital support, primarily to unlisted SME enterprises across diverse sectors by way of equity and equity linked instruments. The fund has invested in 25 companies.

SGF has been able to secure full or partial exit from 16 companies and realized a total sum of approx. ₹ 467 crore from its investments [which is more than 100% of total investments made (₹ 456.09 crore)]. So far, the fund has made distributions of ₹ 359.26 crore to its Contributors (₹ 327.61 crore towards corpus and ₹ 31.65 crore towards profits). During FY 2014-15, ₹ 92.03 crore was distributed. Further, an amount of ₹ 70 crore approx. has been retained by the fund, towards disputed tax liabilities and probable penalties.

एसजीएफ के निवेश के अनुवर्ती प्रभाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये निवेशिती कंपनियां विदेशी कंपनियों के अभिग्रहण एवं विदेशी वेंचर पूंजी निधियों से अतिरिक्त पूंजी जुटाकर ₹ 1,000 करोड़ के विदेशी निवेश को देश में लाने में समर्थ हुई हैं।

इंडिया ऑपर्च्युनिटीज़ फंड (आईओएफ)

आईओएफ 10 वर्ष की निश्चित अवधि वाली उद्यम निधि है, जिसकी स्थापना अगस्त 2011 में की गई। इस निधि की प्रतिबद्ध समूह निधि ₹ 467.75 करोड़ तथा आहरण योग्य समूह निधि ₹ 421.30 करोड़ है। आईओएफ के अंशदायक घरेलू वाणिज्यिक बैंक, विकास वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियाँ तथा भारत सरकार (प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड) हैं।

आईओएफ क्षेत्र-निरपेक्ष निधि है, जिसमें मुख्यत: भारत के उभरते हुए तथा गैर-सूचीबद्ध एमएसएमई की संवृद्धि पूँजीगत आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है, जो उभरते हुए क्षेत्रों में परिचालनरत हैं, जैसे शिक्षा-सेवाएं, आईटी/आईटीईएस, हल्की इंजिनियरिंग, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, कृषि-आधारित उद्योग, लॉजिस्टिक्स, मूलभूत संरचना आदि। आईओएफ प्रारंभिक, वृद्धि आधारित एवं अंतिम चरण की चुनिन्दा कंपनियों में भी निवेश करेगी।

आईओफ ने 18 कंपनियों में ₹ 228.87 करोड़ की वचनबद्धता की है, जिसमें से 16 कंपनियों में ₹ 128.15 करोड़ का निवेश पूरा हो चुका है।

समृद्धि निधि (एसएफ)

यूनाइटेड किंगडम सरकार के एक विभाग, डिपार्टमेंट फार इंटरनेशनल डेवेलपमेंट ने सिडबी के साथ मिलकर ₹ 430 करोड़ (लगभग) की सामाजिक उद्यम निधि समृद्धि निधि आरंभ की है जोकि निजी क्षेत्र के साथ मिलकर भारत के अल्प आय वाले राज्यों में विकास संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए बाज़ार आधारित समाधान उपलब्ध करायेगी। डीएफआईडी तथा सिडबी द्वारा समृद्धि निधि में क्रमश: जीबीपी 35 मिलियन (लगभग ₹ 330 करोड़) तथा ₹ 50 करोड़ की राशि प्रतिबद्ध की गयी

The spin-off impact of SGF's investments may be assessed from the fact that these investee companies have enabled over ₹ 1,000 crore of foreign investment into the country through raising of additional capital from foreign venture capital funds and acquisitions by overseas companies.

India Opportunities Fund (IOF)

India Opportunities Fund is a close ended venture fund established in August 2011 with a life of 10 years. The fund has a committed corpus of ₹ 467.75 crore and a drawable corpus of ₹ 421.30 crore. The contributors of IOF are domestic commercial banks, development financial institutions, insurance companies and Government of India (Technology Development Board).

IOF is a sector agnostic fund focused mainly on meeting growth capital needs of India's growing and unlisted MSMEs operating in emerging sectors such as educational services, IT/ITES, light engineering, clean tech, agro-based industries, logistics, infrastructure etc. IOF will also invest in early, growth as well as late stage companies selectively.

IOF has made commitments of ₹ 228.87 crore in 18 companies, out of which a sum of ₹ 128.15 crore has so far been invested in 16 companies.

Samridhi Fund (SF)

The Department for International Development (DFID), a department of the Government of United Kingdom, has partnered with SIDBI to start the Samridhi Fund – a ₹ 430 crore (approx.) social venture fund which will engage with the private sector to deliver market based solutions to address development challenges in the low income states in India. DFID and SIDBI have committed GBP 35 million (approx. ₹ 330 crore) and ₹ 50 crore to Samridhi Fund, respectively. The Master Trust viz., SIDBI Social

है। प्रधान ट्रस्ट यथा सिडबी सोशल वेंचर ट्रस्ट को सेबी में श्रेणी I के वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में पंजीकृत किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) एवं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. (यूआईआई) ने भी इस निधि में क्रमशः ₹ 40 करोड़ एवं ₹ 10 करोड़ के अंशदान देने की सहमति दी है। एलआईसी तथा यूआईआई के अंशदान की प्रतिबद्धता को मिला कर समृद्धि निधि की कुल समूह निधि ₹ 430 करोड़ हो गयी है।

एसवीसीएल द्वारा प्रबंधित इस निधि का मुख्य उद्देश्य शुरुआती तथा टिकाऊ सामाजिक उद्यमों को प्रोत्साहित करना है जो आर्थिक, सामाजिक अथवा पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी हों तथा 8 अल्प आय वाले राज्यों यथा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में वित्तीय एवं सामाजिक प्रतिलाभ पहुंचा सकते हों। समृद्धि निधि व्यक्तिगत रूप से तय किए गए ईक्विटी/ईक्विटी संबंधी निवेशों, डिबेंचरों, इत्यादि के माध्यम से तथा सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम 2012 के अंतर्गत अनुमेय लिखतों के माध्यम से निवेश करेगी।

इस निधि द्वारा 13 कंपनियों में ₹ 211.31 करोड़ की संचयी वचनबद्धता की गयी है, जिसमें से 8 कंपनियों में ₹ 84.41 करोड़ का निवेश पूरा हो चुका है।

टीईएक्स निधि (टी एफ)

एस वी सी एल ने टेक्स निधि की स्थापना की है जिसके आरंभिक अंशदाताओं में भारत सरकार (वस्त्र मंत्रालय) तथा सिडबी शामिल हैं। टीएफ सेबी की वैकल्पिक निवेश निधि(एआई एफ) विनियम, 2012 की श्रेणी I के अंतर्गत एसएमई निधि है। भारत सरकार ने ₹ 24.50 करोड़ की प्रतिबद्धता की है तथा सिडबी ने ₹ 24 करोड़ अथवा आहरण योग्य समूह निधि की 30%, जो भी कम हो, की राशि की वचनबद्धता की है।

यह निधि वस्त्र उद्योग क्षेत्र के लघु उद्यमों में (एमएसएमईडी अधिनियम 2006 में यथा परिभाषित तथा समय-समय पर यथासंशोधित), विशेषकर पावरलूम क्षेत्र संबंधी उद्यमों में निवेश करेगी। कोई भी निवेश ₹ 3 करोड़ से अधिक का नहीं होगा।

Venture Trust has been registered as a Category I Alternative Investment Fund with SEBI. SF has also subsequently received commitment for contribution of ₹ 40 crore from Life Insurance Corporation of India (LIC) and ₹ 10 crore from United India Insurance Company Limited (UII). With the commitment for contributions from LIC and UII, the total committed corpus of SF is around ₹ 430 crore.

The primary objective of the Fund, managed by SVCL, is to promote early-stage and sustainable social enterprises which provide economic, social or environmental benefits and can deliver both financial and social returns, in 8 Low Income States (LIS) in India, namely Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Rajasthan and West Bengal. Samridhi Fund shall invest by way of privately negotiated equity/equity related investments, debentures etc. and by way of instruments as may be permitted by the SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.

SF has made cumulative commitments of ₹ 211.31 crore in 13 companies, out of which a sum of ₹ 84.41 crore has so far been invested in 8 companies.

TEX Fund (TF)

SVCL has set up 'TEX Fund' with initial contributors being Govt. of India (Ministry of Textiles) and SIDBI. 'TF' is an SME Fund under Category I of SEBI's Alternative Investment Funds (AIF) Regulations, 2012. GoI has committed ₹ 24.50 crore and SIDBI has committed ₹ 24 crore or 30% of the drawable corpus, whichever is lower.

The Fund would invest in small enterprises (as defined under MSMED Act, 2006 and as amended from time to time) in the textile sector, more particularly related to Powerloom sector. Each investment would not exceed ₹ 3 crore.

इसकी प्रथम बंदी अक्तूबर 2014 में घोषित की गयी थी तथा टीएफ ने वर्ष के दौरान संचयी रूप से ₹ 7.43 करोड़ के 3 निवेशों हेतु वचनबद्धता की है।

इम्पैक्ट इन्नोवेशन निधि (आई आई एफ)

एस वी सी एल ₹ 200 करोड़ की प्रथम बंदी के साथ इम्पैक्ट इनोवेशन निधि की स्थापना की प्रक्रिया में है। इस निधि की स्थापना कायनात, मारीशस अथवा उसकी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर की जा रही है, जिसमें निधि जुटाने के समान दायित्व होंगे तथा प्रबंधन शुल्क, कैरी, इत्यादि का बराबर हिस्सा होगा। सिडबी ने ₹ 60 करोड़ अथवा समूह निधि का 30% जो भी कम हो, की राशि के अंशदान हेतु सहमति दी है। इजराइल सरकार ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए वचनबद्धता दी है। एसवीसीएल अन्य अंशदाताओं से शेष राशि जुटाने का प्रयास कर रहा है तथा संभावित विदेशी निवेशकों के द्वारा समुचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

राज्य-स्तरीय निधियां

एसवीसीएल 2 राज्य-स्तरीय निधियों की स्थापना की प्रक्रिया में है जिनमें संबंधित राज्य सरकारों का महत्त्वपूर्ण अंशदान होगा।

एसवीसीएल का तुलन-पत्र

एसवीसीएल का 31 मार्च 2015 का संक्षिप्त तुलन-पत्र तथा 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक की लाभ-हानि विवरणी निम्नलिखित तालिकाओं में दी जा रही है:

The first closure was announced in October 2014 and TF has made cumulative commitments of ₹ 7.43 crore towards 3 investments during the year.

Impact Innovation Fund (IIF)

SVCL is in the process of setting up Impact Innovation Fund with a first close of ₹ 200 crore. The Fund is being set up jointly with Kaenaat, Mauritius or its subsidiaries with equal responsibilities for fund raising and equal sharing of management fee, carry, etc. SIDBI has agreed to contribute ₹ 60 crore or 30% of the corpus whichever is lower. Govt. of Israel has committed USD 10 million. SVCL is in the process of raising balance amount from other contributors and due diligence by potential foreign investors has started.

State Level Funds

SVCL is in the process of raising 2 State Level Funds with the respective State Governments contributing significantly to the Funds.

Balance Sheet of SVCL

The abridged Balance Sheet as at March 31, 2015 and Statement of Profit and Loss of SVCL for the period April 01, 2014 to March 31, 2015 are given in the following tables:

तालिका 6.1 एस वी सी एल का संक्षिप्त तुलनपत्र
Table 6.1: Abridged Balance Sheet of SVCL

(₹ लाख / lakh)

यथा 31 मार्च 2014 (अंकेक्षित) As on March 31, 2014 (Audited)	एसवीसीएल का संक्षिप्त तुलन-पत्र Abridged Balance Sheet of SVCL	यथा 31 मार्च 2015 (अंकेक्षित) As on March 31, 2015 (Audited)
	ईक्विटी और देयताएँ / EQUITY & LIABILITIES	
1,500.00	शेयर पूँजी / Share capital	1,500.00
1,102.37	आरक्षितियाँ और अधिशेष / Reserves and Surplus	1,247.60
96.14	गैर-चालू देयताएँ / Non - Current Liabilities	178.99
787.35	चालू देयताएँ / Current Liabilities	773.38
3,485.86	**योग / Total**	**3,699.97**
	आस्तियाँ / ASSETS	
2,227.49	गैर-चालू आस्तियाँ / Non - Current Assets	2,321.47
1,258.37	चालू आस्तियाँ / Current Assets	1,378.50
3,485.86	**योग / Total**	**3,699.97**

विश्व कांग्रेस तथा एबीपी न्यूज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बीएफएसआई एवार्ड्स 2015 में सिडबी को ''एमएसएमई को प्रोत्साहित करने हेतु विशिष्ट पुरस्कार''
SIDBI with "SPECIAL AWARD FOR ENCOURAGING SME" was conferred with
BFSI Awards 2015 organised by World HRD Congress and ABP News jointly.

तालिका 6.2 एस वी सी एल का संक्षिप्त लाभ - हानि खाता
Table 6.2: Abridged Statement of Profit & Loss of SVCL

(₹ लाख / lakh)

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु (अंकेक्षित) For the year ended March 31, 2014 (Audited)	एसवीसीएल की संक्षिप्त लाभ-हानि विवरणी Abridged Statement of Profit & Loss of SVCL	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु (अंकेक्षित) For the year ended March 31, 2015 (Audited)
	राजस्व / REVENUE	
1,539.49	परिचालनों से राजस्व / Revenue from operations	1,448.53
74.62	अन्य आय / Other Income	154.79
1,614.11	**योग / Total**	**1,603.32**
	व्यय / EXPENSES	
613.78	परिचालन व्यय / Operating expenses	711.24
6.34	मूल्य-ह्रास / Depreciation	9.65
620.12	**योग / Total**	**720.89**
993.99	विशेष एवं असाधारण मदों तथा कर-पूर्व लाभ Profit before exceptional and extraordinary items and tax	882.43
0.44	जोड़ें: असाधारण मदें / Add: Exceptional Items	0.05
0.15	घटाएं: पहले की अवधि के समायोजन / Less: Prior Period Adjustments	0.01
994.28	असाधारण मदों एवं कर-पूर्व लाभ / Profit Before extraordinary item and Taxation	882.47
0.00	घटाएं : असाधारण मद (निवेशों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान) / Less: Extraordinary item [provision for diminution in the value of investments/(Reversed)]	0.00
994.28	कर-पूर्व लाभ / Profit Before Taxation	882.47
327.00	चालू कर / Current tax	290.00
7.50	आस्थगित कर / Deferred tax	(18.22)
0.00	आय-कर हेतु (अतिरिक्त)/कम प्रावधान / Short/(Excess) provision for Income Tax	0.00
0.00	सीएसआर गतिविधियों के लिए अंशदान / Contribution to CSR Activities	15.00
659.78	**अवधि में लाभ/(हानि) / Profit/(loss) for the period**	**595.69**

II. सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड

सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल) की स्थापना 1999 में आमतौर पर तथा उद्यम पूंजी निधियों/वैकल्पिक निवेश निधियों हेतु ट्रस्टीशिप कार्यों हेतु की गयी थी। एसटीसीएल वर्तमान में नेशनल वेंचर फंड फॉर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री (एनएफएसआईटी),एसएमई ग्रोथ फंड (एसजीएफ), इण्डिया ऑपर्च्युनिटीज फंड (आईओएफ), संवृद्धि फंड (एसएफ) तथा टेक्स निधि के ट्रस्टी के रूप में काम करती है।

एसटीसीएल का तुलन-पत्र

एसटीसीएल का 31 मार्च 2015 का संक्षिप्त तुलन-पत्र तथा 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक की लाभ-हानि विवरणी निम्नलिखित तालिकाओं में दी जा रही है:

II. SIDBI Trustee Company Limited

SIDBI Trustee Company Limited (STCL) was established in 1999 to carry out the trusteeship functions in general and for Venture Capital Funds/Alternative Investment Funds. STCL, at present, is acting as the Trustee for National Venture Fund for Software and Information Technology Industry (NFSIT), SME Growth Fund (SGF), India Opportunities Fund (IOF), Samridhi Fund (SF) and TEX Fund (TF).

Balance Sheet of STCL

The abridged Balance Sheet as at March 31, 2015 and Statement of Profit and Loss for the period April 01, 2014 to March 31, 2015 for STCL are as given below :-

तालिका 6.3 एसटीसीएल का संक्षिप्त तुलन पत्र
Table 6.3: Abridged Balance Sheet of STCL

(₹ लाख / lakh)

यथा 31 मार्च 2014 (अंकेक्षित) As on March 31, 2014 (Audited)	एसटीसीएल का संक्षिप्त तुलन-पत्र Abridged Balance Sheet of STCL	यथा 31 मार्च 2015 (अंकेक्षित) As on March 31, 2015 (Audited)
	ईक्विटी और देयताएँ / EQUITY & LIABILITIES	
5.00	शेयर पूँजी / Share capital	5.00
455.58	आरक्षितियाँ और अधिशेष / Reserves and Surplus	507.17
0.00	गैर-चालू देयताएँ / Non - Current Liabilities	0.00
0.73	चालू देयताएँ / Current Liabilities	0.80
461.31	**योग / Total**	**512.97**
	आस्तियाँ / ASSETS	
55.85	गैर-चालू आस्तियाँ / Non - Current Assets	3.61
405.46	चालू आस्तियाँ / Current Assets	509.36
461.31	**योग / Total**	**512.97**

तालिका 6.4 एसटीसीएल का संक्षिप्त लाभ - हानि खाता
Table 6.4: Abridged Statement of Profit & Loss of STCL

(₹ लाख / lakh)

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु (अंकेक्षित) For the year ended March 31, 2014 (Audited)	एसटीसीएल की संक्षिप्त लाभ-हानि विवरणी Abridged Statement of Profit & Loss of SVCL	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु (अंकेक्षित) For the year ended March 31, 2015 (Audited)
	राजस्व / REVENUE	
58.93	परिचालनों से राजस्व / Revenue from operations	35.67
36.20	अन्य आय / Other Income	45.38
95.13	**योग / Total**	**81.05**
	व्यय / EXPENSES	
6.45	परिचालन व्यय / Operating expenses	6.26
6.45	**योग / Total**	**6.26**
88.68	**असाधारण मदों तथा कर-पूर्व लाभ / Profit before extraordinary items and tax**	**74.79**
0.50	जोड़ें: असाधारण मदें / Add: Extraordinary items	0.00
0.00	घटाएं: पिछली अवधि के समायोजन / Less: Prior Period Adjustment	0.00
89.18	कर-पूर्व लाभ / Profit Before Taxation	74.79
27.50	चालू कर / Current tax	23.20
0.00	आस्थगित कर / Deferred tax	0.00
0.00	आय-कर हेतु अतिरिक्त प्रावधान / Excess provision for Income Tax	0.00
61.68	अवधि में लाभ/(हानि) / **Profit/(loss) for the period**	**51.59**

सहयोगी संगठन

III. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

सीजीटीएमएसई सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना परिचालित करता है, जिसमें सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदत्त उन ऋणों के लिए ₹ 100 लाख तक की ऋण गारंटी सुविधा दी जाती है, जिनके लिए संपार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा तृतीय पक्ष गारंटी उपलब्ध नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, भारत सरकार तथा सिडबी ने वित्तीय वर्ष

ASSOCIATES

III. Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

CGTMSE operates the Credit Guarantee Scheme (CGS) for Micro and Small Enterprises (MSEs) which guarantees credit facilities upto ₹ 100 lakh extended by Member Lending Institutions (MLIs) to those loans, which are not backed by collateral security and/or third party guarantees. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Government of India and

2014-15 के दौरान सीजीटीएमएसई की समूह निधि में क्रमश: ₹ 74.99 करोड़ तथा ₹ 18.75 करोड़ का योगदान किया, जिसके फलस्वरूप समूह निधि का आकार ₹ 2,389.04 करोड़ हो गया।

ऋण गारंटी योजना के परिचालन

ऋण गारंटी योजना के परिचालनों में वृद्धि जारी रही। वित्तीय वर्ष 2000-01 में केवल 9 सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं सक्रिय थीं। यथा 31 मार्च 2015 गारंटी सुरक्षा की सुविधा लेने वाली सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या बढ़कर 119 हो गई है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 21,274.82 करोड़ के लिए कुल 4,03,422 गारंटियाँ अनुमोदित की गईं। इस प्रकार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में संख्या की दृष्टि से 16% और राशि की दृष्टि से 17% की वृद्धि दर्ज़ की गई। संचयी रूप से यथा 31 मार्च 2015, कुल 18,17,245 खातों को ₹ 90,445.90 करोड़ के लिए गारंटी अनुमोदन प्रदान किए गए। ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत स्लैब-वार कवरेज नीचे दर्शायी गई है:

SIDBI contributed ₹ 74.99 crore and ₹ 18.75 crore, respectively, to the corpus of CGTMSE during FY 2014-15, raising the corpus size to ₹ 2,389.04 crore.

Operations of Credit Guarantee Scheme

The operations under CGS continued to grow. From only 9 active MLIs in FY 2000-01, the number of MLIs availing the guarantee cover has gone up to 119 active MLIs as on March 31, 2015. During FY 2014-2015 a total of 4,03,422 guarantees have been approved for an amount of ₹ 21,274.82 crore, registering a growth of 16% in terms of number and 17% in terms of amount respectively over the previous financial year. Cumulatively, as at March 31, 2015, a total of 18,17,245 accounts have been accorded guarantee approval for ₹ 90,445.90 crore. The slab-wise coverage under the Credit Guarantee Scheme is given below:

तालिका 6.5 : यथा 31 मार्च, 2015 स्लैब-वार गारंटी अनुमोदन (संचयी)
Table 6.5 : Slab-wise guarantee approvals as on March 31, 2015 (cumulative)

क्रम सं. S. No.	सीमा / Range (₹)	संचयी / Cumulative	
		प्रस्तावों की संख्या No. of Proposals	ऋण राशि (₹ लाख) Loan Amount (₹ Lakh)
1	1,00,000/- तक / Upto 1,00,000/-	6,11,647	3,06,205.84
2	1,00,001 से 2,00,000/- तक / 1,00,001 to 2,00,000/-	4,33,438	6,60,992.11
3	2,00,001 से 5,00,000/- तक / 2,00,001 to 5,00,000/-	3,88,431	14,02,658.60
4	5,00,001 से 10,00,000/- तक / 5,00,001 to 10,00,000/-	1,85,957	14,28,703.59
5	10,00,001 से 25,00,000/- तक / 10,00,001 to 25,00,000/-	1,40,695	24,20,107.54
6	25,00,001 से 50,00,000/- तक / 25,00,001 to 50,00,000/-	40,004	15,17,994.91
7	50,00,001 से 1,00,00,000/- तक / 50,00,001 to 1,00,00,000/-	17,073	13,07,927.99
	योग / Total	**18,17,245**	**90,44,590.58**

कृपया ध्यान दें: बीच में हुए निरसन/आशोधन के कारण वास्तविक संख्या में अंतर हो सकता है।

N.B.: Actuals may vary due to intervening cancellations/modifications

ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2015 तक की संचयी कवरेज के विश्लेषण से पता चलता है कि ₹ 13,592.62 करोड़ (15.03%) के लिए 3,47,735 प्रस्ताव (19.14%) महिला उद्यमियों; ₹ 2,078.73 करोड़ (2.30%) के लिए 91,851 प्रस्ताव (5.05%) अनुसूचित जातियों; ₹ 1318.78 करोड़ (1.46%) के लिए 39,949 प्रस्ताव (2.20%) अनुसूचित जनजातियों तथा ₹ 4,191.09 करोड़ (4.63%) के लिए 1,29,321 प्रस्ताव (7.12%) अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित थे।

समग्र प्रभाव

सीजीटीएमएसई के परिचालनों का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पडा है, जैसाकि ऋण गारंटी-प्राप्त एमएसई के कुल उत्पादन, निर्यात तथा रोजगार के निम्नलिखित आँकड़ों में द्रष्टव्य है:

An analysis of the cumulative coverage under CGS as at March 31, 2015, indicates that 3,47,735 proposals (19.14%) for ₹ 13,592.62 crore (15.03%) were in respect of Women Entrepreneurs; 91,851 proposals (5.05%) for ₹ 2,078.73 crore (2.30%) to Scheduled Caste; 39,949 proposals (2.20%) for ₹ 1,318.78 crore (1.46%) to Scheduled Tribe and 1,29,321 proposals (7.12%) for ₹ 4,191.09 crore (4.63%) to the Minorities.

Overall Impact

CGTMSE's operations have had a positive impact on the economy in terms of turnover, exports and employment of credit guaranteed MSEs as given below:

तालिका 6.6: सीजीटीएमएसई का समग्र प्रभाव
Table 6.6: Overall Impact CGTMSE

मापदंड / Parameters	यथा 31 मार्च, 2015 As on March 31, 2015
संचयी अनुमोदित गारंटी (सं.) / Cumulative Guarantee approved (Nos.)	18,17,245
ऋण राशि (सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदत्त) (₹ करोड़) / Loan Amount (extended by MLIs) (₹ in crore)	90,445
गारंटी-प्राप्त इकाइयों से अनुमानित निर्यात (₹ करोड़) / Expected exports by guaranteed units (₹ in crore)	6,774
अनुमानित रोजगार सृजन (लाख व्यक्ति) / Expected employment generation (No. in lakh)	63.02
सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या / Number of MLIs	133

IV. स्मेरा रेटिंग्स लिमिटेड

स्मेरा ने अपने परिचालन 2005 में आरम्भ किए। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान इसने 6,629 एसएमई रेटिंग सम्पन्न कीं। अपनी स्थापना के समय से 31 मार्च 2015 तक स्मेरा ने संचयी रूप से 34,385 एमएसएमई इकाइयों को रेटिंग प्रदान की है, जो विभिन्न वर्गों, उद्योगों तथा राज्यों में फैली हुई हैं। स्मेरा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर विशेष ध्यान देता रहा है, जो इसकी रेटिंग का क्रमश: 69% और 30% हैं।

स्मेरा को बासेल-II मानदंडों के अन्तर्गत ईसीएआई के रूप में वर्ष 2012 में भारतीय रिज़र्व बैंक से मान्यता मिली। उसके बाद से स्मेरा ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में 836 बैंक ऋणों की रेटिंग की है। मान्यता-प्राप्ति के पश्चात् संचयी रूप से स्मेरा ने 1,583 बैंक ऋण-रेटिंग की हैं।

IV. SMERA Ratings Limited

SMERA which commenced operations in 2005, completed 6,629 SME Ratings during the financial year 2014-15. Cumulatively, since its incorporation, SMERA has assigned ratings to 34,385 MSME units up to March 31, 2015 spread across various categories, industries and states. SMERA has been providing special attention to micro and small enterprises which accounted for 69% and 30%, respectively, of its total ratings.

After receiving accreditation in the year 2012 from RBI as an ECAI under BASEL – II norms, SMERA has completed 836 Bank Loan Ratings during the financial year 2014-15. Cumulatively since receipt of accredition, SMERA has assigned 1,583 Bank Loan Ratings.

वित्तीय उल्लेखनीय तथ्य / FINANCIAL HIGHLIGHTS

तालिका 6.10 : वित्तीय उल्लेखनीय तथ्य
Table 6.10: Financial Highlights

(₹ लाख / lakh)

विवरण / Particulars	वि.व. 2012-13 FY 2012-13	वि.व. 2013-14 FY 2013-14	वि.व. 2014-15 FY 2014-15
	अंकेक्षित / Audited	अंकेक्षित / Audited	अंकेक्षित / Audited
राजस्व / Revenue	2,451	3,118	3,432
व्यय / Expenditure	2,294	2,668	3,052
कर-पूर्व लाभ / Profit Before Tax	157	449	381
कर-पश्चात् लाभ / Profit After Tax	126	375	301

नई पहलकदमियाँ

- सितम्बर 2014 माह में स्मेरा ने गैर-सरकारी संगठनों के लिए अपना नया मूल्यांकन उत्पाद आरंभ किया, ताकि उनकी दृश्यता में सुधार लाया जा सके और दानकर्ता तथा हितधारक समुदाय को निर्णय करने में सुभीता रहे।

V. इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल)

इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल) सिडबी की सहयोगी संस्था है, जो ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी परियोजनाओं/कार्यों के लिए प्रौद्योगिकीय सलाह व परामर्श-सेवाएं देता है। साथ ही, यह ऊर्जा दक्षता, एमएसएमई क्षेत्र, बैंकिंग, परियोजना वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा तथा परियोजना प्रबंधन का अनुभव रखने वाले अपने विशेषज्ञ-दल की मदद से माँग पक्ष के प्रबन्धन, नवीकरणीय ऊर्जा (विशेषकर सौर ऊर्जा), एमएसएमई समूल विकास तथा मूल्यांकन अध्ययन और क्षमता-विकास, जागरूकता वृद्धि तथा कौशल विकास की सेवा भी प्रदान करता है। आईएसटीएसएल प्रौद्योगिकी विषयक विकल्पों, मैच-मेकिंग, वित्तीय समूहन, व्यावसायिक सहयोग सम्बन्धी जानकारी की सेवा देने के साथ-साथ सेमिनार/सम्मेलन तथा विपणन सहयोग भी प्रदान करता है।

NEW INITIATIVES

- In the month of September, 2014 SMERA launched its new evaluation product for grading Non-government Organizations (NGOs) aimed to improve their visibility and enable decision making for the donor and stakeholder community.

V. India SME Technology Services Limited [ISTSL]

India SME Technology Services Limited (ISTSL), an associate institution of SIDBI offers technology advisory and consultancy services for projects/assignments related to Energy Efficiency and Demand Side Management, Renewable Energy (particularly solar), MSME Cluster Development and Evaluation Studies, and Capacity Building, Awareness Creation & Skill Development with the help of its team of experts having extensive experience in energy efficiency, MSME Sector, banking, project finance, renewable energy and project management. In this domain, ISTSL also provides services such as providing information on technology options, Match making, Finance Syndication, Business Collaboration and organizing seminars/meets and providing marketing support.

आईएसटीएसएल द्वारा उपलब्ध सेवाएं

आद्योपान्त ऊर्जा दक्षता (4ई) समाधान

आईएसटीएसएल सिडबी के आद्योपान्त ऊर्जा दक्षता (4ई) समाधान कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सक्रियता से शामिल है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के एमएसएमई को अपनी ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने में मदद करना है।

टेकअप योजना के अन्तर्गत मापन एवं सत्यापन लेखा-परीक्षा

आईएसटीएसएल पूरे भारत भर के उन उद्योगों में मापन एवं सत्यापन लेखा-परीक्षा में मदद करता है, जो एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की 'एमएसएमई-प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन सहायता' (टेकअप) योजना के अन्तर्गत सब्सिडी पाना चाहते हैं। इन मापन एवं सत्यापन लेखा-परीक्षाओं के ज़रिए 48 एमएसएमई इकाइयों को लगभग ₹ 3.61 करोड़ की सब्सिडी राशि का लाभ मिला है।

नवीकरणीय ऊर्जा समाधान

आईएसटीएसएल एमएसएमई को सौर पीवी/तापीय प्रणालियाँ, जैव-ऊर्जा आदि नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ अपनाने में मदद करता है। आईएसटीएसएल विभिन्न एमएसएमई समूहों में जागरूकता-विकास/क्षमता-विकास/कौशल-विकास कार्यशालाएँ/सेमिनार आयोजित करता रहा है।

प्रौद्योगिकी सलाह एवं परामर्श

आईएसटीएसएल ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी परियोजनाओं/कार्यों के लिए प्रौद्योगिकीय सलाह व परामर्श-सेवाएं देता है। साथ ही, यह ऊर्जा दक्षता, एमएसएमई क्षेत्र, बैंकिंग, परियोजना वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा तथा परियोजना प्रबंधन का अनुभव रखने वाले अपने विशेषज्ञ-दल की मदद से माँग पक्ष के प्रबन्धन, नवीकरणीय ऊर्जा (विशेषकर सौर ऊर्जा), एमएसएमई समूह विकास तथा मूल्यांकन अध्ययन और क्षमता-विकास, जागरूकता वृद्धि तथा कौशल विकास की सेवा भी प्रदान करता है।

Services offered by ISTSL

End to End Energy Efficiency (4E) Solutions

ISTSL is actively involved in the implementation of SIDBI's End to End Energy Efficiency (4E) Solutions Programme which is aimed at facilitating the MSMEs in Industrial and Services sector in improving their energy efficiency.

Measurement & Verification Audit under TEQUP Scheme

ISTSL facilitates Measurement and Verification (M&V) Audit at industries all over India which wish to avail subsidy under "Technology and Quality Upgradation Support to MSMEs (TEQUP)" Scheme of the Ministry of MSME, GoI. Through these M&V audits, 48 MSME units have been benefitted with a subsidy amounting to around ₹ 3.61 Crore.

Renewable Energy Solutions

ISTSL facilitates adoption of Renewable Energy technologies including Solar PV/Thermal systems, biomass, etc. by the MSMEs. ISTSL has been organizing Awareness Creation/Capacity Building/Skill Development Workshops/Seminars in various MSME clusters.

Technology Advisory and Consultancy

ISTSL offers technology advisory and consultancy services for projects/assignments related to Energy Efficiency and Demand Side Management, Renewable Energy (particularly solar), MSME Cluster Development and Evaluation Studies, and Capacity Building, Awareness Creation & Skill Development with the help of its team of experts having extensive experience in energy efficiency, MSME Sector, banking, project finance, renewable energy and project management.

VI. इंडिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसार्क)

इंडिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसार्क) का प्रवर्तन सिडबी ने मुख्यत: इस उद्देश्य से किया कि वह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र पर विशेष रूप से केन्द्रित रहते हुए गैर-निष्पादक आस्तियों का अभिग्रहण करेगी और नवोन्मेषी पद्धतियों के ज़रिए उनका समाधान देगी। इस कंपनी का निगमन 11 अप्रैल 2008 को हुआ और इसने 15 अप्रैल 2009 को व्यावसायिक परिचालन आरंभ किया।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों पर लागू दिशा-निर्देशों को भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने 5 अगस्त 2014 के परिपत्र के ज़रिए संशोधित किया है। इसके बाद से आइसार्क और अन्य सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा अभिग्रहण के कार्य पर समग्रत: विराम लग गया है, सिवाय ऋणों के योग के लिए नीतिगत अभिग्रहण के।

वर्ष के दौरान आइसार्क ने 52 खातों के सम्बन्ध में सम्यक श्रम (ड्यू डिलिजेंस) की और 4 खातों के लिए बोली लगाई। वर्ष के दौरान कम्पनी ने 2 बैंकों (विक्रेताओं) से 2 वित्तीय आस्तियाँ अभिग्रहीत कीं। इनका कुल क्रय मूल्य ₹ 14.00 करोड़ है, जिसमें से ₹ 4.50 करोड़ आइसार्क ने निवेश किए और शेष ₹ 9.50 करोड़ अन्य प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) निवेशकों (विक्रेताओं) से मिले। वर्ष के दौरान आइसार्क ने अपनी अभिग्रहीत आस्तियों से ₹ 28.58 करोड़ की वसूली की, जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 में यह वसूली क्रमश: ₹ 26.95 करोड़ और ₹ 17.85 करोड़ रही थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 15.96 करोड़ की प्रतिभूति प्राप्तियों का नकदीकरण कराया गया (विगत वर्ष ₹ 14.30 करोड़)। आइसार्क के पास बकाया प्रतिभूति प्राप्तियों तथा तुलन-पत्र आस्तियों के रूप में ₹ 377.95 करोड़ की प्रबन्धन-अधीन आस्तियाँ हैं (सकल प्रबन्धन-अधीन आस्तियाँ ₹ 449.55 करोड़)।

VII. माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के केन्द्रीय बजट में भारत सरकार ने माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) की

VI. India SME Asset Reconstruction Company Limited [ISARC]

India SME Asset Reconstruction Company Limited (ISARC) was promoted by SIDBI with the principal objective of acquiring non-performing assets (NPAs) and to resolve them through innovative mechanisms with a special focus on the NPAs of micro, small and medium enterprises sector (MSMEs). The Company was incorporated on April 11, 2008 and commenced its business operations on April 15, 2009.

RBI has revised the guidelines applicable to ARC vide its circular dated August 5, 2014 after which acquisition by ISARC and all other ARCs, as a whole, have come to a standstill, barring tactical acquisition for debt aggregation.

During the year, ISARC undertook due diligence in respect of 52 accounts and submitted bid for 4 accounts. During the year, the Company acquired 2 financial assets from 2 Banks (sellers) for an aggregate purchase consideration of ₹ 14.00 crore out of which ₹ 4.50 crore was invested by ISARC and balance ₹ 9.50 crore came from the other security receipts (SRs) investors (sellers). During the year, ISARC has recovered ₹ 28.58 crore as against ₹ 26.95 crore and ₹ 17.85 crore during the FY 2013-14 and FY 2012-13 respectively, from its acquired assets. SRs worth ₹ 15.96 crore were redeemed during the FY 2014-15 (previous year ₹ 14.30 crore). ISARC has assets under management (AUM) of ₹ 377.95 crore (Gross AUM - ₹ 449.55 crore) representing outstanding SRs and balance sheet assets.

VII. Micro Units Development & Refinance Agency [MUDRA]

The Union Budget of FY 2015-16 has announced setting up of Micro Units Development & Refinance Agency [MUDRA] with the objective of mainstreaming micro/small business units by

स्थापना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाइयों को मुख्य धारा में लाना और उसके लिए इन 'अपना खाता उद्यमों' को संस्थागत वित्त तक पहुँच प्रदान करना था। इससे न केवल इन उद्यमियों की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी, बल्कि रोजगार-सृजन में भी इनका उल्लेखनीय योगदान रहेगा। इससे सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होगी। भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 08 अप्रैल 2015 को सिडबी की सहायक संस्था के रूप में मुद्रा का उद्घाटन किया।

way of providing access to institutional finance to these 'own account enterprises'. This will not only help in improving the quality of life of these entrepreneurs, but will also contribute significantly to the employment generation thereby achieving higher GDP growth. MUDRA was launched as a subsidiary of SIDBI on April 08, 2015 by Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister of India.

सिडबी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर
Blood Donation Camp organised by SIDBI

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

7

सिडबी की वार्षिक सामान्य बैठक
SIDBI's Annual General Meeting

तुलनपत्र एवं लेखा-विवरण

Balance Sheet & Statement of Accounts

तुलन-पत्र और लेखा विवरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंकेक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाता व नकदी प्रवाह अनुबंध I में दिए गए हैं। सिडबी और इसकी सहायक संस्थाओं सिडबी वेंचर कैपिटल लि. (एसवीसीएल) तथा सिडबी ट्रस्टी कंपनी लि. (एसटीएसएल), माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लि. (मुद्रा) और सहयोगी संस्थाओं, स्मेरा रेटिंग लि. (स्मेरा), इण्डिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसार्क) एवं इण्डिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लि. (आईएसटीएसएल) व अन्य के समेकित तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण अनुबंध – II में दिए गए हैं।

वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय ₹ 5,741.47 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹ 5,808.32 करोड़ थी। समतुल्य अवधि में कुल व्यय ₹ 3,823.24 करोड़ था जो पिछले वर्ष के ₹ 3,646.47 करोड़ की तुलना में अधिक है। वर्ष का कर पूर्व लाभ ₹ 2,115.24 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 1,539.50 करोड़ रहा था। वर्ष के लिए कर एवं आस्थगित कर समायोजन के पश्चात निवल लाभ ₹ 1,417.13 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 1,118.27 करोड़ रहा था। ₹ 1,453.05 करोड़ के कुल वितरण योग्य लाभ (31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के कर समायोजन के पश्चात ₹ 1,417.13 करोड़ के निवल लाभ तथा ₹ 35.92 करोड़ के अग्रानीत लाभ सहित) में से बैंक ने ₹ 450 करोड़ की चुकता ईक्विटी पूंजी पर 25% का लाभांश घोषित किया, जो तत्संबंधी देय लाभांश वितरण कर, अधिभार तथा उप-कर को मिलाकर ₹ 135.40 करोड़ होता है। वर्ष के दौरान ₹ 80 करोड़ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षिति में अंतरित

BALANCE SHEET & STATEMENT OF ACCOUNTS

The audited Balance Sheet, along with Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of Small Industries Development Bank of India, for the financial year 2014-15, are given in Appendix I. The consolidated Balance Sheet, along with Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of SIDBI with its subsidiaries viz., SIDBI Venture Capital Ltd. (SVCL), SIDBI Trustee Company Ltd. (STCL) and Micro Units Development & Refinance Agency Ltd. (MUDRA Ltd.) and associates viz. SMERA Rating Ltd. (SMERA), Indian SME Asset Reconstruction Company Limited (ISARC), India SME Technology Services Ltd. (ISTSL), and others are given in Appendix II.

The total income of the Bank during the year was at ₹ 5,741.47 crore as compared to ₹ 5,808.32 crore during the previous year. The total expenditure during the corresponding period was at ₹ 3,823.24 crore as compared to ₹ 3,646.47 crore during the previous year. The Profit before Tax for the year was ₹ 2,115.24 crore, compared to ₹ 1,539.50 crore in the previous year. The net profit after tax and Deferred Tax Adjustment for the year was ₹ 1,417.13 crore as against ₹ 1,118.27 crore in the previous year. Out of the total distributable profit of ₹ 1,453.05 crore (net profit of ₹ 1,417.13 crore [after tax adjustment] for the year ended March 31, 2015 and brought forward profit of ₹ 35.92 crore), the Bank declared a dividend of 25% on paid up equity capital of ₹ 450 crore which worked out to ₹ 135.40 crore inclusive of dividend distribution tax, surcharge and cess payable thereon. During the year, a sum of ₹ 80 crore was transferred to Special Reserve created under Section 36(1) (viii) of IT Act, 1961, ₹ 5.92

किये गए, ₹ 5.92 करोड़ निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरित किये गए और ₹ 2 करोड़ का विनियोजन स्टाफ कल्याण निधि (एसडब्ल्यूएफ) में किया गया। ₹ 1,190 करोड़ अधिशेष आरक्षिति निधि में अंतरित किए गए और शेष ₹ 39.73 करोड़ लाभ-हानि खाते में धारित रखे गए।

crore was transferred to Investment Fluctuation Reserve and appropriation of ₹ 2 crore was made to Staff Welfare Fund (SWF). Surplus of ₹ 1,190 crore was transferred to the Reserve Fund and balance ₹ 39.73 crore was retained in Profit and Loss Account.

सारिणी 7.1 : तुलन- पत्र आकार

Table 7.1 : Balance Sheet Size

(₹ करोड़ / crore)

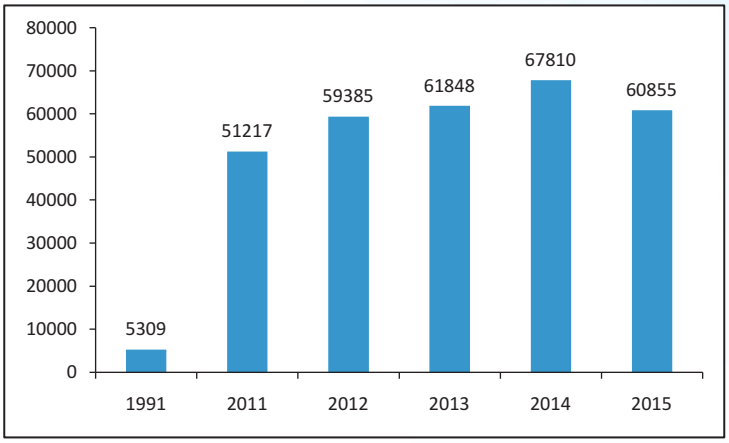

लेखा परीक्षक :

बैंक के वित्तीय वर्ष 2014-15 के खातों की लेखा-परीक्षा मेसर्स बोरकर एंड मजूमदार, सनदी लेखाकार, मुंबई ने की। सांविधिक लेखा-परीक्षा करने के लिए उनकी नियुक्ति 27 जून 2014 को आयोजित आम सभा में सिडबी अधिनियम 1989 (यथासंशोधित) की धारा 30(1) के अनुसार की गई।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें पृष्ठ संख्या 98 एवं 161 पर दी गई है।

Auditors

The accounts of the Bank for the financial year 2014-15 were audited by M/s Borkar & Muzumdar, Chartered Accountants, Mumbai who were appointed in terms of Section 30(1) of the SIDBI Act, 1989 (as amended) at the Annual General Meeting held on June 27, 2014 for carrying out the statutory audit.

The reports of the Auditors are given on Page Nos. 98 and 161.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
शेयरधारकगण
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

वित्तीय विवरणों से संबंधित रिपोर्ट

हमने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बैंक) के 31 मार्च 2015 तक के संलग्न वित्तीय विवरणों और लाभ-हानि के विवरण तथा समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण और महत्त्वपूर्ण लेखा-नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना की लेखा-परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में, 8 शाखाओं के विवरण शामिल हैं जिनकी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से दौरा किया गया था। इसमें प्रधान कार्यालय के खातों में से अग्रिमों का 77.82%, जमाओं का 92.24%, उधार का 100%, अग्रिमों की ब्याज आय का 70.39% तथा जमा एवं उधार पर ब्याज व्यय का 97.63% भी शामिल है। ये शाखाएं बैंक की सलाह से चयनित की गई। हमने बैंक की शेष शाखाओं का दौरा नहीं किया और उनकी विवरणियों की प्रधान कार्यालय स्तर पर समीक्षा की।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनिमय 2000 के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकदी प्रवाह की भारत में आम तौर पर मान्य लेखांकन सिद्धान्तों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तथा समय समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सच्ची और उचित स्थिति दर्शाने वाले घटकों के बारे में अलग-अलग वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बैंक का प्रबन्धन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए लेखांकन के पर्याप्त अभिलेख रखा जाना, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का

Independent Auditors' Report

To
The Shareholders
Small Industries Development Bank of India

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying Financial Statement of Small Industries Development Bank of India ("the Bank") which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2015 and the Profit & Loss Account and Cash Flow Statement for the year ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 8 Branches visited by us for the purpose of audit and the same including Head Office accounts for 77.82% of Advances, 92.24% of Deposits, 100% of Borrowings, 70.39% of interest income on Advances and 97.63% of interest expense on Deposits and Borrowings. These branches have been selected in consultation with the Bank. We have not visited balance Branches of the Bank and have reviewed their returns at the Head Office.

Management Responsibility for the Financial Statements

The Bank's Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000, the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and applicable RBI guidelines as issued from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding

चयन और उपयोग, औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत निर्णय तथा अनुमान लगाना तथा ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, क्रियान्वित व प्रावधानित करना भी शामिल है, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता की दृष्टि से प्रभावपूर्ण तरीके से काम करते हों और जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने व प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से प्रासंगिक हों, जो सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते हों तथा धोखाधड़ी के कारण या त्रुटिवश संभावित तथ्यात्मक मिथ्या कथन से मुक्त हों।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है जो हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित है।

हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षा-मानकों के अनुरूप संपन्न की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा-परीक्षा की योजना व निष्पादन इस प्रकार करें कि आश्वस्त हुआ जा सके कि वित्तीय विवरण तथ्यपरक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

लेखा-परीक्षा के अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों के बारे में लेखा-परीक्षा विषयक प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का समावेश रहता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षा के निर्णय पर निर्भर करती हैं। इसमें समेकित वित्तीय विवरणों में धोखा-धड़ी से अथवा त्रुटिवश तथ्यात्मक मिथ्या-कथन के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा-परीक्षक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उचित प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, ताकि ऐसी लेखा-प्रक्रियाएं तैयार की जाएं जो उक्त परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। किन्तु इसका उद्देश्य यह राय देना नहीं होता कि बैंक में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों के संबंध में परिचालनगत

of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of internal controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Bank has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also include evaluating the appropriateness of the accounting policies used and

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report

प्रभावोत्पादकता है या नहीं। लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा-परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में लेखा-परीक्षा संबंधी हमारी धारणा के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

मंतव्य

हमारे मत में और हमारी अधिकतम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 द्वारा वांछित सूचनाएं प्रदान करते हैं, जो बैंक के लिए आवश्यक है और भारत में सामान्यत: मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित की सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते हैं:

क) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2015 तक बैंक के कामकाज की स्थिति,

ख) लाभ-हानि खातों के मामलों में, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ की स्थिति,

ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की स्थिति

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

हम सूचित करते हैं कि

1. तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के विनियम 14(i) में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

2. हमने वे समस्त सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो

the reasonableness of the accounting estimates made by the Bank's Management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000 in the manner so required to the extent required by the Bank and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2015,

b) in the case of the Profit and Loss Account, of the profit of the Bank for the year ended 31st March 2015,

c) in the case of cash flow statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We report that:

1. The Balance Sheet and Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the requirements of the Regulation 14(i) of the Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000.

2. We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report

हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।

3. हमारी राय में, जहां तक खाता-बहियों की जाँच से हमारे देखने में आया है, बैंक ने विधि के अनुसार अपेक्षित उपयुक्त खाता बहियाँ तैयार की हैं।

4. इस रिपोर्ट के लिए प्रयुक्त तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण खाता-बहियों के अनुरूप हैं।

5. हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक की शक्तियों के अंदर ही किए गए।

6. बैंक की शाखाओं और कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा-परीक्षा के लिए पर्याप्त थीं।

7. हमारी राय में, इस रिपोर्ट से संबंधित उपर्युक्त वित्तीय विवरणियां लागू लेखा मानकों का अनुपालन करती हैं।

of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

3. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books.

4. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with Books of Accounts.

5. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

6. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

7. In our opinion, the aforesaid financial statements dealt with by this report comply with the applicable Accounting Standards.

कृते **बोरकर एंड मजूमदार**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 101569डब्ल्यू

दर्शित दोशी
साझेदार
सदस्यता सं. 133755

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 28 मई 2015

For **Borkar & Muzumdar**
Chartered Accountants
Firm Registration No.101569W

Darshit Doshi
Partner
Membership No. 133755

Place: Mumbai
Date: May 28, 2015

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 का तुलन-पत्र / Balance Sheet as at March 31, 2015

अनुबंध - I / **Appendix - I**

31 मार्च, 2015 का तुलन-पत्र / Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

पूँजी एवं देयताएं CAPITAL AND LIABILITIES	अनुसूचियां SCHEDULES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
पूँजी / Capital	I	450,00,00,000	450,00,00,000
आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां / Reserves, Surplus and Funds	II	9329,60,80,446	8042,27,93,107
जमा / Deposits	III	13446,81,67,994	17428,26,37,419
उधार / Borrowings	IV	30672,87,29,963	35618,03,16,388
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	V	6833,05,66,558	6271,78,62,502
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability		122,68,70,161	–
योग / Total		**60855,04,15,122**	**67810,36,09,416**

आस्तियां / ASSETS			
नकदी एवं बैंक अतिशेष / Cash and Bank Balances	VI	1028,53,89,874	1927,72,27,801
निवेश / Investments	VII	2929,58,50,035	2947,11,49,485
ऋण एवं अग्रिम / Loans & Advances	VIII	55342,59,38,200	61270,69,95,084
स्थिर आस्तियां / Fixed Assets	IX	206,10,01,920	194,63,94,459
अन्य आस्तियां / Other Assets	X	1348,22,35,093	1470,18,42,587
योग / Total		**60855,04,15,122**	**67810,36,09,416**
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	XI	7640,76,79,911	6519,35,87,953
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies	XV		
लेखा टिप्पणियां / Notes to Accounts	XVI		

उक्त अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं। / The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

बोर्ड के आदेशानुसार / BY ORDER OF THE BOARD

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते बोरकर एंड मजूमदार For BORKAR & MUZUMDAR सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन : 101569डब्ल्यू FRN. : 101569W	यू. जे. लालवानी U.J. Lalwani देश-प्रमुख Country Head (निगमित लेखा वर्टिकल) (Corporate Accounts Vertical)	एन. रामन N. Raman कार्यपालक निदेशक Executive Director	क्षत्रपति शिवाजी Kshatrapati Shivaji अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

दर्शित दोशी / Darshit Doshi
साझेदार / Partner
एम. सं. / M. No. : 133755

अनिल अग्रवाल / Anil Agrawal
निदेशक / Director

आर. रामचंद्रन / R. Ramachandran
निदेशक / Director

मुंबई, मई 28,2015
Mumbai, May 28, 2015

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता / Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता
Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2015

(₹)

आय / INCOME	**अनुसूचियाँ SCHEDULES**	**31 मार्च, 2015 March 31, 2015**	**31 मार्च, 2014 March 31, 2014**
ब्याज एवं बट्टा / Interest and Discount	XII	5497,05,62,165	5618,98,41,648
अन्य आय / Other Income	XIII	244,40,64,201	189,33,22,228
योग / Total		**5741,46,26,366**	**5808,31,63,876**
व्यय / EXPENDITURE			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार / Interest & Financial charges		3373,72,34,139	3337,09,12,099
परिचालन व्यय / Operating Expenses	XIV	449,51,48,008	309,37,57,137
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय Provisions & Contingencies		(197,01,25,162)	622,35,23,953
योग / Total		**3626,22,56,985**	**4268,81,93,189**
कर-पूर्व लाभ / **Profit before Tax**		**2115,23,69,381**	**1539,49,70,687**
आय-कर हेतु प्रावधान (देखें टिप्पणी सं. 23) Provision for Income Tax (Refer note no. 23)		511,38,00,017	602,35,84,352
आस्थगित कर-समायोजन [(आस्ति)/देयता] Deferred Tax Adjustment [(Asset) / Liability]		186,72,66,607	(181,13,31,566)
कर-पश्चात लाभ / Profit after Tax		**1417,13,02,757**	**1118,27,17,901**
अग्रानीत लाभ / Profit brought forward		35,92,46,808	33,09,21,258
कुल लाभ/(हानि) / Total Profit / (Loss)		**1453,05,49,565**	**1151,36,39,159**
विनियोजन / Appropriations			
सामान्य आरक्षिति में अन्तरण / Transfer to General Reserve		1190,00,00,000	935,00,00,000
आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षिति में अन्तरण Transfer to Special reserve u/s 36(1)(viii) of The Income Tax Act, 1961		80,00,00,000	80,00,00,000

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता / Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता
Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2015

(₹)

विनियोजन / Appropriation	अनुसूचियाँ SCHEDULES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
अन्य / Others			
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अन्तरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve		5,91,56,175	(32,18,01,399)
स्टाफ कल्याण निधि में अन्तरण / Transfer to Staff Welfare Fund		2,00,00,000	1,00,00,000
शेयरों पर लाभांश / Dividend on Shares		112,50,00,000	112,50,00,000
लाभांश पर कर / Tax on Dividend		22,90,23,529	19,11,93,750
अग्रानीत लाभ-हानि खाते में अधिशेष Surplus in Profit & Loss account carried forward		39,73,69,861	35,92,46,808
योग / Total		**1453,05,49,565**	**1151,36,39,159**
प्रति शेयर मूल/विलयित अर्जन / Basic/diluted Earning Per share		31.49	24.85
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies	XV		
लेखा टिप्पणियां / Notes to Accounts	XVI		

उक्त अनुसूचियाँ लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं। / The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

बोर्ड के आदेशानुसार / BY ORDER OF THE BOARD

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते बोरकर एंड मजूमदार For BORKAR & MUZUMDAR सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन : 101569डब्ल्यू FRN. : 101569W	यू. जे. लालवानी U.J. Lalwani देश-प्रमुख Country Head (निगमित लेखा वर्टिकल) (Corporate Accounts Vertical)	एन. रामन N. Raman कार्यपालक निदेशक Executive Director	क्षत्रपति शिवाजी Kshatrapati Shivaji अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

दर्शित दोशी / Darshit Doshi
साझेदार / Partner
एम. सं. / M. No. : 133755

अनिल अग्रवाल / Anil Agrawal
निदेशक / Director

आर. रामचंद्रन / R. Ramachandran
निदेशक / Director

मुंबई, मई 28,2015
Mumbai, May 28, 2015

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
अनुसूची / SCHEDULE I:		
पूंजी / Capital		
(क) प्राधिकृत पूंजी / (a) Authorized Capital		
- ईक्विटी शेयर पूँजी (₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर) Equity Share Capital (75,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)	750,00,00,000	750,00,00,000
- अधिमान शेयर पूंजी (₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 शोध्य अधिमान शेयर) Preference Share Capital (25,00,00,000 Redeemable Preference Shares of ₹ 10/- each)	250,00,00,000	250,00,00,000
(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी / (b) Issued, Subscribed and Paid-up Capital :		
- ईक्विटी शेयर पूँजी (₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 45,00,00,000 ईक्विटी शेयर) Equity Share Capital (45,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)	450,00,00,000	450,00,00,000
- अधिमान शेयर पूंजी / Preference Share Capital	–	–
योग / Total	**450,00,00,000**	**450,00,00,000**
अनुसूची / SCHEDULE II:		
आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां / Reserves, Surplus and Funds		
क) आरक्षितियां / A) Reserves		
i) सामान्य आरक्षितियां / General Reserve		
- अथ शेष / Opening Balance	6438,31,73,555	5503,31,73,555
- वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1190,00,00,000	935,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	–
- इति शेष / Closing Balance	**7628,31,73,555**	**6438,31,73,555**
ii) विशेष आरक्षितियां / Specific Reserves		
क) निवेश आरक्षिति / a) Investment Reserve		
- अथ शेष / Opening Balance	55,19,63,645	55,19,63,645
- वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	–	–
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	–
- इति शेष / Closing Balance	**55,19,63,645**	**55,19,63,645**
ख) आयकर अधिनियम, 1961की धारा 36 (1)(viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां **b) Special Reserve created and maintained u/s 36 (1) (viii) of The Income Tax Act, 1961**		
- अथ शेष / Opening Balance	1197,00,00,000	1117,00,00,000
- वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	80,00,00,000	80,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	–
- इति शेष / Closing Balance	**1277,00,00,000**	**1197,00,00,000**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
ग) अन्य आरक्षितियाँ / c) Other Reserves		
i) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति / Investment Fluctuation Reserve		
- अथ शेष / Opening Balance	46,64,91,955	78,82,93,354
- वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	**5,91,56,175**	–
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	32,18,01,399
- इति शेष / Closing Balance	**52,56,48,130**	**46,64,91,955**
(ख) लाभ - हानि खाते में अधिशेष / B) Surplus in Profit and Loss account	**39,73,69,861**	**35,92,46,808**
(ग) निधियाँ / C) Funds		
क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि / a) National Equity Fund		
- अथ शेष / Opening Balance	247,11,20,023	243,22,48,570
- वर्ष के दौरान परिवर्धन/प्रतिलेखन / Additions / Write back during the year	6,97,48,250	3,88,71,453
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	–
- इति शेष / Closing Balance	**254,08,68,273**	**247,11,20,023**
ख) स्टाफ कल्याण निधि / b) Staff Welfare Fund		
- अथ शेष / Opening Balance	22,07,97,120	22,63,72,265
- वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2,00,00,000	1,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	1,37,40,138	1,55,75,145
- इति शेष / Closing Balance	**22,70,56,982**	**22,07,97,120**
ग) अन्य / c) Others	**–**	**–**
योग / Total	**9329,60,80,446**	**8042,27,93,107**
अनुसूची / SCHEDULE III		
जमा / Deposits		
क) सावधि जमा / A) Fixed Deposits	**1157,69,17,994**	**928,26,37,419**
ख) बैंकों से / B) From Banks		
क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत / a) Under MSME Refinance Fund	10289,12,50,000	15000,00,00,000
ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूँजी निधि के अंतर्गत / b) Under MSME Risk Capital Fund	1500,00,00,000	1000,00,00,000
ग) अन्य - विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से / c) Others - From Foreign & Private Sector Banks	–	–
घ) एम एस एम ई इंडिया ऑपर्चुनिटीज वेंचर फण्ड के अंतर्गत d) Under MSME INDIA Opportunities Venture Fund	500,00,00,000	500,00,00,000
उप-योग (ख) / Subtotal (B)	**12289,12,50,000**	**16500,00,00,000**
योग / Total	**13446,81,67,994**	**17428,26,37,419**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
अनुसूची / SCHEDULE IV		
उधारियां / BORROWINGS		
I) भारत में उधारियां / Borrowings in India		
1. भारतीय रिजर्व बैंक से / From Reserve Bank of India	–	5000,00,00,000
2. भारत सरकार से / From Government of India (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त ₹ 2,172.80 करोड़ के बॉण्ड सहित) (including Bonds subscribed by GOI of ₹ 2,172.80 crore)	3084,04,85,859	3161,79,92,413
3. बॉण्ड एवं डिबेंचर / Bonds & Debentures	10443,60,00,000	13066,60,00,000
4. अन्य स्रोतों से / From Other Sources		
- वाणिज्यिक पत्र / Commercial Paper	6625,00,00,000	3650,00,00,000
- जमा प्रमाण पत्र / Certificate of Deposits	–	–
- बैंकों से सावधि ऋण / Term Loans from Banks	887,79,89,157	905,17,89,999
- सावधि मुद्रा उधारियाँ / Term Money Borrowings	–	–
- अन्य / Others	398,77,06,490	49,93,25,569
उप-योग / Subtotal (I)	**21439,21,81,506**	**25833,51,07,981**
II) भारत से बाहर उधारियाँ / Borrowings outside India		
(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी / (a) KFW, Germany	1207,58,56,266	1314,99,52,598
(ख) जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जाइका) (b) Japan International Cooperation Agency (JICA)	4264,85,08,020	4277,84,46,222
(ग) आईएफएडी, रोम / (c) IFAD, Rome	128,75,19,696	128,37,60,894
(घ) विश्व बैंक / (d) World Bank	3160,27,74,690	3503,91,84,661
(ड) अन्य / (e) Others	472,18,89,785	559,38,64,032
उप-योग / Subtotal (II)	**9233,65,48,457**	**9784,52,08,407**
योग / Total (I & II)	**30672,87,29,963**	**35618,03,16,388**
अनुसूची / SCHEDULE V		
अन्य देयताएं व प्रावधान / Other Liabilities and Provisions:		
उपचित ब्याज / Interest Accrued	301,45,42,566	362,34,55,627
अन्य (प्रावधान सहित) / Others (including provisions)	4637,67,58,975	4179,32,70,087
विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान / Provisions for Exchange Rate Fluctuation	1443,14,85,860	1283,11,87,410

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान Contingent provisions against standard assets	315,37,55,628	315,37,55,628
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित) Proposed Dividend (including tax on dividend)	135,40,23,529	131,61,93,750
योग / Total	**6833,05,66,558**	**6271,78,62,502**
आस्तियाँ / ASSETS		
अनुसूची / SCHEDULE VI		
नकदी और बैंक अतिशेष / Cash & Bank Balances		
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Cash in Hand & Balances with Reserve Bank of India	6,89,676	7,05,464
2. अन्य बैंकों में अतिशेष / Balances with Other Banks	–	–
(क) भारत में / (a) In India		
i) चालू खातों में / in current accounts	17,93,80,001	36,64,76,226
ii) अन्य निक्षेप खातों में / in other deposit accounts	103,92,63,837	347,51,06,947
(ख) भारत के बाहर / (b) Outside India		
i) चालू खातों में / in current accounts	21,61,73,877	8,63,47,523
ii) अन्य जमा खातों में / in other deposit accounts	884,98,82,483	1534,85,91,641
योग / Total	**1028,53,89,874**	**1927,72,27,801**
अनुसूची / SCHEDULE VII		
निवेश / Investments [प्रावधानों को घटाकर / net of provisions]		
क) राजकोषीय परिचालन / A) Treasury operations		
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ / Securities of Central and State Governments	917,02,67,985	378,83,78,095
2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयर / Shares of Banks & Financial Institutions	23,95,12,137	23,95,12,137
3. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स Bonds & Debentures of Banks & Financial Institutions	531,10,90,288	556,38,92,000

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
4. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स Stocks, Shares, bonds & Debentures of Industrial Concerns	247,81,38,842	250,24,16,342
5. अल्पावधि बिल पुनर्भुनाई योजना / Short Term Bills Rediscounting Scheme	–	–
6. अन्य / Others	325,00,00,000	825,44,66,583
उप-योग (क) / Subtotal (A)	**2044,90,09,252**	**2034,86,65,157**
ख) व्यवसाय परिचालन / B) Business Operations		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयर / Shares of Banks & Financial Institutions	60,92,61,440	62,56,61,440
2. बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स Bonds & Debentures of Banks & Financial Institutions	26,77,312	26,77,312
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स Stocks, Shares, bonds & Debentures of Industrial Concerns	502,26,43,504	607,02,49,879
4. सहायक संगठनों में निवेश / Investment in Subsidiaries	1,09,98,740	1,04,98,800
5. अन्य / Others	320,12,59,787	241,33,96,897
उप-योग (ख) / Subtotal (B)	**884,68,40,783**	**912,24,84,328**
योग (क+ख) / Total (A+B)	**2929,58,50,035**	**2947,11,49,485**
अनुसूची / SCHEDULE VIII		
ऋण एवं अग्रिम / Loans & Advances [प्रावधान के बाद / Net of Provisions]		
क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त / A) Refinance to		
- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ / Banks and Financial Institutions	38098,83,05,725	40383,09,61,127
- अल्प वित्त संस्थाएँ / Micro Finance Institutions	1602,98,74,150	1169,52,05,368
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ / NBFC	4054,29,66,100	4749,13,22,100
- बिलों की पुनर्भुनाई / Bills Rediscounted	–	2956,00,00,000
- अन्य (संसाधन सहायता) / Others (Resource Support)	–	–
उप-योग (क) / Subtotal (A)	**43756,11,45,975**	**49257,74,88,595**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
ख) प्रत्यक्ष ऋण / B) Direct Loans		
- ऋण एवं अग्रिम / Loans and Advances	9501,86,05,887	9144,11,95,442
- प्राप्य वित्त योजना / Receivable Finance Scheme	2082,89,98,468	2841,83,77,451
- भुनाए गए बिल / Bills Discounted	1,71,87,870	26,99,33,596
उप-योग (ख) / Subtotal (B)	**11586,47,92,225**	**12012,95,06,489**
योग (क+ख) / Total (A+B)	**55342,59,38,200**	**61270,69,95,084**
अनुसूची / SCHEDULE IX		
स्थिर आस्तियां / Fixed Assets [मूल्यह्रास घटाकर / Net of Depreciation]		
1. परिसर / Premises	204,62,60,684	192,70,47,584
2. अन्य / Others	1,47,41,236	1,93,46,875
योग / Total	**206,10,01,920**	**194,63,94,459**
अनुसूची / SCHEDULE X		
अन्य आस्तियां / Other Assets:		
उपचित ब्याज / Accrued Interest	674,53,99,425	704,74,90,615
अग्रिम कर (प्रावधान के बाद) / Advance Tax (Net of provision)	193,41,63,275	103,40,26,063
अन्य Others	156,05,16,130	540,89,67,745
व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है / Expenditure to the extent not written off	324,21,56,263	121,13,58,164
योग / Total	**1348,22,35,093**	**1470,18,42,587**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
अनुसूची / SCHEDULE XI		
आकस्मिक देयताएँ / Contingent Liabilities		
i) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts	212,99,95,882	135,28,35,372
ii) गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप On account of Guarantees / Letters of Credit	134,78,28,441	337,45,25,203
iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप On account of Forward Contracts	26,40,40,369	52,69,03,816
iv) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप On account of Underwriting Commitments	–	–
v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबेंचरों पर न मांगी गई राशियों के फलस्वरूप On account of uncalled monies on partly paid shares, debentures	–	–
vi) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है Other items for which the Bank is contingently liable (derivatives contracts etc.)	7266,58,15,219	5993,93,23,562
योग / Total	**7640,76,79,911**	**6519,35,87,953**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते की अनुसूचियाँ / Schedules to Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2015

(₹)

	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
अनुसूची / SCHEDULE XII		
ब्याज और बट्टा / Interest and Discount		
1. ऋणों, अग्रिमों और बिलों पर ब्याज एवं बट्टा Interest and Discount on Loans, Advances and Bills	5157,85,57,270	5383,48,58,138
2. निवेश / बैंक अतिशेष पर आय / Income on Investments / Bank balances	339,20,04,895	235,49,83,510
योग / Total	**5497,05,62,165**	**5618,98,41,648**
अनुसूची / SCHEDULE XIII		
अन्य आय / Other Income:		
1. अपफ्रंट और कार्रवाई शुल्क / Upfront and Processing Fees	31,29,45,422	36,76,63,903
2. कमीशन और दलाली / Commission and Brokerage	2,48,91,574	2,09,46,605
3. निवेशों की बिक्री से लाभ / Profit on sale of Investments	159,19,75,700	80,65,45,243
4. सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं से लाभांश, आदि के जरिये अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries / Associates	3,74,97,750	3,74,97,750
5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान / Provision of Earlier Years written Back	–	–
6. अन्य (संदर्भ : टिप्पणी सं. 14) / Others (Refer note no. 14)	47,67,53,755	66,06,68,727
योग / Total	**244,40,64,201**	**189,33,22,228**
अनुसूची / SCHEDULE XIV		
परिचालन व्यय / Operating Expenses:		
कर्मचारियों के लिए किए गए भुगतान और प्रावधान Payments to and provisions for employees	321,64,08,021	190,24,08,098
किराया, कर और बिजली / Rent Taxes and Lighting	19,40,75,820	16,62,40,563
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री / Printing & Stationery	80,76,678	91,79,577
विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and Publicity	3,51,34,259	2,76,13,901
बैंक की संपत्ति में मूल्यह्रास /परिशोधन / Depreciation / Amortisation on Bank's Property	13,55,74,500	11,82,74,218

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते की अनुसूचियाँ / Schedules to Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2015

(₹)

	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
निदेशकों की फीस, भत्ते व व्यय / Directors' fees allowances and expenses	52,15,034	46,69,019
लेखापरीक्षकों की फीस / Auditor's Fees	59,65,360	44,30,761
विधि प्रभार / Law Charges	1,68,29,194	1,26,28,111
डाक, कुरियर, दूरभाष, आदि / Postage Courier, Telephones etc	30,93,964	33,28,005
मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	9,21,18,469	9,73,95,929
बीमा / Insurance	47,74,952	44,51,363
सीजीटीएमएसई को अंशदान / Contribution to CGTMSE	18,74,75,000	18,74,75,000
अन्य व्यय / Other Expenditure	59,04,06,757	55,56,62,592
योग / Total	**449,51,48,008**	**309,37,57,137**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

अनुसूची XV – महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लागू जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। बैंक द्वारा लागू की गई लेखा नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी संशोधन का निर्धारण संबंधित लेखा मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाता है।

2. राजस्व निर्धारण

क) आय

i. दाण्डिक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय उन मामलों के,

SCHEDULE XV – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared to comply in all material respects with the Small Industries Development Bank of India Act, 1989, prudential norms prescribed by Reserve Bank of India, applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and practices prevailing in the Banking Industry. The financial statements have been prepared under the historical cost convention on an accrual basis, unless otherwise stated. The accounting policies that are applied by the Bank, are consistent with those used in the previous year.

Use of Estimates :

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent liabilities on the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the period reported. Actual results could differ from those estimates. Any revision to accounting estimates is recognised in accordance with the requirements of the respective accounting standard

2. REVENUE RECOGNITION

A) INCOME :

i. Interest income including penal

जहां भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त/बिल चुकौती तुलनपत्र की तारीख को 90 दिन से अधिक समय से देय हो। ऐसे ऋण खातों की प्राप्य राशि/बिल वित्त पोषण के संबंध में ब्याज को वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया गया है। गैर निष्पादक निवेशों पर आय को छोड़कर निवेश पर ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ii. लाभ और हानि लेखा में आय, सकल रूप में अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों तथा बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों हेतु प्रावधान जैसे अन्य प्रावधानों से पहले दर्शायी गई है।

iii. बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई तथा जमा प्रमाणपत्र तथा वाणिज्यिक पत्रों के संबंध में प्राप्त बट्टा राशि को लिखतों की मीयाद के अनुसार संविभाजित कर दिया गया है।

iv. मानक (निष्पादक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूंजी/सुलभ ऋण सहायता पर सेवा प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

v. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर लाभांश को वसूली के पश्चात आय माना गया है।

vi. उद्यम पूंजी निधियों से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है।

vii. गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया गया है:

interest is accounted for on accrual basis, except where interest and / or installment of principal / bills repayment is due for more than 90 days as on the date of Balance Sheet as per RBI norms. Interest in respect of such loan accounts and receivable / bills finance is taken credit on actual receipt basis. Interest income from Investments is accounted for on accrual basis, except income on non performing investments.

ii. Income in the Profit and Loss Account is shown gross i.e. before provisions as per RBI guidelines and other provisions as per Bank's internal policy.

iii. Discount received in respect of bills discounted / rediscounted and on Certificate of Deposit and Commercial Papers is apportioned over the period of usance of the instruments.

iv. Commitment charges, service charges on seed capital / soft loan assistance and royalty income are accounted for on accrual basis in respect of standard (performing) assets

v. Dividend on shares held in industrial concerns and financial institutions is recognised as income when realized.

vi. Income from Venture Capital funds are accounted on realisation basis.

vii. Recovery in non-performing assets (NPA) is to be appropriated in the following order :

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(क) गैर-निष्पादक आस्ति होने की तारीख तक अतिदेय ब्याज

(ख) मूलधन

(ग) लागत और प्रभार

(घ) ब्याज और

(ड.) दांडिक ब्याज

viii. सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण और अग्रिम की बिक्री से अभिलाभ/हानि को बिक्री के समय हिसाब में लिया गया है।

ix. निवेश की बिक्री में लाभ या हानि: किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री में लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखा में ले जाया गया है। तथापि ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि को पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है।

ख) व्यय

i. विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ii. जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

3. निवेश

i. भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को ''परिपक्वता तक धारित'' ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' तथा ''व्यापार हेतु धारित'' की श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया

a) overdue interest upto the date of NPA,

b) principal,

c) cost & charges,

d) interest and

e) penal interest.

viii. Gain/loss on sale of loans and advances through direct assignment is recognized at the time of sale.

ix. Profit or loss on sale of investment: Profit or loss on sale of investments in any category is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments under "Held to Maturity" category an equivalent amount is appropriated to Capital Reserves Account.

B) EXPENDITURE :

i. All expenditure are accounted for on accrual basis except Development Expenditure which is accounted for on cash basis.

ii. Discount on Bonds and Commercial papers issued are amortized over the tenure of Bonds and Commercial Paper. The expenses relating to issue of Bonds are amortized over the tenure of the Bonds.

3. INVESTMENTS

i. In terms of extant guidelines of the Reserve Bank of India, the entire investment portfolio is categorised as "Held to Maturity", "Available

है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है :

क. सरकारी प्रतिभूतियां,

ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां,

ग. शेयर,

घ. डिबेंचर तथा बॉण्ड,

ङ. सहायक संस्थाएं / संयुक्त उपक्रम और

च. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, जमा प्रमाण पत्र आदि)

(क) परिपक्वता तक धारित

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसा होने पर प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी को छोड़कर, हेतु प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया गया है।

(ख) व्यापार हेतु धारित

अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए व्यापार करने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को ''व्यापार हेतु धारित'' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समग्र रूप से पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है

for Sale" and "Held for Trading". Investments are valued in accordance with RBI guidelines. The investments under each category are further classified as:

a. Government Securities,

b. Other approved securities,

c. Shares,

d. Debentures & Bonds,

e. Subsidiaries / joint ventures and

f. Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Certificate of Deposits etc.)

(a) Held to Maturity:

Investments acquired with the intention to hold till maturity are categorized under Held to Maturity. Such investments are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries/ joint ventures under this category is provided for each investment individually.

(b) Held for Trading :

Investments acquired with the intention to trade by taking advantage of the short-term price/interest rate movements are categorized under Held for Trading. The investments in this category are revalued as a whole

और अलग-अलग स्क्रिपों के बही मूल्य में तदनुरूप परिवर्तन कर दिया गया है।

(ग) बिक्री हेतु उपलब्ध

उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आने वाले निवेशों को ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज कर दिया गया है। अलग-अलग स्क्रिपों के बही मूल्य में परिर्वतन नहीं किया गया है।

ii जो डिबेंचर/बॉण्ड/शेयर अग्रिम की प्रवृत्ति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।

iii निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है।

iv बीज पूंजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सूची से इतर निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्रा संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-11 के अनुसार किया गया है।

and net appreciation /depreciation is recognized in the profit & loss account, with corresponding change in the book value of the individual scrips.

(c) Available for Sale :

Investments which do not fall within the above two categories are categorized under Available for Sale. The individual scrip under this category are revalued and net depreciation under any of the classification mentioned above is recognized in the profit & loss account. Net appreciation under any classification is ignored. The book value of individual scrip is not changed.

ii The debentures / bonds / shares deemed to be in the nature of advance, are subject to the usual prudential norms applicable to loans & advances.

iii Cost of investments is determined on the weighted average cost method.

iv In respect of unquoted investments in industrial concerns under Seed Capital Scheme, full provision has been made.

4. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Foreign currency transactions are recorded in the books of account in respective foreign currencies. Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS)-11 issued by Institute of Chartered Accountants of India:

1. आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों के अनुसार परिवर्तित किया गया है।

2. आय और व्यय को वास्तविक विक्रय/क्रय के जरिए मासिक अंतरालों पर परिवर्तित किया गया है और लाभ और हानि लेखे में तदनुसार हिसाब में लिया गया है।

3. विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा ऋण-व्यवस्था पर पुनर्मूल्यांकन अन्तर को भारत सरकार के परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और रिकॉर्ड किया जाता है।

4. व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

5. व्युत्पन्नी

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के लिये वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नी संव्यवहारों जैसे अंतर-मुद्रा ब्याज दर विनिमय, में व्यवहार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार बचाव के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुबंधित रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संव्यवहार अनुबंधों पर आधारित देयताओं को तुलन पत्र की तारीख पर रिपोर्ट किया गया है।

6. ऋण और अग्रिम

1. आस्तियों, अर्थात ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों को उनके वसूली रिकॉर्ड के आधार पर मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों में विहित मानदंडों के अनुसार किया गया है।

1. Assets and Liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

2. Income and Expenses are translated at monthly intervals through actual sale/ purchase and recognized in the profit and loss account accordingly.

3. The revaluation difference on foreign currency LoC is adjusted and recorded in a special account opened and maintained, in consultation with GOI for managing exchange risk.

4. The Bank follows hedge accounting in respect of derivative transactions as per RBI guidelines.

5. DERIVATIVES

The Bank presently deals in currency derivatives viz., Cross Currency Interest Rate swaps for hedging its foreign currency liabilities. Based on RBI guidelines, the above derivatives undertaken for hedging purposes are accounted on an accrual basis. Contingent Liabilities on account of derivative contracts at contracted rupee amount are reported on the Balance Sheet date.

6. LOANS AND ADVANCES

1. Assets representing loan and other assistance portfolios are classified based on record of recovery as Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss Assets. Provision is made for assets, as per the norms in accordance with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

2. तुलन पत्र में उल्लिखित अग्रिम, गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर हैं।

3. मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

4. चल प्रावधान भारतीय रिज़र्व के दिशा निर्देशानुसार किए और उपयोग में लाए गए है।

7. कराधान

(i) कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आयकर की गणना आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर प्राधिकारियों को अदा की जाने वाली संभावित राशि के आधार पर की जाती है।

(ii) आस्थगित आयकर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतरालों के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलनपत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।

(iii) आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

2. Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non performing assets.

3. General provision on Standard Assets is made as per RBI guidelines.

4. Floating provision is made and utilized as per RBI guidelines

7. TAXATION

(i) Tax expense comprises both current tax and deferred taxes. Current income tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with Income Tax Act.

(ii) Deferred income taxes reflects the impact of the current year timing differences between taxable income and accounting income for the year and reversal of timing differences of earlier years. Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date.

(iii) Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. Unrecognized deferred assets of earlier years are re-assessed and recognized to the extent that it has become reasonably certain that future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised.

8. प्रतिभूतीकरण

बैंक क्रेडिट रेटिंग युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति समूहों को बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-थ्रू-प्रमाणपत्रों के जरिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

बैंक द्विपक्षीय सीधे समनुदेशन के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

बैंक सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन लेन-देनों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हकदार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धांत के आधार पर सीधे समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है। बैंक वचन पत्र के रूप में भी ऋण प्रदान करता है। बैंक द्वारा ऋण प्रदान किए जाने या आश्रय दायित्व स्वीकार किए जाने के संबंध में ''एएस 29, प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार उपयुक्त प्रकटन किया जाता है।

बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों के जीवनकाल के अनुसार हिसाब में लिया जा रहा है।

8. SECURITISATION

The Bank purchases credit rated Micro, Small and Medium Enterprises Asset pools from Banks / Non Banking Finance Companies by way of pass- through certificates issued by the Special Purpose Vehicle. Such securitisation transactions are classified as Investments under Held for Trading / Available For Sale category depending upon the investment objective.

The Bank purchases credit rated pool of Micro, Small and Medium Enterprises assets under bilateral direct assignment. Such direct assignment transactions are accounted for as 'advances' by the Bank.

The Bank enters into sale of Loans & Advances through direct assignment. In most of the cases, the Bank continues to service the Loans & Advances sold under these transactions and is entitled to the Residual interest on the Loans & Advances sold. Assets sold under direct assignment are derecognised in the books of the Bank based on the principle of surrender of control over the assets. The Bank also provides credit enhancement in the form of letter of commitment. In respect of credit enhancements provided or recourse obligations accepted by the Bank, appropriate disclosure is made in accordance with AS 29, Provisions, contingent liabilities and contingent assets.

The residual income on the Loans & Advances sold is being recognised over the life of the underlying Loans & Advances.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

9. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ए आर सी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

(i) गैर निष्पादक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है। एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल अथवा उसके भाग को प्रतिभूति प्राप्ति के रूप में निवेश समझा जाता है।

(ii) यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात बही मूल्य में से धारित प्रावधान घटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम पर की जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को प्रतिवर्तित नहीं किया जाता है, बल्कि उसका उपयोग अन्य गैर-निष्पादक आस्तियों की बिक्री से उत्पन्न कमी/हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।

10. स्टाफ के हितार्थ प्रावधान

क] सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

(i) भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निर्धारित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान वर्ष के लाभ और हानि लेखे पर प्रभारित होते हैं।

(ii) ग्रेच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निर्धारित लाभकारी दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे- क्षतिपूरित अनुपस्थितियां, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ, छुटटी किराया रियायत आदि का प्रावधान एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर हर वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है, जो अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।

9. SALE OF FINANCIAL ASSETS TO ASSET RECONSTRUCTION COMPANIES (ARCs):

(i) The sale of NPA's is on cash basis or investment in Security Receipt (SR) basis. In case of sale on SR basis, the sale consideration or part thereof is treated as investment in the form of SRs.

(ii) The assets if sold at a price below the Net Book Value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss A/c. In case the sale value being higher than NBV, the excess provision held is not reversed but utilized to meet the Shortfall/ Loss on account of sale of other non-performing assets.

10. PROVISIONING FOR STAFF BENEFITS

A] Post retirement benefits:

(i) Provident Fund is a defined contribution scheme administered by the Bank and the contributions are charged to the Profit & Loss Account of the year.

(ii) Gratuity liability and Pension liability are defined benefit obligations and other long term employee benefits like compensated absences, post retirement medical benefits, leave fare concession etc. are provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of each financial year based on the projected unit credit method.

(iii) नई पेंशन योजना निश्चित अंशदान वाली योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक सीमित है। यह अंशदान लाभ-हानि खाते में भारित होता है।

(iv) बीमांकिक लाभ/हानि तत्काल लाभ-हानि लेखे में दर्ज किए जाते हैं और आस्थगित नहीं किए जाते हैं।

(v) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का व्यय जिस वर्ष होता है, उसी वर्ष के लाभ-हानि लेखे में उसे प्रभारित किया जाता है।

ख] सेवा - कालिक (अल्पावधि) लाभ

अल्पावधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर-बट्टा आधार पर होता है और उस सेवा अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार बनता है।

11. स्थिर आस्तियां और मूल्यह्रास

क) स्थिर आस्तियां लागत में से मूल्यह्रास घटाकर दर्शाई गई हैं।

ख) पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान, पूंजीकरण की तिथि कोई भी होने पर, निम्नवत किया गया है:

(i) फर्नीचर और फिक्स्चर: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियां - 100 प्रतिशत की दर से

(ii) कम्प्यूटर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर - 100 प्रतिशत की दर से

(iii) भवन-मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति पर - 5 प्रतिशत की दर से

(iii) New Pension Scheme is a defined contribution scheme and is applicable to employees who have joined bank on or after Dec 1, 2011. Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss Account.

(iv) Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

(v) Payments made under the Voluntary Retirement Scheme are charged to the Profit & Loss account in the year of expenses incurred.

B] Benefits (Short – term) while in service

Liability on account of Short term benefits are determined on an undiscounted basis and recognised over the period of service, which entitles the employees to such benefits.

11. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

a) Fixed Assets are shown at cost less depreciation.

b) Depreciation for the full year, irrespective of date of capitalization, is provided on :

(i) Furniture and fixture : For assets owned by Bank @ 100 percent

(ii) Computer and Computer Software @ 100 percent

(iii) Building @ 5 percent on WDV basis

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(iv) विद्युत संस्थापनाएं: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियां - मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति पर - 50 प्रतिशत की दर से

(v) मोटर कार - सीधी रेखा पद्धति - 50 प्रतिशत की दर से

ग) वस्तुओं के जुड़ाव पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है किन्तु बिक्री/निपटान के वर्ष के लिए मूल्यह्रास नही होता।

घ) पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि पर्यंत किया जाता है।

12. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक आस्तियां

जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किये जाते हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और तुलन पत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलन पत्र की अनुसूचियों में दिए जाते हैं।

13. अनुदान एवं सब्सिडी

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन, करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14. परिचालनगत पट्टा

पट्टा संबंधी किराये को, भुगतान के लिए देय होने पर, लाभ एवं हानि खाते में खर्च / आय के रूप में दर्शाया जाता है।

(iv) Electrical Installations: For assets owned by Bank @ 50 percent on WDV basis.

(v) Motor Car - Straight Line Method @ 50 percent.

c) Depreciation on additions is provided for full year and no depreciation is provided in the year of sale/disposal.

d) Leasehold land is amortised over the period of lease.

12. PROVISION FOR CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS.

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events, it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements. Contingent liabilities are not provided for and are disclosed in the balance sheet and details given by way of Schedule to the Balance Sheet.

13. GRANTS AND SUBSIDIES

Grants and subsidies from the Government and other agencies are accounted as per the terms and conditions of the agreement.

14. OPERATING LEASE

Lease rentals are recognized as an expense/ income in the Profit and Loss Account as they become due for payments.

15. आस्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को आस्तियों की रख-रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी अनर्जन का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सके।

अ) अनर्जक हानि, यदि कोई हो, हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा

ब) पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित अनर्जन, यदि कोई हो, हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन निर्धारण.

यदि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो अनर्जक हानि का निर्धारण किया जाता है।

15. IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date, if there is any indication of impairment based on internal/external factors, to recognize,

a) the provision for impairment loss, if any required; or

b) the reversal, if any, required for impairment loss recognized in the previous periods.

Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

		31 मार्च, 2015 March 31, 2015	March 31, 2014 31 मार्च, 2014
अनुसूची / SCHEDULE XVI - लेखा की टिप्पणियां / NOTES TO ACCOUNTS			
1	**अनुसूची IV में उधारियों के अंतर्गत बॉण्ड व डिबेंचर में निम्नलिखित शामिल हैं : 'Bonds and Debentures' under Borrowings in schedule IV includes the following :**		
	क) प्रतिभूतिरहित बॉण्ड / a) Unsecured Bonds	10443,60,00,000	13066,60,00,000
2	**अनुसूची V में अन्य देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत 'अन्य' में निम्नलिखित शामिल हैं : 'Others' under Other Liabilities and Provisions in schedule V include the following :**		
	क) सिडबी अक्षमता सहायता निधि / a) SIDBI Disability Assistance Fund	2,54,07,762	2,54,46,152
	ख) सिडबी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना / वित्तीय वर्ष 2015 में कार्यान्वित चिकित्सा सहायता योजना b) SIDBI Voluntary Health Scheme / Medical Assistance Scheme implemented in FY 2015	19,61,99,634	11,12,62,156
3	**अनुसूची X में अन्य आस्तियों के अंतर्गत 'व्यय, जहां तक बट्टे खाते नहीं डाले गए' में निम्नलिखित शामिल हैं : 'Expenditure to the extent not written off' under Other Assets in schedule X includes the following:**		
	क) आरबीआई एनआईसी (एलटीओ) के भारत सरकार के बॉण्डों में अंतरण पर प्रीमियम a) Premium on transfer of RBI NIC(LTO) to GoI Bonds	45,23,25,904	51,69,43,890
	ख) अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा - वाणिज्य पत्र b) Discount paid in Advance - Commercial Paper	275,30,66,324	63,71,54,031
	ग) अप्रतिभूत बॉण्ड जारी करने पर व्यय c) Expenditure on Issuance of Unsecured Bonds	3,67,64,035	5,72,60,243
4	**ब्याज व वित्तीय प्रभार / Interest and Financial Charges**		
	क) उधारियों पर ब्याज / a) Interest on Borrowings	1885,99,73,478	1923,30,15,964
	ख) जमा पर ब्याज / b) Interest on Deposits	974,69,49,906	1053,18,29,112
	ग) वित्तीय प्रभार / c) Financial Charges	513,03,10,755	360,60,67,023
	योग / Total	**3373,72,34,139**	**3337,09,12,099**
5	अप्रावधानित पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (प्रदत्त अग्रिम को छोड़कर) Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Account not provided for (net of advance paid)	1,62,64,651	3,16,59,234

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

6	परिसर में परिसर अभिग्रहण से संबंधित अग्रिम राशियां ₹ 9,21,17,099 (पिछले वर्ष - ₹ 22,26,552) एवं प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य से संबंधित ₹ 83,76,726 (पिछले वर्ष - ₹ 7,99,28,334) शामिल हैं । Premises include advances towards acquisition of Premises ₹ 9,21,17,099 (Previous Year - ₹ 22,26,552) and Capital Work in Progress ₹ 83,76,726 (Previous Year - ₹ 7,99,28,334).
7	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) (जिसे पहले जापान बैंक आफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन -जेबीआईसी के नाम से जाना जाता था) से ऋण व्यवस्था V के अंतर्गत प्राप्त 30 बिलियन जापानी येन के विदेशी मुद्रा उधार के संबंध में भारत सरकार के साथ सहमत शर्तों के अनुसार विनिमय दर उतार-चढ़ाव निधि (ईआरएफएफ) सृजित की गई है एवं उसे विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव आरक्षिति निधि में शामिल किया गया है । विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण मूलधन खाते में आए ₹ 328,82,93,718 के अंतर (पिछले वर्ष - ₹ 462,85,94,913) को भारत सरकार की अनुमति के स्वरूप विनिमय दर उतार-चढ़ाव निधि में समायोजित किया गया है । यदि भविष्य में जरूरी हुआ, तो निधि खाते में भारत सरकार के निदेशानुसार समायोजन किया जाएगा । यदि निधि में अतिशेष अपर्याप्त रहता है, तो इसका दावा भारत सरकार से किया जाएगा । In respect of foreign currency borrowings of JPY 30 billion under Line V from Japan International Cooperation Agency (JICA) (previously known as Japan Bank of International Cooperation-JBIC), Exchange Rate Fluctuation Fund (ERFF) has been created as per terms agreed with Government of India (GOI) and included in Foreign Currency Fluctuation Reserve Fund. The difference on account of exchange fluctuation arising on principal account amounting to ₹ 328,82,93,718 (Previous Year - ₹ 462,85,94,913) has been netted off against ERFF as permitted by the Government of India. Adjustment to the Fund Account, if necessary, will be made as per directions of Government of India in future. If the balance in the Fund is insufficient, the claim will be on Government of India.
8	जाइका ऋण IV के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त ₹ 392,47,99,946 (पिछले वर्ष - ₹ 436,08,88,828) की उधारी को तुलनपत्र में 'अनुसूची IV- उधारियाँ' में अपने ऐतिहासिक रुपए मूल्य में अग्रेनीत किया गया है, क्योंकि करार के अंतर्गत सिडबी की मूलधन चुकौती की देयता रुपये में ऋण और इस ऋण के लिए रखे गए ईआरएफएफ के शेष के योग से अधिक होने की अपेक्षा नहीं की जाती है । इस ऋण के लिए रखे ईआरएफएफ में 31 मार्च, 2015 को शेष ₹ 343,87,54,657 (पिछले वर्ष - ₹ 368,63,08,330) है । The borrowing of ₹ 392,47,99,946 (Previous Year - ₹ 436,08,88,828) from Govt. of India under the JICA IV loan is carried forward in the 'schedule IV - Borrowings' to the Balance Sheet at its historic rupee value since SIDBI's liability towards principal repayment under the agreement, is not expected to exceed the aggregate of rupee borrowings and the balance in the ERFF maintained for this loan. The balance as on March 31, 2015 in ERFF maintained for this loan is ₹ 343,87,54,657 (Previous Year - ₹ 368,63,08,330).
9	अनुसूची XIII में दी गई आय - वित्त वर्ष 2014- 15 हेतु 'अन्य आय' में पूर्व अवधि की आय (₹ 4,70,78,493) [पिछले वर्ष - ₹ 1,39,39,865)] शामिल है तथा अनुसूची XIV के अन्य व्यय वित्त वर्ष 2015 हेतु परिचालनगत व्ययों' में पूर्व अवधि की व्यय राशि (₹ 72,20,600) [पिछले वर्ष - ₹ 4,87,92,475] शामिल है। Income in schedule XIII - 'other income' for FY 2014-15 includes Prior Period Income of (₹ 4,70,78,493) [Previous Year ₹ 1,39,39,865] and Other expenditure in schedule XIV - 'Operating Expenses' for FY 2015 includes Prior Period Expenditure of (₹ 72,20,600) [Previous Year ₹ 4,87,92,475].
10	बैंक ने विश्व बैंक से 300 मिलियन डालर की ऋण-व्यवस्था की संविदा की । यह टिकाऊ और उत्तरदायित्व पूर्ण अल्पवित्त परियोजना को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए है । इसमें 65.9 मिलियन एसडीआर (100 मिलियन अमेरिकी डालर के तुल्य) का आईडीए का हिस्सा भी शामिल है । आईडीए ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार उधारकर्ता है और भारत सरकार सिडबी को रुपया ऋण देती है, यद्यपि करार की शर्तों के अनुरूप विनिमय जोखिम का वहन सिडबी द्वारा किया जाना अपेक्षित है । इस प्रकार यद्यपि भारत सरकार ने सिडबी को रुपया फंड जारी किया, तथापि इसे सिडबी के खातों में सही स्थिति दर्शाने हेतु एसडीआर देयता के रूप में दर्ज किया गया, ताकि वर्ष के अंत में आंकड़ों में पुनर्मूल्यांकन अंतर उपयुक्त रूप से प्रदर्शित हो। तदनुसार उक्त ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत 31 मार्च 2015 तक भारत सरकार से किए गए 82.98 मिलियन अमेरिकी डालर (₹ 518.77 करोड़ के बराबर) [गत वर्ष 94.63 मिलियन अमेरिकी डालर (₹ 552.91 करोड़ के बराबर)] के आहरण को एस डी आर देयता के रूप में दर्ज किया गया है तथा विनिमय जोखिम का बचाव सिडबी द्वारा मुद्रा ब्याज दर विनिमय के जरिए किया जा रहा है । इसे अनुसूची IV - 'भारत में उधारियां' के अंतर्गत समूहित किया गया है ।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

10	The Bank has contracted a line of credit for USD 300 million from World Bank for scaling up Sustainable and Responsible Micro Finance Project including IDA portion aggregating SDR 65.9 million (equivalent of USD 100 million). Under IDA line, Govt. of India is the borrower and rupee funds are lent to SIDBI by GOI though the exchange risk on the underlying is required to be borne by SIDBI as per the terms of the agreement. Thus, though GOI released rupee funds to SIDBI the same was recorded as SDR liability in the books of SIDBI to depict correct position so that revaluation difference gets suitably reflected in the year end figures. Accordingly the drawal effected under the above line aggregating USD 82.98 million (equivalent to ₹ 518.77 cr.) as on March 31,2015 [Previous Year USD 94.63 million (equivalent to ₹ 552.91 cr.)] from GOI is recorded as SDR liability and the underlying is being hedged through Currency Interest rate swaps by SIDBI. The same has been grouped under schedule IV - 'Borrowings in India'.
11	भारत सरकार ने सिडबी में ₹ 300 करोड़ की समूह निधि वाली ''इंडिया माइक्रोफाइनान्स ईक्विटी निधि'' सृजित की है । इस निधि का उपयोग सामाजिक रुझान वाली छोटी माइक्रोफाइनान्स कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, टियर – II तथा टियर – III की उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रोफाइनान्स संस्थाओं तथा गैर-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रोफाइनान्स संस्थाओं को ईक्विटी सहायता अथवा किसी अन्य रूप में पूंजी प्रदान करते हुए किया जाएगा, जिनका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन तथा देश के असेवित और अल्पसेवित भागों में परिचालनों का दीर्घावधि टिकाऊपन हासिल करना है । इस निधि का परिचालन/प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जाता है, जिस हेतु निधि के प्रबंधन के लिए सिडबी को एक प्रशासनिक शुल्क प्राप्त होता है । साथ ही, आगम व निर्गम राशियों को फंड को डेबिट/क्रेडिट किया जाता है । अतः, निवेश को हटाकर आईएमईएफ का निधि शेष, तुलनपत्र में 'अन्य देयताएं' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा सभी लाभ / हानियां /आय/व्यय इस निधि का हिस्सा हैं । यथा 31 मार्च 2015 तक निधि में अथशेष ₹ 191.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 210.24 करोड़) रहा। Government of India (GOI) has created "India Microfinance Equity Fund" with SIDBI with a corpus of ₹ 300 crore. The Fund shall be utilised for extending equity or any other form of capital to Tier – II and Tier – III NBFC MFIs and all Non-NBFC MFIs, with a focus on smaller socially oriented MFIs with the objective of poverty alleviation and achieving long term sustainability of operations in unserved and underserved parts of the country." The fund is operated/managed by SIDBI for which an administrative fee for managing the fund is received by SIDBI. Further, the inflows and outflows are debited/credited to the fund. Hence, fund balance of IMEF, net of investment is grouped under "Other Liabilities" in the Balance Sheet and all gains/losses/income/expenditure are the part of the fund. The balance in the fund is ₹ 191.73 crore as on March 31 2015 (Previous year ₹ 210.24 crore).
12	बैंक ने कुल ₹ 905,00,00,000 (बही मूल्य ₹ 898,57,35,777) [गत वर्ष ₹ 379,00,00,000 (बही मूल्य ₹ 366,00,14,453)] की भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों को संपार्श्वीकृत उधार एवं ऋण बाध्यता (सीबीएलओ) हेतु क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के पास गिरवी रखा है । साथ ही, बैंक ने आईडीबीआई बैंक के साथ कार्यशील पूंजी व्यवस्था के अंतर्गत अपने परिचालनों के लिए आईडीबीआई बैंक के पास सावधि जमा राशियां रखी हैं । The Bank has pledged Government Securities & Treasury Bills aggregating to ₹ 905,00,00,000 (book value ₹ 898,57,35,777) [Previous Year ₹ 379,00,00,000 (book value ₹ 366,00,14,453)] with Clearing Corporation of India Ltd. for Collataralised Borrowings and Lending Obligations (CBLO). The Bank has placed Fixed Deposit with IDBI Bank to cover its operations under Working Capital arrangement with IDBI Bank.
13	हेजिंग रणनीति के हिस्से के रूप में बैंक ने विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत आहरित निधियों में से विदेशी मुद्रा जमा को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में रखा है और इन विदेशी मुद्रा निक्षेपों के प्रति भारतीय रुपये में ओवरड्राफ्ट की सुविधा ली है । इन ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के अंतर्गत 31 मार्च, 2015 को बकाया राशि ₹ 797,79,89,157 (गत वर्ष ₹ 905,17,90,000) थी । यथा 31 मार्च 2015, इन विदेशी मुद्रा निक्षेपों पर प्राप्य ब्याज विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के उधारों पर देय ब्याज से मेल खाता है । As a part of hedging strategy, the Bank has placed foreign currency deposits with scheduled commercial banks out of the funds drawn under various lines of credit and have availed overdraft facility in INR against these foreign currency deposits. Outstanding balances under these overdraft facility aggregated to ₹ 797,79,89,157 as on March 31, 2015 (Previous Year ₹ 905,17,90,000). As on March 31, 2015, the interest receivable on these foreign currency deposits matches with the interest payable on borrowings under various lines of credit.
14	अन्य आय में शामिल हैं - विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए अग्रिमों से वसूल हुए ₹ 32.80 करोड़ (गत वर्ष ₹ 52.33 करोड़) Other income includes recoveries on account of advances written off in earlier years ₹ 32.80 crore (previous year ₹ 52.33 crore).

15 कतिपय अधिकारी फ्लैटों के विक्रय विलेख विधिक मामले लंबित होने के कारण निष्पादित नहीं किए गए हैं । 31 मार्च, 2015 को इन फ्लैटों का निवल मूल्यह्रासित मूल्य ₹ 8,71,95,283 (गत वर्ष - ₹ 9,17,84,508) है ।
Conveyance deed in respect of certain Officer's Flats has not been executed due to pending legal matter, the net W.D.V. of these flats is ₹ 8,71,95,283 (Previous year - ₹ 9,17,84,508) as on March 31, 2015.

16 आईएफएडी ने, 18 फरवरी, 2002 के ऋण करार के माध्यम से, सिडबी को 16.35 मिलियन एसडीआर का विदेशी मुद्रा ऋण दिया है । ऋण करार की शर्तों के अनुसार, आईएफएडी ने यूएस डालर में ऋण संवितरण किया है और इसकी चुकौती एसडीआर के समतुल्य यूएस डालर में की जानी है । बैंक ने अपनी लेखा बहियों में तदनुसार लेखांकन किया है ।
IFAD had extended a foreign currency loan to SIDBI of SDR 16.35 million, vide loan agreement dated February 18, 2002. As per the terms of loan agreement, IFAD had disbursed loan in USD and it is to be repaid in USD equivalent to SDR. The Bank has accounted accordingly in the books of account.

17 बैंक ने प्रत्यक्ष समनुदेशन के अंतर्गत अपने अग्रिम संविभाग (प्रत्यक्ष) का विक्रय कर दिया । निम्नलिखित सारणियां, निर्दिष्ट अवधियों के लिए, बैंक द्वारा प्रवर्तक के रूप में किए गए प्रत्यक्ष समनुदेशन कार्यकलाप दर्शाती है।
The Bank has sold its Advances portfolio (Direct) under direct assignment. The following tables set forth, for the periods indicated, the information on direct assignment activity of the Bank as an originator.

(₹)

विवरण / Particulars	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
आरंभिक शेष / Balance as at	–	20,39,19,465
प्रत्यक्ष रूप से समनुदेशित कुल ऋण आस्तियों की संख्या Total number of loan assets direct assigned	–	–
प्रत्यक्ष रूप से समनुदेशित ऋण आस्तियों का कुल बही मूल्य Total book value of loan assets direct assigned	–	–
प्रत्यक्ष रूप से समनुदेशित ऋण आस्तियों से प्राप्त विक्रय मूल्य राशि Sale consideration received for the direct assigned assets	–	–
प्रत्यक्ष समनुदेशन के कारण निवल लाभ / (हानि) Net gain/(loss) on account of direct assignment	–	–

18 **कर्मचारी लाभ / Employee Benefits**
''कर्मचारी लाभ'' (एएस 15) (2005 में संशोधित) पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक के अनुसार बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है :
In accordance with the Accounting Standard on "Employee Benefits" (AS 15) (Revised 2005) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank has classified the various benefits provided to the employees as under:

(क) (a) सुपरिभाषित अंशदान योजना / Defined contribution plan

बैंक ने निम्नलिखित राशियों को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया है :
The Bank has recognized the following amounts in Profit & Loss Account:

(₹)

विवरण / Particulars	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान Employer's contribution to Provident fund	4,49,61,077	4,50,21,831
नयी पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान Employer's contribution to New Pension Scheme	55,70,866	42,19,482

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(ख) (b)	बैंक की सुपरिभाषित लाभ पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजनाएं हैं, जिनका प्रबंधन ट्रस्ट के जरिए किया जाता है । **The Bank is having defined benefit Pension Plans and Gratuity Scheme which are managed by the Trust.** (₹ करोड़ / Crore)				
		पेंशन / Pension		**ग्रेच्युटी / Gratuity**	
		वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	**वित्तीय वर्ष2014 FY 2014**	**वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015**	**वित्तीय वर्ष2014 FY 2014**
1.	**पूर्वानुमान / Assumptions**				
	भुनाई दर / Discount Rate	7.70%	9.29%	7.95%	9.32%
	योजनागत आस्तियों पर प्रतिफल की दर Rate of Return on Plan Assets	8.70%	8.70%	8.70%	8.70%
	वेतन बढ़ोतरी / Salary Escalation	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
	भुनाई दर / Attrition rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
2.	**लाभ देयता में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका Table showing change in Benefit Obligation**				
	वर्ष के आरंभ में देयता / Liability at the beginning of the year	221.08	218.85	62.57	68.08
	ब्याज लागत / Interest Cost	20.54	17.51	5.83	5.45
	वर्तमान सेवा लागत / Current Service Cost	8.73	10.26	4.02	4.26
	पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ) Past Service Cost (Non Vested Benefit)	0.00	0.00	0.00	0.00
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit)	0.00	0.00	0.00	0.00
	देयता अंतरण आगम / Liability Transferred in	0.00	0.00	0.00	0.00
	(देयता अंतरण निर्गम) / (Liability Transferred out)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(प्रदत्त लाभ) / (Benefit Paid)	(6.00)	(4.75)	(3.21)	(3.46)
	देयताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (gain) / loss on obligations	61.16	(20.77)	3.24	(11.75)
	वर्ष के अंत में देयता Liability at the end of the year	**305.51**	**221.08**	**72.45**	**62.57**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

		पेंशन / Pension		ग्रेच्युटी / Gratuity	
		वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2014 FY 2014	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2014 FY 2014
3.	**योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य संबंधी तालिकाएं** **Tables of Fair value of Plan Assets**				
	वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	80.27	74.12	95.21	68.86
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल Expected Return on Plan Assets	6.98	6.45	8.28	5.99
	अंशदान / Contributions	0.00	4.13	0.99	23.20
	अन्य कंपनी से अंतरण / Transfer from other company	0.00	0.00	0.00	0.00
	(अन्य कंपनी को अंतरण) / (Transfer to other company)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(प्रदत्त लाभ) / (Benefit Paid)	(2.43)	(4.75)	(3.21)	(3.46)
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	(1.43)	0.32	0.21	0.62
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the end of the year	83.39	80.27	101.48	95.21
4.	बीमांकिक लाभ (हानि) पहचान तालिका **Table of Recognition of Acturial Gains/Losses**				
	दायित्व अवधि के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial (Gains) / Losses on obligation for the period	61.16	(20.77)	3.24	(11.75)
	अवधि के लिए आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial (Gains) / Losses on asset for the period	1.43	(0.32)	(0.21)	(0.62)
	आय और व्यय खाते में चिह्नित बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial (Gains)/Losses recognized in Income & Expense Statement	62.59	(21.09)	3.03	(12.37)
5.	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल **Actual Return on Plan Assets**				
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल Expected Return on Plan Assets	6.98	6.45	8.28	5.99
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial Gain / (Loss) on Plan Assets	(1.43)	0.32	0.21	0.62
	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल Actual Return on Plan Assets	5.55	6.77	8.49	6.61

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

		पेंशन / Pension		ग्रेच्युटी / Gratuity	
		वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2014 FY 2014	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2014 FY 2014
6.	**तुलनपत्र में निर्धारित की गई राशि** **Amount Recognised in the Balance Sheet**				
	वर्ष के अंत में देयता / Liability at the end of the year	83.39	80.27	101.48	95.21
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the end of the year	(305.51)	(221.08)	(72.45)	(62.57)
	अंतर / Difference	(222.12)	(140.82)	29.03	32.64
	वर्ष के अंत में अनिर्धारित विगत सेवा लागत Unrecognised Past Service Cost at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में अनिर्धारित परिवर्ती देयता Unrecognised Transitional Liability at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	तुलनपत्र में निर्धारित की गई निवल राशि **Net Amount recognised in the Balance Sheet**	**(222.12)**	**(140.82)**	**29.03**	**32.64**
7.	**आय विवरणी में निर्धारित व्यय** **Expenses Recognised in the Income Statement**				
	चालू सेवा लागत /Current Service Cost	8.73	10.26	4.02	4.26
	ब्याज लागत / Interest Cost	20.54	17.51	5.83	5.45
	योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल Expected Return on Plan Assets	(6.98)	(6.45)	(8.28)	(5.99)
	वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (गैर निहित लाभ) Past Service Cost (Non Vested Benefit) recognised during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognised during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान परिवर्ती देयता का निर्धारण Recognition of Transition Liability during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gain) / Loss	62.59	(21.09)	3.03	(12.37)
	लाभ और हानि लेखा में निर्धारण में लिए गए व्यय **Expense Recognised in Profit & Loss account**	**84.87**	**0.22**	**4.60**	**(8.66)**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

		पेंशन / Pension		ग्रेच्युटी / Gratuity	
		वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	**वित्तीय वर्ष 2014 FY 2014**	**वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015**	**वित्तीय वर्ष 2014 FY 2014**
8.	**तुलनपत्र समाधान / Balance Sheet Reconciliation**				
	आरंभिक निवल देयता / Opening Net Liability	140.82	144.72	(32.64)	(0.08)
	यथोक्त व्यय / Expense as above	84.87	0.22	4.60	(8.66)
	नियोक्ता का अंशदान / Employers Contribution	(3.57)	(4.13)	(0.99)	(23.20)
	तुलनपत्र में निर्धारित राशि / Amount recognised in the Balance Sheet	**222.12**	**140.82**	**(29.03)**	**(32.64)**
9.	**अन्य विवरण / Other Details**				
	बैंक की सूचना के अनुसार वेतन बढोतरी को ध्यान में रखा जाता है, जो कर्मचारियों की पदोन्नति, मांग व आपूर्ति के संबंध में उद्योग में प्रचलित परंपरा के अनुरूप होता है । Salary escalation is considered as advised by the Bank which is in line with the industry practice considering promotion, demand and supply of the employees.				
	अगले वर्ष (12 महीने) के लिए अनुमानित अंशदान Estimated Contribution for next year (12 months)	**20.68**	**19.94**	**0.00**	**0.00**
10.	**आस्तियों की श्रेणी / Category of Assets**				
	भारत सरकार आस्तियां / Government of India Assets	0.00	0.00	0.00	0.00
	कारपोरेट बॉण्ड / Corporate Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
	विशेष जमा योजना / Special Deposits Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
	सूचीबद्ध कंपनियों के ईक्विटी शेयर / Equity Shares of Listed Companies	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपत्ति / Property	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां (भारतीय जीवन बीमा निगम) Insurer Managed Funds (LIC of India)	83.39	80.27	101.49	95.21
	अन्य / Other	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग / Total	**83.39**	**80.27**	**101.49**	**95.21**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

11. अनुभव समायोजन / Experience Adjustment:

	पेंशन / Pension					ग्रेच्युटी / Gratuity				
	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2014 FY 2014	वित्तीय वर्ष 2013 FY 2013	वित्तीय वर्ष 2012 FY 2012	वित्तीय वर्ष 2011 FY 2011	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2014 FY 2014	वित्तीय वर्ष 2013 FY 2013	वित्तीय वर्ष 2012 FY 2012	वित्तीय वर्ष 2011 FY 2011
योजनागत देयता लाभ / (हानि) पर On Plan Liability (Gain)/Loss	(0.90)	24.34	(2.72)	35.64	6.91	(0.56)	(3.72)	(0.11)	14.18	3.45
योजनागत आस्ति (हानि) / लाभ पर On Plan Asset (Loss)/Gain	(1.43)	0.32	0.70	5.78	1.62	0.21	0.62	0.65	(0.78)	(0.26)

ग. C. स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रदत्त बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाओं से संबंधित राशियां, जो लाभ -हानि खाते में प्रभारित की गईं, इस प्रकार हैं
The following are the amount charged to Profit & Loss Account relating to other long term benefits plan based on the actuarial valuation provided by independent actuary.

क्रमांक Sr. No.	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2015 को As on March 31, 2015	31 मार्च, 2014 को As on March 31, 2014
1	साधारण अवकाश नकदीकरण / Ordinary Leave Encashment	10.51	5.00
2	छुट्टी किराया रियायत / Leave Fare Concession (LFC)	3.26	0.45
3	बीमारी अवकाश / Sick Leave	0.82	2.60
4	पुनर्वास व्यय / Resettlement Expenses	0.00	0.00
5	अवसरोंपरांत चिकित्सा योजना की सुविधाएं * Post Retirement Medical Scheme Facilities*	8.76	0.10

* अधिवास संबंधी दावों के 2% बढने का अनुमान किया गया है ।
* Domiciliary claim has been assumed to go up by 2%.

19. जैसा कि लेखांकन मानक-17 'खंड रिपोर्टिंग' के अंतर्गत अपेक्षित है, बैंक ने ''व्यवसाय खंड'' का प्रकटन प्राथमिक खंड के रूप में किया है । चूंकि बैंक भारत में परिचालनरत है, अत: रिपोर्टिंग योग्य भौगोलिक खंड नहीं है । बैंक ने व्यवसाय खंड के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्त, अप्रत्यक्ष वित्त और ट्रेजरी - ये तीन रिपोर्टिंग खंड निर्धारित किए हैं । ये खंड उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम स्वरूप, संगठनात्मक ढांचे तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था पर विचार के बाद निर्धारित किए गए हैं । पिछले वर्ष के आंकडों को चालू वर्ष की पद्धति के अनुसार बनाने के लिए पुनर्समूहित तथा पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

As required under Accounting Standard-17 'Segment Reporting' the Bank has disclosed "Business segment" as the Primary Segment. Since the Bank operates in India, there are no reportable geographical segments. Under Business Segment, the Bank has identified Direct Finance, Indirect Finance and Treasury as its three reporting segments. These segments have been identified after considering the nature and risk profile of the products and services, the organization structure and the internal reporting system of the Bank. Previous year's figures have been regrouped and reclassified to conform to the current year's methodology.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

	कारोबारी खंड Business Segments	प्रत्यक्ष वित्त Direct Finance		अप्रत्यक्ष वित्त Indirect Finance		ट्रेजरी Treasury		योग / Total	
	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2014 FY 2014	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2014 FY 2014	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2014 FY 2014	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2014 FY 2014
1	**खंड राजस्व Segment Revenue**	1,554	1,437	3,726	4,118	461	253	5,741	5,808
	असाधारण मदें Exceptional Items								
	योग / Total							**5,741**	**5,808**
2	**खंड परिणाम Segment Results**	363	346	1,716	1,208	144	91	2,223	1,645
	असाधारण मदें Exceptional Items								
	योग / Total							**2,223**	**1,645**
	अविनिधानीय खर्चे Unallocable Expenses							108	106
	परिचालनगत लाभ Operating profit							**2,115**	**1,539**
	आयकर (पुनरांकन के बाद) Income Tax (Net of write back)							698	421
	निवल लाभ / Net profit							**1,417**	**1,118**
3	**अन्य सूचनाएं / Other information**								
	खंड आस्तियां Segment Assets	11,623	15,103	45,631	48,355	1,820	3,416	59,074	66,874
	अविनिधानीय आस्तियां Unallocated Assets							1,781	936
	कुल आस्तियां / Total Assets							**60,855**	**67,810**
	खंड देयताएं Segment Liabilities	8,459	13,246	40,303	42,299	1,345	3,104	50,107	58,649
	अविनिधानीय देयताएं Unallocated Liabilities							968	670
	योग / Total							**51,075**	**59,319**
	पूंजी / आरक्षितियां Capital / Reserves	3,269	1,930	6,012	6,179	499	382	9,780	8,491
	योग / Total							**9,780**	**8,491**
	कुल देयताएं / Total Liabilities							**60,855**	**67,810**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

20	**संबंधित पार्टी संव्यवहार / Related party transactions** **''संबंधित पार्टी प्रकटन'' के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अनुसार, बैंक के संबंधित पक्ष निम्नवत हैं -** **As per the Accounting Standard on "Related Party Disclosures" (AS-18) issued by Institute of Chartered Accountant of India, the related parties of the Bank are as follows.**
क **A**	**सहायक संस्थाएं :** **Subsidiaries:**
1	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) / SIDBI Venture Capital Limited (SVCL)
2	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल) / SIDBI Trustee Company Limited (STCL)
3	माइक्रो यूनिट्स डेवलेपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा लिमिटेड) / Micro Units Development & Refinance Agency Ltd. (MUDRA Ltd.)
ख **B**	**सहयोगी संगठन** **Associates**
1	भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यम आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (आईएसएआरसी) / India SME Asset Reconstruction Company (ISARC)
2	एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्मेरा) / SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)
3	भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यम प्रौद्योगिकी सेवा लिमिटेड (आईएसटीएसएल) / India SME Technology Services Ltd. (ISTSL)
ग **C**	**बैंक के प्रमुख प्रबंध कार्मिक :** **Key Managerial Personnel of the Bank:**
1	डॉ क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (2 मार्च 2015 से प्रभावी) Dr. Kshatrapati Shivaji, Chairman & Managing Director (w.e.f March 02, 2015)
2	श्री एन. के. मैनी, उप प्रबंध निदेशक - प्रभारी (28 फरवरी 2015 तक) Shri N.K. Maini, Deputy Managing Director-Incharge (upto Feb 28, 2015)
	उपरोक्त सूची में सरकार नियंत्रित उद्यम शामिल नहीं हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक-18 के परिच्छेद 9 द्वारा छूट प्राप्त हैं । The above list does not include State Controlled Enterprises since the same are exempted vide para 9 of Accounting Standard - 18 issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
घ **D**	**संबद्ध पक्षों के लेनदेन से संबंधित विवरण का प्रकटीकरण :** **Disclosures of details pertaining to related party transactions :**
क) a)	वर्ष के दौरान बैंक के प्रमुख प्रबंधकर्मिकों को प्रदत्त सकल वेतन, जिसमें अनुलाभ भी शामिल हैं, निम्नवत हैं : The gross salary including perquisites paid to the Key Managerial Personnel of the Bank during the year is as under :

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

		वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14
1)	डॉ क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (2 मार्च 2015 से प्रभावी) Dr. Kshatrapati Shivaji, Chairman & Managing Director (w.e.f March 02, 2015)	1,63,530	–
2)	श्री एन. के मैनी, उप प्रबंध निदेशक (2 फरवरी, 2015 तक) Shri N.K. Maini, Deputy Managing Director -Incharge (upto Feb 28, 2015)	21,28,577	23,79,136
3)	श्री एस. मुहनोत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (8 नवंबर 2013 तक) Shri S. Muhnot, Chairman & Managing Director (upto Nov 08, 2013)	–	10,92,533
4)	श्री टी. आर. बजालिया, उप प्रबंध निदेशक (31 दिसंबर, 2013 तक) Shri T. R. Bajalia, Deputy Managing Director (upto Dec 31, 2013)	–	11,86,352
ख b)	उपर्युक्त व्यक्तियों को मंजूर ऋणों की 31 मार्च को बकाया राशियां Outstanding balances of loans as on March 31st in respect of above persons:	शून्य / Nil	शून्य / Nil
ग) c)	प्रमुख प्रबंधकार्मिकों को वित्त वर्ष के दौरान मंजूर किए गए ऋणों पर ब्याज Interest on loans granted to Key Managerial Personnel during the year:	शून्य / Nil	शून्य / Nil

घ) d) बैंक के प्रमुख प्रबंधकार्मिकों के संबंध में यथा 31 मार्च को सावधि जमा के अंतर्गत बकाया शेष :
Outstanding balances under Fixed Deposits as on March 31st in respect of Key Managerial Personnel of the Bank:

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14
वर्ष के दौरान स्वीकार जमा / Deposits accepted during the year	31,66,431	16,04,134
वर्ष के दौरान वापसी अदायगी / Repayment during the year	25,12,682	11,25,000
अंतिम शेष / Closing Balance	62,76,511	56,22,762
वर्ष के दौरान स्वीकृत ब्याज / Interest expended during the year	6,57,611	5,90,384

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

ङ e)	संबद्ध पक्ष / Related Party	सहायक संस्थाएं / Subsidiaries			सहयोगी संस्थाएं / Associates		
	विवरण / Particulars	एसवीसीएल SVCL	एसटीसीएल STCL	मुद्रा लि. Mudra Ltd	स्मेरा SMERA	आईएसएआरसी ISARC	आईएसटीएसएल ISTSL
	शेयरों में निवेश **Investment in Shares** वर्ष के दौरान संव्यवहार Transactions during the Year	– (–)	– (–)	5,00,000 (NA)	– (–)	– (–)	– (–)
	वर्ष के अंत में बकाया Outstanding at end of the year	1,00,00,000 (1,00,00,000)	5,00,000 (5,00,000)	5,00,000 (NA)	5,10,00,000 (5,10,00,000)	15,00,00,000 (15,00,00,000)	1,00,00,000 (1,00,00,000)
	प्राप्त आय / Income received बैंक द्वारा प्राप्त राशि Amount received by Bank	4,73,47,446 (4,88,44,394)	60,000 (90,000)	– (NA)	1,00,10,370 (62,38,551)	12,06,22,669 (81,96,299)	– (–)
	वर्ष के अंत में प्राप्य राशियां Receivables at end of the year	– (–)	– (–)	– (NA)	5,06,204 (–)	– (–)	– (–)
	व्ययों की प्रतिपूर्ति **Reimbursement of expenses** बैंक द्वारा दावाकृत राशि Amount claimed by Bank	27,62,961 (23,12,964)	– (–)	6,07,672 (NA)	– (–)	49,79,539 (43,45,513)	– (18,61,469)
	वर्ष के अन्त में प्राप्य राशियाँ Receivables at end of the year	7,868 (–)	– (–)	6,07,672 (NA)	– (–)	5,634 (15,178)	39,44,583 (39,44,583)
	व्ययों का भुगतान **Payment of expenses** बैंक द्वारा प्रदत्त राशि Amount paid by Bank - शुल्क / कमीशन - Fees / Commission	– (24,19,510)	– (–)	– (NA)	– (–)	– (–)	– (–)
	- ब्याज - Interest	– (–)	– (–)	– (NA)	– (–)	– (–)	– (–)
	वर्ष के अंत में देय Payables at end of the year - शुल्क /कमीशन - Fees/Commission	– (–)	– (–)	– (NA)	– (–)	– (–)	– (–)
	- ब्याज - Interest	– (–)	– (–)	– (NA)	– (–)	– (–)	– (–)
	जमा / Deposits वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the Year	– (–)	– (–)	– (NA)	– (–)	– (–)	– (–)
	वर्ष के दौरान वापसी Repaid during the year	– (–)	– (–)	– (NA)	– (–)	– (–)	– (–)
	वर्ष के अन्त में बकाया Outstanding at end of the year	– (–)	– (–)	– (NA)	– (–)	– (–)	– (–)
	(कोष्ठकों में दी गई राशियां पिछले वर्ष की हैं) / (Figures in brackets represents previous year's amount)						

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

21	**प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (लेखांकन मानक 20)* :** **Earning Per Share (EPS) (AS-20)***	**31 मार्च, 2015** **March 31, 2015**	**31 मार्च, 2014** **March 31, 2014**
	प्रति शेयर अर्जन परिकलन के लिए निवल लाभ (₹) Net Profit considered for EPS calculation (₹)	1417,13,02,757	1118,27,17,901
	₹ 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares of face value ₹ 10 each	45,00,00,000	45,00,00,000
	प्रति शेयर अर्जन (₹) / Earning per share (₹)	31.49	24.85
	* मूलभूत प्रतिशेयर अर्जन तथा अवमिश्रित प्रति शेयर अर्जन समान हैं, क्योंकि अवमिश्रणीय संभावित ईक्विटी शेयर नहीं हैं । * Basic & Diluted EPS are same as there are no dilutive potential Equity Shares.		
22	लेखांकन मानक 22-आय पर कर हेतु लेखांकन की अपेक्षाओं के अनुसार, बैंक ने आस्थगित कर व्यय / बचत की समीक्षा की है और 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लाभ हानि लेखे में ₹ 186,72,66,607/- की राशि (पिछले वर्ष आस्थगित कर देयता ₹ 181,13,31,566 थी) आस्थगित कर आस्ति मानी है । यथा 31 मार्च, 2015 को आस्थगित कर आस्ति/(देयता) के अलग-अलग घटक निम्नलिखित हैं : As per the Accounting Standard 22, Accounting for Taxes on Income, the Bank has reviewed the Deferred Tax Expenditure / Saving and recognised an amount of ₹ 186,72,66,607 as Deferred Tax Liability (Previous year - Deferred Tax Asset was ₹ 181,13,31,566) in the Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2015. The Break up of Deferred Tax Asset/ (Liability) as on March 31, 2015 is as follows :		
	समय अंतर / Timing Difference	**31 मार्च, 2015 को आस्थगित कर आस्ति / (देयता)** **As at March 31, 2015 Deferred Tax Asset/ (Liability)**	**31 मार्च, 2014 को आस्थगित कर आस्ति / (देयता)** **As at March 31, 2014 Deferred Tax Asset/ (Liability)**
क) a)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provision for Depreciation	15,58,955	(4,48,16,723)
ख) b)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961	(363,29,74,887)	(334,41,91,476)
ग) c)	अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान Provisions for Bad & Doubtful Debts	127,94,44,842	333,22,13,509
घ) d)	भारत सरकार के बॉण्डों पर प्रीमियम का परिशोधन Amortisation of Premium on GOI Bonds	(15,37,45,575)	(17,57,09,228)
ङ) e)	खातों की पुनर्संरचना हेतु प्रावधान Provision for Restructuring of Accounts	16,46,37,417	16,46,37,417
च) f)	अन्य Others	111,42,09,087	70,82,62,948
	निवल आस्थगित कर आस्ति /(देयता) **Net deferred tax Asset/(Liability)**	**(122,68,70,161)**	**64,03,96,447**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

23 **आयकर हेतु प्रावधान में शामिल है : / Provision for Income Tax includes:** (₹)

क्रमांक Sr. No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14
(i)	चालू आयकर प्रावधान / Current Income Tax Provision	512,01,72,759	602,99,57,094
(ii)	गत वर्षों हेतु किए गए कम / (बेशी) आयकर प्रावधान Short/(Excess) Income Tax Provision of Earlier Years	(63,72,742)	(63,72,742)

24 आकस्मिक देयताएं ₹ 208,80,31,755 (गत वर्ष - ₹ 130,17,60,225) की हैं, जिसमें आयकर एवं सेवाकर की देयता शामिल है । बैंक इससे सहमत नहीं है और विशेषज्ञ की राय के आधार पर प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है । इसमें ₹ 50,66,98,988 (गत वर्ष - ₹ 50,66,98,988) शामिल हैं, जो आयकर विभाग द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर अपील से संबंधित है ।
Contingent liabilities of ₹ 208,80,31,755 (Previous Year - ₹ 130,17,60,225) represents income tax, and service tax liability. This is being disputed by the Bank and based on expert's opinion the provision is not considered necessary. It includes an amount of ₹ 50,66,98,988 (Previous Year - ₹ 50,66,98,988) pertaining to appeals filed by Income Tax Department against the Bank.

25 प्रबंधन की राय में, लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि के नजरिए से, बैंक की स्थिर आस्तियों की कोई भौतिक हानि नहीं हुई है ।
In the opinion of the Management, there is no material impairment of the fixed assets of the Bank in terms of Accounting Standard 28 - Impairment of Assets.

26 आकस्मिक देयताओं के प्रावधान के संबंध में लेखांकन मानक - 29 के अंतर्गत प्रकटन
Disclosures under Accounting Standard 29 for provisions in contingencies. (₹)

विवरण / Particulars	बकाया वेतन/ प्रोत्साहन Wage Arrears / Incentive	अन्य प्रावधान Other Provisions
आरंभ शेष / Opening Balance	**30,09,43,479**	**4,36,60,598**
परिवर्धन : / Additions:	21,65,00,000	–
उपयोग : / Utilisations:	75,81,176	–
पुनरांकन : / Write back	–	–
अंतिम शेष / Closing Balance	**50,98,62,303**	**4,36,60,598**

अन्य प्रावधान में वे दावे शामिल हैं जो विभिन्न विधिक मामलों और ऐसी आकस्मिक देयताओं से संबंधित हैं जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है और जो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक के विरुद्ध दायर किए जाते हैं ।
Other Provision represents claims filed against the Bank in the normal course of business relating to various legal cases and other claims for which Bank is contingently liable.

27 31 मार्च, 2014 एवं 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण जोखिम सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है ।
During the year ended March 31, 2015 and March 31, 2014, the Bank has not exceeded the prudential exposure limit.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

28	बैंक ने अपने अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेनेवाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए एक पद्धति बना रखी है.आवधिक आधार पर इस प्रकार के आरक्षित विदेशी मुद्रा संविभाग की समीक्षा की जाती है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15/01/2014 के पत्र संख्या डी बी ओ डी बी पी बी सी 85/21.06.200/2013-14 एवं दिनांक 03/06/2014 के पत्र संख्या डी बी ओ डी बी पी बी सी 116/21.06.200/2013-14 के अनुवर्ती स्पष्टीकरण से आरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेनेवाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए यथा 31 मार्च 2015 तक ₹ 0.14 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें मानक आस्तियों का प्रावधान भी शामिल है. इसके अलावा 31 मार्च 2015 तक यूएफसीई के संदर्भ में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता शून्य है. The Bank has put in place a mechanism to manage credit risk arising out of unhedged foreign currency exposures (UFCE) of its borrowers. A review of the UFCE across its portfolio is undertaken by the Bank on periodic basis. In terms of RBI circular DBOD No. BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated 15.01.2014 & subsequent clarification vide circular DBOD NO.BP.BC. 116/21.06.200/2013-14 dated 03.06.2014, based on available data, the provision for UFCE works out to ₹ 0.14 crore as on March 31, 2015 which has been included under provisions for standard assets. Further, the additional capital requirement on account of UFCE works out to 'Nil' as on March 31, 2015.
29	**निवेशकों की शिकायतें : / Investor's Complaints:** दिनांक 1 अप्रैल, 2014 तक, बैंक के पास निवेशकों से प्राप्त तीन शिकायतें लंबित थीं । वर्तमान वित्तीय वर्ष में, निवेशकों से पाँच शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा वर्ष के दौरान आठ शिकायतों का निपटान किया गया। इस प्रकार मार्च 31, 2015 को बैंक के पास कोई भी शिकायतें निपटान हेतु लंबित नहीं हैं। As on 1st April, 2014, the Bank had three pending investor's complaints. During the current financial year five complaints were received from Investors and eight complaints were disposed off during the year. Thus, nil complaints are pending for disposal as on March 31, 2015.
30	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 में भारतीय लघु उद्योग विकास सहायता निधि (एसआईडीएएफ) तथा सामान्य निधि के अंतर्गत लेखों के प्रस्तुतीकरण हेतु अलग प्रारूप विनिर्दिष्ट है । चूंकि केंद्र सरकार ने अलग से कोई एसआईडीएएफ अधिसूचित नहीं किया है, अत: सिडबी उसे नहीं रखता है । Regulation 14 of Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000 prescribes separate format for presentation of accounts under Small Industries Development Assistance Fund (SIDAF) and General Fund. As no separate SIDAF has been notified by the Central Government, the same is not being maintained by SIDBI.
31	बैंक के पास मुख्यतया व्युत्पन्नी संविदा की प्रकृति वाली दीर्घकालिक संविदाए हैं, जिन्हें भविष्य में संभावित महत्त्वपूर्ण हानियों की दृष्टि से आकलित किया गया है। वर्ष के अंत में बैंक ने ऐसी दीर्घकालिक संविदाओं की समीक्षा की हैं और भविष्य में संभावित महत्त्वपूर्ण हानियों के लिए खाता-बही में आवश्यकतानुसार पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा वित्तीय विवरणों में संगत टिप्पणियों के अंतर्गत उनका प्रकटन किया है। The Bank has long term contracts mainly in nature of derivative contracts which are assessed for foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and recorded adequate provision as required, for material foreseeable losses on such long term contracts in the books of account and disclosed the same under the relevant notes in the financial statements.
32	जहां जरूरत पड़ी है, वहाँ गत वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहन और पुनर्वर्गीकरण किया गया है, ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलना-योग्य बनाया जा सके । Previous year's figures have been re-grouped and re-classified wherever necessary to make them comparable with the current years figures.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण / Additional disclosures as per RBI guidelines

क. A.	**पूँजी / Capital**	**वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15**	**वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14**
	क) जोखिम आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) a) Capital to Risk Assets Ratio [CRAR]	36.69%	30.75%
	मुख्य सीआरएआर / Core CRAR	35.59%	29.65%
	अनुपूरक सीआरएआर / Supplementary CRAR	1.10%	1.10%
	ख) जुटाए गए गौण ऋण की राशि तथा टियर-II पूँजी के रूप में बकाया राशि b) The amount of subordinated debt raised and outstanding as Tier II capital	शून्य Nil	शून्य Nil
	ग) जोखिम भारित आस्तियाँ-तुलन-पत्र में समाहित और इससे इतर मदों हेतु पृथक-पृथक c) Risk weighted assets-separately for on and off-balance sheet items		
	तुलन-पत्र में / On Balance sheet	27,699.05	30,092.50
	तुलन-पत्र के अलावा / Off Balance sheet	475.92	645.06
	घ) तुलन-पत्र की तिथि को शेयर धारिता का स्वरूप d) The share holding pattern as on the date of the Balance sheet	**शेयरों की संख्या No. of shares**	**शेयर धारिता का प्रतिशत / Percentage of shareholding**
	वित्तीय संस्थाएं / Financial Institutions	2,39,00,000	5.31
	बीमा कंपनियां / Insurance Companies	9,84,50,000	21.88
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / PSU Banks	32,76,50,000	72.81
	योग / Total	**45,00,00,000**	**100.00**
ख. B.	**आस्ति गुणवत्ता और ऋण संकेद्रण Asset quality and credit concentration**	**वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15**	**वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14**
	क) निवल ऋण और अग्रिमों के प्रति निवल गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रतिशत a) Percentage of net NPAs to net loans and advances	0.78%	0.45%
	ख) प्रावधान कवरेज अनुपात * b) Provisioning Coverage Ratio (PCR) *	76%	88%
	* प्रावधान कवरेज अनुपात की गणना करते समय चल प्रावधान को हिसाब में नहीं लिया गया । * Floating provision has not been considered while calculating PCR.		

c)

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

ग) निर्धारित आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों के अंतर्गत, निवल अग्रिमों की तुलना में निवल गैर-निष्पादक आस्तियों की राशि और उनका प्रतिशत
c) Amount and percentage of net NPAs to net advances under the prescribed asset classification categories

	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15		वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14	
श्रेणी / Category	**राशि Amount**	**प्रतिशत Percentage**	**राशि Amount**	**प्रतिशत Percentage**
अव-मानक आस्तियाँ * / Sub-standard assets*	291.05	0.53	206.82	0.34
संदिग्ध आस्तियाँ * / Doubtful assets*	140.39	0.25	70.23	0.11
योग / Total	**431.44**	**0.78**	**277.05**	**0.45**

* गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत पुनर्संरचित खातों से संबंधित समायोजित प्रावधान. वित्तीय वर्ष 2013-14 की निवल गैर निष्पादक आस्तियां शून्य होंगी, यदि चल प्रावधान राशि को उसके साथ समायोजित किया जाए ।

* Adjusted provision for diminution in fair value and Balance in Sundries Liabilities Account (Interest Capitalisation) in respect of restructured accounts classified as NPA. The Net NPA for FY 2013-14 will be NIL if the amount of floating provision is adjusted against the same.

घ) वर्ष के दौरान, मानक आस्तियों, गैर-निष्पादक आस्तियों, निवेशों (अग्रिम की प्रकृति से इतर निवेश) और आय कर के लिए किए गए प्रावधानों की राशि

d) Amount of provisions made during the year towards Standard assets, NPAs, Investments (other than those in the nature of an advance) and Income Tax

विवरण / **Particulars**	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14
मानक आस्तियाँ / Standard Assets	–	411.77
गैर-निष्पादक आस्तियाँ / NPAs	(251.55)*	784.09
निवेश / Investments	54.54	41.98
खातों की पुनर्संरचना / Restructuring of Accounts	–	–
आयकर (आस्थगित कर तथा अतिरिक्त प्रावधानों, यदि हों, के पुनरांकन सहित) Income Tax (including Deferred tax and write back of excess provision, if any)	698.11	421.23

* निवल अतिरिक्त गैर-निष्पादक आस्तियाँ ₹ 232.42 करोड़
* Net of additional NPA provision of ₹ 232.42 crore.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

	ङ) गैर निष्पादक आस्तियों में परिवर्तन / e) Movement of Non Performing Assets (NPAs)		
	विवरण / **Particulars**	**वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15**	**वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14**
	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में सकल गैर निष्पादक आस्तियाँ Gross NPA at the beginning of the financial year	1,153.12	554.29
	जोड़िये : वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the year	478.34	995.48
	उप जोड़ (क) / Sub total (A)	**1,631.46**	**1,549.78**
	घटाइये :- / Less:-		
	i) उन्नयन / Upgradations	34.61	49.15
	ii) वसूलियाँ (उन्नयन खातों से वसूलियों को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	506.39	183.40
	iii) विवेकपूर्ण बट्टे खाते / Prudential Write-offs	106.41	161.24
	iv) उपर्युक्त (iii) के अतिरिक्त जो बट्टे खाते डाले गए Write-offs other than those under (iii) above	242.94	2.87
	उप जोड़ (ख) / Sub total (B)	**890.35**	**396.66**
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सकल गैर निष्पादक आस्तियाँ (क-ख) Gross NPA at the close of the financial year (A - B)	**741.11**	**1,153.12**
	च) गैर निष्पादक आस्तियों के प्रावधान में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर किये गये प्रावधानों को छोड़कर) f) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अथ शेष / Opening Balance at the beginning of the financial year	867.01	247.02
	जोड़िये : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान / Add: Provisions made during the year	232.42	900.31
	घटाइये : बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान Less: Write-off / write-back of excess provisions	833.32	280.32
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष / Closing balance at the close of the financial year	**266.11**	**867.01**
	छ) निवल गैर निष्पादक आस्तियों में परिवर्तन g) Movement in Net NPAs		
	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अथ शेष / Opening Balance at the beginning of the financial year	277.05	299.15
	जोड़िये : वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Additions during the year	245.91	95.18
	घटाइये : वर्ष के दौरान कमी / Less: Reductions during the year	57.02	116.34
	घटाइये : गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत पुनर्संरचित खातों के उचित मूल्य गिरावट हेतु प्रावधान * Less: Provision for dimunition of fair value of restructured accounts classified as NPA*	(6.78)	0.94
	घटाइये : पुनर्संरचित गैर निष्पादक आस्तियों के बाबद खुदरा देयता खातों में अवशेष (ब्याज का पुंजीकरण) Less: Balance in Sundries Liabilities Account (Interest Capitalisation) in respect of Restructured NPA Accounts	41.28	–
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष / Closing balance at the close of the financial year	**431.44**	**277.05**
	* गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत पुनर्संरचित खातों के उचित मूल्य में गिरावट हेतु प्रावधान की राशि यथा 31 मार्च, 2015, ₹ 2.28 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2014 को आरंभिक शेष में से पहले ही सक्रिय राशि ₹ 9.06 करोड़, थी। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के आंकड़ों की गणना की गई है। * Provision for diminution in fair value of restructured accounts classified as NPA as on March 31, 2015 is ₹ 2.28 crore, as against ₹ 9.06 crore already considered in opening as on March 31, 2014. Accordingly the figure has been worked out for FY 2014-15.		

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

ग. C. ऋण एक्सपोजर / Credit Exposure

क) निम्नलिखित के बारे में पूँजी निधियों और कुल आस्तियों के प्रति ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत :
a) Credit exposure as percentage to capital funds and as percentage to total assets, in respect of :

क्र.सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2014-15 / FY 2014-15		वित्तीय वर्ष 2013-14 / FY 2013-14	
		कुल आस्तियों के % के रूप में As % to Total Assets	पूँजी निधियों के % के रूप में As % to Capital funds	कुल आस्तियों के % के रूप में As % to Total Assets	पूँजी निधियों के % के रूप में As % to Capital funds
1	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता The largest single borrower	8.30	43.57	12.77	82.19
	सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह The largest borrower group	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएँ हैं, अत: आस्ति उधारकर्ता समूह की अवधारणा लागू नहीं है। As large borrowers are Primary lending Institutions, the concept of borrower group is not applicable.			
2	10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता The 10 largest single borrowers	48.16	252.90	50.86	327.24
	10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह The 10 largest borrower group	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएँ हैं, अत: उधारकर्ता समूह की अवधारणा लागू नहीं है। As large borrowers are Primary lending Institutions the concept of borrower group is not applicable.			

ख) कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदत्त ऋण
b) Credit exposure to the five largest industrial sectors as percentage to total loan assets :

उद्योग का नाम / Name of Industry	वित्तीय वर्ष 2014-15 / FY 2014-15		वित्तीय वर्ष 2013-14 / FY 2013-14	
	बकाया राशि Amount. Outstanding	कुल ऋण आस्तियों के प्रति % % to total loan assets	बकाया राशि Amount. Outstanding	कुल ऋण आस्तियों के प्रति % % to total loan assets
परिवहन उपकरण / Transport Equipment	1,652.02	2.99	1,820.46	2.97
वस्त्र उद्योग (जूट सहित) / Textiles (Including Jute)	1,325.68	2.40	1,254.14	2.05
विद्युत उत्पादन / Electricity Generation	1,324.61	2.39	1,497.07	2.44
धातु उत्पाद / Metal Products	1,093.53	1.98	3,242.65	5.29
निर्माण / Constructions*	793.55	1.43	443.05	0.73

* वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान निर्माण पाँच सबसे बड़े उद्योगों मे शामिल नहीं था।
* Constructions was not in top five largest industrial sectors in FY 2013-14

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

घ. D.	जमा, अग्रिम, एक्स्पोज़र एवं एनपीए का संकेंद्रण Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14
	क) जमा संकेंद्रण a) Concentration of Deposits		
	बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं के कुल जमा (₹ करोड़) Total Deposits of twenty largest depositors (₹ Crore)	922.65	702.28
	बैंक के कुल जमा के प्रति बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं के जमा का प्रतिशत / Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	79.69	75.66
	ख) अग्रिमों का संकेंद्रण b) Concentration of Advances		
	बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम (₹ करोड़) Total Advances to twenty largest borrowers (₹ Crore)	37,536.00	46,628.32
	बैंक के कुल अग्रिम के प्रति बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	67.82	76.10
	ग) एक्स्पोज़र का संकेंद्रण c) Concentration of Exposures		
	बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्स्पोज़र (₹ करोड़) Total Exposures to twenty largest borrowers / customers (₹ Crore)	39,744.07	46,634.80
	उधारकर्ताओं / ग्राहकों में बैंक के कुल ऋण एक्स्पोज़र के प्रति बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों में ऋण जोखिम का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers / customers to total exposures of the bank on borrowers / customers	57.75	55.32
	घ) गैर निष्पादक आस्तियों का संकेंद्रण - शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्स्पोज़र (₹ करोड़) d) Concentration of NPAs - Total Exposure to top four NPA accounts (₹ Crore)	319.50	815.73
	ङ) क्षेत्रवार गैर-निष्पादक आस्तियाँ / e) Sector wise NPAs		
	विवरण / Particulars	**उस क्षेत्र के कुल अग्रिमों में गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that Sector**	
	कृषि और सहवर्ती गतिविधियाँ Agriculture & allied activities	–	–
	उद्योग (सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े) / Industry (Micro, small, medium and large)	0.76	2.12
	सेवाएँ / Services	6.18	0.95
	वैयक्तिक ऋण / Personal Loans	–	–

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

च) विवेकपूर्ण बट्टे खाते वाले खातों में परिवर्तन
f) Movement of Prudential Write-off (PWO) Accounts

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में विवेकपूर्ण बट्टे खाते Prudential Written-off Accounts at the beginning of the financial year	1,210.61	1,312.61
जोड़िए : वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण बट्टे खाते / Add : Prudential write-off during the year	106.41	161.24
उप जोड़ (क) / Sub total (A)	1,317.02	1,473.85
घटाइए : वास्तविक बट्टे खाते / Less: Actual write off	51.20	210.91
घटाइए : वर्ष के दौरान गतवर्षों के विवेकपूर्ण बट्टे खाते से की गयी वसूलियाँ Less: Recoveries made from previously prudential written-off accounts during the year	32.80	52.33
उप जोड़ (ख) / Sub total (B)	84.00	263.24
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विवेकपूर्ण बट्टे खाते (क - ख) Prudential Written-off Accounts at the close of the financial year (A-B)	1,233.02	1,210.61

छ) विदेशों में आस्तियाँ, गैर-निष्पादक आस्तियाँ तथा राजस्व
g) Overseas Assets, NPAs and Revenue

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14
कुल आस्तियाँ / Total Assets	–	–
कुल गैर-निष्पादक आस्तियाँ / Total NPAs	–	–
कुल राजस्व / Total Revenue	–	–

	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15		वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14	
	प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of SPV Sponsored		प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of SPV Sponsored	
	घरेलू Domestic	विदेशों में Overseas	घरेलू Domestic	विदेशों में Overseas
ज) तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित किया जाना है) h) Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)	–	–	–	–

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

ड. E निवेश Investments

क) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों की अपेक्षा अनुसार निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:
a) The Investments have been classified as under, as required by RBI guidelines:

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14
i) परिपक्वता हेतु धारित / Held to Maturity	838.39	796.57
ii) बिक्री हेतु उपलब्ध / Available for sale	1,815.05	2,542.40
iii) व्यापार हेतु धारित / Held for Trading	722.55	–
योग / Total	**3,375.99**	**3,338.97**

ख) निवेशों में मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान
b) Provisions for depreciation in Investments

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अथ शेष Opening balance as at the beginning of the financial year	71.87	40.62
जोड़िए : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add : Provisions made during the year	–	32.18
जोड़िए : निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति लेखा से विनियोग, यदि कोई हो Add: Appropriations, if any, from Investment Fluctuation Reserve account	–	–
घटाइए : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि Less : Write off during the year	–	0.93
घटाइए : निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति लेखा में अंतरण, यदि कोई हो Less: Transfer, if any, to Investment Fluctuation Reserve account	5.92*	–
घटाइए : वित्तीय वर्ष के दौरान जी-सेक को एएफएस से एचटीएम में अतंरित करने के कारण किए गए विनियोग Less: Appropriations made on account of shifting of G Sec from AFS to HTM during FY	–	–
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष **Closing balance at the close of the financial year**	**65.95**	**71.87**

* निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण में से चालू वर्ष के दौरान किया गया ₹ 4.51 करोड़ का प्रावधान घटा दिया गया है।
* Transfer to Investment Fluctuation Reserve is Net off provision of ₹ 4.51 Crore made during the Current Year.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

ग) किए गए निवेश के संबंध में जारीकर्ता श्रेणियाँ :
c) Issuer Categories in respect of Investment made:

जारीकर्ता / Issuer	राशि Amount	निम्नलिखित की राशि / Amount of			
		निजी प्लेसमेंट के जरिए निवेश Investment made through private placement	निवेश ग्रेड से नीचे की धारित प्रतिभूतियाँ Below Investment Grade Securities Held	बिना रेटिंग वाली धारित प्रतिभूतियाँ Unrated securities held	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ Unlisted securities
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / PSUs	476.08	–	–	–	–
वित्तीय संस्थाएँ / FIs	349.98	269.98	–	–	235.16
बैंक / Banks	453.47	148.00	–	–	–
निजी कंपनियाँ / Private Corporates	675.37	622.83	–	9.42	512.83
सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उपक्रम Subsidiaries/Joint ventures	1.10	1.10	–	–	1.10
अन्य / Others	502.96	452.96	–	–	502.96
उप-जोड़ / Sub-Total	**2,458.96**	**1,494.87**	–	**9.42**	**1,252.05**
मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधान Provision held towards depreciation	65.95	–	–	–	–
योग / Total	**2,393.01**	**1,494.87**	**–**	**9.42**	**1,252.05**

घ) गैर निष्पादक निवेश :
d) Non-performing Investments:

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14
वित्तीय वर्ष के आरंभ में अथ शेष Opening balance as at the beginning of the financial year	319.99	319.14
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year since 1st April	226.16	4.40
उक्त अवधि में कमी Reductions during the above period	16.30	3.54
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष Closing balance at the close of the financial year	**529.85**	**319.99**
धारित कुल प्रावधान Total Provisions held	358.35	297.89

ङ) एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री व अंतरण :
e) Sale & transfers of securities to /from HTM category:

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशानुसार बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उद्यम पूंजी निधियों में निवेशों को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में अंतरित किया। उर्पयुक्त के अलावा एचटीएम श्रेणी से/को निवेश का कोई अंतरण नहीं हुआ।

During the current FY, the Bank shifted investments in Venture Capital Funds from HTM to AFS category in accordance with extant RBI guidelines. Except for the above, there was no shifting of investments to/from HTM category.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

च F.	पुनर्संरचित खातों का प्रकटन Disclosure of Restructured Accounts																					
	पुनर्संरचना का प्रकार → Type of Restructuring →		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई-पुनर्संरचन प्रणाली के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					योग Total				
क्र. Sl	आस्ति वर्गीकरण → Asset Classification →		मानक Standard	अव-मानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	योग Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	योग Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	योग Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	योग Total
	विवरण ↓ / Details ↓																					
1	विव की 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक संख्या)* Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	7	4	1	–	**12**	–	–	–	–	–	167	28	22	–	**217**	174	32	23	–	**229**
		बकाया राशि Amount outstanding	415.95	84.27	68.97	–	**569.18**	–	–	–	–	–	1,084.14	73.27	68.90	–	**1,226.31**	1,500.09	157.53	137.87	–	**1,795.49**
		उनपर प्रावधान Provision thereon	–	0.41	7.92	–	**8.33**	–	–	–	–	–	2.87	0.48	0.15	–	**3.50**	2.87	0.89	8.07	–	**11.83**
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित मामले उधारकर्ताओं की संख्या Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	7	3	–	**79**	69	7	3	–	**79**
		बकाया राशि Amount outstanding	–	1.34	5.94	–	**7.28**	–	–	–	–	–	386.50	12.68	7.75	–	**406.92**	386.50	14.02	13.69	–	**414.21**
		उनपर प्रावधान Provision thereon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.79	0.10	1.32	–	**5.21**	3.79	0.10	1.32	–	**5.21**
3	वित्त के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	1	–1	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–3	–1	–	–	5	–4	–1	–	–
		बकाया राशि Amount outstanding	10.89	(10.89)	–	–	–	–	–	–	–	–	16.59	(9.91)	(6.68)	–	–	27.48	(20.80)	(6.68)	–	–
		उनपर प्रावधान Provision thereon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.02	(0.02)	–	–	–	0.02	(0.02)	–	–	–
4	पुनर्संरचित खाते, जिन पर विव के अंत में उच्चतर प्रावधान और/ अथवा अतिरिक्त जोखिम भार नहीं है और इसलिए उन्हें अगले विव के आरंभ में पुनर्संरचित मानक ऋणों के रूप में नहीं दर्शाना है। Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	–3				–3	–				–	–33				**–33**	–36				**–36**
		बकाया राशि Amount outstanding	(214.51)				**(214.51)**	–				–	(59.59)				(59.59)	(274.09)				**(274.09)**
		उनपर प्रावधान Provision thereon	–				–	–				–	(0.79)				**(0.79)**	(0.79)				**(0.79)**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

च F.	पुनर्संरचित खातों का प्रकटन Disclosure of Restructured Accounts																					
	पुनर्संरचना का प्रकार → Type of Restructuring →		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई-पुनर्संरचन प्रणाली के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					योग Total				
क्र. Sl	आस्ति वर्गीकरण → Asset Classification →		मानक Standard	अव-मानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	योग Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	योग Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	योग Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	योग Total
	विवरण ↓ / Details ↓																					
5	विव के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	–4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–14	–3	17	–	–	–18	–3	21	–	–
		बकाया राशि Amount outstanding	(201.44)	93.84	107.60	–	–	–	–	–	–	–	(25.05)	(17.82)	42.87	–	–	(226.49)	76.02	150.47	–	–
		उनपर प्रावधान Provision thereon	–	(0.41)	0.41	–	–	–	–	–	–	–	(0.25)	(0.10)	0.35	–	–	(0.25)	(0.50)	0.76	–	–
6	विव के दौरान पुनर्संरचित खातों का बट्टे खाते में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–25	–8	–8	–	**–41**	–25	–8	–8	–	**–41**
		बकाया राशि Amount outstanding	(1.43)	(34.51)	(1.25)	–	**(37.19)**	–	–	–	–	–	(178.87)	(21.96)	(28.88)	–	**(229.71)**	(180.30)	(56.47)	(30.13)	–	**(266.90)**
		उनपर प्रावधान Provision thereon	–	–	(8.33)	–	**(8.33)**	–	–	–	–	–	(1.03)	(0.23)	(0.28)	–	**(1.55)**	(1.03)	(0.23)	(8.62)	–	**(9.88)**
7	31 मार्च को समाप्त विव को पुनर्संरचित खाते (अन्तिम संख्या)* Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	1	3	5	–	**9**	–	–	–	–	–	168	21	33	–	**222**	169	24	38	–	**231**
		बकाया राशि Amount outstanding	9.46	134.04	181.27	–	**324.77**	–	–	–	–	–	1,223.72	36.26	83.96	–	**1,343.94**	1,233.18	170.30	265.22	–	**1,668.71**
		उनपर प्रावधान Provision thereon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.60	0.24	1.54	–	**6.37**	4.60	0.24	1.54	–	**6.37**

*मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आँकड़ों को छोड़कर, जिनपर उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार नहीं लगता (यदि लागू हो)।
*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

टिप्पणी: क्रमांक 2 के आँकड़ों में पुनर्संरचित उधारकर्ताओं के ₹ 19.26 करोड़ की नई/ अतिरिक्त मंजूरियां (12 खाते) और संविभाग में हुई वृद्धि के ₹ 20.06 करोड़ एवं ₹ 1.61 करोड़ के प्रावधान शामिल हैं। क्रम सं. 6 पर दिए गए आँकड़ों में ₹ 232.96 करोड़ शामिल हैं (29 ऋणकर्ता तथा ₹ 9.73 करोड़ के प्रावधान), जो कि वसूली के रूप में मौजूदा पुनर्संरचित खातों में कमी/वसूली है।.

Note: Figures at Sr. No. 2 includes ₹ 19.26 crore of fresh/additional sanction (12 accounts) to existing restructured borrowers and increase in outstanding of ₹ 20.06 crore & provision of ₹ 1.61 crore in respect of existing borrowers. Figures at Sr. No. 6 includes ₹ 232.96 crore (29 borrower & provisions of ₹ 9.73 crore) which is reduction/recovery from existing restructured accounts by way of recovery.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

छ. प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई आस्तियाँ

G. Assets sold to Securitisation Company / Reconstruction Company

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष तथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतीकरण / पुनर्संरचना कंपनी को कोई वित्तीय आस्तियाँ नहीं बेची गईं।

There were no financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction during year ended March 31, 2015 and during the year ended March 31, 2014.

ज. तरलता
H. Liquidity

रुपया और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं का परिपक्वता स्वरूप (जैसा प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया और लेखा परीक्षकों ने जिस पर विश्वास किया)
Maturity pattern of rupee and foreign currency assets and liabilities (As compiled by the management and relied upon by the auditors)

(₹ करोड़ / Crore)

मदें / Items	1 वर्ष से कम या उसके बराबर Less than or equal to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक More than 1 year upto 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक More than 3 years upto 5 years	5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक More than 5 years upto 7 years	7 वर्ष से अधिक More than seven years	योग Total
रुपया आस्तियाँ / Rupee assets	44,444	9,844	5,655	3,049	3,878	66,870
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (समतुल्य रुपये) / Foreign currency assets (Rupee Equivalent)						
डॉलर / Dollar	524	401	1,343	146	1,706	4,120
यूरो / Euro	498	655	404	118	116	1,791
येन / Yen	198	615	909	1,051	749	3,522
ब्रिटिश पाउंड / GBP	62	–	–	–	–	62
कुल आस्तियाँ / Total Assets	**45,726**	**11,515**	**8,311**	**4,364**	**6,449**	**76,365**
रुपया देयताएँ / Rupee liabilities	23,535	15,682	5,713	6,170	16,039	67,139
विदेशी मुद्रा देयताएँ (समतुल्य रुपये) Foreign currency liabilities (Rupee Equivalent)						
डॉलर / Dollar	134	224	1,051	63	2,143	3,615
यूरो / Euro	315	640	302	109	232	1,598
येन / Yen	160	615	686	706	1,325	3,492
ब्रिटिश पाउंड / GBP	–	–	–	–	–	–
कुल देयताएँ / Total Liabilities	**24,144**	**17,161**	**7,752**	**7,048**	**19,739**	**75,844**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

झ. I. परिचालन परिणाम / Operating results

क्र. सं. Sr.No	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष FY 2014-15	वित्तीय वर्ष FY 2013-14
क) a)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय* / Interest income as a percentage to average working funds*	8.73	8.88
ख) b)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय / Non-interest income as a percentage to average working funds	0.33	0.21
ग) c)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (प्रावधान पूर्व) Operating profit as a percentage to average working funds (before provisions)	3.03	3.38
घ) d)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान के लिए प्रावधान पूर्व) Return on average assets (before provisions for taxation)	3.34	2.41
ङ)/e)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़) / Net Profit per employee (₹ crore)	1.34	1.07

* ब्याज आय में अशोध्य ऋणों से वसूली गई राशि भी शामिल है। / * Interest income includes recoveries out of bad debts

ञ. J. वायदा दर करार और ब्याज दर विनिमय / Forward Rate Agreements & Interest Rate Swaps

क्र सं. Sr.No	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14
i)	विनिमय करारों का आनुमानिक मूल The notional principal of swap agreements	–	–
ii)	इस करार के तहत अन्य पक्ष द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियाँ Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	–	–
iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	–	–
iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	–	–
v)	विनिमय बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	–	–

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

ट. K	**ब्याज दर व्युत्पन्नों के संबंध में विवरण / Details in respect of Interest Rate Derivatives:**		
	विवरण / Particulars	**वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15**	**वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14**
	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) / Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument - wise)	–	–
	यथा 31 मार्च, बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) / Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31 (instrument - wise)	–	–
	बकाया और अत्यन्त प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) / Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument - wise)	–	–
	बकाया और अत्यन्त प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेड ब्याज दर व्युत्पन्नों का मार्क टू मार्केट मूल्य (लिखत-वार) Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument - wise)	–	–
ठ. L.	**व्युत्पन्नों में जोखिम का प्रकटीकरण / Disclosure of risk exposure in derivatives**		
	क. गुणात्मक प्रकटीकरण / a) Qualitative Disclosures		
	(i) बैंक अपनी आस्तियों एवं देयताओं में असंतुलन से हुए ब्याज दर तथा विनिमय जोखिम की बचाव-व्यवस्था व्युत्पन्न का इस्तेमाल करके करता है। बैंक के सभी व्युत्पन्न उन विदेशी मुद्रा उधार के प्रति जोखिम बचाव के लिए हैं, जो एमटीएम नहीं हैं किन्तु केवल परिवर्तित हैं। बैंक व्युत्पन्नों का व्यापार नहीं करता है। The Bank uses Derivatives for hedging of interest rate and exchange risk arising out of mismatch in the assets and liabilities. All derivatives undertaken by Bank are for hedging purposes with underlying as Foreign Currency borrowings, which are not MTM, but only translated. The Bank does not undertake trading in Derivatives.		
	(ii) आंतरिक नियंत्रण दिशा-निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित की जाती हैं। व्युत्पन्न संरचनाओं का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही किया जाता है। व्युत्पन्नों के सौदों संबंधी विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति/बोर्ड को भी दी जाती है। Internal Control guidelines and accounting policies are framed and approved by the Board. The derivative structure is undertaken only after approval of the competent authority. The particulars of derivative details undertaken are also reported to ALCO/Board.		
	(iii) बैंक ने व्युत्पन्न सौदों से हुए जोखिम से निपटने के लिये प्रणालियां निर्धारित की हैं। बैंक व्युत्पन्न सौदों से होने वाले लेन-देनों का लेखांकन उपचय पद्धति के अनुसार करता है। The Bank has put systems in place for mitigating the risk arising out of derivative deals. The Bank follows the accrual method for accounting the transactions arising out of derivative deals.		
	(iv) वर्ष की समाप्ति पर मार्क टू मार्केट हानियों, यदि कोई है, के लिये प्रावधान किये जाते हैं। Provisions are made for Mark To Market losses, if any, at the year end.		

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

	ख. मात्रात्मक प्रकटीकरण / b) Quantitative Disclosures		वित्तीय वर्ष 2014-15 / FY 2014-15		वित्तीय वर्ष 2013-14 / FY 2013-14	
	क्रसं. Sr. No.	विवरण / Particulars	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate Derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate Derivatives
	1	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
		(i) बचाव के लिए / For hedging	7,266.58	–	5,993.93	–
		(ii) व्यापार के लिए / For trading	–	–	–	–
	2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित [1] Marked to Market Positions [1]				
		(i) आस्ति (+) / Asset (+)	(320.76)	–	537.71	–
		(ii) देयता (-) / Liability (-)	–	–	–	–
	3	ऋण जोखिम (2) / Credit Exposure [2]	632.17	–	857.99	–
	4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला प्रभाव (100* पीवी 01) / Likely impact of one percentage change in interest rate (100* PV01)				
		(i) बचाव व्युत्पन्नों पर / On hedging derivatives	172.28	–	114.49	–
		(ii) व्यापार व्युत्पन्नों पर / On trading derivatives	–	–	–	–
	5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यूनतम 100* पीवी 01 Maximum and Minimum of 100* PV01 observed during the year				
		(i) बचाव पर / On hedging	174.74/157.98	–	114.49 / 68.51	–
		(ii) व्यापार पर / On trading	–	–	–	–

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ करोड़ / Crore)

M	**प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and Contingencies**		
	विवरण / Particulars	**वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15**	**वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14**
	लाभ- हानि खाते के व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताएं के अलग विवरण Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account		
	निवेश पर मूल्यह्रास / एनपीआई के लिए प्रावधान Provisions for depreciation/NPI on Investment	54.54	41.98
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान Provision towards NPA	(251.55)*	784.09
	आयकर (आस्थगित कर आस्तियाँ / देयतायें भी शामिल हैं) के लिए प्रावधान Provision made towards Income tax (Including Deferred Tax Assets/Liability)	698.11	421.23
	अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (संपूर्ण विवरण के साथ) Other Provision and Contingencies (with details)	–	(203.72)
	* गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान ₹ 232.42 करोड़ * Net of additional NPA provision of ₹ 232.42 crore		
N	**चल प्रावधान / Floating Provisions**		
	विवरण / Particulars	**वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014–15**	**वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013–14**
	चल प्रावधान खाते का प्रारम्भिक अथशेष Opening balance in the floating provisions account	2,639.91	–
	दबावग्रस्त आस्तियों के प्रावधान से स्थानांतरित / लेखा वर्ष के दौरान किये गए चल प्रावधानों की मात्रा The quantum of floating provisions made in the accounting year / transferred from stressed asset provision	–	3,249.70
	लेखा-वर्ष के दौरान किए गए आहरण के कारण आई कमी की राशि Amount of draw down made during the accounting year	–	609.79
	अस्थिर प्रावधान खाते में अथ शेष Closing balance in the floating provisions account	2,639.91	2,639.91
O	**आरक्षितियों से आहरित / Draw down from Reserves** पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान अरक्षितियों से कोई राशि आहरित नहीं की गयी There is no draw down from reserves during the current year and previous year.		

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

P **शिकायतों का प्रकटीकरण / Disclosure of Complaints**

A. ग्राहक शिकायतें / Customer Complaints

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014–15	वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013–14
वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the beginning of the year	8	8
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of complaints received during the year	32	52
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या No. of complaints redressed during the year	35	52
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the year	5	8

B. बैंकिंग लोकपाल द्वारा किया गया अधिनिर्णय / Awards passed by the Banking Ombudsman

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014–15	वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013–14
वर्ष के प्रारम्भ में कार्यान्वित न किये गए अधिनिर्णयों की संख्या No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	–	–
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	–	–
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या No. of Awards implemented during the year	–	–
वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किये गए अधिनिर्णयों की संख्या No. of unimplemented Awards at the end of the year	–	–

Q **बैंक द्वारा जारी कंफर्ट पत्रों का प्रकटीकरण / Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by banks**

वर्ष के दौरान जारी कम्फर्ट पत्रों का विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले के जारी किये गए कम्फर्ट पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं के विवरण निम्न हैं:
The particulars of Letters of Comfort (LoCs) issued during the year, assessed financial impact, and assessed cumulative financial obligations under the LoCs issued in the past and outstanding is as under:

(₹ करोड़ / Crore)

यथा 31 मार्च 2014 को एल ओ सी के बकाए LoCs outstanding as on March 31, 2014		वर्ष के दौरान जारी एल ओ सी LoCs issued during the year		वर्ष के दौरान भुनाए गए एल ओ सी LoCs redeemed during the year		यथा 31 मार्च 2015 को एल ओ सी के बकाए LoCs outstanding as on March 31, 2015	
एल ओ सी की संख्या No of LoC	राशि Amount	एल ओ सी की संख्या No of LoC	राशि Amount	एल ओ सी की संख्या No of LoC	राशि Amount	एल ओ सी की संख्या No of LoC	राशि Amount
4	12.62	–	–	2	10.11	2	2.51

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2015

R	**बैंकएश्योरेंस व्यवसाय / Bancassurance Business:** चालू वर्ष (पिछले वर्ष - शून्य) के दौरान बैंक द्वारा बैंक एश्योरेंस का कोई व्यवसाय नहीं किया गया. The Bank has not undertaken any bancassurance business during the current year (Previous Year: Nil).
S	**पेंशन एवं उपदान देयताओं का अपरिशोधन** **Unamortised Pension and Gratuity Liabilities** पेंशन और उपदान देयताओं को बीमांकिक आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रायोजना इकाई जमा आधार पर उपलब्ध कराया जाता है बीमांकिक लाभ/हानि को तुरंत लाभ -हानि खाते में लिया जाता है, उनका परिशोधन नही होता है. The pension and gratuity liability are provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of each financial year based on the projected unit credit method. The acturial gains/ losses are immediately taken to the profit and loss account and are not amortized.
T	**पारिश्रमिक का प्रकटीकरण / Disclosures on Remuneration:** सिडबी एक विकास वित्तीय संस्था है अत: पारिश्रमिक का प्रकटीकरण लागू नहीं है As SIDBI is a Development Financial Institution, the disclosure on remuneration is not applicable.
U	**प्रतिभूतीकरण / Securitisation:** पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का एसपीवी प्रायोजित कोई तुलनपत्रेतर आंकड़ा नहीं है The Bank had no Off-balance sheet SPVs sponsored during the current year and previous year.
V	**ऋण चूक विनिमय / Credit Default Swaps** बैंक ऋण चूक विनिमय में संव्यवहार नहीं करता The Bank does not deal in credit default swaps.

बोर्ड के आदेशानुसार / BY ORDER OF THE BOARD

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते बोरकर एंड मजूमदार For BORKAR & MUZUMDAR सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन : 101569डब्ल्यू FRN. : 101569W	यू. जे. लालवानी U.J. Lalwani देश-प्रमुख Country Head (निगमित लेखा वर्टिकल) (Corporate Accounts Vertical)	एन. रामन N. Raman कार्यपालक निदेशक Executive Director	क्षत्रपति शिवाजी Kshatrapati Shivaji अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

दर्शित दोशी / Darshit Doshi
साझेदार / Partner
एम. सं. / M. No. : 133755

अनिल अग्रवाल / Anil Agrawal
निदेशक / Director

आर. रामचंद्रन / R. Ramachandran
निदेशक / Director

मुंबई, मई 28,2015
Mumbai, May 28, 2015

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2015

(₹)

31 मार्च, 2014 March 31 2014	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2015 March 31 2015	31 मार्च, 2015 March 31 2015
	1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Operating Activities		
1539,49,70,687	लाभ-हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before tax as per P & L Account		**2115,23,69,380**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन / Adjustments for :		
11,82,74,218	मूल्यह्रास / Depreciation	13,55,74,500	
41,97,88,782	निवेशों में निवल ह्रास के लिए प्रावधान Provision for net depreciation in investments	54,54,02,483	
605,74,79,501	किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद) Provisions made (net of write back)	(119,30,27,645)	
(80,65,45,244)	निवेश बिक्री से लाभ (निवल) Profit on sale of investments (net)	(159,19,75,700)	
(17,27,26,300)	निवेशों पर प्राप्त लाभांश / Dividend Received on Investments	(18,25,59,111)	(228,65,85,473)
2101,12,41,644	**परिचालनों से उपार्जित नकदी Cash generated from operations**		**1886,57,83,907**
	(परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पहले) (Prior to changes in operating Assets and Liabilities)		
	निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन Adjustments for net changes in :		
(351,84,95,873)	चालू आस्तियाँ / Current assets	147,93,48,261	
7,59,87,970	चालू देयताएँ / Current liabilities	110,27,14,057	
1390,83,70,439	विनिमय बिल / Bills of Exchange	775,79,03,839	
(7218,81,99,997)	ऋण एवं अग्रिम / Loans & Advances	5725,68,49,021	
5768,87,49,475	बांडों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ Net Proceeds of Bonds and Debentures & other borrowings	(4945,15,86,426)	
(676,60,82,486)	प्राप्त जमा / Deposits received	(3981,44,69,425)	
(1079,96,70,472)			**(2166,92,40,673)**
1021,15,71,172			(280,34,56,766)
(447,40,86,098)	कर अदायगी / Payment of Tax	(603,28,09,971)	(603,28,09,971)
573,74,85,074	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह **Net Cash flow from operating Activities**		**(883,62,66,737)**
	2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Investing Activities		
(8,17,68,805)	स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय)/विक्रय Net (Purchase)/Sale of fixed assets	(25,01,81,961)	

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2015

(₹)

31 मार्च, 2014 March 31 2014	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2015 March 31 2015	31 मार्च, 2015 March 31 2015
(39,88,64,098)	निवेशों का निवल (क्रय)/विक्रय/शोधन Net (Purchase)/sale/redemption of Investments	122,18,72,668	
17,27,26,300	निवेशों पर प्राप्त लाभांश Dividend Received on Investments	18,25,59,111	
(30,79,06,603)	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी **Net cash used in Investing Activities**		**115,42,49,818**
	3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह **Cash flow from Financing Activities**		
(130,98,21,008)	ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर Dividend on Equity Shares & tax on Dividend	(130,98,21,008)	
(130,98,21,008)	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी **Net cash used in Financing Activities**		**(130,98,21,008)**
411,97,57,463	**4. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी/(कमी)** **Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents**		**(899,18,37,927)**
1515,74,70,338	5. अवधि के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य **Cash and Cash Equivalents at the beginning of the period**		**1927,72,27,801**
1927,72,27,801	6. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य **Cash and Cash Equivalents at the end of the period**		**1028,53,89,874**

टिप्पणी : नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ए एस-3 (संशेधित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

Note : Cash Flow statement has been prepared as per the Indirect Method prescribed in AS-3 (Revised) 'Cash Flow Statement' issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies **XV**
लेखा टिप्पार्यणाँ / Notes to Accounts **XVI**

बोर्ड के आदेशानुसार / BY ORDER OF THE BOARD

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते बोरकर एंड मजूमदार For BORKAR & MUZUMDAR सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन : 101569डब्ल्यू FRN. : 101569W	यू. जे. लालवानी U.J. Lalwani देश-प्रमुख Country Head (निगमित लेखा वर्टिकल) (Corporate Accounts Vertical)	एन. रामन N. Raman कार्यपालक निदेशक Executive Director	क्षत्रपति शिवाजी Kshatrapati Shivaji अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

दर्शित दोशी / Darshit Doshi
साझेदार / Partner
एम. सं. / M. No. : 133755

अनिल अग्रवाल / Anil Agrawal
निदेशक / Director

आर. रामचंद्रन / R. Ramachandran
निदेशक / Director

मुंबई, मई 28,2015
Mumbai, May 28, 2015

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक मंडल
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित रिपोर्ट

हमने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बैंक) तथा इसकी सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं (बैंक, उसके सहायक एवं सहयोगी घटक मिलकर ''समूह'' बनते हैं) के 31 मार्च 2015 तक के संलग्न वित्तीय विवरणों और लाभ-हानि के समेकित विवरण तथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्त्वपूर्ण लेखा-नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना (''समेकित वित्तीय विवरण'' की लेखा-परीक्षा की है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह की भारत में आम तौर पर मान्य लेखांकन सिद्धान्तों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों के अनुसार सच्ची और उचित स्थिति दर्शाने वाले घटकों के बारे में अलग-अलग वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बैंक का प्रबन्धन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए लेखांकन के पर्याप्त अभिलेख रखा जाना, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को

Independent Auditors' Report

To
The Board of Directors
Small Industries Development Bank of India

Report on the Consolidated Financial Statements

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Small Industries Development Bank of India ("the Bank") and its subsidiaries and associates (the Bank, its subsidiaries and associates constitute "the Group") as on March 31, 2015 which comprises the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2015, and the consolidated Statement of Profit and Loss and consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information ("the consolidated financial statements").

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements on the basis of separate financial statements and other financial information regarding components that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report

रोकना और उनका पता लगाना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग, औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत निर्णय तथा अनुमान लगाना तथा ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, क्रियान्वित व प्रावधानित करना भी शामिल है, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता की दृष्टि से प्रभावपूर्ण तरीके से काम करते हों और जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने व प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से प्रासंगिक हों, जो सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते हों तथा धोखाधड़ी के कारण या त्रुटिवश संभावित तथ्यात्मक मिथ्या कथन से मुक्त हों, और जैसाकि पहले कहा गया, जिनका उपयोग बैंक के प्रबन्धन ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है जो हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित है।

हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षा-मानकों के अनुरूप संपन्न की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा-परीक्षा की योजना व निष्पादन इस प्रकार करें कि आश्वस्त हुआ जा सके कि वित्तीय विवरण तथ्यपरक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

लेखा-परीक्षा के अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों के बारे में लेखा-परीक्षा विषयक प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का समावेश रहता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षा के निर्णय पर निर्भर करती हैं। इसमें समेकित वित्तीय विवरणों में धोखा-धड़ी से अथवा त्रुटिवश तथ्यात्मक मिथ्या-कथन के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है। इन

of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of internal controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Bank's management, as aforesaid.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those

जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा-परीक्षक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उचित प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, ताकि ऐसी लेखा-प्रक्रियाएं तैयार की जाएं जो उक्त परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। किन्तु इसका उद्देश्य यह राय देना नहीं होता कि बैंक में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों के संबंध में परिचालनगत प्रभावोत्पादकता है या नहीं। लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा-परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा-परीक्षकों ने नीचे दिए गए ''अन्य मामले'' शीर्षक परिच्छेद में उल्लिखित अपनी रिपोर्ट के अनुसार लेखा-परीक्षा के जो प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में लेखा-परीक्षा संबंधी हमारी धारणा के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

मंतव्य

हमारे मत में और हमारी अधिकतम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसाकि नीचे दिए गए ''अन्य मामले'' शीर्षक परिच्छेद में उल्लिखित है, सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं के विभिन्न वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय सूचना के संबंध में अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट के मद्देनज़र, समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यत: मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित की सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते है:

i) समूह के काम-काज की यथा 31मार्च 2015 के समेकित तुलनपत्र के मामले में

risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Bank has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also include evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Bank's management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their report referred to in the 'Other Matters' paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statement.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and on consideration of the report of the other auditor on separate financial statements and on other financial information of the subsidiaries and associates, as mentioned in the 'Other Matter' paragraph below, the Consolidated Financial Statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

i) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at 31st March 2015,

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report

ii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के लाभ के लिए समेकित लाभ-हानि खाता विवरण के मामले में

iii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में

बलाधीन विषय

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं-

क) 6 सहयोगी संस्थाओं के गैर-समेकन के संबंध में समेकित लेखों के अनुबंध I की टिप्पणी संख्या 4ख और 4घ, जिसमें प्रबन्धन के अनुसार निवेशों की राशि वसूली योग्य नहीं है और उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

ख) 7 सहयोगी संस्थाओं के गैर-समेकन के संबंध में समेकित लेखों के अनुबंध I की टिप्पणी संख्या 4ग और 4 घ, जो प्रबन्धन के अनुसार महत्त्वपूर्ण घटक नहीं हैं और इसलिए समेकन के लिए उनपर विचार नहीं किया गया है।

इस मामले के सम्बन्ध में हमारे मत का कोई प्रयोजन नहीं है।

अन्य मामले

हमने 2 सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना की लेखा-परीक्षा नहीं की। 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के इनके वित्तीय विवरण में ₹ 42,12,93,713/- की कुल आस्तियाँ, ₹ 16,84,37,998/- का कुल राजस्व और ₹ 48,01,763/- का निवल नकदी प्रवाह द्रष्टव्य है, जो समेकित वित्तीय विवरण में लिया गया है। हमने एक सहयोगी संस्था के वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना की भी लेखा-परीक्षा नहीं की, जिसका 31

ii) in the case of the Consolidated Statement of Profit & Loss Account, of the profits of the Group for the year ended on that date,

iii) In the case of Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

We draw attention to:

a) Note nos 4B and 4D of Annexure I to Consolidated Accounts with regard to non-consolidation of 6 associates wherein as per the management the carrying amount of the investments are not realisable and are fully provided for.

b) Note nos 4C and 4D of Annexure I to Consolidated Accounts with regard to non-consolidation of 7 associates, as in view of the management these are not significant components and hence not considered for consolidation.

Our opinion is not qualified in respect of this matter

Other Matters

We did not audit the financial statements/ financial information of the 2 subsidiaries, whose financial statements reflect total assets of ₹ 42,12,93,713/- as at March 31, 2015, total revenue of ₹ 16,84,37,998/- and net cash flows amounting to ₹ 48,01,763/- for the year then ended, as considered in the consolidated financial statements. We also did not audit the financial statements/financial information of the 1 associate in whose Group's share of net loss amounting to ₹ 4,60,900/- for the year ended

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में समूह में निवल हानि का हिस्सा ₹ 4,60,900/- का था, जो मार्च 2014 को समाप्त उसके लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित था, और जिसे समेकित वित्तीय विवरण में लिया गया है। ये वित्तीय विवरण एवं अन्य वित्तीय सूचनाएं अन्य लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षित हैं, जिनकी रिपोर्ट प्रबन्धन ने हमें प्रदान की है, और जहाँ तक इन सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं के संबंध में समाहित राशियों और प्रकटनों का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में हमारी राय और हमारी रिपोर्ट पूर्णतया दूसरे लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है।

प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत एक सहायक संस्था के वित्तीय आंकड़ों/ सूचना की हमने लेखा-परीक्षा नहीं की। 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए उक्त संस्था के वित्तीय आँकड़े/सूचना ₹ 11,07,672/- की कुल आस्तियाँ, शून्य रूपये का कुल राजस्व तथा ₹ 5,00,000/- का नकदी प्रवाह दर्शाते हैं, जो समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है। समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समूह का ₹ 2,24,15,849/- का निवल लाभ का हिस्सा भी शामिल किया गया है, जो 3 सहयोगी संस्थाओं के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण में लिया गया है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना की हमने लेखा-परीक्षा नहीं की है। उक्त वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना गैर-लेखा-परीक्षित हैं और हमें प्रबन्धन द्वारा प्रदान किए गए हैं और जहाँ तक उन सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं के संबंध में समाहित राशियों और प्रकटनों का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में हमारी राय और हमारी रिपोर्ट पूर्णतया ऐसे गैर-लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना पर आधारित है। यदि उपर्युक्त सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं की लेखा-परीक्षा की गई होती तो उसके परिणामस्वरूप यथा 31 मार्च

March 31, 2015, based on its audited financial statement for the year ended March 2014, as considered in the consolidated financial statements. These financial statements and other financial information have been audited by other auditor whose report has been furnished to us by the Management, and our opinion and our report on the consolidated financial statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associate, is based solely on the report of the other auditors.

We did not audit the financial data/information of the 1 subsidiary furnished by the management, whose financial data/information reflect total assets of ₹ 11,07,672/- as at March 31, 2015, total Revenue of ₹ Nil and net Cash flows amounting to ₹ 5,00,000/- for the year then ended, as considered in the consolidated financial statements. The Consolidated financial statement also include the Group's share of net profit of ₹ 2,24,15,849/- for the year ended March 31, 2015, as considered in the consolidated financial statements in respect of 3 associates, whose financial statements/ financial information has not been audited by us. The financial statement/ financial information are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion and our report on the consolidated financial statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiary and associates, is based solely on such unaudited financial statement / financial information. We are unable to comment upon resultant impact, if any, on the Group's share of profit as at March 31, 2015, had the aforesaid subsidiary

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report

2015 समूह के लाभ के हिस्से पर क्या प्रभाव पड़ा होता, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हमारी राय में और प्रबन्धन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना समूह के लिए अर्थगर्भित नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, दूसरे लेखा-परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य तथा उनकी रिपोर्टों और प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना पर हमारी निर्भरता की दृष्टि से इस संबंध में प्रासंगिक नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. बैंक के प्रबन्धन ने समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21, ''समेकित वित्तीय विवरण'', लेखांकन मानक (एएस) 23, ''सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए समेकित वित्तीय विवरण में लेखांकन'' की अपेक्षानुरूप तथा बैंक, उसकी सहायक और सहयोगी संस्थाओं के पृथक-पृथक वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए हैं।

2. हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

3. हमारी राय में, जहाँ तक उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में अपेक्षित खाता-बहियों की जाँच

and associates been audited. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements /financial information are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statement is not qualified in respect of this matter with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We report that:

1. The consolidated financial statements have been prepared by the Bank's Management in accordance with the requirements of Accounting Standards (AS) 21, "Consolidated Financial Statements", Accounting Standards (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants in India and on basis of the separate financial statements of the Bank, its subsidiaries and associates.

2. We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the aforesaid consolidated financial statements and have found them to be satisfactory.

3. In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report

से और अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों से पता चलता है, उक्त खाता-बही तैयार करने संबंधी कानून के अनुसार अपेक्षित उपयुक्त खाता-बही रखी गई हैं।

4. इस रिपोर्ट के संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ-हानि खाता विवरण तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से रखी गई खाता-बहियों के अनुरूप हैं।

5. हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

of the aforesaid consolidated financial statement have been kept so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors.

4. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with Books of Account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.

5. In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the applicable Accounting Standards.

कृते **बोरकर एंड मजूमदार**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 101569डब्ल्यू

दर्शित दोशी
साझेदार
सदस्यता सं. 133755

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 28 मई 2015

For **Borkar & Muzumdar**
Chartered Accountants
Firm Registration No.101569W

Darshit Doshi
Partner
Membership No. 133755

Place: Mumbai
Date: May 28, 2015

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 का समेकित तुलन पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2015

अनुबंध - II / Appendix - II

31 मार्च, 2015 का समेकित तुलन - पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

पूँजी एवं देयताएं CAPITAL AND LIABILITIES	अनुसूचियां SCHEDULES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
पूँजी / Capital	I	450,00,00,000	450,00,00,000
आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां / Reserves, Surplus and Funds	II	9381,13,60,325	8090,14,30,165
जमा / Deposits	III	13446,81,67,994	17428,26,37,419
उधार / Borrowings	IV	30672,87,29,963	35618,03,16,387
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	V	6836,06,06,711	6273,59,98,347
आस्थगित कर देयताएँ / Deferred Tax Liability		122,51,33,111	-
योग / Total		**60909,39,98,104**	**67860,03,82,318**

आस्तियां / ASSETS			
नकदी एवं बैंक अतिशेष / Cash and Bank Balances	VI	1046,44,60,399	1943,69,97,167
निवेश / Investments	VII	2962,78,33,463	2977,89,89,991
ऋण एवं अग्रिम / Loans & Advances	VIII	55342,59,38,200	61270,69,95,084
स्थिर आस्तियां / Fixed Assets	IX	206,21,60,820	194,76,96,169
अन्य आस्तियां / Other Assets	X	1351,36,05,222	1472,97,03,907
योग / Total		**60909,39,98,104**	**67860,03,82,318**
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	XI	7640,76,79,911	6519,35,87,953

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखा-टिप्पणीयाँ (अनुबंध I)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Annexure I)
उक्त अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं। / The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

बोर्ड के आदेशानुसार / BY ORDER OF THE BOARD

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते बोरकर एंड मजूमदार For BORKAR & MUZUMDAR सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन : 101569डब्ल्यू FRN. : 101569W	यू. जे. लालवानी U.J. Lalwani देश-प्रमुख Country Head (निगमित लेखा वर्टिकल) (Corporate Accounts Vertical)	एन. रामन N. Raman कार्यपालक निदेशक Executive Director	क्षत्रपति शिवाजी Kshatrapati Shivaji अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

दर्शित दोशी / Darshit Doshi
साझेदार / Partner
एम. सं. / M. No. : 133755

	अनिल अग्रवाल / Anil Agrawal निदेशक / Director	आर. रामचंद्रन / R. Ramachandran निदेशक / Director

मुंबई, मई 28,2015
Mumbai, May 28, 2015

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता / Consolidated Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2015

31 मार्च, 2015 के समाप्त वर्ष का लाभ हानि खाता
Consolidated Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2015

(₹)

आय / INCOME	अनुसूचियाँ SCHEDULES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
ब्याज एवं बट्टा / Interest and Discount	XII	5498,92,61,930	5620,08,21,584
अन्य आय / Other Income	XIII	254,64,25,750	200,43,31,887
योग / Total		**5753,56,87,680**	**5820,51,53,471**
व्यय / EXPENDITURE			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार / Interest & Financial charges		3373,72,34,139	3337,09,12,099
परिचालनगत व्यय / Operating Expenses	XIV	455,94,83,423	314,50,24,235
प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		(197,01,25,162)	622,34,50,042
योग / Total		**3632,65,92,400**	**4273,93,86,376**
कर पूर्व लाभ / Profit before Tax		**2120,90,95,280**	**1546,57,67,095**
आयकर के लिए प्रावधान / Provision for Income Tax		514,51,20,017	605,89,83,886
आस्थगित कर समायोजन [(आस्ति)/(देयता)] Deferred Tax Adjustment [(Asset) / Liability]		186,54,43,928	(181,05,81,963)
सहयोगी संस्थाओं में अर्जन/(हानि) का हिस्सा Share of earning/(loss) in associates		2,19,54,949	1,91,79,124
कर पश्चात लाभ / Profit after Tax		**1422,04,86,284**	**1123,65,44,296**
लाभ अग्रानीत / Profit brought forward		53,92,84,228	47,01,05,408
कुल लाभ / (हानि) / Total Profit / (Loss)		**1475,97,70,512**	**1170,66,49,704**
विनियोग / Appropriations			
सामान्य आरक्षिति में अंतरित / Transfer to General Reserve		1190,60,49,385	935,66,00,000
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरित / Transfer to Special reserve u/s 36(1)(viii) of The Income Tax Act, 1961		80,00,00,000	80,00,00,000

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता / Consolidated Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2015

आय / INCOME	अनुसूचियाँ SCHEDULES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
अन्य / Others			
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षितियों में अंतरित / Transfer to Investment Fluctuation Reserve		5,91,56,175	(32,18,01,399)
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरित / Transfer to Staff Welfare Fund		2,00,00,000	1,00,00,000
शेयरों पर लाभांश / Dividend on Shares		112,50,00,000	112,50,00,000
लाभांश पर कर / Tax on Dividend		23,65,21,279	19,75,66,875
लाभ-हानि लेखा का अग्रेनीत अधिशेष / Surplus in Profit & Loss account carried forward		61,30,43,673	53,92,84,228
योग / Total		**1475,97,70,512**	**1170,66,49,704**
मूलभूत / अवमिश्रित प्रति शेयर अर्जन / Basic/Diluted Earning Per Share		31.60	24.97

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखा-टिप्पणीयाँ (अनुबंध I)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Annexure I)

उक्त अनुसूचियाँ लाभ-हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

बोर्ड के आदेशानुसार / BY ORDER OF THE BOARD

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते बोरकर एंड मजूमदार
For BORKAR & MUZUMDAR
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन : 101569डब्ल्यू
FRN. : 101569W

दर्शित दोशी / Darshit Doshi
साझेदार / Partner
एम. सं. / M. No. : 133755

मुंबई, मई 28,2015
Mumbai, May 28, 2015

यू. जे. लालवानी
U.J. Lalwani
देश-प्रमुख
Country Head
(निगमित लेखा वर्टिकल)
(Corporate Accounts Vertical)

एन. रामन
N. Raman
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

क्षत्रपति शिवाजी
Kshatrapati Shivaji
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

अनिल अग्रवाल / Anil Agrawal
निदेशक / Director

आर. रामचंद्रन / R. Ramachandran
निदेशक / Director

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
अनुसूची / SCHEDULE I:		
पूंजी / **Capital**		
(क) प्राधिकृत पूंजी / (a) Authorized Capital		
- ईक्विटी शेयर पूँजी (₹ 10/-प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर) Equity Share Capital (75,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)	750,00,00,000	750,00,00,000
- अधिमान शेयर पूंजी (₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 शोध्य अधिमान शेयर) Preference Share Capital (25,00,00,000 Redeemable Preference Shares of ₹ 10/- each)	250,00,00,000	250,00,00,000
(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी / **(b) Issued, Subscribed and Paid-up Capital :**		
- ईक्विटी शेयर पूँजी (₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 45,00,00,000 ईक्विटी शेयर) Equity Share Capital (45,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)	450,00,00,000	450,00,00,000
- अधिमान शेयर पूंजी / - Preference Share Capital	–	–
योग / Total	**450,00,00,000**	**450,00,00,000**
अनुसूची / SCHEDULE II:		
आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां / Reserves, Surplus and Funds		
क) आरक्षितियां / A) Reserves		
i) सामान्य आरक्षितियां / **General Reserve**		
- अथ शेष / Opening Balance	6468,17,73,193	5532,52,13,526
- वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1190,10,06,429	935,65,59,667
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	–
- इति शेष / Closing Balance	**7658,27,79,622**	**6468,17,73,193**
ii) विशेष आरक्षितियां / Specific Reserves		
क) निवेश आरक्षिति / **a) Investment Reserve**		
- अथ शेष / Opening Balance	55,19,63,645	55,19,63,645
- वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	–	–
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	–
- इति शेष / Closing Balance	**55,19,63,645**	**55,19,63,645**
ख) आयकर अधिनियम, 1961की धारा 36 (1)(viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां b) Special Reserve created and maintained u/s 36 (1) (viii) of The Income Tax Act, 1961		
- अथ शेष / Opening Balance	1197,00,00,000	11,17,00,00,000
- वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	80,00,00,000	80,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	–
- इति शेष / Closing Balance	**1277,00,00,000**	**1197,00,00,000**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
ग) अन्य आरक्षितियाँ / c) Other Reserves		
i) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति / Investment Fluctuation Reserve		
- अथ शेष / Opening Balance	46,64,91,955	78,82,93,354
- वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	5,91,56,175	
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year		32,18,01,399
- इति शेष / Closing Balance	**52,56,48,130**	**46,64,91,955**
(ख) लाभ और हानि खाते में अधिशेष / B) Surplus in Profit and Loss account	**61,30,43,673**	**53,92,84,228**
(ग)निधियाँ / C) Funds		
क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि / a) National Equity Fund		
- अथ शेष / Opening Balance	247,11,20,023	243,22,48,570
- वर्ष के दौरान परिवर्धन/प्रतिलेखन / Additions / Write back during the year	6,97,48,250	3,88,71,453
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	–
- इति शेष / Closing Balance	**254,08,68,273**	**247,11,20,023**
ख) स्टाफ कल्याण निधि / b) Staff Welfare Fund		
- अथ शेष / Opening Balance	22,07,97,120	22,63,72,265
- वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2,00,00,000	1,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	1,37,40,138	1,55,75,145
- इति शेष / Closing Balance	**22,70,56,982**	**22,07,97,120**
ग) अन्य / c) Others	–	–
योग / Total	**9381,13,60,325**	**8090,14,30,165**
अनुसूची / SCHEDULE III		
जमा / Deposits		
क) सावधि जमा / A) Fixed Deposits	**1157,69,17,994**	**928,26,37,419**
ख) बैंकों से / B) From Banks		
क) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत a) Under MSME Refinance Fund	10289,12,50,000	15000,00,00,000
ख) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूँजी निधि के अंतर्गत b) Under MSME Risk Capital Fund	1500,00,00,000	1000,00,00,000
ग) अन्य - विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से c) Others -From Foreign & Private Sector Banks	500,00,00,000	500,00,00,000
उप-योग (ख) / Subtotal (B)	**12289,12,50,000**	**16500,00,00,000**
योग / Total	**13446,81,67,994**	**17428,26,37,419**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
अनुसूची / SCHEDULE IV		
उधारियां / BORROWINGS		
I) भारत में उधारियां / Borrowings in India		
1. भारतीय रिजर्व बैंक से / From Reserve Bank of India	–	5000,00,00,000
2. भारत सरकार से / From Government of India (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त ₹ 2,172.80 करोड़ के बॉण्ड सहित) (including Bonds subscribed by GOI of ₹ 2,172.80 crore)	3084,04,85,859	3161,79,92,413
3. बॉण्ड एवं डिबेंचर / Bonds & Debentures	10443,60,00,000	13066,60,00,000
4. अन्य स्रोतों से / From Other Sources		
- वाणिज्यिक पत्र / Commercial Paper	6625,00,00,000	3650,00,00,000
- जमा प्रमाण पत्र / Certificate of Deposits	–	–
- बैंकों से सावधि ऋण / Term Loans from Banks	887,79,89,157	905,17,89,999
- सावधि मुद्रा उधारियाँ / Term Money Borrowings	–	–
- अन्य / Others	398,77,06,490	49,93,25,568
उप-योग / Subtotal (I)	**21439,21,81,506**	**25833,51,07,980**
II) भारत से बाहर उधारियाँ / Borrowings outside India		
(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी / (a) KFW, Germany	1207,58,56,266	1314,99,52,598
(ख) जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जाइका) (b) Japan International Cooperation Agency (JICA)	4264,85,08,020	4277,84,46,222
(ग) आईएफएडी, रोम / (c) IFAD, Rome	128,75,19,696	128,37,60,894
(घ) विश्व बैंक / (d) World Bank	3160,27,74,690	3503,91,84,661
(ड) अन्य / (e) Others	472,18,89,785	559,38,64,032
उप-योग / Subtotal (II)	**9233,65,48,457**	**9784,52,08,407**
योग / Total (I & II)	**30672,87,29,963**	**35618,03,16,387**
अनुसूची / SCHEDULE V		
अन्य देयताएं व प्रावधान / Other Liabilities and Provisions:		
उपचित ब्याज / Interest Accrued	301,45,42,566	362,34,55,627
अन्य (प्रावधान सहित) / Others (including provisions)	4639,93,01,378	4180,50,32,807
विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान / Provisions for Exchange Rate Fluctuation	1443,14,85,860	1283,11,87,410
विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान / Contingent provisions against standard assets	315,37,55,628	315,37,55,628
मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान Proposed Dividend (including tax on dividend)	136,15,21,279	132,25,66,875
योग / Total	**6836,06,06,711**	**6273,59,98,347**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
आस्तियाँ / ASSETS		
अनुसूची / SCHEDULE VI		
नकदी और बैंक अतिशेष / Cash & Bank Balances		
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Cash in Hand & Balances with Reserve Bank of India	6,92,473	7,06,969
2. अन्य बैंकों में अतिशेष / Balances with Other Banks	–	–
(क) भारत में / (a) In India		
i) चालू खातों में / in current accounts	18,00,04,333	36,70,55,087
ii) अन्य निक्षेप खातों में / in other deposit accounts	121,77,07,232	363,42,95,947
(ख) भारत के बाहर / (b) Outside India		
i) चालू खातों में / in current accounts	21,61,73,877	8,63,47,523
ii) अन्य जमा खातों में / in other deposit accounts	884,98,82,484	1534,85,91,641
योग / Total	**1046,44,60,399**	**1943,69,97,167**
अनुसूची / SCHEDULE VII		
निवेश / Investments [प्रावधानों को घटाकर / **net of provisions]**		
क) राजकोषीय परिचालन / **A) Treasury operations**		
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ Securities of Central and State Governments	917,02,67,984	378,83,78,095
2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयर / Shares of Banks & Financial Institutions	23,95,12,137	23,95,12,137
3. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स Bonds & Debentures of Banks & Financial Institutions	531,10,90,288	556,38,92,000
4. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स Stocks, Shares, bonds & Debentures of Industrial Concerns	247,81,38,842	250,24,16,342
5. अल्पावधि बिल पुनर्भुनाई योजना / Short Term Bills Rediscounting Scheme	–	–
6. अन्य / Others	325,00,00,000	825,44,66,583
उप-योग (क) / Subtotal (A)	**2044,90,09,251**	**2034,86,65,157**
ख) व्यवसाय परिचालन / B) Business Operations		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयर / Shares of Banks & Financial Institutions	60,92,61,440	62,56,61,440
2. बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स Bonds & Debentures of Banks & Financial Institutions	5,26,77,312	5,26,77,321
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स Stocks, Shares, bonds & Debentures of Industrial Concerns	502,26,43,504	607,02,49,879

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
4. सहायक संगठनों में निवेश / Investment in Subsidiaries	–	–
5. अन्य / Others	349,42,41,956	268,17,36,194
उप-योग (ख) / Subtotal (B)	**917,88,24,212**	**943,03,24,834**
योग (क+ख) / Total (A+B)	**2962,78,33,463**	**2977,89,89,991**
अनुसूची / SCHEDULE VIII		
ऋण एवं अग्रिम / Loans & Advances [प्रावधान के बाद / [Net of Provisions]		
क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त / A) Refinance to		
- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ / Banks and Financial Institutions	38098,83,05,725	40383,09,61,127
- अल्प वित्त संस्थाएँ / Micro Finance Institutions	1602,98,74,150	1169,52,05,368
- गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियाँ / NBFC	4054,29,66,100	4749,13,22,100
- बिलों की पुनर्भुनाई / Bills Rediscounted	–	2956,00,00,000
- अन्य (संसाधन सहायता) / Others (Resource Support)	–	–
उप-योग (क) / Subtotal (A)	**43756,11,45,975**	**49257,74,88,595**
ख) प्रत्यक्ष ऋण / B) Direct Loans		
- ऋण एवं अग्रिम / Loans and Advances	9501,86,05,887	9144,11,95,442
- प्राप्य वित्त योजना / Receivable Finance Scheme	2082,89,98,468	2841,83,77,451
- भुनाए गए बिल / Bills Discounted	1,71,87,870	26,99,33,596
उप-योग (ख) / Subtotal (B)	**11586,47,92,225**	**12012,95,06,489**
योग (क+ख) / Total (A+B)	**55342,59,38,200**	**61270,69,95,084**
अनुसूची / SCHEDULE IX		
स्थिर आस्तियां / Fixed Assets [मूल्यह्रास घटाकर / [Net of Depreciation]		
1. परिसर / Premises	204,62,60,684	192,70,47,584
2. अन्य / Others	1,59,00,136	2,06,48,585
योग / Total	**206,21,60,820**	**194,76,96,169**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
अनुसूची / SCHEDULE X		
अन्य आस्तिया / Other Assets:		
उपचित ब्याज / Accrued Interest	675,30,55,345	705,16,93,538
अग्रिम कर (प्रावधान के बाद) / Advance Tax (Net of provision)	193,41,63,275	103,40,26,063
अन्य Others	158,36,22,667	543,26,26,142
व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है / Expenditure to the extent not written off	324,27,63,935	121,13,58,164
योग / Total	**1351,36,05,222**	**1472,97,03,907**
अनुसूची / SCHEDULE XI		
आकस्मिक देयताएँ / Contingent Liabilities		
i) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts	212,99,95,882	135,28,35,372
ii) गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप / On account of Guarantees / Letters of Credit	134,78,28,441	337,45,25,203
iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप On account of Forward Contracts	26,40,40,369	52,69,03,816
iv) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप / On account of Underwriting Commitments	–	–
v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबेंचरों पर न मांगी गई राशियों के फलस्वरूप / On account of uncalled monies on partly paid shares, debentures	–	–
vi) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है Other items for which the Bank is contingently liable (derivative contracts etc.)	7266,58,15,219	5993,93,23,562
योग / Total	**7640,76,79,911**	**6519,35,87,953**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के समेकित लाभ-हानि खाते की अनुसूचियाँ /
Schedules to Consolidated Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2015

(₹)

अनुसूची / SCHEDULE XII	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
ब्याज और बट्टा / Interest and Discount		
1. ऋण, अग्रिमों और बिलों पर ब्याज एवं बट्टा Interest and Discount on Loans, Advances and Bills	5157,85,57,270	5383,48,58,138
2. निवेश / बैंक अतिशेष पर आय / Income on Investments / Bank balances	341,07,04,660	236,59,63,446
योग / Total	**5498,92,61,930**	**5620,08,21,584**
अनुसूची / SCHEDULE XIII		
अन्य आय / Other Income:		
1. अपफ्रंट और कार्रवाई शुल्क / Upfront and Processing Fees	31,29,45,422	52,74,42,851
2. कमीशन और दलाली / Commission and Brokerage	2,48,91,574	2,09,46,605
3. निवेशों की बिक्री से लाभ / Profit on sale of Investments	159,32,46,600	80,65,45,243
4. सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं से लाभांश, आदि के जरिये अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries / Associates	–	–
5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान / Provision of Earlier Years written Back	28,304	–
6. अन्य / Others	61,53,13,850	64,93,97,188
योग / Total	**254,64,25,750**	**200,43,31,887**
अनुसूची / SCHEDULE XIV		
परिचालन व्यय / Operating Expenses:		
कर्मचारियों के लिए किए गए भुगतान और प्रावधान Payments to and provisions for employees	326,07,32,434	194,02,81,544
किराया, कर और बिजली / Rent, Taxes and Lighting	20,51,06,885	17,55,86,600
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री / Printing & Stationery	87,39,538	96,47,881
विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and Publicity	3,63,71,339	2,78,41,993

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के समेकित लाभ-हानि खाते की अनुसूचियाँ /
Schedules to Consolidated Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2015

(₹)

अनुसूची / SCHEDULE XIV	31 मार्च, 2015 March 31, 2015	31 मार्च, 2014 March 31, 2014
बैंक की संपत्ति में मूल्यह्रास / परिशोधन Depreciation / Amortisation on Bank's Property	13,65,39,000	11,89,37,818
निदेशकों की फीस, भत्ते व व्यय / Directors' fees allowances and expenses	55,15,034	49,04,019
लेखापरीक्षकों की फीस / Auditor's Fees	60,95,360	45,60,761
विधि प्रभार / Law Charges	1,83,61,648	1,40,64,035
डाक, कुरियर, दूरभाष, आदि / Postage Courier, Telephones etc.	37,45,400	37,56,065
मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	9,23,38,098	9,74,36,363
बीमा / Insurance	50,13,041	47,01,355
सीजीटीएमएसई को अंशदान / Contribution to CGTMSE	18,74,75,000	18,74,75,000
अन्य व्यय / Other Expenditure	59,34,50,646	55,58,30,801
योग / Total	**455,94,83,423**	**314,50,24,235**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ /
Schedules to Consolidated Balance Sheet for the year ended March 31, 2015

समेकित लेखे के लिए अतिरिक्त टिप्पणियाँ / Additional Notes to Consolidated Accounts

अनुबंध - महत्वपूर्ण लेखा नितियाँ / Annexure - I - Significant Accounting Policies

1	एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV में उल्लिखित सभी महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का पालन समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में भी किया गया है। All the significant accounting policies as mentioned in Schedule XV of the standalone financial statements have also been followed in the preparation of consolidated financial statements.
2	एएस-21 समेकित वित्तीय विवरण के अनुरुप अंत:समूह अतिशेष एवं अंतर-समूह संव्यवहार पूर्णरूपेण हटा देने के बाद, आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्य एक साथ जोड़कर बैंक एवं इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण पंक्ति पर पंक्ति आधार पर एकीकृत किए गए हैं। जैसा कि एएस-23 समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संगठनों में निवेश संबंधी लेखांकन में विनिर्दिष्ट है, सहयोगी संगठनों का लेखांकन ईक्विटी पद्धति का इस्तेमाल करके किया गया है। The financial statements of the Bank and its subsidiary companies are combined on a line to line basis by adding together the book values of like items of Assets, Liabilities, Income and Expenses after fully eliminating intra group balances and inter group transactions in accordance with AS-21" Consolidated Financial Statements". The Associates are accounted for using the equity method as prescribed by AS-23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements".
3	समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहयोगी संस्थाओं के विवरण निम्नवत हैं : Details of Subsidiaries included in consolidated financial statements are:

(₹)

Sr.No.	Name of the subsidiary	Country of Incorporation	Proportion of ownership	Profit/Loss
1	सिडबी वेंचर कैपिटल लि (एसवीसीएल) SIDBI Venture Capital Ltd. (SVCL)	भारत India	100%	5,95,69,265
2	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लि. (एसटीएसएल) SIDBI Trustee Company Ltd. (STCL)	भारत India	100%	51,59,314
3	माइक्रो यूनिट्स डेवलेपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लि. (मुद्रा) (18 मार्च 2015 से प्रभावी) Micro Units Development & Refinance Agency (Mudra Ltd.) (w.e.f. March 18, 2015)*	भारत India	100%	Nil
	योग / Total			**6,47,28,579**

मुद्रा के अलावा सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण लेखापरीक्षित है।

* कंपनी अधिनियम - 2013 के अनुसार कोई ऐसी कंपनी या निगमित विकाय जो वर्ष की 1ली जनवरी को या उसके बाद निगमित हुई हो, उसका वित्तीय वर्ष परवर्ती वर्ष के 31 मार्च को गिना जाएगा। तदनुसार, मुद्रा लि. का पहला वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च, 2016 तैयार किया जाएगा। तदनुसार, यथा 31 मार्च, 2015 समेकत मुद्रा लि. द्वारा दिए गए वित्तीय डाटा के अनुसार किया गया है।

Financial statements of the subsidiaries except Mudra Ltd. are audited.

* As per Companies Act-2013, any company or body corporate, when incorporated on or after the 1st day of January of a year, the financial year will be taken on the 31st day of March of the following year. Accordingly, the first financial statement of Mudra Ltd shall be prepared as on March 31, 2016. Accordingly, the consolidation as at March 31, 2015 has been done as per the financial data provided by Mudra Ltd.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ /
Schedules to Consolidated Balance Sheet for the year ended March 31, 2015

4.क समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहयोगी संस्थाओं के विवरण निम्नवत हैं:

4.A Details of Associates included in consolidated financial statements are as follows :

क्रमांक Sr. No.	सहयोगी संस्था का नाम Name of the Associate	(%) धारिता (%) Holding	विवरण Description	निवेश Investment	लाभ/(हानि) का हिस्सा Share of Profit/(loss)	आरक्षित निधि में हिस्सा * Share in reserves *
1	स्मेरा SMERA	34.29	एसएमई की क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी Credit Rating Agency for SME's	5,10,00,000	1,03,19,066	55,55,415
2	आईएसटीएसएल ISTSL	22.73	एसएमई की प्रौद्योगिकी सहायता Technology Support to SME's	1,00,00,000	3,36,879	24,29,549
3	आईएसएआरसी ISARC	26.00 **	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी Asset Reconstruction Company	26,00,00,000	1,17,59,904	1,99,58,125
4	डीएफसी DFC	23.87	राज्य वित्तीय निगम State Financial Corporation	3,13,87,500	(4,60,900)	11,24,05,069
	योग / Total			**35,23,87,500**	**2,19,54,949**	**14,03,48,158**

* समेकित तुलनपत्र की अनुसूची II क (i) में ₹ 7658,27,79,622 (₹ 6468,17,73,193) की आरक्षिति निधि में शामिल।

* Included in Reserve Fund of ₹ 7658,27,79,622 (Previous year ₹ 6468,17,73,193) in Schedule II A(i) of the Consolidated Balance sheet.

** इसमें एसवीसीएल (सिडबी की 100% सहायक संस्था) की 11% धारिता शामिल है।

** Includes 11% holding by SVCL (100% subsidiary of SIDBI).

ख) समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं के परिणाम सम्मिलित नहीं हैं। तथापि, वित्तीय विवरणों में हानियों के हिस्से के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

B) The results of the following associates are not included in the consolidated financial statements. However, full provision has been made in the financial statements for share of the losses.

क्रमांक Sr. No.	सहयोगी संस्था का नाम Name of the Associate	(%) धारिता (%) Holding	विवरण Description	निवेश Investment	लाभ/(हानि) का हिस्सा Share of Profit/(loss)
1	बीएसएफसी / BSFC	48.43	राज्य वित्तीय निगम / State Financial Corporation	18,84,88,500	(18,84,88,500)
2	जीएसएफसी / GSFC	28.41	राज्य वित्तीय निगम / State Financial Corporation	12,66,00,000	(12,66,00,000)
3	जेकेएसएफसी / JKSFC	23.00	राज्य वित्तीय निगम / State Financial Corporation	10,46,20,000	(10,46,20,000)
4	एमएसएफसी / MSFC	39.99	राज्य वित्तीय निगम / State Financial Corporation	12,52,41,750	(12,52,41,750)
5	पीएफसी / PFC	25.92	राज्य वित्तीय निगम / State Financial Corporation	5,23,51,850	(5,23,51,850)
6	यूपीएसएफसी / UPSFC	24.18	राज्य वित्तीय निगम / State Financial Corporation	21,67,59,000	(21,67,59,000)
	योग / Total Total			**81,40,61,100**	**(81,40,61,100)**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ /
Schedules to Consolidated Balance Sheet for the year ended March 31, 2015

ग निम्नलिखित निकायों के मामले में, हालाँकि बैंक के पास 20% से अधिक का मताधिकार है, तथापि, इन्हें एस 23 समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन के अंतर्गत सहयोगी संस्थाओं में निवेश नहीं माना गया है, क्योंकि इन्हें ऐसा महत्त्वपूर्ण निवेश नहीं समझा गया है, जिसका समेकन किया जाए।

C In case of following entities, though the bank holds more than 20% of voting power, they are not treated as investment in associate under AS 23 'Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements', because they are not considered as material investments requiring consolidation.

क्रमांक Sr. No.	सहयोगी संस्था का नाम Name of the Associate	(%) धारिता (%) Holding	विवरण Description	निवेश Investment
1	एपीआईटीसीओ लि. / APITCO Ltd.	41.29	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	54,70,975
2	केआईटीसीओ लि. / KITCO Ltd.	49.77	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	24,95,296
3	बिहार औद्योगिक एवं तकनिकी परामर्श संगठन लि. Bihar Industrial and Techinical Consultancy Organisation Ltd.	49.25	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	1
4	पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्श संगठन लि. North Eastern Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd.	43.44	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	1
5	उड़ीसा औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्श संगठन लि. Orissa Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd.	49.42	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	1
6	उत्तर प्रदेश औद्योगिक परामर्शदाता लि. U.P Industrial Consultants Ltd.	48.99	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	15,33,472
7	पश्चिम बंगाल परामर्श संगठन लि. West Bengal Consultancy Organisation Ltd.	21.67	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	4,86,783
	योग / Total			**99,86,529**

घ. 4 क एवं 4 ख में उल्लिखित राज्य वित्तीय निगमों से इतर सहयोगी संस्थाओं के 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है । यूपीएसएफसी से इतर अन्य राज्य वित्तीय निगमों के आँकड़े 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं। यूपीएसएफसी के मामले में, 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के अंतिम परिणाम उपलब्ध हैं ।

बैंक ने ऊपर 4 ख एवं 4 ग में उल्लिखित सहयोगी संस्थाओं की ओर से कोई दायित्व नहीं लिया है । और न ही कोई भुगतान किया है, तथा न ही सहयोगी संस्थाओं द्वारा किए गए नुकसान के बारे में उक्त सहयोगी संस्थाओं में अपने निवेश मूल्य से अधिक कोई गारंटी अथवा वचनबद्धता की है ।

D Financial statements of the associates other than State Financial Corporations's (SFC) mentioned in 4A and 4B are unaudited for the year ended March 31, 2015. The figures for SFC's other than UPSFC are based on audited results for the year ended March 31, 2014. In respect of UPSFC, provisional results are available for the year ended March 31, 2013.

The Bank has not incurred any obligation or made payment on behalf of associates mentioned in 4B and 4C above or otherwise provided guarantee or commitment for the losses made by the associates in excess of its investment value in the associates.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ /
Schedules to Consolidated Balance Sheet for the year ended March 31, 2015

5 सहयोगी संस्थाओं के साथ महत्त्वपूर्ण लेन-देन का विवरण निम्नवत है ।
Details of significant transactions with associates are as under:

क्रमांक Sr. No.	सहयोगी संस्था का नाम Name of the Associate	विवरण / Particulars	संवितरण / Disbursements	चुकौती / Repayments
1	डीएफसी / DFC	पुनर्वित्त सहायता / Refinance assistance	–	5,65,49,513
2	पीएफसी / PFC	पुनर्वित्त सहायता / Refinance assistance	–	15,12,00,000

6 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की मूल्यह्रास नीति में आस्तियों का मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति/मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति से पूर्व निर्धारित दरों पर किया जाता है, जब कि सहायक संस्थाएँ और सहयोगी संस्थाएँ मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति से करती हैं । इसलिए समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ₹ 13,65,39,000/- (पिछले वर्ष ₹ 11,89,37,818/-) के कुल मूल्यह्रास में से ₹ 9,64,500 जो की 0.71% (पिछले वर्ष ₹ 6,63,600 - 0.56%) राशि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार किए गए मूल्यह्रास के आधार पर निर्धारित की गई है ।

As against depreciation policy of SIDBI whereby assets are depreciated on SLM / WDV at pre-determined rates, the subsidiaries and associates compute depreciation on WDV basis as per Schedule II of the Companies Act, 2013. Thus out of the total depreciation of ₹ 13,65,39,000 (Previous Year ₹ 11,89,37,818) included in Consolidated Financial Statements, ₹ 9,64,500 being 0.71% (Previous Year ₹ 6,63,600 being 0.56%) of the amount is determined based on Depreciation provided as per the Companies Act, 2013.

7 एसवीसीएल के मामले में, प्रभावी तारीख को जिन आस्तियों का कोई उपयोगी जीवन शेष नहीं है, उनके सम्बन्ध में मुल्यह्रास में ₹ 49,385 के संक्रमण - कालिक प्रावधान को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार अधिशेष (धारित अर्जन) में समायोजित किया गया है। यह राशि समेकित वित्तीय विवरणों में अनुसूची II (आरक्षिति, अधिशेष एवं निधियाँ) के अंतर्गत सामान्य आरक्षिति के प्रति समायोजित किया गया है ।

In case of SVCL, the transitional provision in depreciation in respect of assets having no useful lives as on the effective date, amounting to ₹ 49,385 is adjusted to Surplus (Retained earnings) as per Schedule II of the Companies Act, 2013.This amount is adjusted against General Reserve under Schedule II (Reserves, Surplus and Funds) in consolidated financial statements.

8 चूँकि सहायक संस्थाओं के सभी शेयर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिडबी के स्वामित्त्व में है, अत: अल्पांश शेयरधारकों के हित के संबंध में अलग से कोई प्रकटन नहीं किया गया है ।

As all shares of the subsidiaries are owned by SIDBI directly or indirectly, no separate disclosure relating to minority interest is reflected.

9 एसवीसीएल के पूर्णकालिक निदेशक का कुल ₹ 50,08,647 के सकल पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष ₹ 45,72,020)।
Aggregate remuneration paid to whole time director of SVCL is ₹ 50,08,647 (Previous Year ₹ 45,72,020).

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ /
Schedules to Consolidated Balance Sheet for the year ended March 31, 2015

10	**प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) / Earning Per Share (EPS):**	31 मार्च, 2015 **March 31, 2015 (₹)**	31 मार्च, 2014 **March 31, 2014 (₹)**
	ईपीएस के परिकलन के लिए लिया गया निवल लाभ Net Profit considered for EPS calculation	1422,04,86,284	1123,65,44,296
	₹ 10 के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares of face value ₹ 10 each	45,00,00,000	45,00,00,000
	प्रति शेयर अर्जन / Earning per share	31.60	24.97
11	**आकस्मिक देयताएँ** **Contingent Liabilities** नगरपालिका करों के प्रति एसवीसीएल की विवादित देयता है, जिसकी राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है । SVCL has disputed liability towards municipal taxes, the amount of which cannot be determined.		
12	मूल एवं सहायक संस्थाओं के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त सांविधिक सूचनाएँ समेकित वित्तीय विवरणों की सही और सच्ची स्थिति को प्रभावित नहीं करती हैं और साथ ही, गैर-महत्त्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित सूचनाएँ इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्ट्स ऑफ इन्डिया (आइसीएआई) द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की गई है । Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and the subsidiaries have no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statments and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).		

बोर्ड के आदेशानुसार / BY ORDER OF THE BOARD

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते बोरकर एंड मजूमदार For BORKAR & MUZUMDAR सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन : 101569डब्ल्यू FRN. : 101569W	यू. जे. लालवानी U.J. Lalwani देश-प्रमुख Country Head (निगमित लेखा वर्टिकल) (Corporate Accounts Vertical)	एन. रामन N. Raman कार्यपालक निदेशक Executive Director	क्षत्रपति शिवाजी Kshatrapati Shivaji अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

दर्शित दोशी / Darshit Doshi
साझेदार / Partner
एम. सं. / M. No. : 133755

अनिल अग्रवाल / Anil Agrawal
निदेशक / Director

आर. रामचंद्रन / R. Ramachandran
निदेशक / Director

मुंबई, मई 28,2015
Mumbai, May 28, 2015

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2015

(₹)

31 मार्च, 2014 March 31 2014	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2015 March 31 2015	31 मार्च, 2015 March 31 2015
	1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Operating Activities		
1546,57,38,030	लाभ-हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before tax as per Consolidated P & L Account		**2120,90,92,073**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन / Adjustments for :		
11,89,08,228	मूल्यह्रास / Depreciation	13,65,39,000	
41,97,88,782	निवेशों में निवल ह्रास के लिए प्रावधान Provision for net depreciation in investments	54,54,02,483	
605,74,88,779	किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद) Provisions made (net of write back)	(119,07,49,629)	
(80,65,45,244)	निवेश बिक्री से लाभ (निवल) Profit on sale of investments (net)	(159,19,75,700)	
(14,61,15,075)	निवेशों पर प्राप्त लाभांश Dividend/Interest Received on Investments	(16,37,08,548)	**(226,44,92,394)**
2110,92,63,500	**परिचालनों से उपार्जित नकदी / Cash generated from operations**		1894,45,99,679
	(परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पहले) (Prior to changes in operating Assets and Liabilities)		
	निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन Adjustments for net changes in :		
(348,86,52,588)	चालू आस्तियाँ / Current assets	150,63,57,500	
4,94,25,898	चालू देयताएँ / Current liabilities	107,84,43,959	
1390,83,70,439	विनिमय बिल / Bills of Exchange	775,79,03,839	
(7218,81,99,997)	ऋण एवं अग्रिम / Loans & Advances	5725,68,49,021	
5768,87,49,475	बांडों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ Net Proceeds of Bonds and Debentures & other borrowings	(4945,15,86,426)	
(676,60,82,486)	प्राप्त जमा / Deposits received	(3981,44,69,425)	
(1079,63,89,259)			**(2166,65,01,532)**
1031,28,74,241			(272,19,01,853)
(450,94,76,246)	कर अदायगी / Payment of Tax		(606,53,12,713)
580,33,97,995	**परिचालन-गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash flow from operating Activities**		**(878,72,14,566)**
	2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Investing Activities		
(8,18,06,334)	स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय)/विक्रय Net (Purchase)/Sale of fixed assets	(25,10,76,650)	

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2015

(₹)

31 मार्च, 2014 March 31 2014	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2015 March 31 2015	31 मार्च, 2015 March 31 2015
(40,98,87,299)	निवेशों का निवल (क्रय)/विक्रय/शोधन Net (Purchase)/sale/redemption of Investments	121,96,50,081	
14,62,85,346	निवेशों पर प्राप्त लाभांश Dividend/Interest Received on Investments	16,29,23,125	
(34,54,08,287)	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी **Net cash used in Investing Activities**		**113,14,96,556**
	3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash flow from Financing Activities		
(131,61,94,132)	ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर Dividend on Equity Shares & tax on Dividend	(131,68,18,758)	
(131,61,94,132)	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी **Net cash used in Financing Activities**		**(131,68,18,758)**
414,17,95,576	**4. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी/(कमी) Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents**		**(897,25,36,768)**
1529,52,01,591	5. अवधि के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य **Cash and Cash Equivalents at the beginning of the period**		**1943,69,97,167**
1943,69,97,167	6. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य **Cash and Cash Equivalents at the end of the period**		**1046,44,60,399**

टिप्पणी : नकदी प्रवाह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक-3 (संशोधित) नकदी प्रवाह विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

Note : Cash Flow statement has been prepared as per the Indirect Method prescribed in AS-3 (Revised) 'Cash Flow Statement' issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखा-टिप्पणीयाँ (अनुबंध I)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Annexure I)

बोर्ड के आदेशानुसार / BY ORDER OF THE BOARD

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते बोरकर एंड मजूमदार For BORKAR & MUZUMDAR सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन : 101569डब्ल्यू FRN. : 101569W	यू. जे. लालवानी U.J. Lalwani देश-प्रमुख Country Head (निगमित लेखा वर्टिकल) (Corporate Accounts Vertical)	एन. रामन N. Raman कार्यपालक निदेशक Executive Director	क्षत्रपति शिवाजी Kshatrapati Shivaji अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

दर्शित दोशी / Darshit Doshi
साझेदार / Partner
एम. सं. / M. No. : 133755

अनिल अग्रवाल / Anil Agrawal
निदेशक / Director

आर. रामचंद्रन / R. Ramachandran
निदेशक / Director

मुंबई, मई 28,2015
Mumbai, May 28, 2015

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक शाखाएं / SIDBI BRANCH NETWORK

प्रधान कार्यालय: सिडबी टावर 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001 (उत्तर प्रदेश)
फोन: 0522-2288546-50, फैक्स: 0522-2288455-59

Head Office : SIDBI Tower, 15, Ashok Marg, Lucknow – 226001, Uttar Pradesh
Tel. : 0522-2288546-50 Fax : 0522-2288455-59

Regional Office	Branch Name
Ahmedabad	Ahmedabad, Baroda, Gandhidham, Jamnagar, Morbi, Rajkot, Surat, Vatva
Bangalore	Bengaluru, Hosur, Hubli, Mysuru, Peenya
Chandigarh	Chandigarh, Jalandhar, Jammu, Ludhiana, Shimla
Chennai	Ambattur, Chennai, Puducherry
Coimbatore	Coimbatore, Erode, Kochi, Madurai, Tirupur, Trichy
Faridabad	Faridabad, Gurgaon
Guwahati	Agartala, Aizawl, Dimapur, Gangtok, Guwahati, Imphal, Itanagar, Shillong
Hyderabad	Balanagar, Hyderabad, Rajahmundry, Vijayawada, Visakhapatnam
Indore	Bhopal, Bilaspur, Indore, Nagpur, Raipur
Jaipur	Alwar, Jaipur, Jodhpur, Kishangarh, Udaipur
Kolkata	Bhubaneshwar, Jamshedpur, Kolkata, Patna, Ranchi, Rourkela
Lucknow	Agra, Kanpur, Lucknow, Varanasi
Mumbai	Andheri, BKC, Mumbai Metro, Panaji, Thane
New Delhi	Bahadurgarh, Dehradun, Ghaziabad, Greater Noida, Kundli, New Delhi, New Delhi RFS, Noida, Okhla, Rudrapur,
Pune	Ahmednagar, Aurangabad, Chinchwad, Kolhapur, Nasik, Pune

क्षेत्रीय कार्यालय	शाखाएं
अहमदाबाद	अहमदाबाद, वड़ोदरा, गांधीधाम, जामनगर, मोरबी, राजकोट, सूरत, वटवा
बंगलूरु	बंगलूरू, होसुर, हुबली, मैसूर, पीन्या
चंडीगढ	चंडीगढ़, जालंधर, जम्मू, लुधियाना, शिमला
चेन्नै	अम्बत्तूर, चेन्नै, पुदुचेरी
कोयम्बतूर	कोयम्बतूर, कोच्ची, तिरुपुर, ईरोड, त्रिची, मदुरै,
फरीदाबाद	फरीदाबाद, गुड़गाँव
गुवाहाटी	अगरतला, आईजाल, दीमापुर, गंगटोक, गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, शिलांग
हैदराबाद	बालानगर, हैदराबाद, राजमंड्री, विजयवाड़ा, विशाखपट्टणम
इंदौर	भोपाल, बिलासपुर, इंदौर, नागपुर, रायपुर
जयपुर	अलवर, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, उदयपुर
कोलकाता	भुवनेशर, जमशेदपुर, कोलकाता, पटना, रांची, राउरकेला
लखनऊ	आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी
मुंबई	अंधेरी, मुंबई बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई महानगर, पणजी, ठाणे
नई दिल्ली	बहादुरगढ़, देहरादून, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कुंडली, नई दिल्ली, नई दिल्ली आर एफ एस, नोएडा, ओखला, रुद्रपुर
पुणे	अहमदनगर, औरंगाबाद, चिंचवड़, कोल्हापुर, नासिक, पुणे

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

www.sidbi.in

Disigned & Printed by: UCHITHA - www.uchitha.com